वार्षिक रिपोर्ट
2009-2010

सत्यमेव जयते

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारत सरकार

उद्योग भवन, नई दिल्ली–110 011

वेबसाइट: dhi.nic.in / dpe.nic.in

विषय सूची

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

		पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	7–10

भारी उद्योग विभाग

1.	एक रूपरेखा	13
2.	भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम	20
3.	भारी विद्युत, भारी इंजीनियरिंग और मशीन टूल उद्योग	36
4.	ऑटोमोटिव उद्योग	42
5.	प्रौद्योगिकी उन्नयन और अनुसंधान एवं विकास	47
6.	अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./विकलांग/अल्पसंख्यकों का कल्याण	62
7.	महिलाओं का सशक्तिकरण/कल्याण	63
8.	सतर्कता	64
9.	हिंदी का प्रगामी प्रयोग	65
	अनुबंध (I-XII)	66–78
	संकेताक्षर	79

लोक उद्यम विभाग

1.	लोक उद्यम सर्वेक्षण	83
2.	केंद्रीय सरकारी उद्यमों को स्वायत्तता	86
3.	नैगम अभिशासन और केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में निदेशक मण्डलों का व्यवसायीकरण	93
4.	केंद्रीय सरकारी उद्यमों में समझौता ज्ञापन प्रणाली	96
5.	मानव संसाधन विकास	102
6.	स्थायी मध्यस्थता तंत्र	105
7.	मजूरी नीति एवं जनशक्ति यौक्तिकीकरण	106
8.	सरकारी उद्यमों का वर्गीकरण	109
9.	सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई)	110
10.	परामर्श, पुन:प्रशिक्षण तथा पुन:नियोजन योजना	112
11.	केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में व्यय प्रबंध-आर्थिक उपाय तथा व्यय का यौक्तिकीकरण	114
12.	राजभाषा नीति	115
13.	महिलाओं का कल्याण	116
	परिशिष्ट (I-IV)	117–124

अनुबंध (I-XII)

		पृष्ठ संख्या
I.	भारी उद्योग विभाग को कार्य का आवंटन	66
II.	भारी उद्योग विभाग का संगठन	68
III.	भारी उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बारे में सामान्य सूचना	69
IV.	भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में दिनांक 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा. और अ.पि.व. सहित नियोजन की स्थिति	70
V.	भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का उत्पादन कार्यनिष्पादन	71
VI.	भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का कर-पूर्व लाभ (+)/ हानि (-)	72
VII.	भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में वेतन/मजदूरी बिल और सामाजिक उपरिव्यय	73
VIII.	भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के आर्डर बुक की स्थिति	74
IX.	भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का निर्यात निष्पादन	75
X.	दिनांक 31.03.2009 (अनन्तिम) की स्थिति के अनुसार भारी उद्योग विभाग के अधीनस्थ केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की प्रदत्त पूंजी, निवल मूल्य और संचयी लाभ (+)/ हानि (-)	76
XI.	पुनरूद्धार/पुनर्गठन के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत निविष्टियां	77
XII.	नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट, 2008-09 में महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकन	78

परिशिष्ट (I-IV)

I.	लोक उद्यम विभाग का संगठन	117
II.	दिनांक 31 जनवरी, 2009 की यथास्थिति केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की अनुसूची-वार सूची	118
III.	वर्ष के दौरान बीआरपीएसई द्वारा विचार किए गए केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का ब्यौरा	121
IV.	उन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की सूची जिनके प्रस्तावों को बीआरपीएसई द्वारा अनुमोदित किया गया	122
V.	2008-2009 में प्रचालनात्मक नोडल एजेन्सियों की सूची	124

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

1.	प्रस्तावना	
क.	भारी उद्योग विभाग	7
ख.	लोक उद्यम विभाग	8

अध्याय 1

प्रस्तावना

मंत्रालय

1.1 मंत्रालय, जिसमें भारी उद्योग विभाग और लोक उद्यम विभाग शामिल हैं, केन्द्रीय मंत्री (भारी उद्योग और लोक उद्यम) के प्रभाराधीन कार्य करता है, जिनकी सहायता राज्य मंत्री द्वारा की जाती है। मंत्रालय देश में पूंजीगत सामग्री, ऑटो, विद्युत उपस्कर विनिर्माण और इंजीनियरी उद्योग के विकास और वृद्धि का संवर्धन करने, केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए नीतिगत दिशानिर्देश बनाने और केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के प्रशासन पर ध्यान केन्द्रित करता है।

क भारी उद्योग विभाग

1.2 भारी उद्योग विभाग इंजीनियरी उद्योग यथा मशीन टूल उद्योग, भारी बिजली उद्योग, औद्योगिक मशीनरी और ऑटो उद्योग के विकास का कार्य देखता है तथा केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के 32 प्रचालनरत उद्यमों को प्रशासित करता है। विभाग के अधीन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम इंजीनियरी/पूंजीगत सामग्री के विनिर्माण, परामर्शी और संविदाकारी सेवाओं में संलग्न हैं। विभाग के अधीन आने वाले उद्यम मशीन टूल, औद्योगिक मशीनरी, बॉयलर, गैस/स्टीम/हाइड्रो टर्बाइन, टर्बो जेनरेटर, विद्युत उपस्कर और रेल कर्षण उपस्कर, प्रेशर वेसल्स, एसी लोकोमोटिव, प्राइम मूवर्स और कृषि ट्रैक्टर तथा घड़ी, कागज, टायर और नमक जैसे उपभोक्ता उत्पादों जैसे व्यापक सीमा वाले उत्पादों का उत्पादन करते हैं। ये उद्योग विद्युत, रेल और परिवहन सहित अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों को सामग्रियां और सेवाएं प्रदान करते हैं। मंत्रालय मशीन निर्माण उद्योग की भी देख रेख करता है और इस्पात, अलौह धातुओं, उर्वरक, तेल शोधक कारखानों, पेट्रोरसायन, नौवहन, कागज, सीमेंट, चीनी आदि जैसे बुनियादी उद्योगों के लिए उपस्कर की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह विभाग कास्टिंग, फोर्जिंग, डीजल इंजनों, औद्योगिक गियर्स और गियर बाक्सों जैसे मध्यस्थ इंजीनियरिंग उत्पादों की एक विस्तृत श्रेणी के विकास में सहायता प्रदान करता है। यह विभाग निम्नलिखित को भी प्रशासित करता है:

(i) राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण तथा अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नैट्रिप) के कार्यान्वयन के मार्गनिर्देशन के लिए जुलाई, 2005 में स्थापित नैट्रिप कार्यान्वयन सोसायटी (नेटिस);

(ii) फ्ल्यूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पलक्कड़, जो चिन्हांकन के लिए फ्लो उद्योग की आवश्यकता पूरी करता है।,

(iii) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई), पुणे, महाराष्ट्र और

(iv) फोर्जिंग इंडस्ट्री रिसर्च इस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे, महाराष्ट्र

भारी उद्योग विभाग का कार्य-आबंटन **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

1.3 विभाग विभिन्न उद्योग संघों के साथ निरंतर परामर्श करता है और उद्योग के विकास के लिए पहलों को प्रोत्साहित करता है। विभाग नीतिगत पहलों, टैरिफ और व्यापार के पुनर्गठन के लिए उचित हस्तक्षेप, प्रौद्योगिकीय सहयोग के संवर्धन और उन्नयन तथा अनुसंधान और विकास आदि के माध्यम से

उद्योगों की विकास योजनाओं की प्राप्ति में भी उनकी सहायता करता है।

1.4 भारी उद्योग विभाग का नेतृत्व भारत सरकार के सचिव द्वारा किया जाता है, जिनकी सहायता तीन संयुक्त सचिवों निदेशक/उप-सचिव और एक तकनीकी स्कंध द्वारा की जाती है। विभाग की सहायता अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार के नेतृत्वाधीन एकीकृत वित्त स्कंध द्वारा भी की जाती है। विभाग की अधिकारियों/कर्मचारियों की समग्र स्वीकृत संख्या 279 हैं। विभाग का संगठनात्मक चार्ट अनुबंध-II में दिया गया है।

1.5 उपर्युक्त के अतिरिक्त, विभाग ने विभाग को सरल-सुगम कार्यकरण और कर्मचारियों तथा जनता की सहायता के लिए वरिष्ठ स्तर पर कई नोडल अधिकारी नियुक्त/पदनामित किए हैं।

1.6 सरकार द्वारा की गई एक नई पहल में जनवरी-मार्च, 2010 की अवधि के लिए विभाग द्वारा पहली बार परिणाम ढांचा दस्तावेज तैयार किया गया है। यह दस्तावेज भारी उद्योग विभाग की परियोजनाओं/स्कीमों के अनुवीक्षण के लिए दृष्टि, लक्ष्य, उद्देश्य और सामयिकता समावेशित करता है। इसमें न केवल सहमत्य उद्देश्य, नीतियां, कार्यक्रम और परियोजनाएं बल्कि उन्हें कार्यान्वित करने में की गई प्रगति को भांपने के लिए सफलता संकेतक और लक्ष्य भी चिन्हित हैं। यह वर्ष के अंत में विभाग के समग्र कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए उद्देश्यपरक और उचित आधार भी प्रदान करता है। इसे विभाग के सभी अधिकारियों और भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की मुख्य कार्यपालकों को शामिल करने के लिए विभाग द्वारा विस्तारित किया गया है। उपरोलिखित दस्तावेज तैयार करने और आगे समन्वय करने के लिए इस विभाग द्वारा नोडल अधिकारी के रूप में एक संयुक्त सचिव को पदनामित किया गया है।

1.7 नई सरकार के प्रथम 100 दिनों के दौरान कतिपय महत्वपूर्ण उपाय प्रारम्भ किए जाने के लिए एक विशिष्ट कार्य योजना तैयार की गई है और अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

ख. लोक उद्यम विभाग (डीपीई)

1.8 तीसरी लोकसभा (1962-67) की प्राक्कलन समिति ने अपनी 52वीं रिपोर्ट में एक ऐसे केन्द्रीयकृत समन्वयकारी एकक की स्थापना करने की आवश्यकता पर बल दिया था, जो सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन का निरंतर मूल्यांकन कर सके। इसके परिणामस्वरूप, वित्त मंत्रालय के अधीन वर्ष 1965 में सरकारी उद्यम ब्यूरो (बीपीई) की स्थापना की गई। सितम्बर, 1985 में संघ सरकार में मंत्रालयों/विभागों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप बीपीई को उद्योग मंत्रालय का एक हिस्सा बना दिया गया। मई 1990 में बीपीई को एक पूर्ण विभाग बना दिया गया और अब इसे लोक उद्यम विभाग (लोउवि) के रूप में जाना जाता है। इस समय यह भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय का एक हिस्सा है।

1.9 लोक उद्यम विभाग केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों के लिए एक नोडल विभाग है तथा अर्थव्यवस्था में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की भूमिका संबंधी नीति के प्रतिपादन में सहायता करता है और साथ ही उनके कार्यनिष्पादन में सुधार एवं मूल्यांकन, स्वायत्तता और वित्तीय प्रत्यायोजन, कार्मिक प्रबंध और संबंधित अन्य क्षेत्रों में नीतिगत दिशानिर्देश भी निर्धारित करता है। यह सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से संबंधित कई क्षेत्रों के बारे में जानकारी का संग्रहण, मूल्यांकन और अनुरक्षण करने का कार्य भी करता है। लोक उद्यम विभाग प्रशासनिक मंत्रालय तथा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बीच अन्तरापृष्ठ भी प्रदान करता है।

1.10 अन्य बातों के साथ-साथ रूग्ण/घाटा उठा रहे केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनरूद्धार/पुनर्गठन प्रस्तावों पर विचार करने और उससे संबद्ध उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए लोक उद्यम विभाग के प्रशासनिक प्रभाराधीन लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) की स्थापना दिसम्बर, 2004 में की गई।

1.11 सरकार की कार्य आबंटन नियमावली के अनुसार लोक उद्यम विभाग को निम्नलिखित विषय आबंटित किए गए है:

- सरकारी क्षेत्र के सभी औद्योगिक व वाणिज्यिक उपक्रमों को प्रभावित करने वाले गैर-वित्तीय स्वरूप की सामान्य नीति से संबंधित मुद्दों का समन्वयन।
- सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यनिष्पादन में सुधार के लिए समझौता ज्ञापन प्रणाली और कार्यतंत्र से संबंधित मुद्दे।
- सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए स्थायी मध्यस्थता कार्यतंत्र से संबंधित मुद्दे।
- केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के यौक्तिकीकृत कर्मचारियों को परामर्श, पुन: प्रशिक्षण देने तथा उनका पुनर्नियोजन करने से संबंधित मुद्दे।

1.12 लोक उद्यम विभाग तदनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से संबद्ध नीतियां बनाने और उनसे संबंधित मामलों पर विभिन्न दिशानिर्देश तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपनी भूमिका पूरी करने में विभाग अन्य मंत्रालयों, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और संबंधित संगठनों के साथ समन्वय करता है। विभाग के कुछ महत्वपूर्ण कार्य नीचे सूचीबद्ध हैं:-

- सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से संबंधित गैर-वित्तीय प्रकृति की सामान्य नीति के मामलों का समन्वय।
- सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को राष्ट्रपति के निर्देश और दिशानिर्देश जारी करने से संबंधित मुद्दे।
- निदेशक मंडल की संरचना, कार्मिक प्रबन्ध, कार्यनिष्पादन सुधार वित्तीय प्रबन्ध, मजदूरी निपटारा और सतर्कता प्रबंध आदि जैसे क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से संबंधित नीतियां बनाना।
- नवरत्न/मिनीरत्न स्तर का केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को अधिष्ठापन और समीक्षा
- केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के निदेशक मंडल की संरचना, शीर्ष पदों के श्रेणीकरण; केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के अनुसूचीकरण से संबंधित नीतिगत मुद्दे।
- आवधिक अंतरालों पर निदेशक मंडल के कार्यपालकों तथा साथ ही निदेशक मंडल के स्तर से नीचे के कार्मिकों और यूनियन से जुड़े कामगारों के वेतनमान और उस पर स्वीकार्य महंगाई भत्ते की अधिसूचना।
- केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से संबंधित नीति।
- लोक उद्यम सर्वेक्षण के रूप में ज्ञात केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण प्रकाशित करना।
- केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के बीच समझौता ज्ञापन।
- केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से संबद्ध नीति।
- केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के यौक्तिकीकृत कर्मचारियों के लिए परामर्श, पुन: प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन योजना (सीआरआर) से संबंधित मुद्दे।
- सरकारी क्षेत्र उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) से संबंधित मुद्दे।
- नागरिकों के कतिपय वर्गों के लिए सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में पदों के आरक्षण से संबंधित मुद्दे।
- कर संबंधी मुद्दों से संबंधित विवादों को छोड़कर सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों तथा सरकारी विभागों के बीच स्थायी मध्यस्थता कार्यतंत्र के माध्यम से विवादों का समाधान।
- अंतर्राष्ट्रीय उद्यम संवर्धन केन्द्र (आईसीपीई) से संबंधित मुद्दे।
- स्कोप से संबंधित मुद्दे।

- निदेशक मंडल को शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित मुद्दे।

1.13 लोक उद्यम विभाग भारत सरकार के सचिव के नेतृत्व में कार्य करता है, जिनकी सहायता 131 अधिकारियों/कार्मिकों की समग्र स्वीकृत संख्या वाली एक स्थापना द्वारा की जाती है। लोक उद्यम विभाग की संगठनात्मक संरचना **परिशिष्ट-I** में दी गई है।

भारी उद्योग विभाग (डीएचआई)

		पृष्ठ संख्या
1.	एक रूपरेखा	13
2.	भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम	20
3.	भारी विद्युत, भारी इंजीनियरिंग और मशीन टूल उद्योग	36
4.	ऑटोमोटिव उद्योग	42
5.	प्रौद्योगिकी उन्नयन और अनुसंधान एवं विकास	47
6.	अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./विकलांग और अल्पसंख्यकों का कल्याण	62
7.	महिलाओं का सशक्तिकरण/कल्याण	63
8.	सतर्कता	64
9.	हिंदी का प्रगामी प्रयोग	65
	अनुबंध (I-XII)	66–78
	संकेताक्षर	79

अध्याय 1

एक रूपरेखा

उद्योग का कार्यनिष्पादन

1.1 पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि के 4.1% की तुलना में उद्योग क्षेत्र ने चालू वर्ष 2009-10 के प्रथम आठ महीने (अप्रैल-नवम्बर) में 7.6% की वृद्धि दर्ज की। विनिर्माण क्षेत्र ने पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि के 4.2% की तुलना में अप्रैल-नवम्बर, 2009-10 में 7.7% की वृद्धि दर्ज की। खनन और विद्युत क्षेत्र ने पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि के दौरान दर्ज 3.4% और 2.8% की तुलना में (अप्रैल-नवम्बर), 2009-10 के दौरान क्रमश: 8.3% और 6.1% की वृद्धि दर्ज की।

1.2 पूंजीगत साम्रगी क्षेत्र ने पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि के दौरान 8.4% की वृद्धि की तुलना में अप्रैल-नवम्बर, 2009-10 के दौरान 7.0% की वृद्धि दर्ज की है। उपभोक्ता सामग्री, बुनियादी सामग्री और मध्यस्थ सामग्री ने अप्रैल-नवम्बर, 2009-10 के दौरान क्रमश: 6.3%, 6.1% और 11.4% की वृद्धि दर्ज की। उपभोक्ता टिकाउ वस्तु क्षेत्र ने पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 5.1% की तुलना में अप्रैल-नवम्बर, 2009-10 में 21.7% की वृद्धि दर्ज की।

औद्योगिक वृद्धि संकेतक

(प्रतिशत में वृद्धि दर)

मद	भार (%)	2007-08	2008-09	अप्रैल-नवम्बर 2008-09	अप्रैल-नवम्बर 2009-10
1	2	3	4	5	6
आईआईपी पर आधारित क्षेत्र वृद्धि दरें					
समग्र	100	8.5	2.8	4.1	7.6
खनन और खुदाई	10.5	5.1	2.6	3.4	8.3
विनिर्माण	79.4	9.0	2.8	4.2	7.7
विद्युत	10.2	6.4	2.8	2.8	6.1

प्रयोग-आधारित वर्गीकरण

मद	भार (%)	2007-08	2008-09	अप्रैल-नवम्बर 2008-09	अप्रैल-नवम्बर 2009-10
आईआईपी पर आधारित क्षेत्र वृद्धि दरें					
समग्र	100	8.5	2.8	4.1	7.6
समग्र	100	8.5	2.8	4.1	7
बुनियादी सामग्री	35.6	7.0	2.6	3.6	6.1
पूंजीगत सामग्री	9.3	18.0	7.3	8.4	7.0
मध्यवर्ती सामग्री	26.5	9.0	-1.9	-0.7	11.4
उपभोक्ता सामग्री	28.7	6.1	4.7	6.8	6.3
टिकाऊ वस्तुएं	5.4	-1.0	4.5	5.1	21.7
गैर-टिकाऊ वस्तुएं	23.3	8.6	4.8	7.3	1.1

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी संगठन

अप्रैल-नवम्बर, 2008-09 की तुलना में अप्रैल-नवम्बर, 2009-10 की अवधि के लिए कुछ भारी उद्योगों का उत्पादन तथा वृद्धि दरें नीचे दी गई है:

उद्योग	इकाई	उत्पादन		वृद्धि दर (%)
		अप्रैल-नव. 2008-09	अप्रैल-नव. 2009-10	
औद्योगिक मशीनरी	लाख रु.	324487.1	436052.1	34.38
मशीन टूल	लाख रु.	160577.2	148408	-7.58
बॉयलर टर्बाइन (स्टीम/हाइड्रो)	लाख रु.	539502.2	621715.1	15.24
	लाख रु.	212057.5	246910.5	16.44
विद्युत जेनरेटर	लाख रु.	89995.7	113648.9	26.28
विद्युत वितरण ट्रांसफॉर्मर	मि. केवीए	41.05	51.16	24.62
दूरसंचार केबल	मि. मीटर	5094.7	4008.5	-21.32
वाणिज्यिक वाहन	संख्या	311718	326577	4.77
यात्री कार	संख्या	1023616	1202031	17.43

स्त्रोत : औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

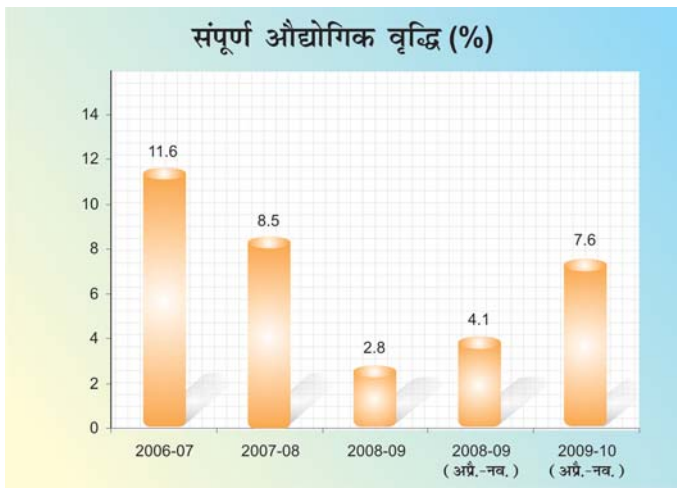

1.3 भारी उद्योग विभाग पूंजीगत सामग्री क्षेत्र के निम्नलिखित 19 औद्योगिक उप-क्षेत्रों से संबंधित कार्य करता है:

(i) बॉयलर
(ii) सीमेंट मशीनरी
(iii) डेयरी मशीनरी
(iv) विद्युत भट्ठी
(v) माल कन्टेनर
(vi) सामग्री प्रहस्तन उपस्कर
(vii) धातुकर्म मशीनरी
(viii) खनन मशीनरी
(ix) मशीन टूल
(x) तेल क्षेत्र उपस्कर
(xi) मुद्रण मशीनरी
(xii) लुगदी और कागज मशीनरी
(xiii) रबड़ मशीनरी
(xiv) स्विचगियर और कंट्रोल गियर
(xv) शंटिंग लोकोमोटिव
(xvi) चीनी मशीनरी
(xvii) टर्बाइन और जेनरेटर सेट
(xviii) ट्रांसफॉर्मर
(xix) वस्त्र मशीनरी

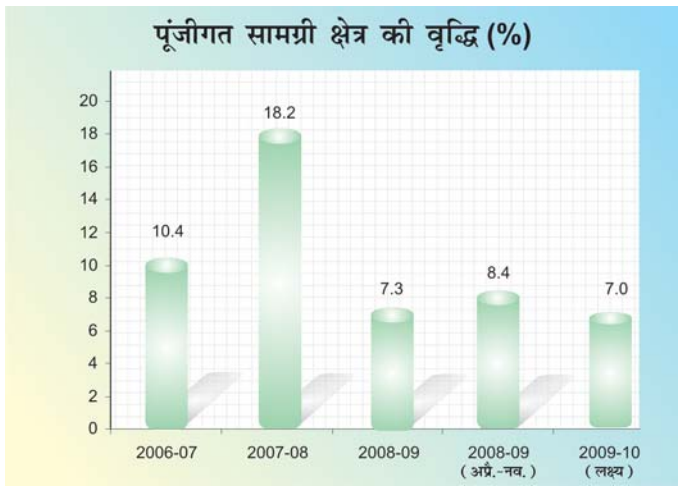

1.4 कार्यनिष्पादन सुधारने के लिए उपाय

सरकार ने मांग और औद्योगिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान तीन प्रोत्साहन पैकेजों की घोषणा की। इस पैकेज में शामिल विशेष उपाय नीचे किए गए हैं:

(i) पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर मूल्यानुसार सेनवेट दरों में एक बार में 4% की कटोती,

(ii) अवसंरचना परियोजनाओं के लिए बैंक ऋण के पुर्न वित्तपोषण हेतु 10,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाईनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) को प्राधिकृत करना,

(iii) डीईपीबी स्कीम का दिनांक 31.12.2009 तक विस्तार, निर्यात बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धी दरों पर भारतीय निर्यातकर्त्ताओं को रुपए अथवा डालर में पोतलदान-पूर्व और पोतलदान-प्रश्चात ऋण प्रदान करके बुने-बुनाए वस्त्रों, बाइसाइकिल, कृषि हस्त औजारों तथा यार्न की विशिष्ट श्रेणियों सहित कतिपय मदों पर शुल्क वापसी के लाभ की वृद्धि,

(iv) राज्यों को अपनी शहरी परिवहन प्रणालियों के लिए बसों की खरीद हेतु जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अधीन सहायता (दिनांक 30.06.2009 तक एककालिक आय के रूप में और तत्पश्चात मार्च, 2010 तक विस्तारित) प्रदान की जाती है।

(v) दिनांक 01.01.2009 को अथवा उसके बाद से लेकर दिनांक 31.03.2009 तक खरीदे गए वाणिज्यिक वाहनों के लिए 50% का त्वरित मूल्यह्रास प्रदान किया गया।

1.5 भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम

1.5.1 विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम विनिर्माण, परामर्श और संविदा सेवाओं में संलग्न है। दिनांक 31.03.2008 की यथा स्थिति विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के 48 उद्यम थे। पीटीएल की एचएमटी (एमटी) के साथ विलय योजना को बीआईएफआर द्वारा दिनांक 12.06.2008 को अनुमोदित किया गया। भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (बीडब्ल्यूईएल) को दिनांक 13.08.2008 को रेल मंत्रालय को अंतरित किया गया है और एनआईएल को दिनांक 7.01.2009 को जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता को अंतरित किया गया है। केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के तेरह उद्यम

या तो बंद कर दिए गए है अथवा प्रचालनरत नही है और इस प्रकार विभाग में केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के 32 प्रचालनरत उद्यम रह गए हैं।

1.6 **अनुबंध-III** में दिए गए ब्यौरे के अनुसार विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के 32 प्रचालनरत उद्यमों में कुल निवेश (सकल ब्लॉक) दिनांक 31.03.2009 की यथास्थिति 11663.91 करोड़ रुपए था। केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों में कर्मचारियों की कुल संख्या लगभग 92341 हैं। अ.जा./अ.जा.जा/अ.पि.व. के कर्मचारियों की संख्या **अनुबंध-IV** में दिए गए ब्यौरे के अनुसार क्रमश: 16308, 7311 और 19310 है।

1.7 केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के 32 उद्यमों में से वर्ष 2009-10 के दौरान 18 द्वारा लाभ कमाना और शेष 14 द्वारा घाटा उठाना प्रत्याशित है। तथापि सकल आधार पर भारी उद्योग विभाग के केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के 32 उद्यमों ने वर्ष 2009-10 (पूर्वानुमानित) में 4247 करोड़ रुपये का कर-पूर्व निवल लाभ दर्शाया है। अप्रैल-मार्च, 2009-10 के दौरान इन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का कुल कार्यनिष्पादन और वर्ष 2010-11 के लिए लक्ष्य निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए)

	2009-10 (पूर्वानुमानित)	2010-11 (लक्ष्य)
उत्पादन	38627.91	43377.59
लाभ (+)/हानि(-)	4247.33	6326.29

(उत्पादन, लाभ/हानि का केंद्रीय सरकारी क्षेत्र उद्यम-वार ब्यौरा क्रमश: **अनुबंध-V** और **VI** में संलग्न है।)

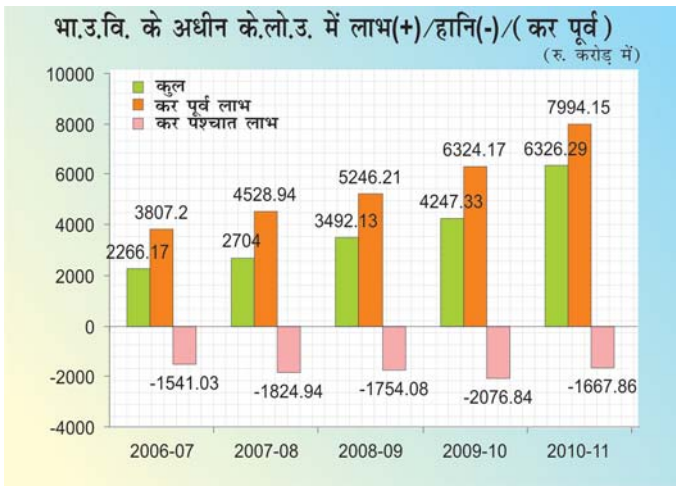

हानि उठा रहे उद्यम इनपुट लागत में वृद्धि के अलावा निम्न क्रयादेश, कार्यशील पूंजी की कमी, अतिरिक्त जनशक्ति और पुराने संयंत्र और मशीनरी सहित कई कारणों से ग्रसित है। के.स.क्षे. के अधिकांश हानि उठा रहे उद्यमों में औद्योगिक मानदंडो के अधिक जनशक्ति और काफी उपरिव्यय की समस्याएं हैं। इस संदर्भ में, कारोबार के प्रतिशतता की रूप में वेतन/मजदूरी बिल और सामाजिक उपरिव्यय **अनुबंध-VII** में दिए गए हैं।

दिनांक 01.10.2009 की यथास्थिति विभाग के अधीन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का आर्डर बुक 134549.5 करोड़ रुपये है (**अनुबंध-VIII**)

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के मुख्य निर्यातक उद्यम 'भेल', आईएल, एचपीसी और एचएमटी हैं; भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के निर्यात संबंधी कार्यनिष्पादन का ब्यौरा **अनुबंध-IX** पर दिया गया है। इन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की सरकारी इक्विटी, निवल मूल्य और संग्रहित हानि/लाभ **अनुबंध-X** पर दिए गए हैं।

1.8 केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का पुनर्गठन

विभाग सरकार की समग्र नीति के अनुरूप अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का पुनर्गठन करता है और उसे प्रोत्साहित करता है। लाभ कमा रहे केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करके सुदृढ़ किया जा रहा है और घाटा उठा रहे केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों पर पुनरूद्धार/बंदी के लिए विचार किया जा रहा है। तदनुसार, सलाहकारों/केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के साथ परामर्श से विभाग के अधीन उन कंपनियों, जिनका पुनर्गठन और पुनरूद्धार किया जा सकता है, का पता लगाने के लिए नए सिरे से गौर किया गया है। लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) ने भेजे गए सभी 27 मामलों में अपनी सिफारिशें दे दी हैं।

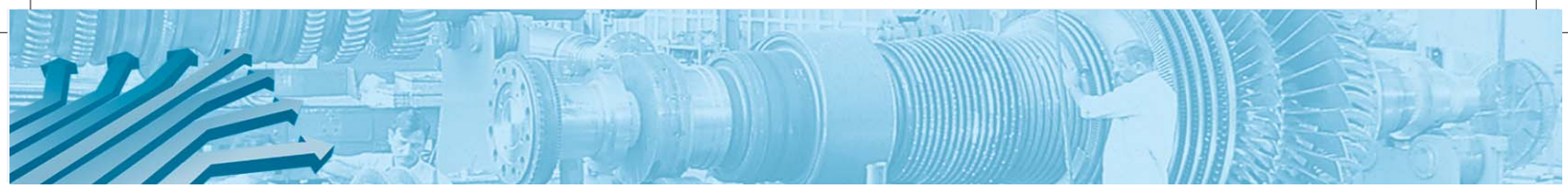

सरकार ने लगभग 1500 करोड़ रुपए की नई राशि शामिल करते हुए वर्ष 2004-09 के दौरान भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के 15 उद्यमों की पुनरूद्धार/पुनर्गठन योजना के लिए अपना अनुमोदन दे दिया है। इन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों मे लगभग 30,000 व्यक्ति नियोजित हैं। ये केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम निम्नानुसार है:

(i) भारत पम्प एण्ड कंप्रेसर्स लिमिटेड (बीपीसीएल)

(ii) ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी लिमिटेड (बीएण्डआर)

(iii) ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड (बीसीएल)

(iv) ब्रेथवेट, बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे)

(v) हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचईसी)

(vi) प्रागा टूल्स लिमिटेड (पीटीएल)

(vii) हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल)

(viii) सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई)

(ix) एचएमटी (बेयरिंग) लिमिटेड (एचएमटी (बी)

(x) एचएमटी मशीन टूल्स (एचएमटी) (एमटी)

(xi) एन्ड्रयू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल)

(xii) भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स लिमिटेड (बीएचपीवी)- गेल द्वारा दिनांक 07.05.2008 को अधिग्रहित

(xiii) भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (बीडब्ल्यूईएल)-रेल मंत्रालय को दिनांक 13.08.2008 को अंतरित

(xiv) टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल)

(xv) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड (आईएल)

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के दो उद्यमो अर्थात भारत ऑप्थेल्मिक ग्लास लिमिटेड (बीओजीएल) और भारत यंत्र निगम लिमिटेड (बीवाईएनएल) के मामलो में सरकार द्वारा बंदी को अनुमोदित किया गया है। तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लिमिटेड और रिचर्डसन एण्ड क्रूड्स लिमिटेड के मामलें में सरकार ने संयुक्त उपक्रम भागीदार का पता लगाना अनुमोदित कर दिया है। नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड के मामले में सरकार ने परिसंपत्तियों और देयताएं जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता को अंतरित कर दी है। उपर उल्लिखित 15 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित वित्तीय पैकेज का ब्यौरा **अनुबंध-XI** दिया गया है।

1.9 विभाग अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को उनकी निवेश संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने और सरकार/बीआईएफआर द्वारा रुग्ण/घाटा उठा रहे केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए स्वीकृत पुनर्गठन योजना में कार्यान्वयन के लिए वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के परामर्श से वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

1.10 माननीय मंत्री (भा.उ. और लो.उ.), श्री विलासराव देशमुख और माननीय राज्य मंत्री (भा.उ. और लो.उ.) श्री अरूण यादव ने भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों के साथ बैठकें की और उनके कार्यकरण पर किए गए प्रस्तुतिकरण में भाग लिया। इन बैठकों के दौरान उनके पुररुद्धार, पुनर्गठित और व्यवसाय संवर्धन के लिए कार्यनीतिक विकल्पों पर ब्यौरेबार चर्चा हुई।

1.11 केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का योजना कार्यक्रम

1.11.1 भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का योजना कार्यक्रम मुख्यत : नैट्रिप, नागालैंड पल्प एण्ड पेपर मिल, पूंजीगत सामग्री स्कीम, क्षमता उपयोग में सुधार लाने, कुछ केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की नवीकरण और प्रतिस्थापन आवश्यकताओं आदि के लिए है। वार्षिक योजना 2009-10 ने 350 करोड़ रूपए की बजटीय सहायता प्रदान की है, जिसके विरूद्ध फरवरी, 2010 तक 159.38 करोड़ रूपए का व्यय किया गया था। वर्ष 2010-11 के लिए योजना आयोग ने बजटीय सहायता द्वारा 370 करोड़ रूपए का प्रावधान अनुमोदित किया है। कार्यान्वयनाधीन कुछ मुख्य स्कीमों में निम्नलिखित शामिल है:

(i) राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नैट्रिप)

सरकार ने ऑटोमोटिव उद्योग के विकास को समर्थन देने के लिए परीक्षण अवसंरचना विकसित करने हेतु 1718 करोड़ रूपए की लागत से ''नैट्रिप'' परियोजना की स्थापना अनुमोदित की है। इस परियोजना का लक्ष्य देश के विभिन्न स्थलों में उच्च गति परीक्षण मार्ग, उभरते हुए उत्सर्जन और सुरक्षा मानदंडों आदि के लिए व्यापक परीक्षण वैद्यीकरण में निवेश द्वारा ऑटोमोटिव उद्योग में विनियामक और विकासात्मक आवश्यकताओं में कमी को पूरा करना है। मार्नसर में भूमि अधिग्रहण भली प्रकार चल रहा है। जबकि अन्य स्थलों का सिल्चर, चैन्नई और इन्दौर में कब्जा लिया जा चुका है। पुणे मे वन और

ईएफवी रैली- झंडा दिखाकर रवाना

पर्यावरण प्राधिकारियों से स्वीकृति के बाद अतिरिक्त भूमि उपलब्ध हो चुकी है। राय बरेली में भूमि आवंटन राज्य सरकार के विचाराधीन है। केंद्रों में सुविधाओं की विस्तृत डिजाइनिंग समय - अनुसूची के अनुसार पूरी हो गई है और उपस्करों तथा सिविल निर्माण कार्य के ऑर्डर देने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। सिल्चर-धोलचुड़ा परिसर सुविधा भवन और कार्यस्थल-I धोलचुड़ा में पर्वतीय सडक मार्ग जैसे सभी सिविल निर्माण कार्य के पूरा होने से चालू करने के लिए तैयार है। पर्वतीय क्षेत्र ड्राइविंग प्रशिक्षण के लिए एक अत्याधुनिक ''ड्राइविंग सिमुलेटर'' संस्थापित किया गया है। बीआरडीआई अहमदनगर में ईएमसी प्रयोगशाला सुविधा उद्योगों के प्रयोग के लिए स्थापित की गई है जबकि एनीएस ब्रेक परीक्षण पैड निर्माणधीन है। योजना आयोग द्वारा अनुमोदित बजट सहायता के रूप में वर्ष 2010-11 के लिए नेट्रिप हेतु 232.14 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(ii) एनपीपीसी, नागालैंड का पुनरूद्धार

सरकार ने पहले 552 करोड़ रूपए की लागत पर एनपीपीसी के पुनरूद्धार को अनुमोदित किया था, जिसमें कई कारणों से पर्याप्त बढ़ोतरी होने की संभावना है। पुनरूद्धार योजना का कार्यान्वयन चल रहा है। वर्ष 2010-11 में 22.00 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए) प्रदान की गई है।

(iii) हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएनएल) में सुविधाओं का विस्तार

एचएनएल 718 करोड़ रूपए की लागत पर लेखन और मुद्रण कागज की 170,000 टन की क्षमता के लिए एक विस्तार-सह विविधीकरण परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। इस परियोजना का निधिपोषण पूर्णत: आंतरिक और बजट-बाह्य संसाधनों से किया जा रहा है।

(iv) ''भेल'' की सुविधाओं का विस्तार

''भेल'' ने अपनी विनिर्माण क्षमता तथा देश की विद्युत की मांग पूरी करने और ''वर्ष 2012 तक सभी को विद्युत'' प्रदान करने तथा 11वीं योजना और उसके आगे विद्युत के पूर्वानुमान को पूरा करने के लिए पूर्णत: योगदान देने हेतु दक्षता बढ़ाने की एक योजना तैयार की है। इसके लिए ''भेल'' अपनी क्षमता और दक्षता बढ़ाता रहा है और यह वर्ष 1999-2000 में प्रतिवर्ष 6000 मेगावाट से दिनांक 1 जनवरी, 2008 से प्रति वर्ष 10,000 मेगावाट तक अपना विद्युत उत्पादन उपस्कर विनिर्माण बढ़ा चुका है। इस विनिर्माण क्षमता को लगभग 4200 करोड़ रूपए के निवेश, जिसका वित्तपोषण संपूर्ण रूप से आंतरिक संसाधनो के माध्यम से किया गया है, से मार्च, 2010 के अंत तक प्रतिवर्ष 15,000 मेगावाट तक और बढ़ाया जा रहा है। इस क्षमता को मार्च, 2012 तक प्रतिवर्ष 20,000 मेगावाट तक और बढ़ाना योजनाबद्ध है।

(v) पूंजीगत सामग्री उद्योग को सहायता

भारतीय पूंजीगत सामग्री उद्योग ने वर्ष 2002-03 से 2007-08 के दौरान उत्कृष्ट वृद्धि की हैं। इस क्षेत्र में किए गए पूंजीगत निवेश ने 1997 से 2007 की अवधि के दौरान लगभग 10% का सीएजीआर दर्ज किया है। तथापि, वृद्धि दर में काफी गिरावट हुई है। इस क्षेत्र में 2007-08 में 18.0% की तुलना में 2008-09 में 7.0% की वृद्धि हुई है। उद्योग को अब अपनी वृद्धि की गति को बनाए रखने के लिए अपने भविष्य को कार्यनीतिक बनाने की आवश्यकता है। इस संबंध में भारी उद्योग विभाग ने सीआईआई द्वारा एक अध्ययन कराने का अधिदेश दिया था और इसकी कई सिफारिशों पर आधुनिकीकरण स्कीम के माध्यम से कार्रवाई किया जाना प्रस्तावित है। इस स्कीम का अभिप्राय इस क्षेत्र के विकास और वृद्धि के लिए कुछ नीतिगत पहलें करना है। प्रारंभिक रूप से, इस प्रयास में पांच मुख्य पूंजीगत सामग्री क्षेत्रों यथा भारी विद्युत उपस्कर, प्रक्रिया संयंत्र मशीनरी, खनन और निर्माण उपस्कर, वस्त्र मशीनरी और मशीन टूल उद्योगों, जो एक साथ मिलाकर देश में

पूंजीगत सामग्री के कुल उत्पादन का 65% हैं, को शामिल किया जाएगा। यह स्कीम अनुमोदन के लिए प्रतीक्षारत है।

1.12 केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्न और मिनीरत्न उद्यमों को स्वायत्तता

1.12.1 'भेल' विभाग में केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का नवरत्न उद्यम है। कंपनी के बोर्ड को योग्य बाहरी व्यावसायिकविदों को शामिल करके सुदृढ़ किया गया है। पूंजीगत व्यय, कार्यनीतिक सहयोग के गठन और मानव संसाधन विकास संबंधी नीतियां बनाने आदि के संबंध में केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उद्यमों को अधिक स्वायत्तता दी गई है।

1.12.2 'भेल', जो एक नवरत्न है, के अतिरिक्त भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के पांच उद्यम अर्थात आरईआईएल, एचएनएल, ईपीआई, एचपीसी और एचएमटी (आई) को मिनीरत्न के रूप में श्रेणीकृत किया गया है। केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के मिनीरत्न उद्यमों को भी वर्धित प्रत्यायोजन के साथ अधिकार दिया गया है।

1.13 समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.)

1.13.1 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को अधिक स्वायत्तता देने और अपने उदेद्श्यों की प्राप्ति के लिए उन्हें जिम्मेवार बनाने की दृष्टि से विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों ने वर्ष 2010-2011 के लिए भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

1.14 पूर्वोत्तर क्षेत्र

1.14.1 भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के 32 उद्यमों में से केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के निम्नलिखित उद्यम/इकाईयां पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित हैं:-

(i) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसी) (नौगांव और कछार पेपर मिल्स) असम

(ii) नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड (एनपीपीसी) नागालैंड

(iii) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) (बोकाजन ईकाई), असम

(iv) एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल) (चाय बागान), असम

एवाईसीएल- चाय क्षेत्र

1.14.2 केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के ये उद्यम/इकाइयां कागज, सीमेंट और चाय के विनिर्माण में संलग्न हैं। सरकार की नीति के अनुसार, इस विभाग के बजट का 10% पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए आवंटित किया जा रहा है। पूर्व में प्रारंभ की गई कुछ मुख्य योजनओं में हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसी) की कागज इकाइयों का आधुनिकीकरण, विद्युत उत्पादन के लिए डीजी सेट और सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) की बोकाजन इकाई के लिए ओवरहेड क्रेन की संस्थापना और असम में एंड्रयू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल) के चाय की खेती का पुनरूद्धार शामिल है। 552 करोड़ रुपए की कुल लागत से एनपीपीसी की पुनर्गठन/पुनरूद्धार योजना सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है और इस पर आगे कार्रवाई चल रही है। एनपीपीसी अब बीआईएफआर के सीमा क्षेत्र से दिनांक 27.06.2007 को एनपीपीसी के पुनरूद्धार का पैकेज अनुमोदित करने के बाद बाहर हो गया है। सरकार ने इन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में किए गए निवेश के लिए 10वीं योजनावधि के दौरान 55.83 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता प्रदान की है। 11वीं योजना अवधि के लिए आनुमानित बजटीय सहायता 314.33 करोड़ रुपए है।

1.15 नागरिक चार्टर

भारी उद्योग विभाग प्रभावी और प्रत्युत्तरदायी प्रशासन के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में निम्नलिखित उपाय किए गए है:

(i) लोक शिकायतों और कर्मचारियों की शिकायतों का निपटारा करने की प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने के प्रयास में, इस विभाग में क्रमशः एक संयुक्त सचिव और निदेशक संयुक्त (जनशिकायत) और निदेशक (कर्मचारी शिकायत) के रूप में कार्यरत हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिकायतों का समय पर निपटारा हो जाए।

(ii) विभाग के सभी कार्यों के कम्प्यूटरीकरण के लिए किए गए प्रयास में एक संयुक्त सचिव को सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधक के रूप में नामोदिष्ट किया गया है, जो आवधिक रूप से विभाग की वेबसाइट को अद्यतन करने के लिए भी उत्तरदायी है।

(iii) विभाग में निदेशक के स्तर के एक नोडल अधिकारी को पेंशनभोगियों की शिकायतों के निवारण के लिए नामोदिष्ट किया गया है।

(iv) लोक अदालत में विवादों के निपटारे के प्रयोजनार्थ, निदेशक रैंक के एक नोडल अधिकारी को विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में विभाग में नामोदिष्ट किया गया है।

(v) विशेषकर महिला कर्मचारियों के मानवाधिकारों से संबंधित पर्याप्त जागरूकता सृजित करने के लिए भारी उद्योग विभाग ने लिंग समानता और कामकाजी महिला कर्मचारियों को न्याय के अधिकारों के संरक्षण तथा उन्हें लागू करने के लिए सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार महिलाओं के यौन शोषण से संबद्ध शिकायतों के निपटारे के लिए इस विभाग में एक शिकायत समिति गठित की है।

(vi) इसके अतिरिक्त, यह विभाग सक्रियतापूर्वक महिला कर्मचारियों को बैठकों, सेमिनारों, प्रतियोगिताओं और प्रशिक्षण आदि जैसे कार्यपालकों में मुक्त रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह मुख्य धारा के कार्यबल में उनका एकीकरण सुनिश्चित करने में सहायता करता है।

(vii) मुकदमे संबंधी मामलों से निपटने और आगे समन्वय करने के लिए विभाग में नोडल अधिकारी के रूप में एक संयुक्त सचिव को नामोदिष्ट किया गया है ताकि ऐसे मामलों में सामाजिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

(viii) इस विभाग से निर्गत होने वाले महत्वपूर्ण रिकार्डों के संरक्षण और संबद्ध मामलें में समन्वय करने के लिए इस विभाग में एक संयुक्त सचिव को मुख्य रिकार्ड अधिकारी के रूप में नामोदिष्ट किया गया है।

(ix) पहलों और नई नीतियों सहित विभाग की वार्षिक रिपोर्ट (अंग्रेजी और हिंदी दोनों में) और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं विभाग की वेबसाइट www.dhi.nic.in पर उपलब्ध कराई जाती हैं।

(x) उप-सचिव रैंक के एक अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन सूचना करने के लिए मुख्य सार्वजनिक सूचना अधिकारी के रूप में नामोदिष्ट किया गया है।

(xi) विभाग में निदेशक रैंक के एक अधिकारी को विभाग और इसके नियंत्रणाधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के अ.जा/अ.ज.जा./अ.पि.व. से संबंधित मामलों के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

(xii) सरकारी क्षेत्र के उद्यम भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 और लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अधीन कार्य करते हैं।

(xiii) केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के संवर्धन के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का पालन करने का प्रयास किया जाता है। विकलांग व्यक्तियों को विशेष वाहन भत्ता, जहां भी संभव हो, अधिमान्य रिहायशी आवास, और उन्हें अपना कर्त्तव्य निर्वहन करने में समर्थ बनाने और मुख्य धारा के कार्यकाल में उनका एकीकरण सुविधाजनक बनाने के लिए अतिरिक्त साधन और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

1.16 भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक (सीएजी) का लेखापरीक्षा अवलोकन

भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक द्वारा निर्दिष्ट अपेक्षानुसार, भारी उद्योग विभाग के कार्यचालन पर भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक के महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकन **अनुबंध-XII** में दिए गए हैं।

अध्याय 2

भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम

विभाग के अधीन प्रचालित सीपीएसई का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

2.1 एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल)

कंपनी औद्योगिक पंखों, चाय प्रसंस्करण मशीनरी, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर प्रणाली और संबद्ध उत्पादों, सर्किट ब्रेकर, ऑटो रिक्लोजर्स और विशिष्ट स्विचों; कंट्रैक्टर्स, स्टार्टर्स, इलेक्ट्रोमैगनेटिक रिले, ट्रांसफॉर्मर और स्विचगियर आदि के विनिर्माण में संलग्न है। दिनांक 31.12.2009 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार एवाईसीएल में इक्विटी शेयरों का 92.92% धारित करती है जबकि शेष वित्तीय संस्थानों, बैंकों और जनता द्वारा धारित है। वर्ष 2009-10 में एवाईसीएल ने समूह कंपनियों

एनटीपीसी रिहन्द के लिए एवाईसीएल रोटर

अर्थात: फोनिक्स यूल लिमिटेड और दिसरगढ़ पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड में अपनी शेयरधारिता का विनिवेश पूरा किया। अब एवाईसीएल में शत-प्रतिशत स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी अर्थात मैसर्स हुगली प्रिंटिंग कम्पनी लि. और एक प्रमुख सहयोगी कम्पनी टाइड वाटर ऑयल कम्पनी लि. शामिल है। नवम्बर, 2002 में एवाईसीएल औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) के अधीन आया। कंपनी की समीक्षा सरकार की समग्र नीति के आलोक में की गई। तदनुसार, एवाईसीएल का पुनर्गठन पैकेज मंत्रिमण्डल द्वारा दिनांक 22.02.2007 को और बीआईएफआर द्वारा दिनांक 30.10.2007 को अनुमोदित किया गया, जिसमें निधि प्रदान करना, माफी और विभिन्न अन्य राहतें और रियायतें शामिल थीं। वर्ष 2009-10 में कंपनी 56.41 करोड़ रुपए (अंनतिम) का लाभ और 6.74 करोड़ रुपए (अनुमानित) निवल मूल्य प्राप्त करेगी।

2.2 हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड

कंपनी 88 वर्ष पुरानी है और यह मुद्रण व्यवसाय में संलग्न है तथा बहुरंगी न्यूजलेटर, लीफलेट्स, फोल्डर, कैलेंडर, पुस्तक आदि जैसे सभी किस्म का मुद्रण कार्य करने के लिए पूर्णत: सज्जित हैं। यह एवाईसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली लाभ अर्जक सहायक कंपनी है। वर्ष 2009-10 में कंपनी ने प्रतिष्ठित 15वें कोलकाता फिल्मोत्सव के अवसर पर स्मारिका मुद्रित की, जिसे विदेशी प्रतिनिधियों से प्रशंसा प्राप्त हुई। वर्ष 2009-10 में कंपनी का उत्पादन और लाभ क्रमश: 10.00 करोड़ रुपए और 0.50 करोड़ रुपए होना प्रत्याशित है।

2.3 भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

कंपनी की स्थापना विशेष रूप से देश के विद्युत उत्पादन और पारेषण उपस्करों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए की गई थी

भेल भारत में अपने किस्म का सबसे बड़ा इंजीनियरी और विनिर्माण उद्यम है और यह विद्युत उपकरण विनिर्माण के क्षेत्र में शीर्षस्थ अंतराष्ट्रीय कंपनियों में से एक है। संपूर्ण भारत और विदेश में फैले परियोजना कार्य स्थलों और क्षेत्रीय कार्यालयों के अतिरिक्त इसके 15 विनिर्माण संयंत्र, 8 सेवा केन्द्र और 4 विद्युत क्षेत्र के क्षेत्रीय केंन्द्र है।

कंपनी ने वर्ष 2011-12 तक 45,000 करोड़ रुपए के कुल कारोबार के स्तर तक पहुंचने के उद्देश्य से अगले वर्षों में सतत् लाभदायी विकास सुनिश्चित करने के लिए एक "कार्यनीतिक योजना, 2012" तैयार की है।

इसमें मार्च, 2012 तक 20000 मेगावाट प्रतिवर्ष तक पहुचने के लिए वर्तमान 10,000 मेंगावाट प्रतिवर्ष से विद्युत उत्पादन उपकरणों के लिए विनिर्माण क्षमता का विस्तार शामिल है। थर्मल, गैस हाइड्रो और न्यूक्लियर के क्षेत्रों में क्षमता वृद्धि के अतिरिक्त निवेश के अन्य मुख्य क्षेत्रों में 700/1000 मेगावाट तक के न्यूक्लियर टर्बाइन, उन्नत श्रेणी गैस टर्बाइन, 765 केवी ट्रांसफार्मरों के लिए सुविधाएं और 20500 एमवीए से 45,000 एमवीए तक ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि शामिल है।

वर्ष के दौरान मुख्य कार्यनीतिक पहलें की गई थी; जिन्होंने भारी व्यवसाय के लिए गति प्रदान की है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- दो सुपर क्रिटिकल विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए कर्नाटक के साथ जनवरी, 2009 में संयुक्त उपक्रम के लिए हस्ताक्षर किए गए।
- सुपर क्रिटिकल टीजी सेट के लिए मैसर्स सीमेन्ट्स, जर्मनी के साथ जून, 2009 में तकनीकी सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए गए।
- महाराष्ट्र में 1500-1600 मेगावाट की सुपर ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए महाजेनको के साथ अगस्त, 2009 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- मरहोवरा में डीजल लोको फैक्टरी स्थापित करने के लिए निविदा में भाग लेने हेतु मैसर्स जीई के साथ अगस्त, 2009 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- 2x800 मेगावाट सुपर थर्मल विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश पावर जेनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (एमपीपीजीसीएल) के साथ दिसम्बर, 2009 में संयुक्त उपक्रम करार पर हस्ताक्षर किए गए ।
- विद्युत इंजन संघटकों के लिए फैक्टरी स्थापित करने हेतु निविदा में भाग लेने के लिए मैसर्स एल्सटॉम के साथ जनवरी, 2010 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- नए उत्पादन स्वचालत प्लेटफॉर्म के लिए तकनीकी सहयोग करार करने हेतु मैसर्स मेटसो ऑटोमेशन, फिनलैंड के साथ जनवरी, 2010 में करार पर हस्ताक्षर किए गए।
- पारेषण और वितरण व्यवसाय पर ध्यान देने के लिए संयुक्त उपक्रम स्थापित करने हेतु मैसर्स तोशिबा के साथ फरवरी, 2010 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- बड़े आकार के फोर्जिंग के लिए मैसर्स शेफिल्ड फोर्ज मास्टर्स इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ फरवरी, 2010 में तकनीकी सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए गए।

सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के मध्य "बाजार" पूंजीकरण में उच्च मूल्य दर के लिए डॉ मनमोहन सिंह, माननीय प्रधानमंत्री के कर-कमलों से स्कोप एमओयू पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री बी.पी. राव

कार्यनिष्पादन संबंधी उपलब्धियाँ

कंपनी ने वर्ष 2008-09 के अंत तक 28,033 करोड़ रुपए का कुल कारोबार किया और इसके द्वारा उत्कृष्ट रेटिंग के लिए समझौता ज्ञापन में यथा संकल्पित वर्ष 2009-10 में 32,000 करोड़ रुपए का कुल कारोबार किए जाने की संभावना है।

"भेल" के ऑर्डर बुकिंग की स्थिति काफी सुधर गई है। कंपनी को दिसम्बर, 2009 तक 36,400 करोड़ रुपए का ऑर्डर प्राप्त हुआ है और इसे वर्ष 2008-09 के 59,687 करोड़ रुपए के ऑर्डर की तुलना में वर्ष 2009-10 में 59,900 करोड़ रुपए का ऑर्डर प्राप्त होने की संभावना है। बकाया 1,17,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर के आदिशेष की तुलना में कंपनी को 01.04.2010 तक 14,4000 करोड़ रूपए का आर्डर प्राप्त होने की संभावना है जिसे 2010-11 तथा उसके बाद पूरा किया जाएगा।

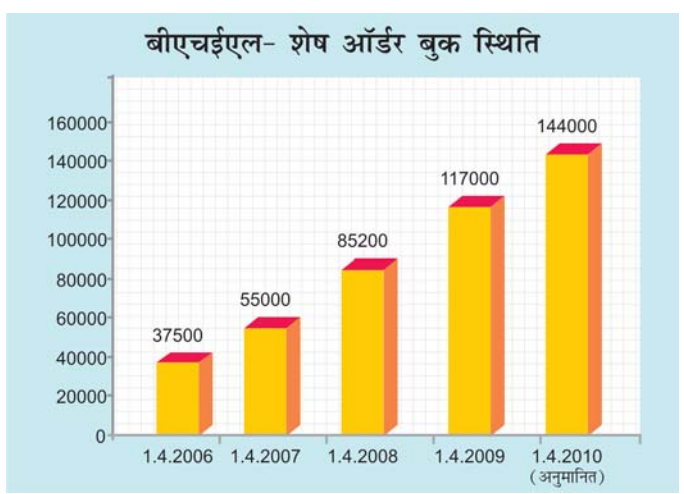

वर्ष के दौरान कंपनी ने विद्युत परियोजनाओं के लिए निजा क्षेत्र से अब तक का अधिकतम 25,918 करोड़ रुपए का ऑर्डर प्राप्त किया।

वर्ष 2009-10 के दौरान प्राप्त मुख्य ऑर्डर निम्नानुसार हैं:

- जेपी समूह कंपनी प्रयागराज पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (पीजीसीएल) से 3×660 मेगावाट बारा के लिए प्राप्त सुपर-क्रिटिकल का ऑर्डर।
- एक ही ग्राहक अर्थात् एलेना पावर एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (ईपीआईएल - इंडिया बुल समूह कंपनी) से 270 मेगावाट के 10 सेटों के लिए ऑर्डर। इस ऑर्डर में नासिक के लिए 5 ×270 मेगावाट तथा अमरावती के लिए 5×270 मेगावाट का ऑर्डर शामिल हैं।
- हाल में प्रारम्भ नई रेटिंग (270 मेगावाट, 525 मेगावाट और 600 मेगावाट) के 16 × 270 मेगावाट, 2 × 525 मेगावाट और 5×600 मेगावाट के लिए ऑर्डर।
- न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के लिए 700 मेगावाट न्यूक्लियर सेट हेतु 4 स्टीम जेनरेटर का दुबारा ऑर्डर।
- 1739 मेगावाट के हाइड्रो सेट के लिए ऑर्डर प्राप्त, जिसमें हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी की किशन गंगा परियोजना के लिए 3 × 110 मेगावाट और मेघा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की प्रनहिता लिफ्ट सिंचाई स्कीम के लिए 3 × 99 मेगावाट + 4 × 96 मेगावाट +5×121.5 मेगावाट का ऑर्डर शामिल है।
- राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल) के रामगढ़ के लिए 1 × 160 मेगावाट गैस आधारित संयुक्त-चक्रीय विद्युत परियोजना के लिए ऑर्डर।
- हिंडालको इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड से उड़ीसा के संबलपुर जिले में आदित्य अल्युमीनियम में स्थापित हो रहे उनके कैप्टिव विद्युत संयंत्र हेतु 150 मेगावाट की 6 यूनिटों के लिए ऑर्डर।
- ओपीजी पावर, गुजरात से 2 × 150 मेगावाट के सेट और जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल), आंगुल, उड़ीसा से 2 × 180 टन प्रति घंटा (टीपीएच) बबलिंग फ्लूडाइज्ड बेड कम्बशन (बीएफबीसी) बॉयलरों के लिए ऑर्डर।
- परिवहन खण्ड में भारतीय रेलवे से 150 विद्युत इंजन (25 केवी, किस्म डब्ल्यूएजी7) के लिए ऑर्डर।
- आईसीएफ, चेन्नई से एचएचपी डीईएमयू के लिए 44 सेट इलेक्ट्रिक्स और रेलवे बोर्ड, दिल्ली से 51 सेट एसी ईएमयू ट्रैक्शन इलेक्ट्रिक्स के लिए ऑर्डर।
- पेट्रोलियम डेवलेपमेंट, ओमान के साथ वर्ष 2008-09 के दौरान किए गए मूल्य करार के अधीन प्राप्त 126 मेगावाट के 3 जीटीजी सेट का पहला और दूसरा ऑर्डर।
- सह-उत्पादन विद्युत परियोजना, बेलारूस के 100-130 मेगावाट के लिए गैस-टर्बाइन आधारित सह-उत्पादन संयंत्र के लिए समुद्रपारीय ऑर्डर। यह बेलारूस से प्राप्त पहला ऑर्डर है, जिसमें कंपनी ने एक नए देश में प्रवेश किया है।

दिनांक 17.08.09 को श्री राहुल गांधी द्वारा बीएचईएल की केन्द्रीयकृत स्टैम्पिंग यूनिट का उद्घाटन

- भेल" ने समुद्रपारीय निष्पादन में ईराक में 12 एफआर थर्ड जीटी वाली 3 संयुक्त चक्र परियोजनाओं के लिए मैसर्स पावर इंजीनियर्स कंट्रैक्टिंग कंपनी, नाइजीरिया में 2×125 मेगावाट कोयला-आधारित विद्युत संयंत्र और 20 मेगावाट गैस टर्बाइन आधारित आधारित विद्युत संयंत्र के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ईराक के लिए 42 मेगावाट गैस टर्बाइन जेनसेट के लिए पहला ऑर्डर नसीरिया परियोजना हेतु मैसर्स पावर इंजीनियर्स (यूके) से प्राप्त हुआ है।

विद्युत क्षेत्र में क्षमता वृद्धि

फरवरी, 2010 तक 3595 मेगावाट की क्षमता वृद्धि प्राप्त की गई है। इसमें कहलगाँव-7 और विजयवाड़ा-7 के लिए 500 मेगावाट के 2 सेट और दादरी-5 के लिए 490 मेगावाट का सेट शामिल है।

अन्य महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ और विशिष्टताएँ

- बाज़ार पूंजीकरण में उच्चतम वृद्धि दर के लिए वर्ष 2006-07 के लिए स्कोप समझौता ज्ञापन उत्कृष्टता पुरस्कार। यह पुरस्कार माननीय प्रधानमंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा नई दिल्ली में दिनांक 15 अक्तूबर, 2009 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भेल" को प्रदान किया गया।

- जगदीशपुर (उत्तर प्रदेश) में स्थापित केंद्रीकृत स्टैम्पिंग इकाई श्री राहुल गांधी, संसद सदस्य द्वारा दिनांक 17 अगस्त, 2009 की राष्ट्र को समर्पित की गई।

- उल्लेखनीय निर्यात कार्य निष्पादन के लिए ''भेल'' ने लगातार 19वें वर्ष इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् (ईईपीसी) का शीर्ष निर्यात पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार मोटर, जेनरेटर और ट्रांसफॉर्मर के उत्पाद समूह-बड़े उद्यम के लिए ''वर्ष 2007-08 में शीर्ष निष्पादनकर्ता'' की श्रेणी में दिया गया। यह पुरस्कार माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा दिनांक 29 अगस्त, 2009 को प्रदान किया गया।

- ''भेल'' ने एक बार पुन: फोर्ब्स इंडिया की प्रतिष्ठित ''फेबुलस 50'' सूची में अपना नाम दर्ज कराया। इस सूची में वे कंपनियां शामिल हैं, जिनका राजस्व और बाजार पूंजीकरण कम से कम 3 बिलियन डालर है और जिनका प्रचालनात्मक लाभदायकता और इक्विटी पर लाभ का पांच वर्ष का रिकार्ड है।

- दैनिक भास्कर समूह द्वारा स्थापित भारी उद्योगों में उत्कृष्टता के लिए इंडिया प्राइड स्वर्ण पुरस्कार। यह पुरस्कार माननीय कंद्रीय गृह मंत्री, श्री. पी. चिदम्बरम द्वारा नई दिल्ली में दिनांक 9 अक्तूबर, 2009 को भेल" के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को प्रदान किया गया।

- भेल" को वर्ष 2009 के लिए लाभ अर्जित करने और तीन दशकों तक अबाधित रूप से लाभांश अदा करके निवेशकों को पुरस्कृत करने के अतुल्य पूर्व रिकार्ड के मान्यतास्वरूप दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट जर्नल (डीएसआईजे) का सर्वाधिक निवेशक अनुकूल स. क्षे. उ. पुरस्कार" प्रदान किया गया।

- भेल" द्वारा आपूरित थर्मल (कोयला-संगठन) सेटों ने वर्ष 2008-09 में 405793 मिलियन यूनिट उत्पादित किया।

2 X 500 मेगावाट सिम्हाद्री एसटीपीएस (एनटीपीसी) - विद्युत क्षेत्र में मेरीटोरिपस परफार्मेंस के लिए गोल्ड शील्ड विजेता

भेल" के थर्मल सेटों ने वर्ष 2009-10 में सितम्बर, 2009 तक 203910 मिलियन यूनिट का उत्पादन किया।

- संयुक्त अरब अमीरात में रास-अल-खैया विद्युत संयंत्र के लिए 42 मेगावाट के 2 जेनरेटर सेट चालू किए गए।

- ईराक में सुलमैनिया विद्युत संयंत्र के लिए 126 मेगावाट के 2 जीटीजी सेटों को सफलतापूर्वक तुल्यकालिक बनाया गया।

विनिर्माण क्षमता का विस्तार

भेल ने वर्ष 2012 तक "सभी के लिए विद्युत" प्रदान करने और 11वीं योजना और उसके बाद के लिए विद्युत के पूर्वानुमान की पूर्ति हेतु पूर्णत: योगदान देने के लिए देश की विद्युत की मांग पूरी करने हेतु स्वयं को तैयार रखने हेतु अपनी विनिर्माण क्षमता और दक्षता बढ़ाने की योजना बनाई है।

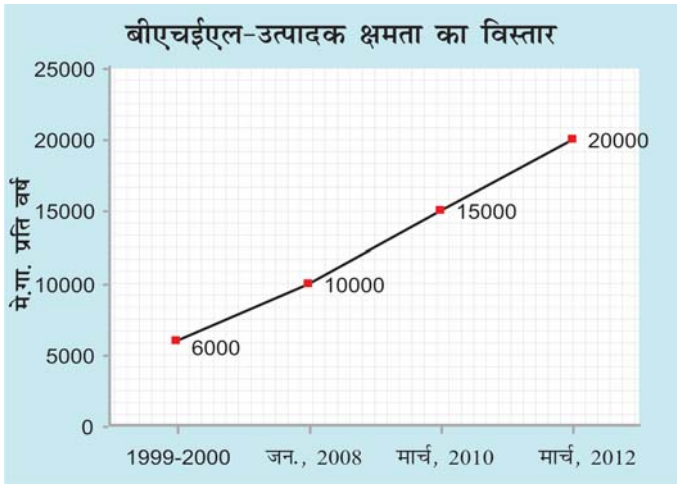

इसके लिए "भेल" अपनी क्षमता और दक्षता बढ़ा रहा है और यह वर्ष 1999-2000 की 6000 मेगावाट की विद्युत उत्पादन उपस्कर विनिर्माण क्षमता 1 जनवरी, 2008 से प्रति वर्ष 10,000 मेगावाट तक बढ़ा चुका है। यह विनिर्माण क्षमता मार्च, 2010 के अंत तक प्रति वर्ष 15,000 मेगावाट तक बढ़ाने की योजना है। यह मार्च, 2012 तक बढ़कर प्रति वर्ष 20,000 मेगावाट हो जाएगी।

प्रति वर्ष 12,000 एमवीए के अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मरों के उत्पादन के लिए भोपाल यूनिट में एक नई ट्रांसफॉर्मर विनिर्माण सुविधा दिनांक 17.11.2009 को माननीय केंद्रीय मंत्री, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा राष्ट्र को समर्पित की गई। इससे भोपाल यूनिट की ट्रांसफॉर्मर विनिर्माण क्षमता प्रति वर्ष 30,000 एमवीए तक बढ़ जाएगी।

अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी उन्नयन

- **एकीकृत गैसीकरण संयुक्त चक्र परियोजना (आईजीसीसी)**

  एकीकृत कोयला गैसीकरण, जो बहुत कम उत्सर्जन, उच्चतर क्षमता के लाभ प्रदान करता है और जिसमें विद्युत उत्पादन की निम्नतर लागत की क्षमता है, पर एक अनुसंधान और विकास परियोजना विचाराधीन है। भेल" ने आंध्र प्रदेश पावर जेनरेशन कंपनी (एपीजेनको) के साथ विजयवाड़ा में यह परियोजना प्रारम्भ की है और

बीएचईएल, हरिद्वार में न्यू टरबाईन ब्लैड शॉप सुविधा

इसने 125 मेगावाट आईजीसीसी संयंत्र स्थापित करने के लिए एपीजेनको के साथ मई, 2008 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस क्षमता का 182 मेगावाट तक उन्नयन किया जा रहा है जिसके लिए वर्ष 2010-11 की प्रथम तिमाही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर संभावित है।

फरवरी 2010 तक पूरी हुई परियोजनाएँ

- सीमेन्स डिज़ाइन के सभी रेटिंग (210/250/500/525/600 मेगावाट) वाले स्टीम टर्बाइनों की नियंत्रण प्रणाली के लिए इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक कन्वर्टर की वैकल्पिक डिज़ाइन का विकास।
- 500 मेगावाट टर्बो जेनरेटर स्टेटर की ढुलाई के लिए 18-एक्सल वाले रोड ट्रेलर पर लगाए गए विशेष फिक्सचर की डिजाइन विकसित की और उनका विनिर्माण किया।
- पीवी विनिर्माण सुविधाओं" का सफलतापूर्वक उन्नयन किया ओर प्रतिस्पर्धी सौर सेल स्थानान्तरण क्षमता सफलतापूर्वक प्राप्त करते हुए प्रक्रिया इष्टतमीकरण परीक्षण किया।
- भेल" को नेटवर्क सुरक्षा कार्यान्वयनकर्ताओं के विश्व-स्तर के समान करते हुए एनटीपीसी दादरी, फरक्का और कोरबा परियोजनाओं के लिए स्टेशन लेन और नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली की डिज़ाइन तैयार और प्रदर्शित की।"
- पेल्टन टर्बाइन क्षेत्र परीक्षण के लिए तापगतिकी विधि का विकास, जो केवल भेल" द्वारा ही धारित दक्षता है।
- इंटिग्रल कॉलरों के साथ सिरामिक फिल्टर कैंडल के निर्माण की नई प्रक्रियाओं का विकास, विकसित प्रक्रियाएँ आईजीसीसी अनुप्रयोगों के लिए अपेक्षित गैस फिल्टर कैंडल के देशी विनिर्माण में सहायता करेंगी।
- 156 मि. मी. आकार के मल्टी क्रिस्टेलाइन सिलिकॉन

सोलर सेल का प्रयोग करते हुए 220 वाट फोटोवोल्टिक मॉड्यूल की डिज़ाइन तैयार की और विकास प्रदर्शित किया।

- 1 आरसी 7638-4 फ्रेम डिलीवरी स्थिर घूर्णन में सबसे बड़ी रेटिंग 2150 केडब्ल्यू, 6.6 के. वी., 4 पोल, एससीआईएम मोटर की डिजाइन तैयार की और विनिर्माण किया।
- खापरहेडा और भुसावल (500 मेगावाट) संयंत्रों के लिए सिमुलेटर का विकास।
- एसटीजी अनुप्रयोग (निर्माण बाज़ार) के लिए 250 एमवीए वायु-प्रशीतिटिर्बो जेनरेटर टीएआरआई 115/52 के लिए विनिर्माण ड्राइंग की डिजाइन, विकास और उत्पादन।

मार्च, 2010 तक पूर्ण होने वाली संभावित परियोजनाएँ

- रेगिस्तानी अनुप्रयोगों (निर्यात बाजार) के लिए हाई बैक प्रेशर उपयुक्तता सहित 200 मेगावाट स्टीम टर्बाइन के लिए विनिर्माण ड्राइंग की डिजाइन, विकास और उत्पादन।
- 660 मेगावाट सुपरक्रिटिकल पैरामीटर के सेटों के लिए कंडेन्सर की डिजाइन और विकास।
- नॉर्थ चेन्नई 600 मेगावाट टीजी सेट के लिए उच्चतर भरण जल निकास तापक्रम सहित भरण जल हीटरों के लिए तापीय और यांत्रिक डिजाइन का विकास और विनिर्माण ड्राइंग जारी करना।
- यार्ड अनुप्रयोगों के लिए 765 केवी/4000ए गैस-विसंवाहित धारा ट्रांसफॉर्मरों का विकास।

कॉर्पोरेट गवर्नेन्स

- "भेल" अपने हितधारकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं और संपूर्ण समाज के लिए सतत रूप से महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हुए कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की बुनियादी आवश्यकताओं से बहुत आगे जाने का प्रयास करता है। कंपनी ने सभी, विशेषकर अल्पसंख्यक हितधारकों के लिए पारदर्शिता, प्रकटन और निष्पक्षता सुनिश्चत करने हेतु एक ढाँचा विकसित किया है।
- "भेल" ने कतिपय उच्चतम सीमा के मूल्य से अधिक अधिप्राप्ति का आकलन करने के लिए एक स्वतंत्र लेखा परीक्षा का ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल के साथ सत्यनिष्ठा करार किया है।
- "भेल" संयुक्त राष्ट्र के "वैश्विक समझौता" का एक भाग है और यह उसे तथा उसके सिद्धांतों में निहित मूल मान्यताओं को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

- सामाजिक रूप से जागरूक संगठन तथा उत्तरदायी कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में भेल" ने संपूर्ण देश में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक तथा सामुदायिक विकास कार्य शुरू किए हैं। कंपनी अपने सामान्य व्यावसायिक कार्यकलापों के अतिरिक्त विभिन्न सामुदायिक विकास कार्यक्रम करने के लिए प्रतिबद्ध है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यान्वित करने की स्कीम में तथा प्रतिबद्ध कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर भेल" का लक्ष्य विवरण निम्नानुसार है:-

"अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक एक प्रतिबद्ध कॉर्पोरेट नागरिक होना"

- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व स्कीम के अधीन आठ विशेष बल वाले क्षेत्र हैं - स्व-रोजगार सृजन, पर्यावरण संरक्षण, सामुदायिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य प्रबंध और चिकित्सा सहायता, अनाथाश्रम और वृद्ध आश्रम, अवसंरचनात्मक विकास और आपदा/संकट प्रबंधन।

2.4 भारत हैवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड

भारत हैवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड (बीएचपीवी) की स्थापना वर्ष 1966 में उर्वरक, तेलशोधक संयंत्र, पेट्रोरसायन आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए उपकरणों की आवश्यकता पूरी करने के लिए की गई थीं। कंपनी के तीन उत्पाद प्रभाग नामत: प्रोसेस प्लांट डिवीजन, क्रायोजेनिक्स और बॉयलर डिवीजन हैं। कंपनी पिछले

बीएचपीवी - आईओसीएल के लिए भारी वैक्यूम कॉलम - हल्दिया

कुछ वर्षों से घाटा उठाती रही है और इसकी सरकारी क्षेत्र की समग्र नीति के आलोक में समीक्षा की गई थी। सरकार के अनुमोदन के आधार पर बीएचपीवी का भेल" द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है। वर्ष 2009-10 के लिए कंपनी का उत्पादन 210.00 करोड़ रुपए होना प्रत्याशित है।

2.5 भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड

निम्नलिखित सहायक कंपनियों के साथ धारक कंपनी के रूप में भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीबीयूएनएल) को वर्ष 1986 में निगमित किया गया था:

(i) बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल)

(ii) भारत बैगन एंड इंजिनीयरिंग कंपनी लिमिटेड (बीडब्ल्यूईएल), रेल मंत्रालय को अंतरित

(iii) ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड (बीसीएल)

(iv) ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे)

(v) जेसप एंड कंपनी लिमिटेड (अगस्त, 2003 में अधिकांश हिस्सा विनिवेश किया गया)

वर्ष 2009-10 के लिए कंपनी का उत्पादन 578.36 करोड़ रुपए होना प्रत्याशित है।

2.6 बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड

पूर्ववर्ती बर्न एंड कंपनी लिमिटेड और इंडियन स्टैंडर्ड वैगन कंपनी लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण होने के फलस्वरूप बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल) को वर्ष 1976 में निगमित किया गया था। बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और मध्यप्रदेश में स्थित कंपनी की आठ रिफैक्ट्री और सिरामिक इकाइयों के अलावा पश्चिम बंगाल के हावड़ा और बर्नपुर में दो बड़ी इंजीनियरिंग इकाइयां हैं। बीएससीएल द्वारा विनिर्मित किए जा रहे मुख्य उत्पादों में बैगन, स्ट्रक्चरल्स, प्वाइंट्स और क्रासिंग, बोगियां, राख हैंडलिंग संयंत्र, कोयला हैंडलिंग संयंत्र, आदि शामिल हैं। कंपनी रुग्ण है और यह बीआईएफआर को संदर्भाधीन है। कंपनी की घाटा उठा रही 7 रिफ्रैक्टरी इकाइयां और जेलिंघम यार्ड को बंद कर दिया गया है। समग्र नीति के आलोक में कंपनी के भविष्य की समीक्षा की जा रही है। वर्ष 2009-10 के दौरान कंपनी का उत्पादन 260.32 करोड़ रुपए होना प्रत्याशित है।

कम्पनी द्वारा निर्यातित कन्टेनर फ्लैट वैगन पोर्ट डी' अबिडिजाइन में अनलोड होते हुए

2.7 बेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड

राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप, सरकार ने वर्ष 1976 में ब्रेथवेट एंड कंपनी लि. (बीसीएल) का अधिग्रहण कर लिया था। कंपनी की तीन विनिर्माण इकाइयां अर्थात (i) क्लाइव वर्क्स, (ii) विक्टोरिया वर्क्स और (iii) एंगए वर्क्स हैं, जो सभी कोलकाता में स्थित हैं और प्राथमिक तौर पर रेलवे वैगनों, स्टील स्ट्रक्चरल्स, और सामान्य तथा विशेष कार्यों के लिए क्रेन, जिसमें कन्टेनर हैंडलिंग क्रेन, रेल-माउंटेड डीजल लोको ब्रेकडाउन क्रेन, जूट उद्योग के लिए जूट कार्डिंग मशीन और रोल फीडर्स आदि शामिल हैं, के विनिर्माण में लगी है। सरकार की समग्र नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी और सरकार द्वारा वर्ष 2005 के दौरान एक पुनरुद्धार/पुनर्गठन योजना अनुमोदित की गई थी। तत्पश्चात, बीआईएफआर ने दिनांक 29.06.2006 के आदेश द्वारा बीसीएल को बीआईएफआर के सीमाक्षेत्र से निर्मुक्त कर दिया और बीसीएल रुग्ण औद्योगिक कंपनी नहीं रह गई है। वर्ष 2009-10 के दौरान कंपनी का उत्पादन 198.04 करोड़ रुपए होना प्रत्याशित है।

2.8 ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसप कन्सट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसप कन्सट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे) की स्थापना ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप द्वारा वर्ष 1935 में हावड़ा पुल के निर्माण के लिए की गई थी।

कटक में ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कं. लि. द्वारा महानदी के ऊपर पुल का निर्माण

बीबीजे 1987 में सरकारी क्षेत्र का एक उद्यम हो गया जब यह भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीबीयूएनएल) की सहायक कंपनी बन गई। कंपनी इस्पात पुलों, समुद्री ढांचों और जेट्टी आदि के निर्माण का कार्य करती है। कंपनी ने समुद्री कार्यकलारपों में विविधीकरण किया है। सरकार की समग्र नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी और सरकार द्वारा वर्ष 2005 में कंपनी के लिए एक पुनर्गठन योजना अनुमोदित की गई थी। वर्ष 2009-10 में कंपनी का कुल कारोबार 120 करोड़ रुपए होना प्रत्याशित है।

2.9 भारत यंत्र निगम लिमिटेड

भारत यंत्र निगम लिमिटेड (बीवाईएनएल) को निम्न सहायक कंपनियों के साथ धारक कंपनी के रूप में वर्ष 1986 में निगमित किया गया था।

1. भारत हेवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम
2. भारत पंप्स एंड कंप्रेशर्स लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद
3. ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता
4. रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड, मुम्बई
5. तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, हॉसपेट, कर्नाटक
6. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स, लिमिटेड, नैनी इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश

भारत हेवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड को भेल" द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है। सरकार ने धारक कंपनी बीवाईएनएल की बंदी/समाप्ति भी अनुमोदित की है। इसके फलस्वरूप पूर्ववर्ती धारक कंपनी भूतपूर्व बीवाईएनएल की प्रत्येक सहायक कंपनी अलग अलग हो गई है।

2.10 भारत पम्पस एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड

भारत पप्पस एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड (बीपीसीएल) उत्तर प्रदेश के नैनी, इलाहाबाद में विनिर्माण सुविधा सहित वर्ष 1970 में निगमित किया गया था। कंपनी तेल अन्वेषण और दोहन, तेल शोध कारखानों, पेट्रो-रसायन, रसायन, उर्वरक और अर्धप्रवाह उद्योगों जैसे क्षेत्रें की आवश्यकताओं

बीपीसीएल - ओएनजीसी, शिवसागर के लिए 1700 मड पम्प

की पूर्ति के लिए हेवी ड्यूटी पम्पस और कंप्रेसर तथा उच्च दाब सीवनरहित और सीएनजी गैस सिलेण्डरों/कासकेड के विनिर्माण और आपूर्ति में लगी है।

बीपीसीएल वर्ष 2005-06 में अपने आमूल-चूल परिवर्तन के बाद लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करता रहा है और निरंतर निवल लाभ दर्ज करता रहा है। बीपीसीएल ने न केवल पुनरुद्धार पैकेज के लक्ष्यों को पूरा किया है बल्कि उससे आगे बढ़कर उन्हें दो वर्ष पहले भी प्राप्त कर लिया है।

बीपीसीएल ने 239.99 करोड़ रुपए के कुल कारोबार और 26.86 करोड़ रुपए के निवल लाभ सहित वर्ष 2008-09 में स्थिर वृद्धि बनाए रखी है। वर्ष 2009-10 के लिए 285.00 करोड़ रुपए के कुल कारोबार और 42.62 करोड़ रुपए के निवल लाभ का लक्ष्य हैं। कंपनी ने पहली बार 48.00 करोड़ रुपए मूल्य के 6 प्रेसरों की आपूर्ति के लिए मैसर्स लेवान रिफाइनरी, ईरान से ऑर्डर प्राप्त करके निर्यात बाज़ार में भी प्रवेश किया है।

2.11 ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड

ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (बीएंडआर) को बामेर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड की सहायक कंपनी के रूप में वर्ष 1920 में स्थापित किया गया था। तत्पश्चात, यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन वर्ष 1972 में सरकारी कंपनी बन गई। जून, 1986 में बीएंडआर का प्रशासनिक नियंत्रण भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय को अंतरित किया गया था और इसे तत्पश्चात वर्ष 1987 में धारक कंपनी मैसर्स भारत यंत्र निगम लिमिटेड (बीवाईएनएल), इलाहाबाद के नियंत्रण में लाया गया। भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के फलस्वरूप बीवाईएनएल दिनांक 06.05.2008 से बीएंडआर की धारक कंपनी

बी एण्ड आर - हावड़ा कार्यशाला में स्टैनलैस स्टील रेलवे वैगन का निर्माण

नहीं रही और बीएंडआर सीधे भारी उद्योग विभाग के अधीन आ गया। कंपनी के पूंजी पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा दिनांक 02.09.2005 को अनुमोदित किया गया था।

बीएंडआर गुणवत्ता और विश्वसनीयता की ख्याति सहित हाइड्रोकार्बन, विद्युत, एल्युमिनियम, इस्पात, रेलवे आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सिविल और यांत्रिक निर्माण तथा टर्नकी परियोजनाओं के क्षेत्र में एक प्रमुख निर्माण और इंजीनियरी कंपनी है।

यह सतत रूप से एक लाभ कमाने वाली कंपनी है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान बीएंडआर का कार्यनिष्पादन अभूतपूर्व रहा है और वर्ष 2008-09 के दौरान कंपनी का कुल कारोबार 33.26 करोड़ रुपए के कर-पूर्व लाभ सहित 935 करोड़ रुपए था। वर्ष 2009-10 के दौरान कुल कारोबार 1000.00 करोड़ रुपए अनुमानित है।

2.12 रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड

रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड (आरएंडसी) को निजी क्षेत्र से वर्ष 1973 में अधिग्रहित किया गया था। इसकी चार इकाइयां हैं, जिनमें से दो मुम्बई में और एक एक चेन्नई और नागपुर में हैं। कंपनी वर्ष 1987 में

माननीय मंत्री (भारी उद्योग एवं लोक उद्यम) बाईकुल प्लांट में दिनांक 12.12. 2009 को अपने भ्रमण के दौरान रोलिंग मशीन का निरीक्षण करते हुए

बीवाईएनएल की एक सहायक कंपनी बन गई। कंपनी रूग्ण है और यह बीआईएफआर के संदर्भाधीन है। जुलाई, 2003 में बीआईएफआर ने आरएंडसी को बंद करने का आदेश पारित किया। सरकार की समग्र नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी और कंपनी की पुनरुद्धार प्रक्रिया विचाराधीन है। वर्ष 2009-10 के दौरान कंपनी का कुल कारोबार 91.50 करोड़ रुपए अनुमानित है।

2.13 त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड

त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (टीएसएल) को वर्ष 1965 में निगमित किया गया था। कंपनी के पास इस्पात के भारी ढांचों जैस विद्युत पारेषण, संचार और टेलीविजन प्रसारण के लिए ऊँचे टावरों और मास्ट, हाइड्रोमेकैनिकल उपकरणों, प्रेशर वेसल्स आदि के विनिर्माण की सुविधा है। कंपनी अप्रैल, 1987 में बीवाईएनएल की सहायक कंपनी बन गई। कंपनी रूग्ण है और इसे बीआईएफआर को भेजा गया है। सरकार की समग्र नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी और कंपनी की पुनरुद्धार प्रक्रिया विचाराधीन है। वर्ष 2009-10 के दौरान कंपनी का कुल कारोबार 6.00 करोड़ रुपए प्रत्याशित है।

2.14 तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड

कंपनी की स्थापना कर्नाटक और आंध्रप्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में वर्ष 1960 में की गई थी। तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लिमिटेड (टीएसपी) अप्रैल, 1987 में बीवाईएनएल की एक सहायक कंपनी बनी। कंपनी के पास हाइड्रॉलिक ढांचों, जलकपाटों (पेनस्टॉक), इमारतों के ढांचे, पारेषण लाइन टावरों, ईओटी तथा गैन्ट्री क्रेनों आदि की डिजाइन, विनिर्माण और स्थापना की सुविधा है। सरकार की समग्र नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी और कंपनी की पुनरुद्धार प्रक्रिया विचाराधीन है। कंपनी अपने लघु जल विद्युत संयंत्र से प्रति वर्ष 1.5 करोड़ रुपए का सृजन कर रही है। वर्ष 2009-10 के दौरान कंपनी का कुल कारोबार 5.62 करोड़ रुपए अनुमानित है।

2.15 हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (एचसीएल) की स्थापना वर्ष 1952 में देश की पहली दूरसंचार केबल विनिर्माता इकाई के रूप में की गई थी। कंपनी की इकाइयां रूपनारायणपुर, पश्चिम बंगाल, नैनी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश और हैदराबाद, आंध्रप्रदेश में हैं। एचसीएल रूग्ण है और यह वर्ष 2002 से बीआईएफआर के संदर्भाधीन है। इसका उत्पादन कार्यकलाप वर्ष 2003 से बंद है। बीआरपीएसई की सिफारिशों के अनुसार एचसीएल के लिए संपूर्ण रूप से अथवा यूनिट-वार एक संयुक्त उपक्रम भागीदार खोजने की प्रक्रिया विचाराधीन है।

2.16 हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड

हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एचईसी) रांची को लोहा और इस्पात उद्योग और खनन, धातुकर्म आदि जैसे अन्य महत्वपूर्ण उद्योग क्षेत्र के लिए उपकरणों और मशीनरी की डिजाइन तथा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के प्राथमिक उद्देश्य से दिसम्बर, 1958 में निगमित किया गया था। इसकी तीन विनिर्माण इकाइयां हैं, अर्थात हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट (एचएमबीपी), हेवी मशीन टूल प्लांट (एचएमटीपी) और फाउंड्री फोर्ज प्लांट (एफएफपी)। कंपनी इस्पात संयंत्रों के लिए बड़े पैमाने पर उपस्कर, वैगन टिपलर्स और इओटी क्रेनों जैसे सामग्री प्रहस्तन उपस्कर, सीएनसी मशीन टूल्स और विशेष प्रयोजन मशीन टूल्स, विभिन्न प्रकार के कास्टिंग, फोर्जिंग और रोल्स आदि

एचईसी - बीएसएल, बोकारो के लिए वैगन पुशर

सहित हेवी मशीन टूल्स का विनिर्माण करती हैं । कंपनी रूग्ण थी और इसे बीआईएफआर को भेजा गया था। सरकार की समग्र नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी और सरकार द्वारा दिसम्बर, 2005 में एक पुनरुद्धार योजना अनुमोदित की गई थी। वर्ष 2009-10 के दौरान कंपनी का उत्पादन 482.88 करोड़ रुपए प्रत्याशित है।

एचईसी ने इसरो के मीडियम और हैवी साइज पीएसएलवी एवं मीडियम साइज जीएसएलवी की लांचिंग के लिए देश के दूसरे लांच पेड प्रोजेक्ट हेतु 200/30 टी ईओटी क्रेन और फोल्डिंग-कम-वर्टिकली रिपोजिनेबल प्लेटफार्म (एफसीवीआरपी) की आपूर्ति एवं विनिर्माण किया। एचईसी द्वारा आपूरित सुविधाओं को लांचिंग से पहले सैटेलाइट में जोड़ा गया। इसके अलावा एचईसी ने 10टी टावर क्रेन की आपूर्ति की जो कि 80 मीटर ऊंचाई अर्थात् एम्बिलिकल टावर के टाप के बराबर है, को संस्थापन किया तथा इसे सैटेलाइट की लांचिंग के दौरान प्रयोग में लाया गया।

ये सुविधाएं चन्द्रयान-1 परियोजना में भी प्रयोग में लाई गई थी। एचईसी ने जीएसएलवी मार्क-III परियोजना के लिए 400/60टी ईओटी क्रेन, एफसीवीआरपी, होरिजोन्टल सलाइडिंग डोर तथा मोबाइल लांचिंग पैड की भी आपूर्ति की। इसके साथ ही देश के पास जीएसएलवी मार्क-III जैसी व्यापक परियोजना की लांचिंग की भी सुविधा हो गई है।

2.17 एचएमटी लिमिटेड (ट्रैक्टर डिवीजन सहित धारक कंपनी)

एचएमटी लिमिटेड, बंगलूरु की स्थापना मशीन टूल्स, घड़ियों, ट्रैक्टरों, छपाई मशीनों, विशेष प्रयोजन मशीनों, प्रेस और डेयरी मशीनरी के विनिर्माण की सुविधाओं के

साथ वर्ष 1953 में की गई थी। सरकार द्वारा जुलाई, 2000 में अनुमोदित कंपनी की आमूल-चूल परिवर्तन की योजना में व्यवसाय समूहों को चार नई अलग-अलग सहायक कंपनियों में बदलकर संगठनात्मक पुनर्गठन की संकल्पना की गई है। कंपनी को ट्रैक्टर व्यवसाय अपने पास रखते हुए एचएमटी लिमिटेड (धारक कंपनी), एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, एचएमटी वाचेज लिमिटेड और एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड के रूप में पुनर्गठित किया गया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी की दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां यथा एचएमटी (इंटरनेशनल) और एचएमटी (बियरिंग्स) लिमिटेड और एक आंशिक स्वामित्व वाली सहायक कंपनी प्रागा टूल्स लिमिटेड हैं। एचएमटी के ट्रैक्टर प्रभाग ने पिंजोर, हरियाणा में स्थापित विनिर्माण संयंत्र में ट्रैक्टर के विनिर्माण से

एचएमटी ट्रैक्टर

अपना प्रचालन वर्ष 1971 में प्रारम्भ किया। सरकार की समग्र नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी। बीआरपीएसई ने कंपनी के पुनरुद्धार/पुनर्गठन के लिए अपनी सिफारिश की है, जो सरकार के पास विचाराधीन है। 2009-10 में एचएमटी धारक कंपनी (ट्रैक्टर प्रभाग) का उत्पादन 220.50 करोड़ रुपए अनुमानित है।

2.18 एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड

भारत में मशीन टूल्स उद्योग में अग्रणी और विविध प्रकार के उत्पादों के विनिर्माता एचएमटी लिमिटेड ने "एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड" नामक अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को वर्ष 1999 में निगमित किया है। इसकी विभिन्न स्थानों पर विनिर्माण इकाइयां हैं। एचएमटी (एमटी) लिमिटेड की सभी विनिर्माण इकाइयां

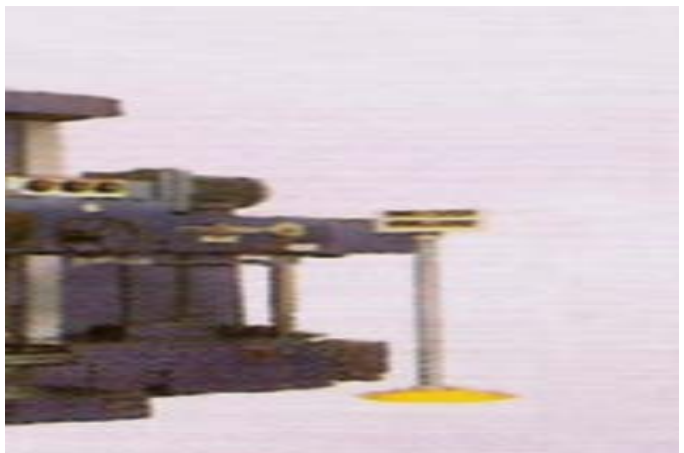

एचएमटी होरिजोन्टल बोरिंग एवं मिलिंग मशीन, एजेड II

आईएसओ-9001 प्रमाणित हैं। सरकार की समग्र नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी और सरकार ने कंपनी के पुनरुद्धार/पुनर्गठन के लिए दिनांक 01.02.2007 को अनुमोदन किया। वर्ष 2009-10 में कंपनी का उत्पादन 225.00 करोड़ रुपए प्रत्याशित है।

2.19 एचएमटी वाचेज लिमिटेड

एचएमटी वाचेज लिमिटेड मैकेनिकल और क्वार्ट्ज घड़ियों का विनिर्माण करता है। कंपनी की बंगलूरु, तुमकूर और रानीबाग में 3 विनिर्माण इकाइयां हैं। इसकी सभी विनिर्माण इकाइयों को आईएसओ-9001 प्रमाणीकरण प्राप्त

एचएमटी (वॉच) लि. द्वारा निर्मित घड़ियां

हैं । एचएमटी वाचेज लिमिटेड की उत्पाद शृंखला बाजार के विभिन्न खण्डों की मांग पूरी करती है। सरकार की समग्र नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी। कंपनी के पुनर्गठन/पुनरुद्धार के लिए बीआरपीएसई की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। वर्ष 2009-10 के दौरान कंपनी का उत्पादन 20 करोड़ रुपए प्रत्याशित है।

2.20 एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड

एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड मैकेनिकल घड़ियां बनाती है। कंपनी की श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में एक विनिर्माण इकाई और जम्मू में असेम्बली इकाई है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय जम्मू में स्थित है। भारत सरकार की समग्र नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है। वर्ष 2009-10 में कंपनी का उत्पादन 0.75 करोड़ रुपए प्रत्याशित है।

2.21 एचएमटी (बेयरिंग्स) लिमिटेड

एचएमटी (बेयरिंग्स) लिमिटेड (भूतपूर्व इंडो-निपॉन प्रेसिजन बियरिंग्स) की स्थापना वर्ष 1964 में सरकारी क्षेत्र की कंपनी के रूप में की गई थी। वर्ष 1981 में यह कंपनी एचएमटी लिमिटेड की सहायक कंपनी के रूप में केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम हो गई। सरकार की समग्र नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी और एचएमटी (बेयरिंग्स) लिमिटेड के लिए पुनर्गठन/पुनरुद्धार योजना सरकार द्वारा दिनांक 03.11.2005 को अनुमोदित की गई थी। वर्ष 2009-10 के दौरान कंपनी का उत्पादन 7.88 करोड़ रुपए प्रत्याशित है।

2.22 एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड

एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड की स्थापना दिसम्बर, 1974 में मूल कम्पनी, एचएमटी लिमिटेड के उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक व्यापारिक कंपनी के रूप में की गई थी। इसके द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में मशीन टूल्स, घड़ियां और उनसे संबंधित अन्य उत्पाद शमिल हैं, जिन्हें विभिन्न देशों को निर्यात किया जा रहा है। वर्ष 2009-10 के दौरान कंपनी कुल कारोबार 5.52 करोड़ रुपए अनुमानित है।

2.23 इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड

इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड (आईएल), कोटा की स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी। कंपनी की कोटा, राजस्थान और पलक्कड़, केरल में विनिर्माण इकाइयां हैं और इसकी जयपुर में मैसर्स राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड (आरईआईएल) नामक एक सहायक कंपनी भी है। कंपनी माइक्रो प्रोसेसर आधारित डिजीटल वितरण-नियंत्रण प्रणालियों, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमीटरों, फॉल्ट टॉलरेन्ट नियंत्रण प्रणालियों, रेलवे संकेतन प्रणालियों, दूरसंचार उपस्करों आदि के विनिर्माण में लगी है। सरकार

आईएल - इलैक्ट्रानिक इंस्ट्रूमेंट्स

की समग्र नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी और कंपनी के लिए पुनर्गठन/पुनरुद्धार योजना सरकार द्वारा वर्ष 2009 में अनुमोदित की गई थी। वर्ष 2009-10 में आईएल का उत्पादन 385.00 करोड़ रुपए अनुमानित है।

2.24 राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड

राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल) का गठन इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा और रीको के संयुक्त उद्यम के रूप में इलेक्ट्रॉनिक मिल्क टेस्टर और आपूर्ति करने के लिए 1981 में किया गया था। कंपनी ने सौर फोटो वोल्टिक माडयूल्स/प्रणाली, इलेक्ट्रानिक ऊर्जा मीटरों और सूचना प्रौद्योगिकी को शामिल करते हुए अपने उत्पाद रेंज का विविधीकरण किया है। कंपनी आईएल की एक सहायक कंपनी हैं, जो इसकी इक्विटी का 51% धारित करती है, इक्विटी का शेष 49% रिको, राजस्थान सरकार द्वारा धारित किया जा रहा है। अपने वित्तीय कार्यनिष्पादन के कारण कंपनी ने

आरईआईएल का ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अंशदान

"मिनीरत्न" का स्तर प्राप्त किया है। वर्ष 2009-10 के दौरान कंपनी का उत्पादन 92.00 करोड़ रुपए होना प्रत्याशित है।

2.25 स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (एसआईएल) को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में वर्ष 1972 में निगमित किया गया था। इस समय, एसआईएल पर्यावरण अनुकूल सीएनजी और एलपीजी इंधन आधारित वाहनों सहित तिपहिए का विनिर्माण और विपणन करता है। कंपनी रूग्ण हो गई और उसे वर्ष 1992 में बीआईएफआर को भेजा गया था परंतु कंपनी ने अपने कार्यनिष्पादन में आमूल-चूल परिवर्तन किया और अप्रैल, 2000 से बीआईएफआर के अधिकार-क्षेत्र से बाहर आने के बाद वर्ष 2005-06 तक लगातार लाभ दर्ज किया। कंपनी वर्ष 2001-02 से प्रचालन हानि और वर्ष 2006-07 से आगे निवल हानि उठाते हुए अच्छा कार्य निष्पादन नहीं कर रही है। यह मानते हुए कि कंपनी का कार्य निष्पादन ऑटो क्षेत्र में विकास की प्रवृत्तियों के अनुरूप नहीं हैं, सरकार ने एसआईएल में 18.63 करोड़ रुपए की लागत पर उत्पाद सुधार, मानवशक्ति प्रशिक्षण और परीक्षण तथा मूल्यांकन सुविधाओं के लिए उन्नयन की "जागृति" नामक परियोजना स्वीकृत की है। तथापि, कंपनी अपना कार्यनिष्पादन सुधारने में विफल रही और उसके निवल मूल्य का पूर्णत: क्षय हुआ है। इसे पुन: वर्ष 2009-10 के दौरान बीआईएफआर को भेजा गया है। वर्ष 2009-10 के दौरान कंपनी का उत्पादन 145.64 करोड़ रुपए होना प्रत्याशित है।

2.26 सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) का गठन सीमेंट उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और क्षेत्रीय असंतुलन हटाने के लिए सरकारी क्षेत्र में सीमेंट के कारखाने स्थापित करने के मुख्य उद्देश्य से, 1965 में किया गया था। 8 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में इसकी 10 इकाइयां हैं, जो छतीसगढ़ में मांढर, अकलतरा, मध्य प्रदेश में नयागांव, कर्नाटक में कुरकुंटा, असम में बोकाजन; हिमाचल प्रदेश में राजबन; आंध्र प्रदेश में अदिलाबाद और तांदुर; तथा हरियाणा में चरखी दादरी में है। कंपनी रूग्ण हो गई और इसे वर्ष 1996 में रूग्ण कंपनी के रूप में बीआईएफआर को भेजा और पंजीकृत किया गया था। सरकार की समग्र नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी और सरकार द्वारा अनुमोदित पुनर्गठन/पुनरुद्धार योजना कार्यान्वयनाधीन है। स्वीकृत स्कीम के अनुसार 3 व्यवहार्य इकाइयां अर्थात् हिमाचल प्रदेश में राजबन, असम में बोकाजन और आंध्र प्रदेश में तांदुर प्रचलनात्मक हैं और अन्य 7 इकाइयां बंद हो गई हैं तथा बेची जाने वाली हैं। अनुमोदित स्कीम ने राजबन, बोकाजन का आंशिक विस्तार और गैर-प्रचलनात्मक इकाइयों की बिक्री के अतिरिक्त तांदुर के तकनीकी उन्नयन की भी संकल्पना की। राजबन इकाई का विस्तार (खंगरीकरण) पूरा हो गया है। बोकाजन के विस्तार का कार्य तथा तांदुर इकाई का तकनीकी उन्नयन चल रहा है।

सीसीआई की बोकाजन सीमेंट फैक्ट्री का दृश्य

वर्ष 2009-10 के लिए चालू इकाइयों का उत्पादन 47.06 करोड़ रुपए के अनुमानित निवल लाभ सहित 345.06 करोड़ रुपए अनुमानित है।

2.27 हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसी) की स्थापना कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में इसके मुख्यालय सहित वर्ष 1970 में की गई थी। एचपीसी को केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के "अनुसूची क" उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

एचपीसी की सहायक कंपनियां

क) हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएनएल)

ख) नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड (एनपीपीसी)

एचपीसी की इकाइयां

i) नौगांव पेपर मिल्स (एनपीएम)

ii) कछार पेपर मिल्स (सीपीएम)

एचपीसी के मिलों (सीआरएम और एनपीएम एक साथ) का क्षमता उपयोग वर्ष 2006-07 के दौरान 104% वर्ष 2007-08 में 106% और वर्ष 2008-09 में 88% था। वर्ष 2009-10 के दौरान कंपनी (एनपीएम और सीपीएम) का उत्पादन 735.92 करोड़ रुपए अनुमानित है।

एचपीसी के सीपीएम का वास्तविक दृश्य

2.28 नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड

नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड (एनपीपीसी) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन (एचपीसी) की एक सहायक कंपनी है। एचपीसी के पास कंपनी के 94.78 प्रतिशत इक्विटी शेयर हैं, जबकि नागालैंड सरकार शेष 5.22 प्रतिशत शेयर धारित करती हैं। संयंत्र में इस समय कोई उत्पादन नहीं हो रहा है। बीआईएफआर ने कंपनी को बंद करने की सिफारिश की। सरकार कि समग्र नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी और 552.44 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली एक पुनर्गठन/पुनरुद्धार योजना सरकार द्वारा वर्ष 2000 में अनुमोदित की गई थी। इस योजना का कार्यान्वयन परवती लागत वृद्धि आदि के कारण रुका हुआ है।

2.29 हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड

हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएनएल) को मूलत: एचपीसी की एक इकाई के रूप में आरम्भ किया गया था। बाद में, इस इकाई को अगस्त, 1983 में एचपीसी की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में बदल दिया गया। यह मिल केरल में स्थित है तथा अखबारी कागज के उत्पादन के लगी हुई है और इसकी वार्षिक क्षमता 1 लाख मी. टन है। एचएलएल ने 718.80 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 170,000 टन कागज की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के लिए अखबारी कागज में अंतरित होने की नमनीयता के साथ लेखन और मुद्रण कागज के उत्पदन की अपनी विस्तार-सह-विविधीकरण योजना प्रारंभ की है। वर्ष 2009-10 के दौरान मिल का उत्पादन 283.64 करोड़ रुपए होना प्रत्याशित है।

2.30 हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (एचपीएफ)

वर्ष 1960 में ऊटी, तमिलनाडु में स्थापित यह कंपनी फोटोसुग्राही फिल्म, सिने पाजिटिव (श्वेत-श्याम), सिने फिल्म्स साउंड निगेटिव, मेडिकल एक्स-रे फिल्म्स आदि के विनिर्माण में लगी है। कंपनी को वर्ष 1995 में बीआईएफआर को भेजा गया था। बीआईएफआर ने 30 जनवरी, 2003 को इसे बंद करने की सिफारिश की।। विभिन्न एजेंसियों ने बीआईएफआर के आदेश के विरूद्ध एएआईएफआर में अपील की। एएआईएफआर ने इन अपीलों को खारिज कर दिया। तथापि, मद्रास उच्च न्यायालय ने ट्रेड यूनियनों द्वारा दाखिल अपील के आधाार पर एएआईएफआर और बीआईएफआर की कार्यवाहियों पर अंतरिम स्थगन प्रदान किया है। मैसर्स अर्नेस्ट एंड यंग को उद्योग पर विभाग से संबद्ध संसदीय स्थायी समिति (राज्य सभा) की सिफारिशों के आधार पर कंपनी की व्यवहार्यता पर आगे अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया है। परामर्शदाताओं की रिपोर्ट प्राप्त हो गई थी और उस पर कार्रवाई की गई । कंपनी की पुनरुद्धार योजना के संबंध में बीआरपीएसई की नियमित बैठक हो रही है और बीआरपीएसई की अंतिम सिफारिशें शीघ्र ही प्रत्याशित हैं। वर्ष 2009-10 के दौरान कंपनी का उत्पादन 26.00 करोड़ रुपए (पूर्वानुमानित) रहा है।

2.31 हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल)

वर्ष 1959 में जयपुर, राजस्थान में अपने मुख्यालय सहित स्थापित हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल) खारागोडा, गुजरात और मंडी, हिमाचल प्रदेश में स्थित अपनी इकाइयों में साधारण नमक और नमक-आधारित रसायनों के उत्पादन मे लगी है। कंपनी रूग्ण है और इसे बीआईएफआर को भेजा गया है। सरकार की समग्र नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी और एक पुनर्गठन/पुनरुद्धार योजना सरकार द्वारा मई, 2005 में अनुमोदित की गई थी।

एचएसएल - साम्भर झील, राजस्थान में साल्ट अपग्रेडेशन प्लांट

पुनरुद्धार पैकेज के कार्यान्वयन के बाद कंपनी बीआईएफआर के अधिकार क्षेत्र से बाहर आ गई है। वर्ष 2009-10 के दौरान कंपनी का उत्पादन 25.42 करोड़ रुपए का होना प्रत्याशित है।

2.32 सांभर साल्ट्स लिमिटेड

जयपुर में स्थित सांभर साल्ट्स लिमिटेड (एसएसएल) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। इसकी प्रदत्त पूंजी 1 करोड़ रुपए है, जिसका 60 प्रतिशत हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड और शेष 40 प्रतिशत राजस्थान सरकार द्वारा अभिदत्त है। कंपनी खाने और औद्योगिक इस्तेमाल के नमक का उत्पादन की रही है। वर्ष 2009-10 के दौरान कंपनी का उत्पादन 17.86 करोड़ रुपए होना प्रत्याशित है।

2.33 नेपा लिमिटेड

मध्य प्रदेश में स्थित नेपा लिमिटेड की स्थापना प्रारम्भ में निजी क्षेत्र में वर्ष 1947 में की गई थी। तत्पश्चात अक्तूबर, 1949 में इसका प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा अधि ग्रहित किया गया। केंद्र सरकार ने वर्ष 1959 में इसमें ऋणों को इक्विटी में परिवर्तित करके इसका नियंत्रण हित अधिग्रहित कर लिया और यह एक केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम बन गया। कंपनी कागज और अखबारी कागज का उत्पादन करती है। कंपनी रूग्ण हो गई और इसे बीआईएफआर को भेजा गया। सरकार की समग्र नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है। कंपनी के पुनर्गठन/पुनरुद्धार के लिए बीआरपीएसई की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। वर्ष 2009-10 के दौरान कंपनी का उत्पादन 97.00 करोड रुपए पूर्वानुमानित है।

2.34 टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को दो रूग्ण कंपनियों यथा मैसर्स इन्वेक टायर्स लिमिटेड और मैसर्स नेशनल रबर मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड के राष्ट्रीयकरण के बाद वर्ष 1984 में निगमित किया गया था। कंपनी की काकीनाड़ा में ही एक इकाई है और यह आटोमोबाईल के टायरों का विनिर्माण करती है। कंपनी रूग्ण हो गई है और इसे बीआईएफआर को भेजा गया हैं। कंपनी की टांगड़ा इकाई बंद कर दी गई है। सरकार की समग्र नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी। कंपनी कें पुनर्गठन/पुनरुद्धार के लिए बीआरपीएसई की सिफारिशें विनिवेश के माध्यम से सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है। संसद ने टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (स्वामित्व का विनिवेश) विधेयक, 2007 पारित किया है। वर्ष 2009-10 के दौरान कंपनी का उत्पादन 53.57 करोड़ रुपए होना प्रत्याशित है।

2.35 इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआईएल)

नई दिल्ली में स्थित इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआईएल) को भारत और विदेश में टर्नकी परियोजनाएं और परामर्शी सेवाएं पूरी करने के मुख्य उद्देश्य से वर्ष 1970 में निगमित किया गया था। ईपीआईएल सिविल और संरचनात्मक कार्य, धातुकार्य क्षेत्र, जलापूर्ति और पर्यावरण इंजिनीयरी, रक्षा, आवास, टाउनशिप, अस्पताल और संस्थात्मक भवन, कोयला और सामग्री प्रहस्तन प्रणाली, औद्योगिक और प्रक्रिया संयंत्र, तेल और पेट्रोरसायन, पारेषण लाइन/सब-स्टेशन, सिंचाई, बांध और नहर निर्माण कार्य, सड़क और राजमार्ग, तट संरक्षण निर्माण कार्य, विमानपत्तन, खेलकूद के स्टेडियम और खनन परियोजना आदि जैसे क्षेत्रें में टर्नकी आधार पर बड़े और बहु-विषयक औद्योगिक और निर्माण परियोजनाओं के निष्पादन के क्षेत्र में लगा है। दिनांक 30.09.2009 की स्थिति के अनुसार ईपीआईएल ने भारत में 457 परियोजनाएं और विदेश में

ईपीआई द्वारा त्रिपुरा में सम्पादित भारत - बांग्लादेश सीमा तारबाड़

30 परियोजनाएं पूरी की हैं। वर्ष 2001 में अपने वित्तीय पुनर्गठन के बाद कंपनी में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है और यह सतत रूप से लाभ दर्ज करती रही है। 26 वर्ष के अंतराल के बाद कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2003-04 से लाभांश अदा करना प्रारम्भ किया। ईपीआईएल अब लाभ अर्जित करने वाला, लाभांश अदा करने वाला मिनीरत्न श्रेणी-II केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम है।

कंपनी द्वारा प्राप्त बड़े ऑर्डर निम्नानुसार हैं:

- अगस्त, 2009 के माह के दौरान 1317.43 करोड़ रुपए मूल्य का आर्डर। प्राप्त बड़ी परियोजनाओं में जोका, कोलकाता में 514.58 करोड़ रुपए मूल्य के ईएसआई मेडिकल और पीजी इंस्टीट्यट का निर्माण, बाल्टीकुटी, कोलकाता में 761.70 करोड़ रुपए मूल्य के मेडिकल कालेज और अस्पताल का निर्माण शामिल है।

- मिजोरम और त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के लिए सीमा चौकियों के निर्माण के लिए अक्तूबर, 2009 माह के दौरान क्रमशः 250.65 करोड़ रुपए और 75.65 करोड़ रुपए मूल्य का आर्डर। मिजोरम राज्य में 150.00 करोड़ रुपए मूल्य की भारत-बांग्लादेश सीमा पर फ्लड प्रकाश व्यवस्था का निर्माण। बंगलौर में 25.00 करोड़ रुपए मूल्य के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र का विकास।

- कंपनी ने वर्ष 2008-09 के दौरान 958.70 करोड़ रुपए का कुल कारोबार प्राप्त किया और 20% का लाभांश घोषित किया। चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के प्रथम नौ महीनों (अप्रैल-दिसम्बर, 2009) के दौरान कंपनी ने 604.96 करोड़ रुपए का कुल कारोबार प्राप्त किया और यह वर्ष 2009-10 के अंत में 1050 करोड़ रुपए होना अनुमानित है।

2.36 वर्ष भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा 2008-09 के लिए अदा किया गया लाभांश:

भेल	563.57 करोड़ रुपए
एचपीसी	12.95 करोड़ रुपए
ईपीआई	7.08 करोड़ रुपए
बीएंडआर	0.55 करोड़ रुपए
बीबीयूएनएल	0.05 करोड़ रुपए

श्री विलासराव देशमुख, माननीय भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री को वर्ष 2009-10 के लिए लाभांश चेक देते हुए अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, बीएचईएल

अध्याय 3

भारी विद्युत, भारी इंजीनियरिंग और मशीन टूल उद्योग

3.1 भारी विद्युत उद्योग एक महत्वपूर्ण विनिर्माण क्षेत्र है जो ऊर्जा क्षेत्र तथा अन्य औद्योगिक क्षेत्रों की आवश्यकता पूरी करता है। बॉयलर, टर्बो जेनरेटर, टर्बाइन, ट्रांसफॉर्मर, कंडेन्सर, स्विच गियर और रिले जैसे मुख्य उपस्कर तथा संबद्ध सहायक उपकरणों का विनिर्माण इस क्षेत्र द्वारा किया जाता है। इस उद्योग का कार्यनिष्पादन देश के विद्युत कार्यक्रम से विस्तृत रूप से संबद्ध है। भारत सरकार का "वर्ष 2012 तक सभी के लिए विद्युत" और 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में 78,577 मेगावाट की योजनाबद्ध विद्युत क्षमता वृद्धि का महत्वाकांक्षी मिशन है।

देश में भारी विद्युतीय उपस्करों के विनिर्माण के लिए एक सुदृढ़ विनिर्माण आधार है। भारी विद्युतीय उपस्करों के विनिर्माताओं ने थर्मल सेटों के लिए 660 मेगावाट की यूनिट क्षमता तक सब-क्रिटिकल प्रौद्योगिकी आत्मसात की है और 800 मेगावाट और इससे अधिक यूनिट आकार के लिए सुपर-क्रिटिकल प्रौद्योगिकी अपना रहे हैं। उद्योग 11वीं योजना के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने और देश में न्यूक्लियर रिएक्टरों की संस्थापना के भावी विकास के लिए कम्पनी 765 केवी की उच्चतर वोल्ट श्रेणी तक के पारेषण और वितरण उपस्कर का विनिर्माण भी भारतीय उद्योग द्वारा किया जा रहा है।

विभाग के अधीन कार्यरत दो विकास परिषद् जो पूंजी सामग्री एवं अभियांत्रिकी उद्योग से जुड़ी हैं अर्थात् डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ मशीन टूल इण्डस्ट्री एवं डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ टेक्सटाइल मशीनरी को पुर्नस्थापित किया गया है।

भारी उद्योग विभाग ने इंडिया हैविटेट सेन्टर, नई दिल्ली में 11 दिसम्बर 2009 को सीआईआई के सहयोग से ''विद्युत परियोजना की अभियांत्रिकी अधिप्राप्ति एवं निर्माण (ईपीसी)'' पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। लगभग 150 भागीदारों ने इस सेमिनार में भाग लिया। इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य 11वीं योजना अवधि के दौरान 78,577 मेगावाट के विद्युत क्षमता विस्तार के लक्ष्य को नियत समय पर प्राप्त करना है।

3.1.1 बॉयलर

बॉयलर एक दाबकृत प्रणाली है, जिससे जल को वाष्प में वाष्पीकृत किया जाता है, जो प्राय: ज्वलनशील ईंधनों से दहन के उत्पादों के उच्चतर तापक्रम के स्रोत से स्थानांतरित उष्मा द्वारा प्राप्त वांछित अंत: उत्पाद होता हैं। इस प्रकार उत्पादित उच्च दाब वाले वाष्प का प्रयोग प्रत्यक्षत: उष्मन माध्यम के रूप में अथवा तापीय ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करने के लिए मुख्य चालक में कार्यशील द्रव के रूप में किया जा सकता है, जिसे इसके बाद विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। "भेल" देश में बॉयलर का सबसे बड़ा विनिर्माता है, जिसका घरेलू बाजार में लगभग दो तिहाई हिस्सा है। इसके पास संगठनों के लिए कोयला, लिग्नाइट तेल, प्राकृतिक गैस अथवा इन ईंधनों के संयोजन का प्रयोग करने वाले 30 से 500 मेगावाट क्षमता के स्टीम जेनरेटरों के विनिर्माण की क्षमता है। वे 800 मेगावाट यूनिट आकार तक के सुपर क्रिटिकल पैरामीटर वाले उच्चतर क्षमता के बॉयलरों का भी विनिर्माण कर रहे हैं। उच्चतर आकार के सुपर क्रिटिकल बॉयलरों के विनिर्माण की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

एसआईए की सांख्यिकी के अनुसार गैर लघु उद्योग क्षेत्रों के लिए पिछले तीन वर्षों का उत्पादन आंकड़ा निम्नानुसार है:

उत्पाद	2007-08 (करोड़ रुपए)	2008-09 (करोड़ रुपए)	अप्रैल-अक्तूबर, 2009 (करोड़ रुपए)
बॉयलर	8231.34	10,153.94	5542.30

स्रोत: एसआईए

3.1.2 टर्बाइन और जेनरेटर सेट

औद्योगिक टर्बाइन सहित स्टीम और हाइड्रो टर्बाइन जैसे विभिन्न किस्म के टर्बाइनों के विनिर्माण के लिए स्थापित क्षमता प्रतिवर्ष 12000 मेगावाट से अधिक है। "भेल" जिसकी सर्वाधिक संस्थपित क्षमता है, के अतिरिक्त निजी क्षेत्र में अन्य इकाइयां हैं, जो विद्युत उत्पादन और औद्योगिक प्रयोग के लिए टर्बाइनों को विनिर्माण कर रही हैं। "भेल" की विनिर्माण सीमा में संगठनों और संयुक्त चक्र अनुप्रयोग के लिए 500 मेगावाट तक के स्टीम टर्बाइन, बॉयलर, जेनरेटर शामिल हैं और यह स्टीम टर्बाइन और 800 मेगावाट तक के आकार वाले समतुल्य जेनरेटरों का विनिर्माण करने मे दक्ष है। भेल" के पास 260 मेगावाट तक के गैस टर्बाइनों के विनिर्माण की क्षमता है।

भारत में ए. सी. जेनरेटर उद्योग बड़े और छोटे उद्योगों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और घरेलू क्षेत्र की वैकल्पिक विद्युत आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। इस क्षेत्र के लिए भारत में विनिर्माता निर्दिष्ट वोल्टि रेटिंग के साथ 0.5 केवीए से लेकर 25,000 केवीए तक के एसी जेनरेटर का विनिर्माण करने मे सक्षम है।

एसआईए की सांख्यिकी के अनुसार गैर-लघु उद्योग क्षेत्र के लिए पिछले तीन वर्षों के उत्पादन आंकड़े निम्नानुसार हैं:-:

उत्पाद	2007-08 (करोड़ रुपए)	2008-09 (करोड़ रुपए)	अप्रैल-अक्तूबर, 2009 (करोड़ रुपए)
टर्बाइन (स्टीम और हाइड्रो)	3518.15	4193.00	2104.66
विद्युत जेनरेटर	1474.16	1778.10	977.34

स्रोत: एसआईए

3.1.3 ट्रांसफॉर्मर

ट्रांसफॉर्मर एक विद्युत उपकरण है, जो वोल्ट स्तर परिवर्तित करता है और सर्वाधिक सक्षम और मितव्ययी तरीके से विद्युत का पारेषण, वितरण और उपभोग सुविधाजनक बनाता है। ट्रांसफॉर्मर उद्योग की सुदृढ़ता मुख्यत: विद्युत उत्पादन और पारेषण प्रणाली कार्यक्रम पर निर्भर करती है। इस उत्पाद के मुख्य प्रयोक्ता राज्य विद्युत बोर्ड, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य उद्योग हैं। कुछ विशेष किस्म के ट्रांसफॉर्मरों का भी विनिर्माण किया जाता है, जिनका प्रयोग वेल्डिंग, कर्षण और विद्युत भट्टियों आदि के लिए किया जाता है। भारत में ट्रांसफॉर्मर उद्योग पिछले 50 वर्षों में विकसित हुआ है और इसके पास सुपरिपक्व प्रौद्योगिकी आधार है। अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निम्न हानियों और निम्न ध्वनि स्तर वाले ऊर्जा सक्षम ट्रांसफॉर्मर भी विकसित किए जा रहे हैं।

एसआईए की सांख्यिकी के अनुसार गैर-लघु उद्योग क्षेत्र के लिए पिछले तीन वर्षों के उत्पादन आंगड़े निम्नानुसार हैं:

उत्पाद	2007-2008 (मिलियन केवीए)	2008-2009 (मिलियन केवीए)	अप्रैल-अक्तूबर 2009 (मिलियन केवीए)
ट्रांसफॉर्मर	73.26	71.86	44.03

स्रोत: एसआईए

3.1.4 स्विचगियर और कंट्रोल गियर

स्विचगियर का संदर्भ विद्युतीय कनेक्शन समाप्त करने, फ्यूज और/अथवा विद्युत उपस्कर को पृथक करने के लिए प्रयुक्त सर्किंत ब्रेकरों के रूप में दिया जाता है। स्विचगियर का प्रयोग कार्य करने और अधोप्रवाह में त्रुटियां दूर करने के लिए उपस्कर को ऊर्जा रहित करने दोनों के लिए किया जाता है। स्विचगियर और कंट्रोलगियर न केवल विद्युत तक अभिगम्यता और नियंत्रण की आवश्यकता है, बल्कि अनिवार्य है। भारतीय स्विचगियर उद्योग बल्क ऑयल, न्यूनतम ऑयल, एयर ब्लास्ट, वैक्यूम से लेकर सल्फर हेक्साफ्लोराइड तक संपूर्ण रेंज के सर्किट ब्रेकरों का मानक विनिर्दिष्टयों के अनुसार

विनिर्माण कर रहा है। भारत में स्विचगियर और कंट्रोल गियर उद्योग पूर्णत: विकसित और परिपक्व उद्योग हैं जो औद्योगिक तथा विद्युत क्षेत्र द्वारा आवश्यक स्विचगियर और कंट्रोल गियर की व्यापक मदों का उत्पादन और आपूर्ति कर रहा है। वास्तव में यह उद्योग क्षेत्र 240 वोल्ट से 800 केवी तक के संपूर्ण वोल्ट रेंज का विनिर्माण करता है।

त्रुटि (फॉल्ट) संरक्षण की विभिन्न किस्मों के लिए प्रयुक्त रिले जैसे द्वितीयक उपस्कर, जो कंट्रोल गियर के रूप में भी ज्ञात हैं, ने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में बड़े विकास के कारण काफी उन्नति की है। प्रौद्योगिकीय उन्नति, संगठित आकार और इसकी विश्वसनीयता के कारण डिजीटल रिले पारम्परिक रिले का तेजी से स्थान ले रहे हैं। विद्युत के संरक्षण और नियंत्रण के अतिरिक्त हाल की प्रवृत्ति के अनुसार मॉनटरिंग और सिग्नलिंग स्विचगियर के अभिन्न भाग बन रहे हैं। मॉनटरिंग से त्रुटि (फाल्ट) की दशाओं का पूर्वानुमान किया जा सकता है जबकि सिग्नलिंग विभिन्न स्थानों में स्विचगियरों की स्थिति जानने में सहायता करता है।

एसआईए की सांख्यिकी के अनुसार गैर-लघु उद्योग क्षेत्र के लिए पिछले तीन वर्षों के उत्पादन आंकड़े निम्नानुसार हैं:

उत्पाद	2007-2008 (स.)	2008-2009 (स.)	अप्रैल-अक्तूबर 2009 (स.)
स्विचगियर और कंट्रोल गियर	18938508	17805938	13485801

स्रोत: एसआईए

3.2 भारी इंजीनियरिंग उद्योग

3.2.1 टेक्सटाइल मशीनरी उद्योग

भारतीय टेक्सटाइल मशीनरी उद्योग में पूर्ण मशीनरी तथा शेष पुर्जों और उपकरणों का उत्पादन कर रही 600 से अधिक इकाइयों सहित 1446 से अधिक मशीनरी और संघटक विनिर्माता इकाइयां शामिल हैं। इनकी रेंज में छंटाई, रस्सी निर्माण; धागों/फैब्रिक्स का प्रसंस्करण और बुनाई शामिल हैं।

यह उद्योग बहु-फाइबर करार (एमएफए) पश्चात वस्त्र विनिर्माताओं के निर्यात लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपेक्षित मशीनों की आपूर्ति करने के अवसर प्राप्त करने के लिए स्वयं को तैयार कर रहा है।

प्रति वर्ष 6900 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश और 8048 करोड़ रुपए की संस्थापित क्षमता से उनका वर्तमान उत्पादन, आयात तथा साथ ही निर्यात निम्नानुसार है:

वर्ष	उत्पादन (रु. करोड़)	निर्यात (रु. करोड़)	आयात (रु. करोड़)
2006-2007	5753	425	6884
2007-2008	6155	640	5255
2008-2009	4063	607	4411

स्रोत: टेक्सटाइल्स मशीनरी उत्पादक संगठन

3.2.2 सीमेंट मशीनरी उद्योग

देश में 7500 टीपीडी क्षमता तक ड्राई प्रोसेसिंग और प्रि-कैलसिनेशन प्रौद्योगिकी के आधार पर सीमेंट संयंत्रों का विनिर्माण किया जा रहा है। आधुनिक सीमेंट संयंत्रों को यह ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता है कि उत्पादन शुरू करने में बिल्कुल समय नहीं लगे, उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाला हो और सीमेंट उत्पादन की प्रति इकाई कम से कम ऊर्जा की खपत के साथ बेहतर उत्पादन हो। इस समय संपूर्ण सीमेंट संयंत्र मशीनरी के विनिर्माण के लिए संगठित क्षेत्र में 18 इकाइयां हैं। लगभग 600 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की संस्थापित क्षमता से उद्योग घरेलू मांग पूरा करने में पूर्णत: सक्षम है।

3.2.3 चीनी मशीनरी उद्योग

घरेलू विनिर्माता वैश्विक परिदृश्य में प्रमुख स्थान रखते हैं और वे 10,000 टीसीडी (टन क्रशिंग प्रतिदिन) तक की क्षमता के लिए अद्यतन डिजाइन के (संकल्पना से चालू करने के चरण तक) चीनी के संयंत्रों का विनिर्माण करने की दक्षता रखते हैं। इस समय प्रतिवर्ष लगभग 200 करोड़ रुपए की संस्थापित क्षमता से संपूर्ण चीनी संयंत्रों और संघटकों के विनिर्माण के लिए संगठित क्षेत्र में 27 इकाइयां हैं।

	2006-2007 (रु. करोड़)	2007-2008 (रु. करोड़)	2008-2009 (रु. करोड़)
आयात	25.11	20.50	24.65
निर्यात	12.52	22.11	48.21

स्रोत: वाणिज्य आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय

3.2.4 रबड़ मशीनरी उद्योग

मुख्यत: टायर/ट्यूब उद्योग के लिए अपेक्षित रबड़ मशीनरी के विनिर्माण में संगठित क्षेत्र के तहत इस समय 19 इकाइयां कार्यरत हैं। देश मे विनिर्मित उपकरणों में इंटर-मिक्सर, टायर-क्योरिंग प्रेसेज, ट्यूब स्पिलिसर्स, ब्लेडर क्योरिंग प्रेसेज, टायर, माउल्ड्स, टायर बिल्डिंग मशीन, टर्नेट सर्विसर, बायस कटर्स, रबड़ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, बीड वायर आदि शामिल हैं। तथापि, विशेषकर मिट्टी हटाने के भारी उपस्कर आदि के लिए उच्च गति कैलेंडिरिंग लाइन के विनिर्माण की प्रौद्योगिकी में कमी है।

	2006-2007 (रु. करोड़)	2007-2008 (रु. करोड़)	2008-2009 (रु. करोड़)
आयात	34.79	25.38	63.13
निर्यात	98.16	82.09	101.33

स्रोत: वाणिज्य आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय

3.2.5 सामग्री प्रहस्तन का उपस्कर उद्योग

विनिर्मित उपस्करों की रेंज में क्रशिंग और सक्रीनिंग संयंत्र, कोयला/अयस्क/राख प्रहस्तन संयंत्र और स्टेकर्स, रिक्लेमर्स, शिप लोडर्स/अनलोडर्स, वैगन टिप्लर्स, फीडर्स आदि जैसे संबद्ध उपस्कर शामिल हैं, जो कोयला, सीमेंट, विद्युत, पत्तन, खनन, उर्वरक और इस्पात संयंत्रों जैसे मुख्य उद्योगों की बढ़ती हुई और तीव्र परिवर्तनशील आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं।

सामग्री प्रहस्तन उपस्कर के विनिर्माण के लिए संगठित क्षेत्र में 50 इकाइयां हैं। इसके अतिरिक्त, लघु उद्योग क्षेत्र में प्रचालनरत कई इकाइयां हैं। यह उद्योग घरेलू मांग की पूर्ति करने में आत्मनिर्भर है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा पूरी करने में भी सक्षम है।

	2006-2007 (रु. करोड़)	2007-2008 (रु. करोड़)	2008-2009 (रु. करोड़)
आयात	1552.97	1152.86	1782.17
निर्यात	124.27	197.57	140.55

स्रोत: वाणिज्य आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय

3.2.6 ऑयल फील्ड उपस्कर

भारत में पेट्रोलियम उद्योग में भारी परिवर्तन हो रहा है। उदारीकरण की चालू प्रक्रिया से उद्योग को तेल की खोज, उत्पादन, तेलशोधन और विपणन के सभी मुख्य क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है और इसके परिणाम स्वरूप ऑयल फील्ड और संबद्ध उपस्करों की मांग में वृद्धि हुई है।

घरेलू उत्पादन मुख्यत: तटीय ड्रिलिंग उपस्कर शामिल करते हैं। अपतटीय ड्रिलिंग के अधीन केवल अपतटीय प्लेटफॉर्म और कुछ अन्य प्रौद्योगिकीय संरचनाओं का भी स्थानीय रूप से उत्पादन किया जा रहा है। इन उपस्करों के मुख्य उत्पादक ''भेल'', हिन्दुस्तान शिपयार्ड, मझगांव गोदी और लार्सन एण्ड टूब्रो हैं।

	2006-2007 (रु. करोड़)	2007-2008 (रु. करोड़)	2008-2009 (रु. करोड़)
आयात	411.73	4141.76	1782.17
निर्यात	72.51	185.11	534.11

स्रोत: वाणिज्य आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय

3.2.7 धातुकर्म मशीनरी

धातुकर्म मशीनरी में मिनरल बेनिफिकेशन, अयस्क ड्रेसिंग, साइज रिडक्शन, इस्पात संयंत्र उपस्कर, फाउंड्री उपस्कर और भट्टियां शामिल हैं।

वर्तमान में विभिन्न किस्मों की धातुकर्म मशीनरी के विनिर्माण में संगठित क्षेत्र में 39 इकाइयां कार्यरत हैं। देश में इन उपस्करों की मांग पूरी करने के लिए मौजूदा उत्पादन क्षमता पर्याप्त है।

देशी विनिर्माता इस्पात संयंत्रों के लिए अधिकांश उपस्कर अर्थात ब्लास्ट फर्नेस, सिन्टर संयंत्र, कोक ओवन, स्टील मेल्टिंग शॉप उपस्कर, निरंतर कास्टिंग उपस्कर, रोलिंग मिल्स और फिनिशिंग लाइन की आपूर्ति करने की स्थिति में हैं। तथापि, लौह और अलौह क्षेत्र में अपेक्षित संयंत्रों और उपस्करों के लिए बुनियादी डिजाइन और इंजीनियरी में प्रौद्योगिकीय कमी हैं, जिसके लिए घरेलू विनिर्माता आयातित जानकारी पर निर्भर हैं। चूंकि लौह और अलौह धातु निर्माण की प्रक्रिया उपस्कर की डिजाइन से संबद्ध है इसलिए प्रक्रिया जानकारी, डिजाइनकर्ताओं और उपस्कर विनिर्माताओं के बीच घनिष्ठ संपर्क की आवश्यकता है।

	2006-2007 (रु. करोड़)	2007-2008 (रु. करोड़)	2008-2009 (रु. करोड़)
आयात	1843.23	1976.13	3842.33
निर्यात	643.68	592.47	986.10

स्रोत: वाणिज्य आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय

3.2.8 खनन मशीनरी

प्रमुख खनन उपस्करों में लांगवाल खनन उपस्कर, रोड हैडर, साइड डिस्चार्ज लोडर (एसडीएल), होलेज वाइंडर, वेंटिलेशन फैन, लोड हौल डम्पर (एलएचडी), कोल कटर, कन्वेयर्स, बैटरी लोको, पंप्स, फ्रिक्शन प्रोप आदि शामिल हैं।

वर्तमान में सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के अंतर्गत संगठित क्षेत्र में 32 विनिर्माता हैं जो विभिन्न प्रकार के भूमिगत और सतह पर काम आने वाले खनन उपस्करों के निर्माण में लगे हैं। इनमें से 17 इकाइयां भूमिगत खनन उपस्कर का विनिर्माण करती हैं। खनन उद्योग की अधि कांश आवश्यकता की पूर्ति देशी विनिर्माताओं द्वारा की जाती है।

	2006-2007 (रु. करोड़)	2007-2008 (रु. करोड़)	2008-2009 (रु. करोड़)
आयात	76.71	110.61	158.03
निर्यात	48.47	6.59	3.30

स्रोत: वाणिज्य आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय

3.2.9 डेयरी मशीनरी उद्योग

वर्तमान में इवेपरेटर, मिल्क रेफ्रिजरेटर और भंडारण टंकी, मिल्क एण्ड क्रीम डिओडोराइजर्स, सेंट्रिफ्यूजेज, क्लेरिफायर्स, एजिटेटर्स, होमोजेनाइजर्स, स्प्रे डायर्स और हीट एक्सचेंजर जैसे डेयरी मशीनरी उपस्करों का विनिर्माण कर रही संगठित क्षेत्र में निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र की 20 इकाइयां हैं। लघु उद्योग इकाइयां भी देशी उत्पादन में योगदान दे रही हैं। मिल्क पाउडर संयंत्रों के लिए स्प्रे-ड्रायर्स, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर और अन्य महत्वपूर्ण उपस्करों पर उच्च कोटि की पॉलिश की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि अपर्याप्त पॉलिश के परिणामस्वरूप किसी भी माइक्रो क्रेविसेज के बचे रहने से जीवाणु को सांस लेने और प्रजनन का आधार मिल सकता है।

सेल्फ क्लिनिंग क्रीम, सेपरेटर, एसेप्टिक प्रोसेसिंग सिस्टम जैसे प्रहस्तन उपस्करों और दही तथा परम्परागत भारतीय मिष्ठान बनाने के लिए अपेक्षित उपस्कर के लिए प्रौद्योगिकी की कमी मौजूद है।

	2006-2007 (रु. करोड़)	2007-2008 (रु. करोड़)	2008-2009 (रु. करोड़)
आयात	68.97	76.19	112.42
निर्यात	10.27	24.25	23.03

स्रोत: वाणिज्य आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय

3.2.10 मशीन टूल उद्योग

मशीन टूल उद्योग यहां तक कि औद्योगिक रूप से उन्नत देशों को भी सामान्य प्रयोजन और मानक मशीन टूल का निर्यात करने की स्थिति में है। पिछले चार दशकों से भारत में मशीन टूल उद्योग ने एक सुदृढ़ आधार स्थापित किया है और संगठित क्षेत्र में लगभग 200 मशीन टूल विनिर्माता तथा साथ ही लघु क्षेत्र में भी लगभग 400 इकाइयां हैं। भारतीय उद्योगों में अच्छी डिजाइन दक्षता है और सीएनसी मशीनों का उत्पादन बढ़कर प्रतिवर्ष लगभग 4000 हो गया है। तथापि, इस उद्योग में बहुत उच्च सूक्ष्मता वाली सीएनसी मशीनों का विनिर्माण करने की डिजाइन और इंजीनियरी दक्षता की कमी है। इस कमी

को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी का आयात प्रोत्साहित किया जाता है।

भारतीय मशीन टूल गुणवत्ता/प्रिसीजन और विश्वसनीयता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक विनिर्मित किए जाते हैं। आधुनिक मशीन टूल के इस क्षेत्र में अद्यतन प्रौद्योगिकी लाने के लिए कई सहयोग भी अनुमोदित किए गए हैं और उद्योग अब परम्परागत तथा साथ ही एनसी/सीएनसी उच्च-प्रौद्योगिकी मशीन टूल का निर्यात कर रहा है। अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर अधिक उपयुक्त डिजाइनयुक्त मशीन टूल के लिए अनुसंधान कर रहा है।

	2006-2007 (रु. करोड़)	**2007-2008 (रु. करोड़)**	**2008-2009 (रु. करोड़)**
उत्पादन	1719.00	1902.00	1424.00
आयात	4656.00	5992.00	6271.00
निर्यात	73.00	147.00	89.00

स्रोत: आईएमटीएमए

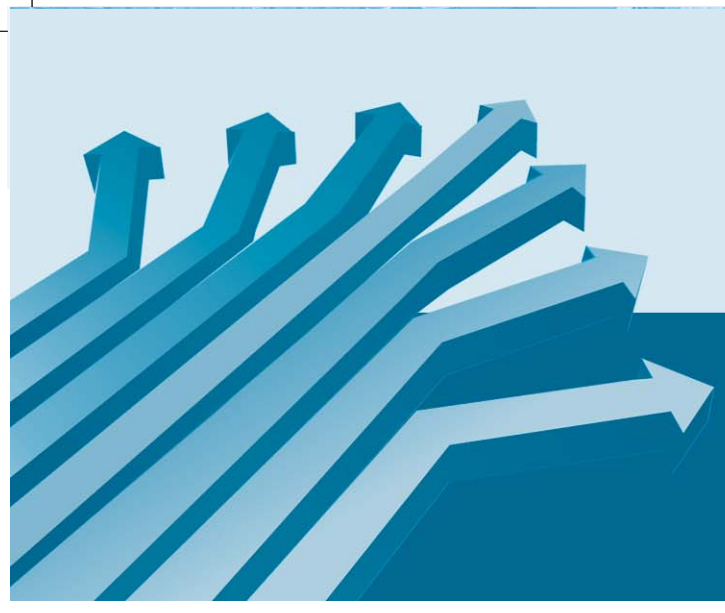

Chapter 4

ऑटोमोटिव उद्योग

4.1 ऑटोमोटिव उद्योग का परिदृश्य

4.1.1 ऑटोमोटिव उद्योग वैश्विक रूप से सबसे बड़े उद्योगों मे से एक और अर्थव्यवस्था का एक चालक है। उद्योग के कई मुख्य खण्डों के साथ इसके गहरे अग्रगामी और पश्चगामी संपर्कों के कारण ऑटोमोटिव उद्योग का अर्थव्यवस्था पर सुदृढ़ गुणक प्रभाव है। देश के तीव्र आर्थिक और औद्योगिक विकास में एक सुदृढ़ परिवहन प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सुविकसित भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग व्यापक किस्म के वाहनों जैसे यात्री कार, हल्के, मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहन, बहुउपयोगी वाहनों, स्कूटरों, मोटरसाइकलों, मोपेड, तिपहिए आदि का उत्पादन करते हुए इस उत्प्रेरक भूमिका को समर्थतापूर्वक पूरा करता है।

4.1.2 नई औद्योगिक नीति की घोषणा से ऑटोमोबाइल उद्योग में जुलाई, 1991 में लाइसेंसीकरण समाप्त हो गया। तथापि, यात्री कार को वर्ष 1993 में लाइसेंसमुक्त किया गया। कुछ विशेष मामलों को छोड़कर ऑटोमोबाइल के विनिर्माण के लिए कोई इकाई स्थापित करने हेतु किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। इस क्षेत्र को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए यात्री कारों सहित वाहनों के विनिर्माण के लिए पिछले वर्षो से प्रौद्योगिकी के आयात और विदेशी निवेश के मानदंडों को भी प्रगामी रूप से उदारीकृत बनाया गया है। इस समय यात्री कार खण्ड सहित इस क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के अधीन 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमत्य है। वर्ष 1991 में ऑटोमोबाइल क्षेत्र का धीरे-धीरे उदारीकरण किए जाने से भारत में विनिर्माण सुविधाओं की संख्या प्रगामी रूप से बढ़ी है।

4.1.3 ऑटोमोबाइल और ऑटो संघटक क्षेत्र वाले ऑटोमोटिव उद्योग ने वर्ष 1991 में लाइसेंसीकरण समाप्त होने और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए क्षेत्र को मुक्त कर देने से तीव्र प्रगति की है। ऑटोमोटिव उद्योग संघटकों और टायरों सहित 2,20,600 करोड़ रुपए का कुल कारोबार प्राप्त कर चुका हैं यह उद्योग 13.1 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। ऑटोमोटिव उद्योग का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान वर्ष 1992-93 के 2.77% से बढ़कर वर्ष 2008-09 में 4.14% हो गया है। यह उद्योग सरकार के अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण में भी 17% का योगदान कर रहा है।

4.1.4 आज भारत विश्व में दोपहिए का दूसरा सबसे बड़ा और वाणिज्यिक वाहनों का पांचवां सबसे बड़ा विनिर्माता है। यह विश्व में सबसे अधिक संख्या में ट्रैक्टर का विनिर्माण करता है और विश्व में कारों का नौवां सबसे बड़ा विनिर्माता है।

4.2. उत्पादन

4.2.1 विकासशील क्षेत्र के रूप में उल्लिखित भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र वर्ष 2006-07 तक सुदृढ़ अंक की दर से विकास कर रहा था। तथापि इसने वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण वर्ष 2007-08 और 2008-09 के उत्तरार्ध के दौरान गिरावट देखी। इस स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार ने तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई की और तीन प्रोत्साहनजनक पैकेजों की घोषणा की। इससे परिणामस्वरूप, जुलाई, 2009 से आगे समग्र स्थिति सुधर गई है। वर्ष 2008-09 में उद्योग ने वर्ष 2007-08 की तुलना में उत्पादन में 2.96% की संयत वृद्धि देखी। वर्ष 2009-10 (अप्रैल, 2009 से दिसम्बर, 2009 तक) में यात्री वाहन खण्ड, दोपहिया खण्ड, तिपहिया खण्ड और वाणिज्यिक वाहन खण्ड सभी ने पिछले वर्ष समतुल्य अवधि की तुलना में क्रमशः 24.55%, 19.70%, 16.04% और 15.10%, की वृद्धि दर्ज की। वर्ष 2006-07 से 2009-10 (दिसम्बर, 2009 तक) के दौरान विभिन्न ऑटोमोबाइल खण्डों के वास्तविक उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

ऑटोमोबाइल उत्पादन:

(हज़ारों में)

खण्ड	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 दिसम्बर, 2009 तक
यात्री वाहन	1323	1426	1517	1662
वाणिज्यिक वाहन	222	246	218	162
कुल वाणिज्यिक वाहन	520	549	417	376
तिपहिए	556	501	501	440
दोपहिए	8444	8027	8419	7599
कुल	**11065**	**10854**	**11175**	**10239**
प्रतिशत वृद्धि	13.57	(-)2.29	2.96	

स्रोत: एसआईएएम

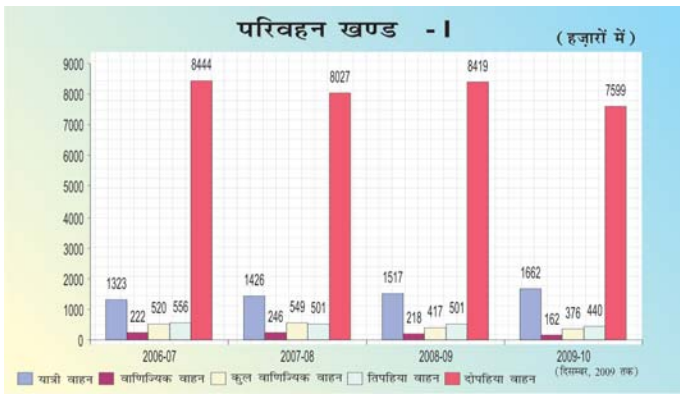

4.2.2 निर्यात

वर्ष 2009-10 (अप्रैल, 2009 से दिसम्बर, 2009 तक) में यात्री वाहन खण्ड और दोपहिया खण्ड के निर्यात ने 30.12% और 7.15% की वृद्धि दर्ज की। तथापि, तिपहिया खण्ड और वाणिज्यिक वाहन खण्ड का निर्यात पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि की तुलनामें क्रमश: (-) 1.87% और (-) 14.59% गिर गया है। वर्ष 2006-07 से 2009-10 (दिसम्बर, 2009 तक) के दौरान विभिन्न ऑटोमोबाइल खण्डों के निर्यात का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

ऑटोमोबाइल निर्यात:

(हज़ारों में)

खण्ड	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 दिसम्बर, 2009 तक
यात्री वाहन	194	218	336	330
कुल वाणिज्यिक वाहन	50	53	37	30
तिपहिए	619	141	148	118
दोपहिए	144	819	1004	849
कुल	**1011**	**1238**	**1530**	**1328**
प्रतिशत वृद्धि	25.43	22.45	23.61	

स्रोत: एसआईएएम

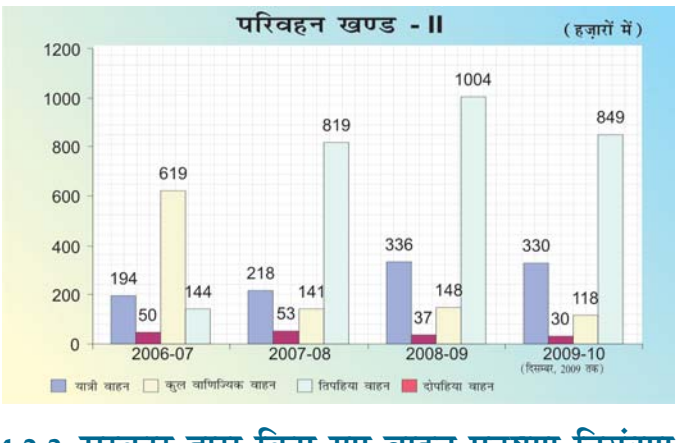

4.2.3 सरकार द्वारा किए गए वाहन प्रदूषण नियंत्रण उपाय

सरकार ने वर्ष 1992 से उत्सर्जन और सुरक्षा मानकों, जिन्हें मोटर वाहन अधिनियम के अधीन अप्रैल, 1996 में संशोधित किया गया था, को अधिसूचित करके प्रदूषण और सुरक्षा जांच प्रारम्भ की। भारत चरण-1 (यूरो-I के समतुल्य) उत्सर्जन मानदंड देश भर में लागू किया जा चुका है। यूरो-II के समतुल्य भारत चरण-II मानदंड दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता के 4 महानगरों में वर्ष 2001 से लागू है। ये मानदंड संपूर्ण देश में दिनांक 1.4.2005 से विस्तारित किए गए हैं। भारत यूरोपीय विनियमन के साथ चार पहियों के वाहन के लिए अपने उत्सर्जन मानदंड सुसंगत बना रहा है और अप्रैल, 2005 से 11 महानगरों में यूरो-III के समतुल्य मानदंड अपनाए गए हैं। उत्सर्जन मानकों का अगला उच्चतर स्तर अप्रैल, 2010 से लागू होगा।

4.3 ऑटो संघटक उद्योग:

4.3.1 ऑटो और ऑटो संघटक उद्योग वाणिज्यिक वाहनों की मांग में कमी, संघटकों की घटी हुई प्राप्त, नकदी में गंभीर कमी, निर्यात में गिरावट और संघटक उद्योग में सतत रूप से गिरते हुए मार्जिन के कारण हाल के पिछले दिनों में कष्टदायक चरण से गुजरा है। यह ऑटो संघटक उद्योग के लिए घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में सर्वाधिक कठिनाईपूर्ण चरणों में से एक रहा है। तथापि, सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहनों और समर्थन से कठिनाई के समय से उबरने में उद्योग को सहायता मिली है।

4.3.2 घरेलू और विदेशी दोनों बाजारों में मांग के संकुचन ने आटो-संघटक उद्योग को वर्ष 2009-10 की पहली दो तिमाहियों में समान वृद्धि से जूझना देखा है। दूसरी ओर,

निर्यात, जिसमें 20% के औसत पर वृद्धि हो रही थी और उसने यहां तक कि वर्ष 2008-09 में डॉलर में घट-बढ़ के कारण 17% की वृद्धि भी दर्ज की थी, ने वर्ष 2009-10 की पहली दो तिमाहियों में -30% की सर्वाधिक गिरावट देखी। समतुल्य अवधि के लिए आयातों में भी -32% की गिरावट आई थी।

4.3.3 निर्यात संबंधी कार्य निष्पादन पर भी अमरीकी और यूरोपीय संघ के ऑटोमोटिव बाजारों में मंदी के कारण गंभीर रूप से प्रभाव पड़ा है और यह प्रत्याशा है कि ऑटो संघटक उद्योग के लिए निर्यात बाजार में अगले 12 महीनों में काफी पुनरुद्धार होना संभावित है। इसके अतिरिक्त, आयात भी निर्यातों से अधिक हो रहे हैं और जबकि निर्यात का हिस्सा उद्योग के कुल कारोबार में 16% है, वहीं आयात का हिस्सा उद्योग के कुल कारोबार का 25% है। वर्ष 2009-10 में अधिकांश ऑटो-संघटक विनिर्माताओं ने अपनी भावी निवेश योजना रोक रखी थी और उन्होंने केवल वैसे अनिवार्य निवेश ही किए थे, जो ओईएम की दृढ़ कटिबद्धताओं की पूर्ति के लिए अपेक्षित थे।

4.3.4 उद्योग की वर्तमान स्थिति की प्रदर्शक ऑटो संघटक उद्योग की सांख्यिकी नीचे दी गई है:

ऑटो संघटक उद्योग सांख्यिकी

(रुपए करोड़ में)

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 अनुमानित क्यू2
कुल कारोबार	38,500	53,400	64,500	72,000	76,320	38,160
% वृद्धि	25.7	38.7	20.8	11.6	6.0	0
निर्यात	7,937	11,198	13,184	14,132	16,522	5,780
% वृद्धि	37.0	41.1	17.7	7.2	17	-30
आयात	9,504	12,115	15,974	20,998	28,160	9,575
% वृद्धि	46.2	27.5	31.9	31.5	34	-32
निवेश	16,800	19,500	24,000	28,800	32,000	16,800
% वृद्धि	15.9	16.1	23.1	20.0	11.1	5
कारोबार में आयात का %	24.7	22.7	24.8	29.2	36.9	25
कारोबार में निर्यात का %	20.6	21.0	20.4	19.6	22	16

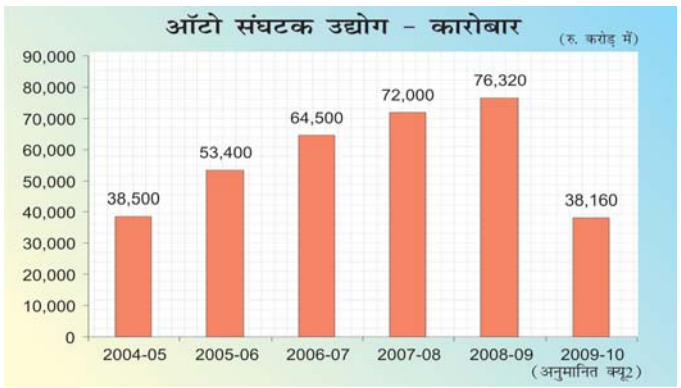

4.3.5 वर्ष 2009-10 की तीसरी तिमाही में, उद्योग ने सुधार के संकेत दर्शाना प्रारम्भ किया है। आज हम ऑटो-संघटक उद्योग को धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में वापस लौटते हुए देख सकते हैं और यह अनुमानित हैं कि तीसरी तिमाही में कुल कारोबार में 8% की वृद्धि दिखाई देगी। यह मुख्यत: घरेलू वाहन उद्योग में वृद्धि के कारण है। आर्थिक मंदी के प्रभाव के बावजूद उद्योग ऑटोमोटिव व्यवसाय के दीर्घावधिक वृद्धि की संभावनाओं के बारे बहुत सकारात्मक है।

4.3.6 भारतीय ऑटो-संघटक उद्योग की गुणवत्ता के प्रति जागरूकता का परिणाम अधिक से अधिक निर्यातों को अंतर्राष्ट्रीय ओईएम और स्तर-1 कंपनियों की और मोड़ना हुआ है। देश में किसी भी उद्योग क्षेत्र की तुलना में संघटक उद्योग में संभवत: अधिकतम संख्या में क्यूएस-9000 और टीएस-16949 कंपनियां हैं। इस समय, संघटक उद्योग के पास आईएसओ-9000 वाली 487 कंपनियां, आईएसओ-14001 वाली 157 कंपनियां, टी एस-16949 वाली 332 से अधिक कंपनियां, क्यूएस-9000 वाली 87 कंपनियां और ओएचएसएएस-18001 वाली 42 कंपनियां हैं। इसके अतिरिक्त, 9 ऑटो-संघटक कंपनियों ने गुणवत्ता के लिए पुरस्कार, 4 कंपनियों ने जेआईपीएम और 1 कंपनी ने जापान गुणवत्ता पदक प्राप्त किया है।

4.4 कृषि मशीनरी

कृषि मशीनरी में मुख्यत: कृषि ट्रैक्टर, पावर टिलर्स, कम्बाइन हार्वेस्टर और अन्य कृषि मशीनरी और उपकरण शामिल होते हैं। पावर टिलर, कम्बाइन हारवेस्टर और अन्य कृषि मशीनरी के नगण्य उत्पादन के कारण इस क्षेत्र पर मुख्यत: कृषि ट्रैक्टरों का प्रभुत्व है।

भारतीय ट्रैक्टर उद्योग वैश्विक उत्पादन में एक-तिहाई का हिस्सा रखते हुए विश्व में सबसे बड़ा (चीन में प्रयुक्त सब 20 अश्वशक्ति के बेल्ट-चालित ट्रैक्टरों को छोड़कर) है। विश्व में अन्य मुख्य ट्रैक्टर बाजार चीन और संयुक्त राज्य अमरीका हैं

वर्ष 2006-07 में ट्रैक्टर उद्योग की वृद्धि वर्ष 2000-01 में उद्योग के सर्वोत्तम को पार कर गई और 352831 यूनिट की बिक्री की नई ऊँचाई तक पहुँच गई। तथापि, वर्ष 2007-08 में यह 2% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए गिरकर 346499 तक पहुँच गई तथा इसे किसानों को वहनीय वित्त की खराब उपलब्धता के कारण वर्ष 2008-09 में 1.06% की नकारात्मक वृद्धि भी देखी।

4.4.1 निर्यात

भारत से ट्रैक्टर के निर्यात में वर्ष 2007-08 में लगभग 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भारतीय ट्रैक्टरों का निर्यात संयुक्त राज्य और मलेशिया, टर्की आदि जैसे अन्य दक्षिण एशियाई देशों को किया गया। भारतीय संगठनों ने सरकारी निविदा आवश्यकताओं की बोली देकर अफ्रीकी देशों की तेजी से निर्यात करना प्रारम्भ किया है। वर्ष 2008-09 में उद्योग ने ट्रैक्टरों की 38,214 इकाइयों का निर्यात किया; तथापि निर्यात की मात्रा पिछले वर्ष की तुलना में 13.97 प्रतिशत घटी हैं इसके वैश्विक मंदी और खराब ऋण उपलब्धता के कारण वर्ष 2009-10 में 8-10 प्रतिशत घटने की प्रत्याशा है।

4.4.2 खण्ड-वार विश्लेषण

भारतीय ट्रैक्टर बाजार पारम्परिक रूप से अधिकांशत: 31-40 अश्वशक्ति वाले ट्रैक्टरों को शामिल करते हुए मध्यम अश्वशक्ति वाला बाजार है, जिसका हिस्सा वर्ष 2008-09 में कुल बाजार का लगभग 46 प्रतिशत है। इस श्रेणी के ट्रैक्टरों की बिक्री की मात्रा 1.57 लाख इकाई रही है, परंतु वर्ष 2007-08 की तुलना में इसने 0.50% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। अन्य सभी श्रेणियों यथा, 21-30 अश्वशक्ति और 41-50 अश्वशक्ति ने वर्ष 2007-08 के आंकड़ों की तुलना में क्रमश: 3.77%, 0.50% और 11.82% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की।

4.5 मिट्टी हटाने वाली तथा भवन निर्माण मशीनरी

4.5.1 मिट्टी हटाते और निर्माण उपस्कर (ईसीई) उद्योग भवन सामग्री विनिर्माण उद्योग के साथ निर्माण का मुख्य पश्चगामी संपर्क निर्मित करता है। निर्माण सामग्री का हिस्सा औसत निर्माण लागत में लगभग दो-तिहाई होता है।

4.5.2 निर्माण उपस्कर में हाइड्रॉलिक एक्सकेवेटर, व्हील लोडर, लोडर, बुलडोज़र, डम्प ट्रक ट्रिपर, ग्रेडर, पेवर, एस्फाल्ट ड्रम/वेट मिक्स संयंत्र, ब्रेकर, वाइब्रेटरी, कम्पैक्टर, क्रेन, फोर्क लिफ्ट डोजर, ऑफ-हाईवे डम्पर (20 टन से 170 टन), ड्रिल स्क्रैपर, मोटर ग्रेडर्स, रोप शोवेल आदि जैसी कई किस्म की मशीनरी शामिल होती है। वे जमीन तैयार करने, खुदाई, सामग्री रखने के लिए कर्षण/निर्दिष्ट तरीके से बिछाने; सामग्री प्रहस्तन, सड़क निर्माण आदि जैसे विभिन्न किस्म के कार्य करते हैं। भारतीय मिट्टी हटाने और निर्माण उपस्कर उद्योग कुछ वर्षों से 40% की मिश्रित वार्षिक दन पर मात्रा का विस्तार करते हुए मूक क्रांति के दौर से गुजरा है।

4.5.3 भारत में संगठित निर्माण क्षेत्र (यथा सड़क, शहरी अवसंरचना) का उद्योग में हिस्सा लगभग 55% है जबकि खनन, सिंचाई और अन्य अवसंरचना खण्डों (यथा विद्युत, रेलवे) का शेष हिस्सा है। इन प्रत्येक अंत प्रयोग भाग खण्डों में अगले 10-15 वर्ष की अवधि में अतिरिक्त निवेश का विशाल प्रवाह देखने को मिलेगा। सड़क और राजमार्ग, पुल और शहरी निर्माण, विद्युत परियोजनाएं, रेलवे, विमानपत्तन आधुनिकीकरण, संपदा विकास, खनन क्षेत्र जैसी मुख्य अवसंरचना परियोजनाओं ने हाल के वर्षों में विशाल निवेश आकर्षित किया है। ये इसके बदले उपस्कर विनिर्माताओं को बड़े व्यावसायिक अवसर प्रदान करते हैं।

4.6 भारी उद्योग विभाग द्वारा ऑटो क्षेत्र के संबंध में की गई महत्वपूर्ण पहलें: भारी उद्योग विभाग ऑटोमोबाइल और ऑटो-संघटक उद्योग के लिए नोडल विभाग होने के कारण इसके विकास के लिए विभिन्न मंचों पर ऑटोमोबाइल क्षेत्र से संबंधित मुद्दे उठाता है। इस संबंध में भारी उद्योग विभाग ने नीचे रेखांकित कई महत्वपूर्ण पहलें की हैं:

4.6.1 ऑटोमोटिव और संबद्ध उद्योगों के लिए विकास परिषद (डीसीएएआई): सचिव, भारी उद्योग की अध्यक्षता में डीसीएएआई की वर्ष 2009-10 में दिनांक 9 जुलाई, 2009 और 22 फरवरी, 2010 को दो बैठकें आयोजित की गई थी। भारतीय ऑटोमोटिव और ऑटो-संघटक उद्योगों पर वैश्विक आर्थिक मंदी के प्रभाव और स्थिति को दूर करने के उपायों तथा क्षेत्र के विकास से संबद्ध अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों तथा एएमपी के लक्ष्यों को प्राप्त करने पर बल दिया गया। यह मंच चिंताओं के मुख्य क्षेत्रों, जिनके लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा उपयुक्त नीतिगत उपाय और अन्य अभिज्ञात क्षेत्रों में कार्रवाई की जा सकती है, का पता लगाने का अवसर प्रदान करता है।

4.6.2 उपकर निधि से अनुदान जारी करना: वर्ष 2009-10 के दौरान सचिव (भारी उद्योग) की अध्यक्षता में उपकर समिति द्वारा अनुमोदन के लिए 23.525 करोड़ रुपए मूल्य की कुल 7 ऑटोमोबाइल अनुसंधान और विकास परियोजनाओं पर विचार किया गया है/विचाराधीन हैं।

4.6.3 ऑटोमोटिव क्षेत्र पर भारत-जर्मन संयुक्त कार्य दल (जेडब्ल्यूजी) की बैठक: ऑटोमोटिव क्षेत्र पर भारत-जर्मन कार्य दल (जेडब्ल्यूजी) की स्थापना भारत-जर्मन औद्योगिक और आर्थिक उहयोग पर संयुक्त आयोग (जेसीएम) के तत्वावधान में की गई थी। यह पांचवां जेडब्ल्यूजी है; अन्यचार दल कृषि, कोयला, अवसंरचना और पर्यटन के क्षेत्र में हैं। जेडब्ल्यूजी की पहली बैठक नई दिल्ली में दिनांक 06.02.2009 को आयोजित हुई थी। पहली बैटक के दौरान (i) प्रौद्योगिकी, (ii) वाणिज्यीकरण और ढांचा विकास (iii) संस्थात्मक सहयोग, प्रशिक्षण और कुशलता विकास पर तनी कार्य उप-दल गठित किए गए थे। जेडब्ल्यूजी और इसके उप-दलों की दूसरी बैठक 21 से 22 सितम्बर, 2009, के दौरान फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में आयोजित हुई थी।

4.6.4 ईएफपी सम्मेलन, 2009: डब्ल्यूपी-29 पहल के भाग के रूप में पर्यावरणीय रूप से अनुकूल वाहनों (ईएफवी) पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की शृंखलाएं आयोजित की जाती हैं। पहला सम्मेलन वर्ष 2003 में टोकियो, जापान में, दूसरा वर्ष 2005 में बर्मिंघम यूके में और तीसरा वर्ष 2007 में ड्रेस्डन, जर्मनी में आयोजित किया गया था। चौथा ईएफपी सम्मेलन 23 से 24 नवम्बर, 2009 में नई दिल्ली में सफ्लतापूर्वक आयोजित किया गया था। यह पहली बार है जब ऐसा प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय समारोह विकासशील अर्थव्यवस्था में आयोजित किया गया है। सम्मेलन अत्यधिक सफल रहा था और इसमें भारत और विदेशों दोनों से शीर्षस्थ वैश्विक ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का विषय पर्यावरणीय रूप से अनुकेल वाहनों के बारे में जागरूकता सृजित करना था। इस सम्मेलन का उद्घाटन होटल अशोक, नई दिल्ली में दिनांक 23 नवम्बर, 2009 को माननीय भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री, श्री विलासराव देशमुख द्वारा किया गया। उद्घाटन सत्र में भी सम्माननीय अतिथियों की उपस्थिति और इसमें माननीय पर्यावरण और वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जयराम रमेश द्वारा भाषण दिया गया।

सम्मेलन के पूर्व उपलब्ध और भारत में शीघ्र आने वाले पर्यावरणीय रूप से अनुकूल सभी किस्म के वाहनों को शामिल करते हुए एक वाहन रैली भी दिनांक 22 नवम्बर, 2009 को आयोजित की गई। इस अवसर पर माननीय भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री, श्री अरुण यादव और दिल्ली की माननीय मुख्य मंत्री, श्रीमति शीला दीक्षित ने संयुक्त रूप से इलेक्ट्रिक दो पहिए से लेकर सीएनजी मिनी ट्रक के 18 वाहनों को इंडिया गेट से झंडी दिखाकर रवाना किया।

4.6.5 ईएफवी पर औपचारिक दल: जीआरपीई (डब्ल्यूपी-29), यूएनईसीई के अधीन ईएफबी पर औपचारिक दल के लिए अध्यक्षता, सह-अध्यक्षता और सचिवालय भारत को प्रदान किया गया है। डब्ल्यूपी-29 के मानदंडों के अनुसार, औपचारिक दल से जीआरपीई/डब्ल्यूपी-29 बैठकों के अनुरूप बैठकें करना और जीआरपीई/डब्ल्यूपी-29, को प्रगति की रिपोर्ट करना भी अपेक्षित है। भारत की अध्यक्षता में ईएफबी पर औपचारिक दल की पहली बैठक नई दिल्ली में दिनांक 25 नवम्बर, 2009 को आयोजित की गई

23-24 नवम्बर 2009 को ईएफवी कान्फ्रेंस, नई दिल्ली

थी। इसके अतिरिक्त, इस बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया है कि भारी उद्योग विभाग औपचारिक दल के लिए वर्ष 2012 अर्थात संख्या में आयोजित किए जाने वाले अगले ईएफवी सम्मेलन तक की अवधि तक सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।

अध्याय 5

प्रौद्योगिकी उन्नयन और अनुसंधान एवं विकास

5.1 भारत ने भारी विद्युत, विद्युत उत्पादन और पारेषण उद्योग, प्रक्रिया उपस्कर, ऑटोमोबाइल, जहाज़, विमान, खनन, रसायन, पेट्रोलियम आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए व्यापक किस्म के बुनियादी और पूंजीगत सामग्रियों के उत्पादन के लिए सुदृढ़ और विविधीकृत विनिर्माण आधार स्थापित किया है। तथापि, भारत की अर्थव्यवस्था विनिर्माण आधार क्षेत्र का हिस्सा बहुत कम है। विकास की काफी संभावनाएं हैं, जिसे वैश्वीकृत विश्व अर्थव्यवस्था में उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता सुधारने पर आधारित होना होगा। अभिनव परिवर्तन और नई प्रौद्योगिकियों को अपनाना प्रतिस्पर्धात्मकता में मुख्य कारक हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में, अर्थव्यवस्था के मुक्त होने और इसके फ्लस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सामग्रियों और सेवाओं के उत्पादन की आवश्यकता काफी बढ़ा दी है। भारतीय उद्योग ने तेजी से परिवर्तनशील वातावरण में ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई उपाय किए हैं। विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यम भी सहयोग और आंतरिक अनुसंधान और विकास प्रयासों के माध्यम से नई प्रौद्योगिकियां अपनाने और लागू करने की अपनी योजनाओं पर कार्रवाई कर रहे हैं। इस संबंध में की गई कुछ पहलों का विवरण नीचे दिया गया है:

5.1.1 ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना

राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नेट्रिप) को सरकार द्वारा दिनांक 25 जुलाई, 2005 को अनुमोदित और भारी उद्योग विभाग द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2005 को अधिसूचित किया गया था। "नेट्रिप" छः वर्षों में 1,718 करोड़ रुपए के कुल निवेश से भारत में विश्व-स्तरीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसमर्थन सुविधाएं स्थापित करने की संकल्पना करता है। प्रमुख सुविधाएं देश के तीन ऑटोमोटिव केंद्रों; दक्षिण, उत्तर और पश्चिम में स्थापित की जाएंगी। इस परियोजना का लक्ष्य (i) वैश्विक वाहन सुरक्षा, उत्सर्जन और कार्यनिष्पादन मानक स्थापित करने में सरकार को समर्थ बनाने के लिए महत्वपूर्ण रूप से आवश्यक ऑटोमोटिव परीक्षण अवसंरचना सृजित करना, (ii) भारत में विनिर्माण गहन करना, रोजगार की संभावना की महत्वपूर्ण वृद्धि करने और ऑटोमोटिव इंजीनियरी के साथ सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स में अभिसरण सुविधाजनक बनाते हुए अधिक मूल्यवर्धन का संवर्धन करना; (iii) निर्यातों में बाधाएं हटाकर इस क्षेत्र में भारत की अधिक निम्न वैश्विक पहुंच को बढ़ाना और (iv) ऑटोमोटिव उद्योग के लिए बुनियादी उत्पाद परीक्षण, वैधीकरण और विकास अवसंरचना के अभाव को हटाना है।

इंदौर में एसएई इंडिया और नेट्रिप द्वारा आयोजित बाजा एसएई इंडिया 2010

यह परियोजना निम्नलिखित सुविधाएं स्थापित करने की संकल्पना करती है:

(i) हरियाणा राज्य के मनेसर में ऑटोमोटिव उद्योग के उत्तरी केंद्र के भीतर एक पूर्ण विकसित परीक्षण और अनुसमर्थन केंद्र।

(ii) तमिलनाडु राज्य में चेन्नई के समीप किसी स्थान में ऑटोमोटिव उद्योग के दक्षिणी केंद्र के भीतर एक पूर्ण विकसित परीक्षण और अनुसमर्थन केंद्र।

(iii) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई), उुणे और वाहन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान (वीआरडीई), अहमदनगर में मौजूदा परीक्षण और अनुसमर्थन सुविधाओं का उन्नयन।

(iv) ग्रीष्म और शीतकालन पैड सहित लगभग 4,000 एकड़ भूमि पर विश्व-स्तरीय सिद्धकरण स्थल अथवा परीक्षण ट्रैक, जिनके स्थान का निर्णय वैश्विक निविदा देने की प्रक्रिया के आधार पर नियुक्त किए जाने वाले विख्यात वैश्विक परामर्शदाता की तकनीकी सहायता से लिया जाएगा।

(v) उत्तर प्रदेश राज्य में बरेली में देश के उत्तरी भाग में दुर्घटना आंकड़ा विश्लेषण और विशिष्ट ड्राइविंग प्रशिक्षण की राष्ट्रीय सुविधा के साथ ट्रैक्टरों और सड़क से अलग रहने वाले वाहनों के परीक्षण के लिए राष्ट्रीय केंद्र।

(vi) असम राज्य में धोलचोरा (सिल्चर) में राष्ट्रीय विशिष्ट पर्वतीय क्षेत्र ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र तथा क्षेत्रीय प्रयोगरत वाहन प्रबंध केंद्र।

II अनुमोदित निधिकरण पैटर्न

व्यय वित्त समिति की सिफारिशों और सरकार के अनुमोदन के आधार पर निम्नलिखित तरीकों से सरकार और उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से 1718 करोड़ रुपए का निवेश निधियन किया जाना प्रस्तावित है।

क.	सरकार द्वारा योजना सहायता		
	अनुदान द्वारा	:	817 करोड़ रुपए
	उपकर निधियों द्वारा	:	510 करोड़ रुपए
	ऋण द्वारा	:	273 करोड़ रुपए
ख.	प्रयोक्ता प्रभार ऑटो उद्योग द्वारा अदा किया जाना है।	:	118 करोड़ रुपए
कुल परियोजना लागत (क + ख) :			**1718 करोड़ रुपए**

III प्रारम्भ किए गए मुख्य कार्यकलाप:

- **"नेट्रिप" कार्यान्वयन सोसाइटी (नेटिस) गठित:** परियोजना कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए शामिल करते हुए सचिव, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के नेतृत्व में नेट्रिप कार्यान्वयन सोसाइटी दिनांक 27 जुलाई, 2005 को गठित और पंजीकृत की गई।

- **शासी परिषद्:** शासी परिषद् ने दिनांक 14 अगस्त, 2005 को अपनी पहली बैठक की ओर कार्यान्वयन के लिए आधार निर्धारित किया। तब से शासी परिषद ने परियोजना कार्यान्वयन के मार्ग निर्देशन के लिए 26 बैठकें की हैं।

- **कारपोरेट और कार्यस्थल कार्यालय:** "नेट्रिप" कारपोरेट कार्यालय ने 5वां तल, कोर-3, स्कोप कॉम्पलेक्स, लोदी रोड से दिनांक 30 सितम्बर, 2005 से आगे कार्य करना प्रारम्भ किया। कारपोरेट कार्यालय अब तीसरा तल, भीष्म पितामह मार्ग, एनबीसीसी प्लेस, प्रगतिविहार, लोधी रोड, नई दिल्ली में स्थानान्तरण हो गया है। सभी स्थानों जहां परियोजना कार्यान्वित की जा रही हैं, मे लघु कार्यस्थल कार्यालय भी प्रचलनात्मक हो गए हैं।

- **वैश्विक परामर्श:** स्पेन के "इंडियाडा" के नेतृत्वाधीन परिसंघ का दिनांक 5 नवम्बर, 2005 "नेट्रिप" के लिए वैश्विक परामर्शदाता के रूप में चयन किया गया और "नेट्रिप" तथा "इंडियाडा" के नेतृत्वाधीन परिसंघ के बीच दिनांक 27 जनवरी, 2006 को परियोजना परामर्श करार पर हस्ताक्षर किया गया।

- **परियोजना कार्यस्थल का स्थलाकृति सर्वेक्षण:** वैश्विक परामर्शदाताओं की सहायता से अंतिम रूप दिए गए सर्वेक्षण के लिए विस्तृत तकनीकी विनिर्दिष्टयों के आधार पर सभी परियोजना कार्यस्थलो का स्थलाकृति सर्वेक्षण पूरा किया गया है। स्थलाकृति सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े डीपीआईआर तैयार करने के लिए वैश्विक परामर्शदाताओं को निविष्टि के रूप में प्रदान किए गए हैं।

- **विस्तृत परियोजना कार्यान्वयन रिपोर्ट (डीपीआईआर):** को नोटिस की शासी परिषद् द्वारा अंतिम रूप दिया और दिनांक 25 जुलाई, 2006 को अनुमोदित किया गया। डीपीआईआर परीक्षण कार्यस्थलों के विश्लेषण, बाजार सर्वेक्षण के परिणाम और विभिन्न कार्यकलापों के लिए कार्यान्वयन समय-अनुसूची पर ध्यान केंद्रित करते हुए परियोजना के तकनीकी ढांचे का वर्णन करती हैं।

- **आंतरिक प्रक्रियाएं और कार्यविधियां तैयार करना:** अधिकार प्राप्त समिति और शासी परिषद के निर्देशों के आधार पर कार्यकरण को युक्ति संगत बनाने और परियोजना निष्पादन की क्षमता को इष्टतम बनाने के लिए, बजट और लेखा, कार्यालय कार्यविधियों और अधिप्राप्ति की सुदृढ़ प्रणाली विकसित करने हेतु परामर्शदाताओं को नियुक्त किया गया था। इन कार्यविधिक निश्मपुस्तिकाओं को अब अंतिम रूप दिया गया है और नेटिस शासी परिषद तथा भारी उद्योग विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है।

- **वर्ष 2005-06 और 2006-07 में लिए "नेटिस" का वार्षिक लेखा:** "नेटिस" की शासी परिषद द्वारा अनुमोदन और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा लेखे की लेखा परीक्षा पर अंतिम रिपोर्ट की प्राप्ति पर वार्षिक आम बैठक में अपनाए जाने के बाद वर्ष 2005-06 और 2006-07 के लिए वार्षिक संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किए गए।

- **वर्ष 2007-08 के लिए "नेटिस" का वार्षिक लेखा:** "नेटिस" के ज्ञापन और निम्नावली के खण्ड 89 के अनुसार चार्टर्ड एकाउंटेंट की फर्म द्वारा लेखे की सांविधिक लेखापरीक्षा पूरी होने के बाद वार्षिक लेखे "नेटिस" की शासी परिषद द्वारा इसकी 23वीं बैठक में अनुमोदित किए गए और दिनांक 31 जुलाई, 2008 को आयोजित तीसरी वार्षिक आम बैठक मे अपनाए गए। नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा लेखे की प्रयासीकरण लेख परीक्षा पर अंतिम रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद वार्षिक लेखे और रिपोर्ट शीतकालीन सत्र मे दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किए गए।

- **वर्ष 2008-09 के लिए "नेटिस" का वार्षिक लेखा:** वर्ष 2008-09 के लिए वार्षिक लेखे तैयार कर लिए गए हैं और सांविधानिक लेखा परीक्षा पूरी हो गई है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा लेखे की प्रयासीकरण लेखापरीक्षा पर अंतिम रिपोर्ट के साथ वर्ष 2008-09 के वार्षिक लेखे और वार्षिक रिपोर्ट शीतकालीन सत्र में संसद के दोनों सदन के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

- **परियोजना कार्यस्थलों का भू-तकनीकी सर्वेक्षण:** सभी कार्यस्थलों का भू-तकनीकी सर्वेक्षण पूरा हो गया है।

- **यूनाइटेड किंगडम सरकार के वाहन प्रमाणीकरण प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना:** "नेट्रिप" ने, स्थापित हो रहे केंद्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुसमर्थन सेवाओं के लिए ऑटोमोटिव निर्यातों हेतु अंतर्राष्ट्रीय रूप से वैध प्रमाणीकरण प्रदान के लिए वीसीए और "नेट्रिप" के बीच समझौता ज्ञापन की व्यवस्था करके एक ठोस पहल की है। इस समझौता ज्ञापन पर दिनांक 27 अक्तूबर, 2006 को हस्ताक्षर किया गया और यह ऑटो निर्यात को बढ़ावा देगा तथा भारत से बाहर की एजेंसियों से अंतर्राष्ट्रीय रूप से वैध प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिए उद्योग को आने वाली लागत की बचत भी करेगा। समझौता ज्ञापन को कार्यान्वयन करने के लिए ऑटो उद्योग के साथ गुप्त बैठकों कीशृंखलाएं आयोजित की जा रही है।

- **आईएमएस के लिए आईसीएटी, मानेसर अनुशासित:** अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र (आईसीएटी), मानेसर, गुड़गांव, हरियाणा को अगस्त, 2009 माह में टीयूवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एकीकृत प्रबंध प्रणाली (आईएमएस-आईएसओ:9001:2008, आईएसओ 14001:2007 और ओएचएसएएस 18001:2008) के लिए अनुशांसित किया गया है। ये मानक मूलत: व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के है। आईएमएस के लिए अनुशांसित किए जाने का अर्थ यह है कि इसकी प्रक्रियाएं और पद्धतियां इन अंतर्राष्ट्रीय मानकों की भावना का पालन करती है।

- **एरगोन राष्ट्रीय प्रयोगशाला और "नेट्रिप" के बीच समझौता ज्ञापन** "नेट्रिप" ने हाल ही में कर्मचारियों के आदान-प्रदान सहित सार्वजनिक रूप से उपलब्ध अनुसंधान आंकड़ों और सहयोगात्मक भ्रमण से सूचना के आदान-प्रदान के माध्यम से इंजन दहन प्रौद्योगिकी मिश्रण, उत्सर्जन प्रौद्योगिकियों आदि जैसे तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग के लिए संयुक्त राज्य ऊर्जा सक्षम परिवहन तथा स्वच्छ परिवहन ईंधनों के वाणिज्यीकरण के मूल्यांकन और संवर्धन के लिए आर्थिक और नीतिगत अध्ययनों पर संयुक्त अनुसंधान कार्यकलापों के लिए विषयों की पहचान भी शामिल होंगे।

- **वीआरडीई, अहमदनगर में ईएमसी प्रयोगशाला को चालू करने और सौंपने का कार्य:** माननीय मंत्री और माननीय भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री की सम्माननीय उपस्थिति में दिनांक 16 अगस्त, 2009 को पूरा हुआ। एबीएस परीक्षण मार्ग मार्च, 2010 तक पूरे किए जाने निर्धारित हैं।

वीआरडीई, अहमदनगर में ईएमसी लैब

- "नेट्रिप" की 1718 करोड़ रुपए की परियोजना, जो संपूर्ण भारत में 7 स्थानों में विश्व-स्तरीय आधुनिक परीक्षण, अनुसमर्थन और अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित करने की संकल्पना करती हैं, के अधीन 498.28 करोड़ रुपए के कार्य पूरे हो गए हैं और इस प्रकार से वर्ष 2011 के अंत तक पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए सभी कार्यस्थलों में कार्य उन्नत चरण पर हैं।

IV "नेट्रिप" के संभावित लाभ

"नेट्रिप" का लक्ष्य भारतीय ऑटोमोटिव क्षेत्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक पर ध्यान देना है और इसलिए इसके द्वारा इस क्षेत्र में रोजगार की संभावना खोलते हुए भारत में विनिर्माण पर मुख्य बल प्रदान करना संभावित है। परियोजना से अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्याशित कुछ मुख्य लाभ निम्नानुसार हैं:-

(क) महत्वपूर्ण रूप से वाहन सुरक्षा, उत्सर्जन और कार्य निष्पादन बढ़ाने के लिए वर्ष 2015 तक अनिवार्य होने के लिए प्रत्याशित मौजूदा उभरते हुए ऑटोमोटिव मानकों की तुलना में वाहनों और संघटनों के परीक्षण के लिए विश्व-स्तरीय अवसंरचना की उपलब्धता।

(ख) उद्योग का आधुनिकीकरण करते हुए वैश्विक वाहन सुरक्षा, उत्सर्जन और कार्य निष्पादन मानकों में प्रवेश करने के लिए सरकार के समर्थनकारी प्रयास।

(ग) इस मुख्य क्षेत्र में भारत की वैश्विक उपस्थिति के विस्तार के लिए ऑटोमोटिव इंजीनियरी के साथ सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत की शक्तियों का अभिसरण।

(घ) अधिक मूल्यवर्धन का संवर्धन करते हुए उसके द्वारा क्षेत्र रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण वृद्धि करके भारत में ऑटोमोटिव विनिर्माण को गहरा बनाना।

(ङ) निर्यातों से बाधा दूर करते हुए और उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धी बनाते हुए इस क्षेत्र में भारत की अत्यंत निम्न वैश्विक पहुंच में वृद्धि करना।

(च) भारत के भीतर न केवल भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग परंतु वैश्विक ऑटोमोबाइल और संघटक विनिर्माताओं, जिन्हें इस पूर्व-प्रतिस्पर्धी अनुसंधान और विकास अवसंरचना का लाभ उठाना प्रत्याशित है, द्वारा भी बष्टहत अनुसंधान और विकास प्रयासों का सुविधीकरण और संवर्धन।

(छ) सामान्य राजकोष में इस क्षेत्र के वर्तमान राजकोषीय अंशदान में महत्वपूर्ण वृद्धि।

(ज) विदेशी सुविधाओं में निर्यात योग्य वाहनों के परीक्षण पर इस समय व्यय किए जा रहे लगभग 180 करोड़ रुपए के वार्षिक व्यय में बड़ी बचत करना।

(झ) ऑटो नीति को बढ़ावा देने में ऑटोमोबाइल और ऑटो संघटकों के लिए वैश्विक बाह्य स्रोत के आधार के रूप में भारत के प्रादुर्भाव के हित के लिए महत्वपूर्ण अंशदान।

भारत में सड़क दुर्घटनाओं में प्रति वर्ष 1,00,000 से अधिक लोगों की मृत्यु होती है। योजना आयोग के एक अनुमान के अनुसार इन सड़क दुर्घटनाओं से राष्ट्रीय अथव्यवस्था को प्रति वर्ष 55,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आती है। "नेट्रिप" का लक्ष्य वाहनों की बेहतर सुरक्षा और कार्यनिष्पादन रूपरेखा सुनिश्चित करना है। इसकी लागत पूर्णत: वसूल हो जाएगी यहां तक कि अगर यह अल्प मात्र में भी सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु कम करने में सहायता करता है।

ऑटोमोटिव क्षेत्र भारत में सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है। इसके 1.30 करोड़ का रोजगार विनिर्माण के बढ़ाने और निर्यात क्षमता, जिसे "नेट्रिप" प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है, के उपयोग से बढ़ सकता है। छ: पहियों वाला प्रत्येक ट्रक 13.3 व्यक्तियों, प्रत्येक यात्री कार 5.3 व्यक्तियों और प्रत्येक दोपहिया 0.49 व्यक्तियों की रोजगार क्षमता सृजित करता है। विशेषज्ञों द्वारा किए गए आकलन के अनुसार वृद्धि के मौजूदा स्तर पर भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग इस समय प्रति वर्ष लगभग "लारा की रोजगार क्षमता की वृद्धि कर रहा है। इस प्रकार, इसमें रोजगार सृजन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने की क्षमता है बशर्ते कि बुनियादी बाधाओं पर ध्यान दिया जाता है।" "नेट्रिप" इस महत्वपूर्ण आवश्यकता का प्रत्युत्तर देता है। "भारत में ऑटोमोटिव विनिर्माण में वृद्धि उछाल के कारण प्रत्याशित राजकोषीय लाभ भी पर्याप्त हैं। इन कुछ लाभों को मात्रकृत करने का प्रयास किया गया है, जो अन्य प्रगामी उपायों से संयोजन से देश को प्राप्त होंगे। जबकि संपूर्ण वृद्धिकारी विकास के पूर्वानुमान को विशेष रूप से "नेट्रिप" पर आरोप्य नहीं माना जा सकता फिर भी वृद्धि की पर्याप्त रूप से बड़ी संभावनाएं "नेट्रिप" अवसंरचना, जिसे विशेषज्ञों द्वारा मुख्य उत्प्रेरक कारकों में से एक के रूप में देखा जाता है, की स्थापना से उभरता प्रत्याशित हैं।"

भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग 2010-11

पैरामीटर	वर्तमान स्तर	कार्यरत समूहों द्वारा प्रोजेक्शन	एक्सपर्ट रिपोर्ट द्वारा अनुमानित भार	नेट्रिप को देय इंक्रिमेंन्टल *पॉसिब्लिटी*
निवेश (यूएस बिलियन)	12	17	28	11
कारोबार (यूएस बिलियन)	32	56	108	52
निर्यात (यूएस बिलियन)	3	3	32	29
रोजगार (बिलियन)	13	16	38	22

वृद्धिकारी राजकोषीय लाभ: यह प्रत्याशा है कि ऑटोमोटिव विनिर्माण में उछाल के कारण उत्पाद शुल्क संग्रहण वर्ष 2002-03 में 12,500 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2010-11 तक 30,000 करोड़ रुपए और बिक्री कर संग्रहण 9,000 करोड़ रुपए से 22,000 करोड़ रुपए हो जाएगा।

IV (क) : अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी उन्नयन

"नेट्रिप" केंद्र न केवल वैश्विक ऑटोमोटिव परीक्षण मानकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे बल्कि प्रौद्योगिकियों के उभरते क्षेत्रों में उन्नत अनुसंधान के लिए कई "उत्कृष्टता केंद्र" भी स्थापित करेंगे। "उत्कृष्टता केंद्र" भारतीय ऑटोमोटिव दक्षताओं को अगली पीढ़ी तक ले जाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत की सुदृढ़ता का उपयोग भी सुविधाजनक बनाएंगे।

"नेट्रिप" के अधीन योजनाबद्ध उत्कृष्टता के उन्नत अनुसंधान और विकास केंद्र निम्नानुसार हैं:

(1) मानेसर केंद्र
- क. सामग्री
- ख. ध्वनि, कम्पन और सख्ती

(2) चेन्नई केंद्र
- क. निष्क्रिय सुरक्षा
- ख. विद्युत-चुम्बाकीय संगतता
- ग. इन्फोट्रॉनिक्स

(3) एआरएआई, पुणे
- क. थकान
- ख. पावर ट्रेन
- ग. सामग्री

(4) इंदौर प्रूविंग ग्राउंड
- क. वाहन गतिकी

"नेट्रिप" सुविधाएं निम्नलिखित सहित नए संघटकों के विकास की पूर्ण प्रक्रिया की पूर्ति करेंगी:

(I) अनुसंधान कार्य नीति: बाजार लक्षित और निवेश/अ. और विकास कार्यकलाप बाह्य स्रोतों से कराना।

(II) संकल्पना विकास : शैलीकरण, डिजाइन और इंजीनियरिंग।

(III) उत्पाद विकास : लागत की कमी, गुणवत्ता सुधार।

(IV) औद्योगिकीकरण, लागत कटौती, गुणवत्ता सुधार

(V) उत्पाद अवधि : गुणवत्ता और थकान।

"नेट्रिप" के अनुसंधान एवं विकास के सभी परीक्षण केंद्रों में विश्व-स्तरीय परीक्षण सुविधाएं होंगी और इसका लक्ष्य विश्व के विभिन्न भागों से ग्राहकों को आकर्षित करना भी है। इन केंद्रों को ऊपर उल्लिखित क्षेत्रों में उन्नत अनुसंधान में भी शामिल किया जाएगा और उनका प्रौद्योगिकी उन्नयन में सहयोग होगा।

राय बरेली केंद्र में स्थापित हो रहा दुर्घटना आंकड़ा विश्लेषण केंद्र आंकड़ा संग्रहण और विश्लेषण में पुलिस और अन्य संगत हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। यह केंद्र दुर्घटना पुनर्निर्माण, कारण विश्लेषण में भी शामिल होगा और उपचारात्मक कार्रवाई करने में सहायता करेगा।

प्रयोगरत वाहन प्रबंधन केंद्र और सिल्चर में स्थापित हो रहा पर्वतीय ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र प्रयोग में सुरक्षित वाहनों को विकसित करने और सुरक्षित ड्राइविंग में भी सहायता करेंगे।

5.1.2 केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अनुसंधान एवं विकास की पहलें

भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रौद्योगिकी उन्नयन और अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के कुछ अन्य मुख्य कार्यक्रमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(1) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल)

वर्ष के दौरान आंतरिक अनुसंधान और विकास के माध्यम से विकसित उत्पादों और प्रणालियों के वाणिज्यीकरण द्वारा 5571 करोड़ रुपए का कुल कारोबार प्राप्त किया गया। उन उत्पादों और प्रणालियों, जिन्हें पिछले पांच वर्षों के दौरान वाणिज्यीकरण किया गया है, के लिए ही क्रेडिट लिया गया है।

अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों पर 690 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई है। इसमें से 677.3 करोड़ रुपए का खर्च नए उत्पाद और प्रणाली विकास तथा लागत प्रभावोत्पादकता और उच्चतर विश्वसनीयता, क्षमता, उपलब्धता, गुणवत्ता आदि के लिए मौजूदा उत्पादों में सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए राजस्व व्यय पर किया गया है। इसके अतिरिक्त, अनुसंधान एवं विकास के लिए पूंजी परिसंपत्तियों की खरीद के लिए 12.7 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है।

वर्ष के दौरान किए गए कुछ महत्वपूर्ण विकास निम्नानुसार हैं:

- ग्राहक की आवश्यकताओं के उपयुक्त सतत रूप से सुनिर्मित डिजाइन प्रदान करते हुए "भेल" ने 120-150 मेगावाट की सीमा में एक स्टीम टर्बाइन की नई डिजाइन विकसित की है। घटे हुए विनिर्माण चक्र समय के अतिरिक्त, नया एकल सिलिंडर पुन: उष्मन टर्बाइन सुगठित डिजाइन के साथ सुधरी हुई भार क्षमता प्रदान करता है, जिससे संस्थापन को लागत में कमी आती है।

- ग्राहकों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए एक्साइटर्स की सीमा का विस्तार करते हुए, 250 मेगावाट टर्बो जेनरेटरों के लिए स्थायी चुम्बक, जेनरेटर के साथ एक अधिक विश्वस्तरीय ब्रुशरहित एक्साइटर की डिजाइन तैयार, विकसित और विनिर्मित किया गया है। नया एक्साइटर घटा हुआ विनिर्माण चक्र समय, बेहतर गतीय व्यवहार और अधिक सक्षम कार्यस्थल प्रचालन जैसे लाभ प्रदान करता है।

- एसटीआरआई, लुडपिका, स्वीडन में आंतरिक रूप से विकसित 320 केएन/420 केएन एचवीडीसी डिस्क इंसुलेटर के सफल परीक्षण के बाद "भेल" विश्व मे ऐसे इंसुलेटर का एकमात्र विनिर्माता बन गया है। ग्राहक की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए डिस्क इंसुलेटरों के अपने रेंज में वृद्धि करने के लिए भी "भेल" ने देश में पहली बार 800 के वी खोखले इंसुलेटरों का विकास किया है। इन इंसुलेटरों का प्रयोग 765 केवी अति उचच वोल्टता एसी पारेषण प्रणालियों में किया जाएगा।

- इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर (ईएसपी) के लिए अत्याधुनिक कंट्रोलर्स। ये कंट्रोलर्स आवश्यक फीडबैक संकेत उत्पन्न करने के लिए बहु इनपुट प्रहस्तन करने में दक्ष हैं ताकि ईएसपी का प्रचालन इष्टतम हो सके, आपरेटर के हस्तक्षेप पर निर्भरता न्यूनतम की जा सके और सतत कार्य निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके।

- सुपर क्रिटिकल विद्युत संयंत्रों के लिए उत्पादों की संपूर्ण हेतु प्रौद्योगिकी स्थापित करने के अपने प्रयास के भाग के रूप में "भेल" ने 1,000 मेगावाट के विद्युत संयंत्रों के लिए एक डिरेटर की डिजाइन तैयार औ विकसित की है। यह आंतरिक विकास न केवल सुपर क्रिटिकल उपस्कर की उभरती हुई आवश्यकता पर ध्यान देना बल्कि इससे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ प्रौद्योगिकी करार की आवश्यकता समाप्त करके पर्याप्त बचत भी होगी।

- सुगठित, मितव्ययी और अधिक सक्षम 2 सिलिंडर वाले टर्बाइनों की मांग और प्रौद्योगिकीय प्रवृत्ति पर ध्यान देने के लिए "भेल" ने 500-650 मेगावाट टीजी सेटों का रेंज शामिल करने के लिए एचपी-आई का संयोजिक मॉड्यूल विकसित किया है। इस मॉड्यूल का विकास "भेल" को सब-क्रिटिकल पैरामीटर के साथ 500-650 मेगावाट के आउटपुट रेंज में अपनी व्यावसायिक क्षमता बढ़ाते हुए तकनीकी रूप से अधिक प्रतिस्पर्धी डिजाइन प्रदान करेगा।

- कैप्टिव विद्युत संयंत्र के लिए तकनीकी विशेषज्ञता विकसित किया और साथ-साथ 120 मेगावाट रेटिंग की 3 यूनिटों से आइलैंडिंग प्रचालन पहली बार प्रदर्शित किया। यह विकास विद्युत की उपलब्धता पर ध्यान देता है और ग्राहक को ग्रिड की विफलता की दशा में कैप्टिव संयंत्र से अबाधित विद्युत प्राप्त करने में ग्राहक को समर्थ बनाता है।

- एफडी अनुप्रयोग के लिए रेडिकल फैन (बीएबी1 शृंखला-एनडीवी 20 बीएबी1) के लिए डिजाइन विकसित की। यह फैन प्ले ब्लेडयुक्त डिजाइन की तुलना में उच्चतर क्षमता वाला बैकवार्ड एरोफॉयल ब्लेड युक्त है।

- जल विद्युत परियोजनाओं में उत्थापन चक्र समय काफी कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया। "भेल" ने हाइड्रो टर्बाइन के लिए साइट वेल्डेड स्टे रिंग की नई सुगठित डिजाइन विकसित की हैं, जो मध्यम/उच्च हेड स्टेरिंग के लिए 45% भार की कमी जैसे बहु लाभ प्रदान करती है और भूमिगत खंदकों में सीमित स्थान में अर्ध-आवरण वाली व्यवस्था करने की अनुमति देती है। इस संकल्पना का अनुप्रयोग बड़े आकार वाली परियोजनाओं में भी किया जा सकता है।

- अपने ग्राहकों के लाभ के लिए बॉयलरों की विश्वसनीयता बढ़ाने के प्रयास में "भेल" ने सुपर क्रिटिकल दाव दशाओं में उष्मा अंतरण अध्ययन करने के लिए एक सुपर क्रिटिकल परीक्षण उन्नत अनुसंधान सुविधा स्थापित की है। यह सुविधा मितव्ययी विद्युत उत्पादन के लि संपूर्ण विश्व में विचार की जा रही अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल बॉयलर आवश्यकताओं का विश्लेषण करने में भी दक्ष है। यह सुविधा अगले दो दशकों में भारत सुपर क्रिटिकल बॉयलरों की प्रौद्योगिकी आवश्यकता पूरी करेगी।

- अनयिमित अथवा अवृत्ताकार संघटकों को वृत्ताकार के रूप में वेल्डिंग करने में दक्ष नई चुम्बकीय प्रेरित आक्रबट (एमआईएबी) स्वचालित वेल्डिंग प्रक्रिया स्थापित की है। यह एक नया विकास है और प्रक्रिया क्षमता सुधारने के अतिरिक्त इससे सम्मिलित वस्तुओं और अशुद्धताओं से युक्त निम्न विकृति वाली वेल्डिंग हो सकेगी।

- सशस्त्र सेवाओं को आने योगदान के रूप में "भेल" ने भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों के लिए एक सुगठित 2.4 टीपीडी आरको-आधारित लवणीकरण मुक्ति संयंत्र स्किड (समुद्री जल के लिए उपयुक्त जल निस्पंदन प्रणाली) विकसित की है।

- "भेल" ने उन कुछ कंपनियों जो "पीटीएफआई बंधन प्रक्रिया" रखती हैं, के विख्यात समूह का भाग बनने का अद्वितीय ख्याति प्राप्त की है। इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग हाइड्रो जेनरेटरों का बल वहन के 3 स्तर पैड के लिए किया जाता है।

- दक्षता निर्माण पहल के रूप में "भेल" ने सफलतापूर्वक "ईएमयू के लिए 3 फेज आईजीबीटी आधारित इलेक्ट्रिक के लिए 1326 केवीए, ट्रांसफॉर्मर उपस्कर के लिए महत्वपूर्ण मानदंड "उत्पादन की तुलना में भार" अनुपात में सुधार किया है। "भेल" ने आंतरिक रूप से सफलतापूर्वक" नई रेटिंग के 600 मेगावाट वाले विद्युत संयंत्रों के लिए तापीय चक्र के विकास की डिजाइन पूरी की है।

- "भेल" ने "भाविनी 500 मेगावाट पीएफबीआर परियोजना" के लिए उष्मा दर के संगठन हेतु पहली बार "पीजी परीक्षण स्कीम और विधि" सफलतापूर्वक पूरी की है। इस विकास से न्यूक्लिअर विद्युत परियोजनाओं के लिए इंजीनियरी चक्र समय में कमी होगी।

"भेल" में अनुसंधान एवं विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर के संस्थान

(क) सेरामिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सीटीआई), बंगलूरु

इस परियोजना का उद्देश्य भारतीय सेरामिक उद्योग की अपनी प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण करने और उन्नत सेरामिक्स के नए उत्पाद विकसित करना है। सीटीआई में अनुसंधान के क्षेत्र, नेनो-प्रौद्योगिकी, पृथक्करण प्रौद्योगिकी, माइक्रोवेव प्रसंस्करण, संयंत्र संबद्ध जांच और विशेष परियोजनाओं से संबद्ध हैं। यह संस्थान कुछ मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों नामत: मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट, जर्मनी; यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा, सं. रा. अ. और एनआईईएफएस, जापान के साथ घनिष्ठ रूप से कार्य करता रहा है। सीटीआई में कुछ मुख्य विकास हैं, कोर्डिएराइट किल्न फर्नीचर, सेरामिक

विश्व में पहली बार बीएचईएल ने ± 800 केवी एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइनों के लिए 320 केएन एवं 420 केएन डिस्क इंसुलेटरों को सफलतापूर्वक विकसित एवं जांच की है

आर्मर, उत्प्रेरक कन्वर्टर के लिए सेरामिक हनीकॉम्ब; डीजल विविक्त पदार्थ फिल्टर और सेरामिक प्रेषण माध्यम। अनुसंधान और विकास के चल रहे मुख्य प्रयास औद्योगिक जल शोधन के लिए छिद्रदार सेरामिक, गैस पृथक्करण और विविक्त पदार्थ के लिए मेम्ब्रेप, नेनो एडिटिव्स के साथ मिश्रित इंसुलेटर्स और नेनो-सामग्री संश्लेषण, अभिन्न कॉलरों के साथ सेरामिक फिल्टर कैंडल निर्मित करने की नई प्रक्रियाओं पर है। सीटीआई ने नेनो-आकारमुक्त और छिद्रदार सेरामिक चूर्ण के संश्लेषण के लिए हेज-प्रज्जवलित स्प्रे पाइरोलाइसिस प्रणाली और सेरामिक फिल्टर कैंडल के लिए बर्स्ट सुदृढ़ता परीक्षण सुविधा भी स्थापित की है।

कई विकासात्मक परियोजनाएं निष्पादन के विभिन्न चरणों में है, यथा, स्टेशन पोस्ट इंसुलेटररों का शुष्कन और माइक्रोवेव प्रसंस्करण द्वारा बड़ी मात्रा में सिन्टरिंग, नवीन सामग्रियों का विकास और कार्बहाइड्रॉक्सइड ग्रहण के लिए मेम्ब्रेन।

(ख) विद्युत परिवहन केंद्र (सीईटी), भोपाल

विद्युत परिवहन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए परियोजना जुलाई, 1988 में भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा अनुमोदित की गई थी। केंद्र की दक्षता विद्युतीय चालित वाहनों का कार्य निष्पादन, विश्वसनीयता और क्षमता सुधारने के लिए उनकी डिजाइन के सभी पहलुओं का विश्लेषण और परीक्षण करने के लिए विकसित की गई है।

दूसरी कुछ उपलब्धताओं में अंगोला के लिए केप गेज डीईएमयू का संयुक्त प्रणाली परीक्षण, रेलवे के लिए 1500 वोल्ट डीसी/25 केवी एसी दोहरी वोल्टता वाले ईएमयू के लिए जीटीओ आधारित 3-फेज ड्राइव प्रणाली का संयुक्त प्रणाली परीक्षणए भारतीय रेलवे के लिए 4000 अश्वशक्ति के डीजल विद्युत इंजन हेतु आयात प्रतिस्थापी ट्रैक्शन एलटरनेटर का परीक्षण शामिल है।

(ग) प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान (पीसीआरआई), हरिद्वार

प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान (पीसीआरआई) की स्थापना भारी उद्योग विभाग द्वारा संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के अधीन शीर्ष एजेंसी के रूप में भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) के साथ की गई थी। पीसीआरआई का उद्देश्य जल, ध्वनि और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्रों में पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण हैं। इस संस्थान को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार और कई राजय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा पर्यावरण प्रयोगशाला के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस संस्थान ने पौधे की प्रजातियों के स्थानों के लिए पर्यावरणी दिशा निर्देशों की तैयारी, हरिद्वार और उज्जैन में कुंभ मेला के दौरान गंगा और शिप्रा नदी में जनता द्वारा स्नान का प्रभाव, गंगा और चयनित मार्ग में पष्ठिचमी यमुना नहर के लिए नदी जब गुणवत्ता आकलन, ताप विद्युत संयंत्रों से भारी धातु उत्सर्जन का आकलन जैसे औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकियां विकसित करने के लिए कई अनुसंधान और विकास परियोजनाएं प्रारम्भ की है। चालू मुख्य अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में ताप विद्युत संयंत्रों से निस्सारियों का लक्षण वर्णन, सूक्ष्म-जैवविज्ञानिक विश्लेषण के लिए उन्नत सुविधाओं का विकास, उत्तराखंड के कुमाऊँ क्षेत्र में नदी के जल का गुणवत्ता आकलन, धूम्र उत्सर्जन का आकलन और ताप विद्युत संयंत्रों धूम्र उत्सर्जन के नियंत्रण के लिए पर्यावररीध दिशानिर्देश तैयार करना शामिल है।

क्षमता निर्माण ओर संसाधन विकास के भाग के रूप में राज्य/ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और मुख्य उद्योगों के अधिकारियों के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अध्ययन, जल गुणवत्ता अनुवीक्षण नेटवर्क डिजाइन और गुणवत्ता आश्वासन, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर पूर्व में सीपीसीबी से सहयोग से पीसीआरआई द्वारा कई प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए हैं।

यह संस्थान ताप विद्युत संयंत्रों, पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन और तेल टर्मिनल आदि जैसी बड़े आकार वाली औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करने के लिए एक वर्षीय व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अध्ययन निष्पादित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चालू ईआईए अध्ययन में सूरतगढ़ चरण-V छाबरा, चरण-II , गिराल चरण-III, आरवीयूएनएल का रामगढ़ चरण-III, यूपीआरवीयूएनएल का ओबरा "सी" पनकी, यूपीपीसीएल का बारा और करछाना, अनकबोरी यूनिट 8, जीएसईसीएल का सिनोर और सारा खाड़ी, बीएआरसी का न्यूक्लिअर ईंधन प्रसंस्करण संयंत्र शामिल है।

पीसीआरआई "भेल" द्वारा आपूर्ति किए जा रहे पूर्ण पेकेज के भाग के रूप मे विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों के लिए पर्यावरणीय और रासायनिक प्रयोगशाला की स्थापना करने में भी सक्रिय रूप से शामिल हैं। हाल ही में पीसीआरआई ने बेलारी-I और संथालडीह यूनिट-5 के लिए पर्यावरणीय प्रयोगशाला स्थापित की है। विभिन्न विद्युत संयंत्रों के लिए हाथ में/निष्पादन के लिए ऑर्डर में चंद्रपुरा यूनिट 7 और 8, में जिनया फेज-II, जीआईपीसीएल, डीएसटीपीएस, दुर्गापुर, हजीरा, कोडरमा, आनपारा "डी" पिपावव, ओटीपीसी, नॉर्थ चेन्नई और अयंता मांदर शामिल हैं।

(घ) वेल्डिंग अनुसंधान संस्थान (डब्ल्यूआरआई) तिरुचिरापल्ली

देश में अपने किस्म का केवल एक वेल्डिंग अनुसंधान केंद्र (डब्ल्यूआरआई) पारम्परिक आर्क वेल्डिंग के लिए सुविधाओं के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन और लेजर बीम फ्लैश बट फ्रिक्शन और प्लाज्मा वेल्डिंग जैसी अत्याधुनिक वेल्डिंग अनुसंधान सुविधाओं से सज्जित है। इसके अतिरिक्त, इसके पास थकान परीक्षण, अपशिष्ट दबाब मापन, अवशिष्ट अवधि अनुमान आदि के लिए उन्नत परीक्षण सुविधाएं हैं। यह संस्थान इसरो, भारतीय रेलवे, रक्षा और सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में उद्योगो को सेवाएं प्रदान करता रहा है। यह संस्थान विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संघों/संगठनों, मुख्य ग्राहकों और अनुसंधानकर्ताओं के साथ वेल्डिंग संबद्ध क्षेत्रों में हुए विकास की भागीदारी और प्रकाशित

करने के लिए घनिष्ठ संपर्क बनाए रखता है।। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सकरार की सहायता से वेल्डरों के लिए कुशलता विकास कार्यक्रम भी संचालित करता हैं यह संस्थान केंद्रीय बॉयलर बोर्ड, भारत सरकार के अनुसार वेल्डरों के प्रशिक्षण तथा परीक्षण के लिए एक अनुमोदित केंद्र है। संस्थान कार्यरत इंजीनियरों और तकनीशियनों के लिए नियमित आधार पर वेल्डिंग और गैर-विनाशक परीक्षण के लिए प्रशिक्षण/प्रभावीकरण कार्यक्रम संचालित करता है।

डब्ल्यूआरआई द्वारा निष्पादित मुख्य चालू अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में रिंग हेडर फैब्रिकेशन के लिए प्रयुक्त "सॉ" में कोल्ड वायर जोड़ना, बॉयलर के संघटकों के लिए एचवीओएफ और वायर स्प्रेइंग प्रौद्योगिकी का विकास, मोटे खण्ड वेल्डिंग के लिए टेन्डम दोहरा वायर "सॉ", सुपर क्रिटिकल और अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल और अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल बॉयलरों के लिए सामग्रियों में फैब्रिकेष्ठान की कार्यविधियों का विकास, फ्रिक्ष्ठान स्टिट वेल्डिंग प्रौद्योगिकी का विकास, अनियमित अथवा अवृत्ताकार संघटकों को वष्टत्ताकार के रूप में वेल्डिंग करने में दक्ष "चुम्बकीय रूप से प्रेरित आर्क बट (एमआईएबी)" स्वचालित वेल्डिंग प्रक्रिया की स्थापना, रोबोटिक टाइम ट्विन प्रौद्योगिकी आदि शामिल है। कार्यस्थल में बॉयलर और टर्बाइन पाइपिंग की वेल्डिंग के लिए कक्षीय जीएमएडब्ल्यू/एफसीएडब्ल्यू प्रौद्योगिकी का विकास एक और महत्वपूर्ण विकास है, जो निष्पादनाधीन है।

(2) भारत हेवी प्लेट एण्ड वेसल्स लिमिटेड (बीएचपीवी)

अप्रैल से सितम्बर, 2009 के दौरान अनुसंधान और विकास की निम्नलिखित उपलब्धियां हैं:

क. मैसर्स एचएएल बंगलूरु के लिए "तेजास" विमान के श्रृंखला उत्पादन (एसपी) के लिए कंपैक्ट हीट एक्सचेंजरों का निर्माण, परीक्षण और आपूर्ति चल रही है। मैसर्स एचएएल, बंगलूरु के लिए 104.83 लाख रुपए मूल्य के 9 कंपैक्ट हीट एक्सचेंजरों का निर्माण, परीक्षण और आपूर्ति की गई।

ख. एडीए, बंगलूरु के लिए 10 प्रिकूलर्स और 8 एफएडीएसी कूलर्स का निर्माण, परीक्षण और आपूर्ति। एडीए, बंगलूरु को 26.35 लाख रुपए मूल्य के 1 प्रिकूलर्स और 2 एफएडीईसी कूलर्स का निर्माण, परीक्षण और आपूर्ति की।

ग. प्रिकूलर्स के लिए किस्म अनुमोदन सितम्बर, 2009 माह में सेना उड़ान योग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सीईएमआईएलएसी), बंगलूरु द्वारा प्रदान की गई।

(3) टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल)

इस समय कंपनी अन्य निजी टायर विनिर्माताओं की ओर से विकसित विनिर्दिष्टियों के अनुसार शत-प्रतिशत जॉब कार्य कर रही है। टायरों का विनिर्माण जॉब देने वालों द्वारा उनकी अनुसंधान और विकास पहलों के माध्यम से किया जाता है।

टीसीआईएल ने हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के संबंध में जॉब देने वालों द्वारा नियत मानदंडों और मानको को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है।

टीसीआईएल ने एक गुणवत्ता प्रबंध प्रणाली स्थामित की है, जो अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रणाली मानक आईसओ 9001:2000 के अनुपालन में है।

(4) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, जयपुर (आरईआईएल)

वर्तमान प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरण में गुणवत्ता अनुसंधान और विकास के माध्यमसे व्यावसायिक कार्यनीति के साथ स्पष्टता सरेखित अभिनव परिवर्तन और उत्पाद सुधार उल्लेखनीय विकास का मुख्य चालक हैं इस परिप्रेक्ष्य में, कंपनी का अनुसंधान और विकास विभाग, जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा मान्यताप्राप्त है, ग्राहकों की विशिष्टि आवश्यकताओं का ध्यान प्रदान कर रहा है। नए उत्पादों के विकास के अतिरिक्त, अनुसंधान और विकास मौजूदा उत्पादों और प्रक्रियाओं के संबंध में विभिन्न आंतरिक एजेंसियों को इंजीनियरी समर्थन प्रदान करता रहा है।

(5) एचएमटी लिमिटेड

एचएमटी ने उत्पाद प्रौद्योगिकी सुधारने और उत्पाद की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने पर ध्यान रहित विभिन्न उत्पादों की अनुसंधान और विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अपनी सभी विनिर्माण इकाइयों में अनुसंधान और विकास केंद्र स्थापित किया है।

अनुसंधान और विकास ग्राहक की बेहतर सेवा करने और

उत्पादकता सुधारने के अपने प्रयास में कंपनी का ध्यान देने वाला क्षेत्र हैं उत्पाद प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता, विश्वसनीय और मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता में ग्राहक की आवश्यकताओं के विशेष संदर्भ में प्रत्येक सहायक कंपनियों में अनुसंधान और विकास कार्यकलाप किए जाते हैं। अतिरिक्त विशेषता, डिजाइन इष्टतमीकरण और सुरुचिपूर्णहा में सुधार के साथ मौजूदा उत्पादों का उन्नयन बल देने वाले मुख्य क्षेत्र हैं। इस पहल से कई नए उत्पादों का विकास और मौजूदा उत्पादों का उन्नयन भी हुआ है।

एचएमटी के अधिकार क्षेत्र के विभिन्न उत्पाद क्षेत्रों मे किए गए/योजनाबद्ध अनुसंधान और विकास कार्यकलापों की विशिष्टता निम्नानुसार है:

(6) एचएमटी ट्रैक्टर्स

- नई विशेषताओं के साथ एचएमटी 6522 ट्रैक्टर मॉडल का विकास किया गया है:
- एचएमटी ट्रैक्टर्स के इंजनों का विकास 25.50 अश्वशक्ति के लिए ट्रैक्टर उत्सर्जन मानदंड भारत (ट्रेम) चरण-IIIए की पूर्ति के लिए मैसर्स एआरएआई, पुणे द्वारा किया जा रहा है, जो दिनांक 01.04.2010 से और 50 अश्वशक्ति और उससे अधिक के लिए 01.04.2011 से लागू होगा।
- ट्रैक्टर मॉडल 3522 एफएक्स में पावर स्टियरिंग का विकास
- पोर्टल और हाइड्रोलिक ब्रेक के साथ ट्रैक्टर मॉडल 4022 ईडीआई विकसित
- शेरावेटर जैसे ट्रैक्टर उपकरण का विकास किया जा रहा है

(7) एचएमटी मशीन टूल लिमिटेड

कंपनी पे सभी विनिर्माण इकाइयों के डिजाइन और विकास विभाग में 3डी कैड सॉफ्टवेयर और अनुसंधान और विकास केंद्र, बंगलूरु के लिए फिनीट एलीमेंट एनेलेसिस (एफईए) सॉफ्टवेयर पैकेज चालू किया है।

उत्पाद विकास

- एनसी रूप सतह ग्राइंडर, मॉडल; एसएफडब्ल्यू एनसी 1
- हैवी ड्यूटी सीएनसी लेथ, मॉडल, एचडीएल 70/7000
- निर्यक टेबल के साथ कोणीय व्हील हेड ग्राइंडर मॉडल: जीएनसी 20/1000
- टूल रूम और प्रशिक्षण केंद्र के लिए उर्ध्वाकार मशीनिंग केंद्र
- गैन्ट्री स्वचालन के साथ बिलेट मशीनिंग के लिए एसबीसीएनसी 30
- न्यूमेटिक कंट्रोल के साथ 4 रंग वालर मुद्रण मशीन मॉडल: एसओएम 436
- ओडी मापन के लिए बहु व्यास प्रक्रियारत गेजिंग सहित बाह्य और आंतरिक ग्राइंडिंग के लिए सीएनसी यूनिवर्सल बेलनाकार ग्राइंडिंग मशीन
- व्हील स्पिंडल स्लीव संचलन के साथ सीएनसी हेवी ड्यूटी डबल डिस्क ग्राइंडिंग
- सीएनसी हेवी ड्यूटी आंतरिक ग्राइंडिंग मशीन (बोर व्यास 300 मि. मी., बोर गहराई-200 मि. मी.)
- सीएनसी हेवी ड्यूटी बेलनाकार ग्राइंडिंग (स्विंग व्यास 840 मि. मी.; केंद्र से पूरी - 3000 मि. मी. और जॉब वजन 2 टन)
- मिल टर्न सेंटर-एबीसी - 5200 मि. मी. (स्विंग और टॉप प्लेट - 900 मि. मी. मुख्य स्पिंडल पावर-90 केडब्ल्यू, मिलिंग स्पिंडल पावर-55 केडब्ल्यू)

(8) एचएमटी वाचेज लिमिटेड

वर्ष के दौरान घड़ियों के 51 नए मॉडलों की डिजाइन की गई और उनका विकास किया गया।

(9) एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड

वर्ष के दौरान उत्पादन लाइन में सीएनसी मशीनों को शामिल किया गया जिससे घड़ी के खोल जैसे कुछ मुख्य संघटकों के विनिर्माण में सुविधाओं का उन्नयन हुआ।

(10) एचएमटी बेयरिंग्स लिमिटेड

एचएमटी बेयरिंग्स में अनुसंधान और विकास का फोक्स उत्पाद प्रौद्योगिकी में प्रगामी रूप से आत्म-निर्भरता प्राप्त करना और अतिरिक्त विशेषताओं के साथ मौजूदा उत्पादों का उन्नयन करना है। पुवो में देशी रूप से उपलब्य नए/कस्टम-निर्मित बेयरिंग्स के लिए बेयरिंग अवधि परीक्षण सुविधाओं तक पहुंच अब शीघ्र परीक्षण सुविधाजनक बना रही है और नए उत्पादों/अनुप्रयोगों के क्षेत्र परीक्षणों के लंबे चक्र से बचाती है।

(11) नेपा लिमिटेड

कंपनी का अनुसंधान और विकास डीएसआईआर से पंजीकृत है और यह संगठन का मुख्य केंद्र है। नेपा लिमिटेड में किए गए अनुसंधान और विकास कार्य ने कंपनी को एक नया आयाम दिया है। पहले नेपा पुरान समाचारपत्रों और अभ्यास पुस्तिकाओं के फर्निश मिश्रण से मितव्ययी गुणवत्ता के अखबारी कागज, ओवर इशू (आयातित) समाचारपत्रों और अभ्यास पुस्तिकाओं के फर्निश मिश्रण से ब्लीचिंग रसायनों के संयोजन से मानक गुणवत्ता वाले अखबारी कागज का विनिर्माण कर रहा था। अनुसंधाान और विकास के कई आंतरिक प्रयोगों के बाद

उसका संयंत्र परीक्षण फलदायी सिद्ध हुआ और इस समय "नेपा" पुराने समाचारपत्रों (अभ्यास पुस्तिका रहित) से मितव्ययी गुणवत्ता वाले अखबारी कागज और पुराने समाचारपत्रों तथा केवल ब्लीचिंग रसायनों से मानक गुणवत्ता वाले अखबारी कागज का विनिर्माण कर रहा है और इस प्रकार अभ्यास पुस्तिकाओं, जो बहुत महंगी हैं, की लागत पर बचत कर रहा है।

व्हाइट वाटर विविधीकरण ने अखबारी कागज के चमकीलेपन के सुधार में वृद्धि की है, जो अब 39-42% की चमकीलेपन की सीमा से बढ़कर 42-44% हो गई है। इससे न केवल सुधरा हुआ चमकीलापन प्राप्त हुआ बल्कि मशीन के चालन की उत्कृष्टता में भी वृद्धि हुई तथा नेपा के अखबारी कागज में ग्राहकों का विश्वास बढ़ा। इस विधि का अन्य लाभ डिफेयर, सिलिमीसाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल जैसे आसंजकों की खपत में बचत है।

(12) हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल)

i. एनपीएम और सीपीएम में अनुसंधान और विकास

निम्नलिखित और सीपीएम में अनुसंधान और विकास

- विभिन्न सांद्रण स्तरों पर ब्लैक लिकर का डिसिलिकेशन
- व्यय किए गए सल्फ्यूरिक अम्ल के अलौह फिटकरी के प्रतिस्थापन द्वारा कागज के आकार ओर बनावट पर प्रभाव का अध्ययन
- निस्सारी में भार घटाने के लिए डीएपी इष्टतमीकरण
- भाग कम करने के लिए उच्च पीएच के डिफोमर
- फाइबर प्राप्त करने के लिए स्क्रू प्रेस रिजेक्ट का उपयोग
- एनपीएम में पेपर मशीन चतुख्र रिजेक्ट से उच्च ठोस पदार्थ की निकासी रोकने के लिए स्थैतिक जांच

ii. हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएनएल) में अनुसंधान और विकास

विशिष्ट क्षेत्र जिसमें अनुसंधान और विकास किए गए

- पारम्परिक डिलिंकिग की तुलना में श्रेणी-वार अपशिष्ट कागज डिलिंकिंग का अध्ययन
- पुन:चक्रित फाइबर की रंग स्ट्रिपिंग के लिए प्रकाश बोरो हाईड्राइड अन्त: रोपण का प्रयोग
- मिल के आसपास के क्षेत्र में भू-तल गुणवत्ता आकलन

iii. एनपीएम और सीपीएम में प्रौद्योगिकी आमेलन, अनुकूलन और अभिनव परिवर्तन

- प्रौद्योगिकी आमेलन, अनुकूलन और अभिनव परिवर्तन के प्रयास किए गए
- वैकल्पिक आकार देने वाले एडिटिव्स, चमकीला और सफेद बनाने वाले अभिकारकों से उच्च चमकीलेपन वाले कागज का विनिर्माण
- सोडा हानि और झाग निर्माण कम करने के लिए प्रक्षालन सहायक रसायन

लाभ

- ऑप्टिकल सफेद करने वाले अभिकारक, उच्च चमकीलेपन के लिए टेल्कम पाउडर, पिगमेंट डाई जैसे उच्च क्षमता वाले कम करने वाले आसंजकों के प्रयोजनो चमकीलेपन की स्तर में 87-88% की वृद्धि हुई थी।
- प्रयोगशाला स्तर परीक्षण किया गया - परिणाम प्रोत्साहनजनक

(13) हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लि. (एचईसी)

विशिष्ट क्षेत्र, जिनमें कंपनी द्वारा अनुसंधान और विकास कार्यकलाप किए गए थे, का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(i) **बीएसएल बोकारो के लिए 450 टन का क्रेन:** बीएसएनएल, बोकारो के लिए विकसित परिवर्ती वोल्टता परिवर्ती आकृति नियंत्रण के साथ आईपीएसएस के अनुसार उच्चतम उत्तोलन गति सहित 450+100/20 टन, 19 मीटर स्पैन और 450+100/16 टन, 25 मीटर स्पैन वाले डब्य धातु होल्डिंग क्रेन विकसित किए गए। डाउन शॉप लीड (ईओटी क्रेनपावर स्रोत) सुरक्षित अनुरक्षण और प्रचलनात्मक कार्य के लिए 3.3 केवी फेस्टून केबल से सज्जित है। क्रेन की नियंत्रण प्रणाली 690 वोल्ट और 415 वोल्ट में परिवर्तित करने के लिए प्लेटफॉर्म पर दो ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। 30 मीटर लंबे वीवीवीएफ कंट्रोल पैनल लगाने के लिए क्रेन में डबल डेकर प्लेटफॉर्म होना होगा। इसके अतिरिक्त, पहली बार, मोटरयुक्त तार रस्सी स्नेहल तथा स्वचालित रेल स्नेहन प्रणालियां प्रदान की जा रही हैं, जो तार की रस्सी और चक्कों की अवधि बढ़ाएंगी। क्रेन में निरंतर प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए दोहरे ड्राइव के साथ मुख्य उत्तोलक (450 टन), दोनों ड्राइव ब्रेक अथवा रस्सी के आउटपुट शाफ्ट की खराबी के मामले में दुर्घटना से बचने के लिए दोनों रस्सी ड्रम पर आपातकालीन डिस्क ब्रेक और द्रव धातु का वजन करने के लिए लोड सेल जैसी अतिरिक्त विशेषताएं भी होनी चाहिएं।

ऐसी विशेषताओ सहित क्रेन की भारत में पहली बार डिजाइन तैयार की गई है और उसका विकास किया गया है।

(ii) **बीएसएल बोकारो के लिए 15 + 15 टन, 28 मीटर स्पैन ग्रैब और मैग्नेट ट्रॉली**

इस क्रेन में दो ट्रॉलियां होती हैं, जो टकराव से बचने के लिए लेजर प्रचालित टकराव-रोधी उपकरण से समान

स्तर पर संचलित होती हैं। एक ट्रॉली में स्क्रैप के प्रहस्तन के लिए 1.6 मीटर व्यास को वृत्ताकार चुम्बक होता है, जिसे पोजिटिव चालित केबल रीलिंग ड्रम (सीआरडी) के माध्यम से प्रचालित किया जाएगा। दूसरी ट्रॉली में कोयला तेल में बंद करने और खोलने तथा साथ ही ग्रैब होगा और इस उत्तोलन/नीचे उतारने के लिए दो ड्रम होते हैं। सभी कार्यरत में सूक्ष्मगति प्राप्त करने के लिए थाईरिस्टर कंट्रोल होता है। इस क्रेन के लिए दाबकृत और संवातित चौड़ा गर्डर बॉक्स (2.6 मीटर ऊँचा और 2 मीटर चौड़ा तथा 29.5 मी. लंबा) डिजाइन किया गया है और सभी कंट्रोल पैनल इन दाबकृत गर्डरों के भीतर रखे जाते हैं।

(iii) **बीएआरसी के लिए विशेष इस्पात फोर्जिंग:** एचईसी ने अति स्वच्छ गुणवत्ता वाले सबसे भारी आकार के धातुपिंड (120 टन) का विकास किया है, अत्यधिक नियंत्रित अशुद्धताओं और गैसीय तत्वों को अत्यधिक निम्न स्तर तक नियंत्रित किया गया है। सामग्री की फोर्जिंग की गई, उष्मा शोधित किया गया और विनाशक तथा गैर-विनाशक परीक्षणों द्वारा योग्य बनाया गया। इस फोर्जिंग के विकास के लिए एचईसी ने अपने पास उपलब्ध सुविधाओं से वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए कई अभिनव प्रौद्योगिकीय समाधान विकसित किए हैं। इनमें से कुछ ये (i) उपलब्ध गलन भट्ठियों से बैचों में द्रव इस्पात बनाना, (ii) अपने पास उपलब्ध वीएडी भट्ठियों की सीमित क्षमता से बैचों में द्रव इस्पात का शोधन (iii) इस्पात निर्माण, विशेष रूप से निर्यात के बहुत कम स्तर पर इस्पात का शोधन शामिल होता है, के प्रत्येक चरण के दौरान हाइड्रोजन जैसे हानिकारक गैसीय तत्वों का नियंत्रण (iv) उपलब्ध प्रेस क्षमता के साथ धातु पर कार्य करने में समर्थ होने के लिए भारी धातुपिंड की आंशिक अपसेटिंग की प्रौद्योगिकी का प्रयोग और (v) उष्मा शोधन प्रौद्योगिकी विकास और बड़ी सेक्शन मोटई में एमएच धातुकर्म और यांत्रिक गुण प्राप्त करना।

(14) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड (आईएल)

पिछले दस या इतने ही कुछ वर्षों के दौरान कंपनी अनुप्रयुक्त अनुसंधान और विकास कार्यकलापों पर बल देती रही है क्योंकि कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंटेशन में बुनियादी अनुसंधान और विकास अंत प्रयोक्ताओं, जो बड़े प्रक्रिया उद्योग हैं, द्वारा ''सिद्ध प्रौद्योगिकी'' के आग्रह के कारण व्यापक रूप से लागे नहीं किया जा सकता है। तथापि, इलेक्ट्रॉनिक बेलास्ट लाइट सेंसिंग स्विचिंग उपकरण, उच्चक्षमता के कंट्रोल वाल्व, कंपैक्ट स्प्रिंग वाहित एक्चुएटर और उनके परिवर्ती, शीघ्र परिवर्तन ट्रिम सहित दाब संतुलित कंट्रोल वाल्व (जो 500 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम सहन कर सकते हैं) जैसे विभिन्न उत्पादन, नोज फयूज, आरपीएल डोसीमीटर रीडर, फायरिंग उपकरण आदि जैसे रक्षा सेवा की मदें विकसित की गई हैं। ये सभी उत्पाद रेंज में वृद्धियां हैं।

पलक्कड़ इकाई ने बेला सील्ड वाल्व विकसित किया है, जो न्यूक्लियर विद्युत अनुप्रयोग के लिए एक महत्वपूर्ण नियंत्रण अनुभव है। इस इकाई ने इसके लिए डीजीटीडी से आयात प्रतिस्थापन पुरस्कार प्राप्त किया।

पूर्व वर्षों कोटा यूनिट ने निम्नलिखित उत्पादों के लिए आयात प्रतिस्थापन पुरस्कार प्राप्त किया है:

- न्यूक्लियर अनुप्रयोग के लिए सोलेनॉयड वाल्व
- गली हुई धातु का तापक्रम मापने के लिए थ्रोअवे
- थमोकिपल्स
- मिनेच्योर इलेक्ट्रॉनिक इंडिकेटर

इसने वर्धित अनुसंधान और विकास कार्यकलापों और उत्पादों में और सुधार करने तथा आयातित प्रौद्योगिकी पर निर्भरता कम करने के लिए भी इंजीनियरी दक्षता के विकास के माध्यम से तकनीकी दक्षता विकसित भी है। आईएल ने विशेष सोलोनॉयड वाल्व और फ्लो नोजल, जिनका न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन की नरोरा, आरएपीपी और एमएपीपी इकाइयों द्वारा व्यापक प्रयोग किया गयाा हे, विकसित किया है।

(15) भारत पम्पस एण्ड कंप्रेसर्स लिमिटेड (बीपीसीएल)

कंपनी अपने सभी उत्पाद रेंज में बाजार का हिस्सा बढ़ाने के लिए अपेक्षित प्रौद्योगिकीय और इंजीनियरी उन्नयन का कार्य पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2008-09 के दौरान प्रौद्योगिकी उन्नयन, डिजाइन और विकास के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में की गई प्रगति निम्नानुसार है:

- पहली बार हाइड्रोकॉम नामक स्टपलेस क्षमता नियंत्रण प्रणाली के लिए इंजीनियरी कार्य, जिसे सीपीसीएल, चेन्नई यूरो-IV परियोजना को आपूर्ति किए जा रहे 4 एचएफ/2 कम्प्रेसर में लगाया जाएगा।
- मैसर्स आरसीएम के लिए 450 केवी मोटरों हेतु अपेक्षित पर्जिंग किट की अधिप्राप्ति के लिए विद्युतीय इंजीनियर कार्यकलाप पहली बार ग्राहकों, विजेताओं और सुचीबद्ध विक्रेताओं के परामर्श से सफलतापूर्वक पूरा किया गया।
- हमारी इंजीनियरी दक्षता बढ़ाने के लिए मैसर्स ईआईएल ने 160 केवी रेटिंग तक के मोटरों की ड्राईंग/दस्तावेज अनुमोदित करने के लिए हमारी विद्युतीय डिजाइन को प्राधिकृत किया है जिससे अनुमोदन के समय में काफी बचत हुई है।

- थर्मल डिजाइन और सेल और ट्यूब उष्मा एक्सचेंजरों के लिए एचटीआरआई सॉफ्टवेयर प्राप्त करके डिजाइन और विकास कार्यकलापों को उन्नयन किया गया है।

(16) बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल)

कंपनी ने सीमेंट संयंत्रों में इस्पात और रोटरी क्लिन में उष्मा की संख्या वृद्धि के लिए अल्युमिना मैग्नेशियम कार्बन और मैग्नेशियम अल्युमिना ईंटों के स्तरोन्नयन हेतु सहयोगात्मक अनुसंधान के लिए सीजीसीआरआई के साथ करार किया है। इसके अतिरिक्त, वैगन विनिर्माता यूनिटों ने भी भारतीय रेलवे के लिए स्टेनलेस स्टील के वैगनों का विमर्नाण करने के लिए अवसंरचना विकसित की है।

(17) ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड (बीसीएल)

बीसीएल रेलवे के लिए स्टेनलेस स्टील के वैगनों तथा साथ ही निजी क्षेत्र और समुद्रपारीय ग्राहकों के लिए भी वैगन का विनिर्माण करने हेतु मौजूदा अवसंरयना को विकसित/ पुनः मार्जित करने का प्रयास कर रहा है। बीसीएल प्रौद्योगिकी उन्नयन आदि से ब्रिज गर्डर निर्माण, कॉलम संरचना विनिर्माण, सिविल संरचना, क्रेन विनिर्माण जैसे अपने गैर-मुख्य क्षेत्र के प्रचालन में भी प्रवेश कर रहा है।

(18) ब्रेथवेट, बर्न एण्ड जेसप कंसट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे)

केबल स्टेड ब्रिज सहित स्टील ब्रिज के विनिर्माण क्षेत्र में सामान्य प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त कंपनी ने ब्लॉक अवधि के दौरान चालन लाइन पर पूर्व के स्टील ब्रिज को बहुत अल्पावधि में नव निर्मित गर्डरों से प्रतिस्थापित करने के लिए एक प्रभावी निर्माण स्कीम विकसित की है। यह नव-विकसित स्कीम का अनुप्रयोग पूर्वी रेलवे की परियोजनाओं में सफलतापूर्वक किया गया है। हाल ही में बीबीजे ने 60एम/450एमटी ट्रस्ड ब्रिज का अग्र प्रारंभ विकसित किया है, जिसका प्रयोग सफलतापूर्वक डीएमआरसी की परियोजना में किया गया था।

(19) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीबीयूएनएल)

व्यावसायिक वातावरण में समूह के नेतृत्व की स्थिति बनाए रखने के लिए यह एक चालू प्रक्रिया है। बीएससीएल का सेलम वर्क्स लेड्ल्स इम्पेक्ट जोन के लिए कार्बन ईटो, विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए निम्न लागत वाली मैग्नेशियम क्रोम ईओ और मैग्नेशियम क्रोम स्पिनेल आधारित प्रेरक फर्नेस रैनिंगमास विकसित करने का प्रयास कर रहा है। इसके अतिरिक्त वैगन विनिर्माता कंपनियां भारतीय रेलवे के लिए स्टेनलेस स्टील के वैगन और निजी क्षेत्र तथा समुद्रपारीय ग्राहकों के लिए भी वैगनों को विनिर्माण विकसित कर चुकी है। अवसरंचना विकास और अन्य संबद्ध क्षेत्रों में विविधीकरण का प्रयास कर रही है।

(20) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई)

सीसीआई के प्रचालनरत संयंत्रों में सुस्थापित प्रयोगशालाएं हैं, जहां गुणवत्ता और प्रचालनात्मक पैरामीटर बनाए रखने/सुधारने के लिए लक्षित कच्ची सामग्रियों और उत्पादों का भौतिक और रसायनिक परीक्षण नियमित आधार पर किया जाता है। स्वीकृत स्कीम के भाग के रूप में तंदूर इकाई का प्रौद्योगिकी उन्नयन और बोकाजन का विस्तार (जो इकाई का प्रौद्योगिकी उन्नयन शामिल करता है) का कार्यान्वयन हाथ में लिया गया है।

(21) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (एचपीएफ)

नए उत्पाद विकास, उत्पाद/प्रक्रिया सुधार, प्रौद्योगिकी उन्नयन, आयात प्रतिस्थापन और लागत की कमी करने के लिए अनुसंधान और विकास कार्यकलाप किए गए थे। 14 विशिष्ट रसायनों के संबंध में कंपनी की आवश्यकताएं उनका कार्बनिक संश्लेषण इकाई में विनिर्माण करके पूरी की जाती है, जिनसे लागत में 63 लाख रुपए की बचत हुई। अनुसंधान और विकास में विकसित जानकारी से और कम विलेपन भार से बड़े पैमाने पर मैडिकल एक्स-रे (नीला) को वाणिज्यीकरण किया गया था।

मेडिकल छायाचित्रण फिल्म (पैंक्रोमेटिक), डिजीटल एक्स-रे फिल्म, पोलिएस्टर सब्ड बेस, इंकजेटपेपर, लेजर प्रिंटर फिल्म और ग्राफिक कला रेड लेजर स्केनर फिल्म के लिए संयंत्र परीक्षण चल रहे हैं और ये उत्पाद शीघ्र ही वाणिज्यिकीकृत किए जाएंगे।

(22) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआई)

कंपनी अपने प्रचालनों में अद्यतन प्रौद्योगिकीय विकास और अभिनव परिवर्तन, जो इसके व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे हैं, का अनुप्रयोग और आत्मसात करने में अपना प्रयास जारी रखती है। टर्नकी परियोजना निष्पादक संगठन के रूप में, ईपीआई उन्नतशील प्रौद्योगिकियों की चुनौती का सामना करने के लिए भारतीय दक्षता, सामग्रियां और विधियां विकसित करने के लक्ष्य से अपनी डिजाइन और इंजीनियरी कार्याकलाप संगठित करने का उद्देश्य रखता है। कार्यकलापों का ध्यान उन्नत प्रौद्योगिकियां अपनाते समय लागत की कमी प्राप्त करने जैसे उत्पादन चक्र में कार्यनिष्पादन और क्षमता सुधारने पर केंद्रित हैं।

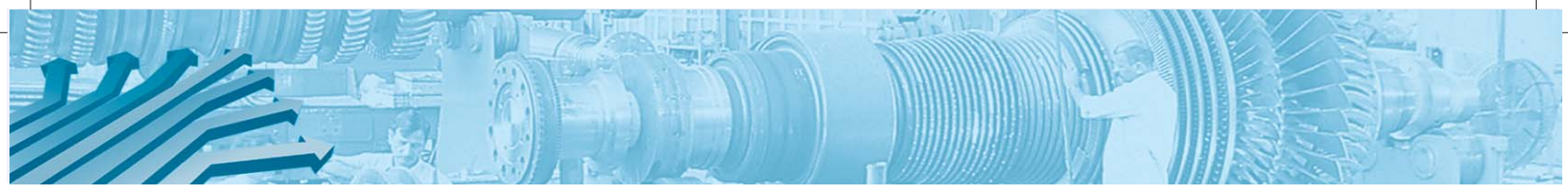

विशिष्ट बल डिजाइन की सुधरी हुई विशेषताएं तैयार करने तथा आयात पर निर्भरता कम करने के साथ भारतीय दशाओं में सामग्रियों के प्रयोग पर दिया जाता है।

ईपीआई निम्नलिखित क्षेत्रों में विख्यात प्रौद्योगिकी प्रयायकों/पमरार्शदाताओं के साथ सहयोग की संभावनाएं खोज रहा है:

(क) जन तीव्र मार्ग प्रणाली

(ख) न्यूक्लियर विद्युत परियोजनाएं

(ग) विलवणीकरण संयंत्र

(घ) तेल और पेट्रो-रसायन परियोजनाएं

(23) ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (बीएण्डआर)

कंपनी निरंतर रूप से अधिकतम लागू सीमा तक अनुसंधान और विकास प्रयासों के साथ प्रौद्योगिकी को अद्यतन करने और गुणवत्ता मानकों के उन्नयन के लिए कार्रवाई करती रही है।

कंपनी ने गुणवत्ता प्रबंध प्रणाली के उन्नयन के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया है। कंपनी को टैंक निर्माण और बेली ब्रिज तथा वैगनों के विनिर्माण में आईएसओ 9001-2000 प्रमाण पत्र से पुरस्कृत किया जा चुका है। बाह्य लेखापरीक्षक मैसर्स डीएनवी द्वारा आवधिक रूप सफलतापूर्वक निगरानी लेखापरीक्षण की गई है।

(24) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (एसआईएल)

उत्पाद विकास:

- ग्रिब्स जी-400 डब्ल्यूजी जल-प्रशीतित इंजन का प्रयोग करते हुए सीएनजी और एलपीजी में अनुप्रयोग के लिए तिपहिए का विकास
- ग्रिब्स जी-435 ए-III वायु-प्रशीतित इंजन का प्रयोग करते हुए डीजल तिपहिए का विकास
- अप्रैल 2010 से लागू बीएस-III उत्सर्जन मानदंडों के अनुरूप तिपहियों के मौजूदा का उन्नयन

प्रौद्योगिकी उन्नयन

- जागृति परियोजना के अधीन कोई समस्या नहीं वाहन संकल्पना के लिए डिजाइन और प्रक्रिया परिवर्तन के माध्यम से सुधार के लिए अभिज्ञत प्रणाली/उप-प्रणाली का कार्यान्वयन/संघटकों में वेल्ड किया गया चेसिस फ्रेम, बेल्ड किया गया अगला टॉर्क, एक्जहॉस्ट प्रणाली, वेल में बूबी क्लच सब-एसेम्बली आदि।
- ईओआई के माध्यम से सहयोगी कार्य द्वारा डिजाइन विशेषताओं में सुधार, संघटकों में कंट्रोल केबल, शॉक एब्जॉर्बर, फ्रंट फेशिया, पूर्ण क्लच एसेम्बली आदि शामिल हैं।

(25) एन्ड्रयूल एण्ड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल)

कंपनी में आंतरिक अनुसंधान और विकास सुविधाओं का मुख्य ध्यान घरेलू बाजार के समतुल्य मौजूदा उत्पादों का निरंतर उन्नयन करने तथा साथ ही निर्यात बाजार में अवसर प्राप्त करने पर है। उनके कार्य में नए उत्पाद का विकास, उत्पाद विस्तार और उपरी रेज के लिए परीक्षण प्रमाणपत्रों का वैधीकरण और उसके बाद प्रोटोटाइप का विकास और वाणिज्यीकरण है। कंपनी का अनुसंधान और विकास ढांचे की वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा मान्यता दी गई है। कंपनी के विभिन्न प्रभागों द्वारा किए गए अनुसंधान और विकास कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:

विशिष्ट क्षेत्र, जिनमें कंपनी द्वारा अनुसंधान और विकास किया गया था :

(क) इंजीनियरी प्रभाग ने औद्योगिकी पंखों के निम्नलिखित सहायक उपकरण विकसित किए हैं:

- 10½" दाब पोषित ब्हाट मेटल बेचरिंग
- इनलेट साइलेंसर आकार 700X2100 मिमी, 1500X6000मिमी और 600X1800 मिमी

(ख) विद्युत प्रभाग ने निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास कार्यकलाप किए हैं:

- 1600 एम्पियर 11केवी इन्डोर वीसीबी का डिजाइन उन्नयन और परीक्षण
- 33केवी पीसी वीसीबी का डिजाइन उन्नयन
- कैपेसिटर बैंक स्विचिंग परीक्षण के लिए यूल एचईएजी निर्मित 11केवी, 20केए, 630 आउटरडोर वीसीबी का वैधीकरण परीक्षण
- उपयुक्त रूप से आंतरिक आर्क के लिए कम चौड़ाई और स्पष्ट डिबायुक्त इन्क्लोजर के लिए 12केवी वीसीबी इन्डोर पैनल की पुन: इंजीनियरीयुक्त डिजाइन
- आरई गैस भरण का प्रावधान करने के लिए 36 केवी आउटडोर वीसीबी की पुन: इंजीनियरीकृत डिजाइन
- महत्व इंजीनियरी और एबीबी इंटरप्टर अपनाने के लिए 36केवी आउटडोर वीसीबी की पुन: इंजीनियरीकृत डिजाइन

(26) द्रव नियंत्रण अनुसंधान संस्थान (एफसीआरआई), केरल

द्रव नियंत्रण अनुसंधान संस्थान (एफसीआई) प्रवाह मापन संबद्ध सेवाओं और समाधान में एक प्रमुख सुविधादाता संस्थान है। एफसीआरआई में प्रवाह केन्द्र प्रवाह मापन के लिए लगाए गए योग्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर कार्य करता हैं, जो विश्व में प्रवाह सुविधाओं का सर्वाधिक व्यापक सेट है और भारत में उद्योग के लिए एक अद्वितीय संसाधन प्रदान करता है। सभी सुविधाएं अंशांकन, मूल्यांकन और अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों के लिए मुक्त है।

एफसीआरआई ने संयुक्त परियोजना, गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के माध्यम से तेल और गेस क्षेत्र, जल उद्योग, विद्युत उद्योग, प्रक्रिया/विनिर्माण क्षेत्र, ऑटोमोटिव क्षेत्र, अनुसंधान और विकास संगठनों आदि से सुदृढ़ संपर्क विकसित किया है। एफसीआरआई उद्योगों/शैक्षणिक संस्थाओं के लिए प्रवाह मापन के व्यावहारिक पहलुओं पर नियमित सेमिनार, कार्यशालाएं, ऑनलाइन प्रशिक्षण और सम्मेलन संचालित करता है, जिन्हें लाभार्थियों को उच्च दर्जा प्राप्त ज्ञान समर्थन माना जाता है।

संस्थान प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं पूरी करता है और अभी तक उसने स्वयं को परामर्श, परीक्षण, प्रमाणीकरण और निजी तथा सरकारी क्षेत्र के संगठनों के लिए प्रशिक्षण जैसी अनुमोदित प्रौद्योगिकीय सेवाओं के लिए समर्पित विशिष्ट द्रव इंजीनियरी अनुसंधान संस्थाओं में से एक बनाते हुए 130 परियोजनाएं पूरी की हैं।

यह संस्थान प्रवाह मापन प्रणालियों/इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए राष्ट्रीय प्रमाणीकरण निकाय के रूप कार्य करता है। यह आईएसओ 9000 / आईएसओ 17025 श्रृंखलाओं के मानदंड के अनुसार गुणवत्ता अनुपालन प्राप्त करना।

एफसीआरआई को अपनी सुविधाओं के लिए राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से निम्नलिखित मान्यता प्राप्त है :

- द्रव प्रवाह मापन (चिन्हांकन और परीक्षण), यांत्रिक मापन और विद्युतीय-तीपय मापन के क्षेत्र में एनएबीएल का मान्यताकरण
- एनएमआई, नीदरलैंड ने प्रमाणित किया है कि एफसीआरआई के क्लोज्ड लूप एयर टेस्ट फेसीलिटी (सीएलएटीएफ-20 बार, 400 घनमीटर/घंटा) में किया गया। गुणवत्ता प्रणाली, चिन्हांकन और प्रवाह मापन आईएसओ/आईईसी 17025 के अनुसार चिन्हांकन प्रयोगशालाओं के लिए मानदंड का अनुपालन करता है।
- भारतीय मानक ब्यूरो ने बीआईएस प्रमाणीकरण अंक स्कीम के अधीन उत्पादों के नमूनों का परीक्षण करने के लिए एफसीआरआई को मान्यता प्रदान की है।
- डीएसटी और डीएसआईआर ने एफसीआरआई को प्रवाह मापन के लिए अनुसंधान और विकास संस्थान के रूप में मान्यता दी है।
- तोल और माप विभाग, नागरिक आपूर्ति विभाग ने मात्रा मापन उपकरणों और ओआईएमएल मानकों के अनुसार तेल और गैस कस्टडी अंतरण के लिए हाइड्रोकार्बन उद्योग हेतु प्रवाहमापी के ''मॉडल अनुमोदन'' के लिए मान्यता दी है।
- मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर ने सेफ्टी रिलीफ वाल्वों के परीक्षण के लिए एफसीआरआई को अनुमोदित किया है।
- अंडरराइटर्स लेबोरेटरी, सं.रा.अ. ने अग्निशमन उपस्कर के परीक्षण और उत्पाद सुरक्षा प्रमाणीकरण के लिए एफसीआरआई को अनुमोदित किया है।
- विदेश मंत्रालय (आईटीईसी) और आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय (कोलम्बो योजना), ने विदेशियों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के लिए एफसीआरआई को प्राधिकृत किया है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ध्वनि सीमाओं के अनुपालन के लिए किस्म अनुमोदन हेतु पेट्रोल, किरासन और डीजल जेनरेटर सेटों के प्रमाणीकरण के लिए एफसीआरआई को अनुमोदित किया है।
- आईएसओ 9001:2000 के लिए जीसीएएस गुणवत्ता प्रमाणीकरण।

एफसीआरआई ने उद्योग को समर्पित सेवा के दो से अधिक दशक पूरे कर लिए हैं और अधिक ऊंचाई प्राप्त करने तथा इसे सर्वे बढ़ते हुए ग्राहक आधार को बेहतर और तत्काल सेवा प्रदान करने के मार्ग पर अग्रसर हैं। यह रिपोर्ट द्रव नियंत्रक अनुसंधान संस्थान में विभिन्न कार्यकलापों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है।

अध्याय 6

अ.जा./अ.ज.जा./ अ.पि.व./ विकलांगों और अल्पसंख्यकों का कल्याण

6.1 इस विषय पर सरकार के निर्देशों के आलोक में अल्पसंख्यकों के कल्याण का संवर्धन करने के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के दायित्व के संबंध में यह विभाग अत्यधिक सजग है। अ.जा./अ.ज.जा./ अ.पि.व.; विकलांग व्यक्तियों और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए नियुक्ति/पदोन्नतियों में आरक्षण के संबंध में सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का इस विभाग के अधीन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अनुपालन किया जाता है।

6.2 भारत सरकार की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन का उचित अनुवीक्षण करने के लिए निदेशक/उप-सचिव के स्तर पर एक संपर्क अधिकारी के पर्यवेक्षण में एक अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कक्ष कार्यरत है। यह कक्ष केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में आरक्षण रोस्टर का वार्षिक निरीक्षण करने के लिए भी उत्तरदायी है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में कार्य बल में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों से बड़ी संख्या में व्यक्ति शामिल होते हैं। कार्य बल की मुख्य धारा में उनके एकीकरण पर सभी केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में बल दिया जाता है और उनकी जाति, वर्ग अथवा धार्मिक मतों के कारण उनमें कोई विभेद नहीं किया जाता है। रिहायशी आवास जैसी सुविधाओं के रूप में सभी कर्मचारियों को समान माना जाता है।

6.3 हर वर्ष ''कौमी एकता/सद्भावना दिवस'' आयोजित किया जाता है; जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित समाज के सभी वर्गों के लोग एकजुटता, राष्ट्रीय एकता एवं सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए भाग लेते हैं।

6.4 इस विभाग के अधीन प्रचालनरत सभी केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को ''विकलांग व्यक्ति'' (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के उपबंधों का पालन करने का सुझाव दिया गया है। भारी उद्योग विभाग के अधीन अधिकांश केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम रूग्ण / घाटा उठा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में बहुत सीमित भर्तियां हुई हैं। फिर भी, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम जब भी कोई भर्ती की जाती है इन अनुदेशों को ध्यान में रख रहे हैं।

6.5 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा विकलांग व्यक्तियों के कल्याण का संवर्धन करने के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा जारी अनुदेशो का पालन करने के प्रयास किए जाते हैं। विकलांग व्यक्तियों को विशेष वाहन भत्ता, भूतल रिहायशी आवास, व्यावसायिक कर के भुगतान से छूट, आने-जाने की परिवहन सुविधा, चिकित्सा उपस्करों और सामान्य चिकित्सा सहायता के प्रावधान जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। दृष्टिहीन व्यक्त्यिों को ब्रेल प्रतीक चिन्ह प्रदान किए जाते हैं और वे टेलीफोन बूथ चलाने, बेंत की कुर्सी की मरम्मत आदि के कार्य में लगे हैं। मंद बुद्धि बच्चों और दृष्टिहीन लोगों के लिए विशेष स्कूल चलाए जा रहे हैं। ये सुविधाएं उन्हें अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करने में समर्थ बनाने और मुख्य धारा के कार्यबल में उनका एकीकरण सुविधाजनक बनाने के लिए प्रदान की जा रही हैं।

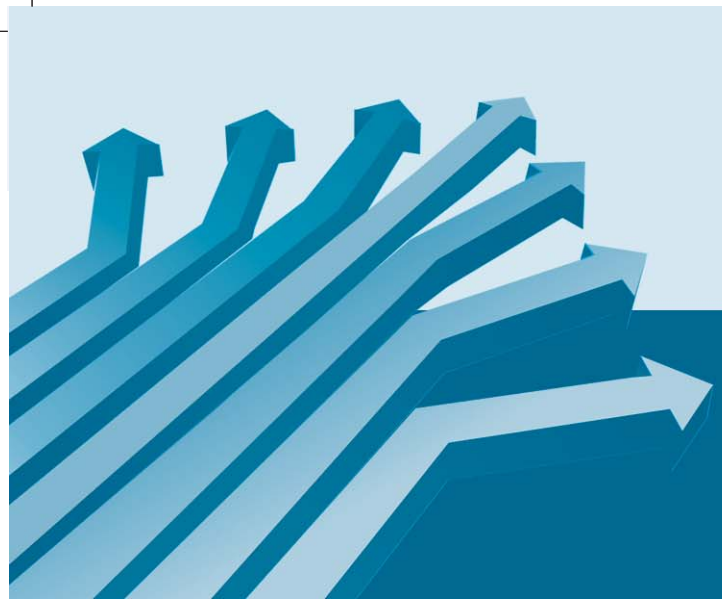

अध्याय 7

महिलाओं का सशक्तिकरण/कल्याण

7.1 भारी उद्योग विभाग और इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम यह सुनिश्चित करने का सतत प्रयास करते है कि महिलाओं के साथ किसी भी कारण भेदभाव नहीं किया जाए। सभी कर्मचारियों को भारत के संविधान में वर्णित लिंग समानता और न्याय के सिद्धांतों के प्रति जागरूक बनाया जाता हैं।

7.2 विशेषकर महिला कर्मचारियों के मानव अधिकारों के संबंध में जागरूकता सृजित करने के लिए विभाग ने लिंग समानता के अधिकारों के संरक्षण और उसे लागू करने तथा कामकाजी महिलाओं को न्याय देने के लिए सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए एक शिकायत समिति गठित की है। विभाग महिला कर्मचारियों को बैठकों, संगोष्ठियों, प्रतियोगिताओं और प्रशिक्षण आदि जैसे सभी कार्यकलापों में स्वतंत्र रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे उन्हें कार्य बल की मुख्य धारा में शामिल करने में सहायता मिलती है।

अध्याय 8

सतर्कता

8.1 सतर्कता कार्यकलाप किसी संगठन की एक अनिवार्य आवश्यकता है। विभाग तथा साथ ही केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और उसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संगठनों के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों पर गौर करने के लिए विभाग में संयुक्त सचिव स्तर का एक मुख्य सतर्कता अधिकारी है। उसकी सहायता सतर्कता अनुभाग के साथ एक निदेशक और अवर सचिव द्वारा की जाती है।

8.2 केन्द्रीय सतर्कता अनुभाग के कार्य के मुख्य क्षेत्र निम्नानुसार हैं :

- केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बोर्ड स्तर के अधिकारियों तथा साथ ही भारी उद्योग विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करना;
- केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बोर्ड स्तर की नियुक्तियों और अन्य नियुक्तियों के संबंध में एसीसी अनुमोदन की अपेक्षा वाले पीएमईबी की सिफारिशों के आधार पर सतर्कता संबंधी स्वीकृति जारी करना;
- केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और भारी उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों के साथ सतर्कता मामलों से संबंधित सूचना के व्यवस्थित प्रवाह के लिए संपर्क बनाए रखना;
- वित्तीय तथा कार्यविधि संबंधी अनियमितता के मुद्दों पर सलाह देना;
- बोर्ड स्तर के नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में आरोप पत्र की जांच करना।

8.3 सतर्कता संगठन निवारक सतर्कता पर भी बल देता है तथा यह अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा दे रहा है। यहां तक कि उपयुक्त मामलों में दंडात्मक उपाय किए जाते हैं और जहां भी अपेक्षा हो उनपर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

8.4 सतर्कता अनुभाग विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बोर्ड स्तर के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के रख-रखाव के लिए उत्तरदायी है।

8.5 सतर्कता अनुभाग भारी उद्योग विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा इसके अधीन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बोर्ड स्तर के अधिकारियों द्वारा वार्षिक संपत्ति विवरणियो प्रस्तुत किए जाने का अनुवीक्षण भी करता है।

अध्याय 9

हिंदी का प्रगामी प्रयोग

9.1 भारी उद्योग विभाग का हिंदी अनुभाग विभाग में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान विभाग के सरकारी कामकाज में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा सक्रिय प्रयास जारी रहे। हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की आवधिक बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गई तथा राजभाषा अधिनियम 1963 के प्रावधानों तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओ को दूर करने के उपाय सुझााए गए।

9.2 समीक्षाधीन अवधि के दौरान संसंदीय समिति ने (i) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, वाराणसी, (ii) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, त्रिची और (iii) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ईपीडी बंगलूर का निरीक्षण किया और हिंदी की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। वर्ष 2009-10 के दौरान विभाग के अधिकारियों ने हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति का मूल्याकंन करने हेतु 18 यूनिटों/कार्यालयों का निरीक्षण किया और उसके दौरान यूनिटों/कार्यालयो के कार्यपालको को वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का निर्देश दिए।

9.3 सभी अधिसूचनाओं, संकल्पों, टिप्पणियों, और परिपत्रों तथा संसद के दोनों पटलों पर रखे गए संसद - प्रश्नोत्तर, वार्षिक रिर्पोट, बजट-निष्पादन, सामान्य आदेश और अन्य कागजात को हिंदी और अंग्रेजी में जारी किया गया । हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए गए। हिंदी का प्रयोग बढ़ाने तथा हिंदी पत्राचार में वृद्वि करने के लिए दिनांक 01.09.2009 से 15.09.2009 तक "हिंदी पखवाड़ा" आयोजित किया गया। इस दौरान हिंदी निंबध, अनुवाद (अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी) सामान्य हिंदी ज्ञान, टिप्पण और आलेखन, कविता पाठ आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों ने इन गतिविधियों में उत्साह पूर्वक भाग लिया। विजेता प्रतिभागियों को माननीय राज्य मंत्री (भारी उद्योग और लोक उद्यम) द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी नोटिंग/ड्राफ्टिंग तथ हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट के प्रपत्र को ठीक से भरने हेतु प्रशिक्षण देने के लिए हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इसके अलावा **"आज का शब्द"** के माध्यम से हिन्दी सीखने के कार्यक्रम को सक्रियता से कार्यान्वित किया जा रहा है।

पुरस्कार वितरण समारोह

9.4 विभाग के प्रशासनाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रम भी राजभाषा अधिनियम और उसके प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए तीव्र-प्रयास करते रहे है। सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए संगोष्ठियां, प्रतियोगिताएं एवं हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गई । सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों में भी **"हिंदी पखवाड़ा"** बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया।

अनुबंध-I

भारी उद्योग विभाग को कार्य का आवंटन

प्रशासन अनुभाग के संबंध में सूचना

भारी उद्योग विभाग उद्योग मंत्रालय के विभागों में से एक हुआ करता था। दिनांक 15 अक्तूबर, 1999 से एक पृथक मंत्रालय अर्थात भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय सृजित किया गया है। इस मंत्रालय में दो विभाग अर्थात भारी उद्योग और लोक उद्यम विभाग शामिल हैं। भारी उद्योग विभाग को कार्य की निम्नलिखित मदें आवंटित की गई है:-

(क) निम्नलिखित केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से संबंधित कार्य

1. हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड
2. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
3. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

सहायक कंपनी

भारत हेवी प्लेटस एण्ड वेसल्स लिमिटेड

4. एच.एम.टी. लिमिटेड

सहायक कंपनियां

(क) एच.एम.टी. (बेयरिंग) लिमिटेड
(ख) एच.एम.टी. इंटरनेशनल लिमिटेड
(ग) एच.एम.टी. (मशीन टूल्स) लिमिटेड
(घ) एच.एम.टी. (वाचेज) लिमिटेड
(ड.) एच.एम.टी. (चिनार वाचेज) लिमिटेड

5. स्कूटर्स (इंडिया) लिमिटेड
6. एन्ड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड
7. सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
8. हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड
9. हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड

सहायक कंपनियां

(क) नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड
(ख) हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड
(ग) जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड

10. हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
11. हिदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड और उनकी सहायक कंपनी सांभर साल्ट्स लिमिटेड
12. इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनी राजस्थान इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड
13. नेपा लिमिटेड
14. टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
15. भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड

सहायक कंपनियां

(क) ब्रेथवेट, बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रशन लिमिटेड
(ख) ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड
(ग) बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड

16. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड
17. तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लिमिटेड
18. भारत पम्पस एण्ड कंप्रेसर्स लिमिटेड
19. रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लिमिडेट
20. ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिडेड
21. द्रव नियंत्रण अनुसंधान संस्थान (स्वायत्तशासी निकाय)

समापान/बंद होने/बंदी/अन्य विभागों/संगठनों को स्थानांतरण के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यम/सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की सहायक कंपनियां

1. भारत ऑरथेल्मिक ग्लास लिमिटेड
2. भारत लेदर कॉरपोरेशन लिमिटेड
3. टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
4. रिहेविलिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन
5. भारत यंत्र निगम लिमिटेड
6. नेशनल बाइसाइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
7. नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
8. नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड
9. माइनिंग एण्ड एलायड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड
10. साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
11. जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड
12. लगान जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड
13. रेरोल बर्न लिमिटेड
14. वेबर्ड (इंडिया) लिमिटेड
15. भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लिमिटेड
16. भारत प्रॉसेस एण्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड
17. भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड

(ख) अन्य विषय

1. सभी उद्योगों के लिए भारी इंजीनियरिंग उपस्करों का विनिर्माण
2. भारी विद्युत इंजीनियरी उद्योग
3. भारी विद्युत और संबद्ध उद्योग विकास परिषद
4. मशीन टूल और इस्पात संयंत्र उपस्कर विनिर्माण सहित मशीनरी उद्योग

5. टेक्सटाइल मशीनरी उद्योग विकास परिषद
6. मशीन टूल विकास परिषद
7. ट्रैक्टर और मिट्टी हटाने के उपस्कर सहित ऑटो उद्योग
8. ऑटोमोबाइल और संबद्ध उद्योग विकास परिषद
9. ऑटोमोबाइल इंजन सहित सभी डीजल इंजन
10. ऑटोमोबाइल रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई)
11. नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एण्ड रिसर्च एण्ड डेवलेपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (नेट्रिप) और नेट्रिप कार्यान्वयन सोसायटी (नेटिस)
12. फोर्जिंग इंडस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एफआईआरआई)

2. भारी उद्योग विभाग का नेतृत्व भारत सरकार के सचिव द्वारा किया जाता है जिनकी सहायता 279 अधिकारियों और कर्मचारियों के दल द्वारा की जाती है। इस विभाग की सहायता अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार के नेतृत्व में एकीकृत वित्त स्कंध द्वारा भी की जाती है। भारी उद्योग विभाग का संगठनात्मक चार्ट अनुबंध-II के रूप में संलग्न है।

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, विभाग ने विभाग के सुगम कार्यकरण तथा साथ ही कर्मचारियों और जनता की सहायता करने के लिए वरिष्ठ स्तर पर विभिन्न नोडल अधिकारी नियुक्त/पदनामित किए हैं। ऐसे कुछ क्षेत्रों का विवरण नीचे दिया गया है:

(i) लोक शिकायतों के निवारण की प्रणाली को सरल और कारगर बनाने के प्रयास में इस विभाग में एक संयुक्त सचिव और निदेशक संयुक्त सचिव (जन शिकायत) के रूप में कार्यरत हैं।

(ii) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन मांगी गई सूचना जनता को प्रदान करने के लिए इस विभाग हेतु एक संयुक्त सचिव और उप-सचिव को अपीलीय प्राधिकारी और केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया हैं।

(iii) इस विभाग में सभी विषयों की कम्प्यूटरीकृत करने के प्रयास में इस विभाग में एक संयुक्त सचिव को सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधक के रूप में पदनामित किया गया हैं, जो आवधिक रूप से विभाग की वेबसाइट को अद्यतन करने के भी उत्तरदायी होंगे।

(iv) मुकदमें के मामलों से निपटने और आगे समन्वय करने के लिए इस विभाग में एक संयुक्त सचिव को नोडल अधिकारी पदनामित किया गया है ताकि मामले में सामयिक मामले में सामयिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

(v) इस विभाग से निकलने वाले महत्वपूर्ण रिकार्ड के संरक्षण तथा संबद्ध मामले में समन्वय करने के लिए इस विभाग में एक संयुक्त सचिव को मुख्य रिकार्ड अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है।

(vi) विशेषकर महिला कर्मचारियों के मानव अधिकारियों से संबंधित पर्याप्त जागरूकता सृजित करने के लिए भारी उद्योग में लिंग समानता के अधिकारों के संरक्षण और इसे लागू करने तथा कामकाजी महिलाओं को न्याय देने के लिए सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक शिकायत समिति गठित की गई है।

4. इसके अतिरिक्त यह विभाग महिला कर्मचारियों को बैंठकों, संगोष्ठियों, प्रतियोगिताओं और प्रशिक्षण आदि जैसे सभी कार्यकलापों में स्वतंत्र रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे उन्हें कार्य बल की मुख्यधारा में शामिल करने में सहायता मिलती है।

भारी उद्योग विभाग का संगठनात्मक ढांचा

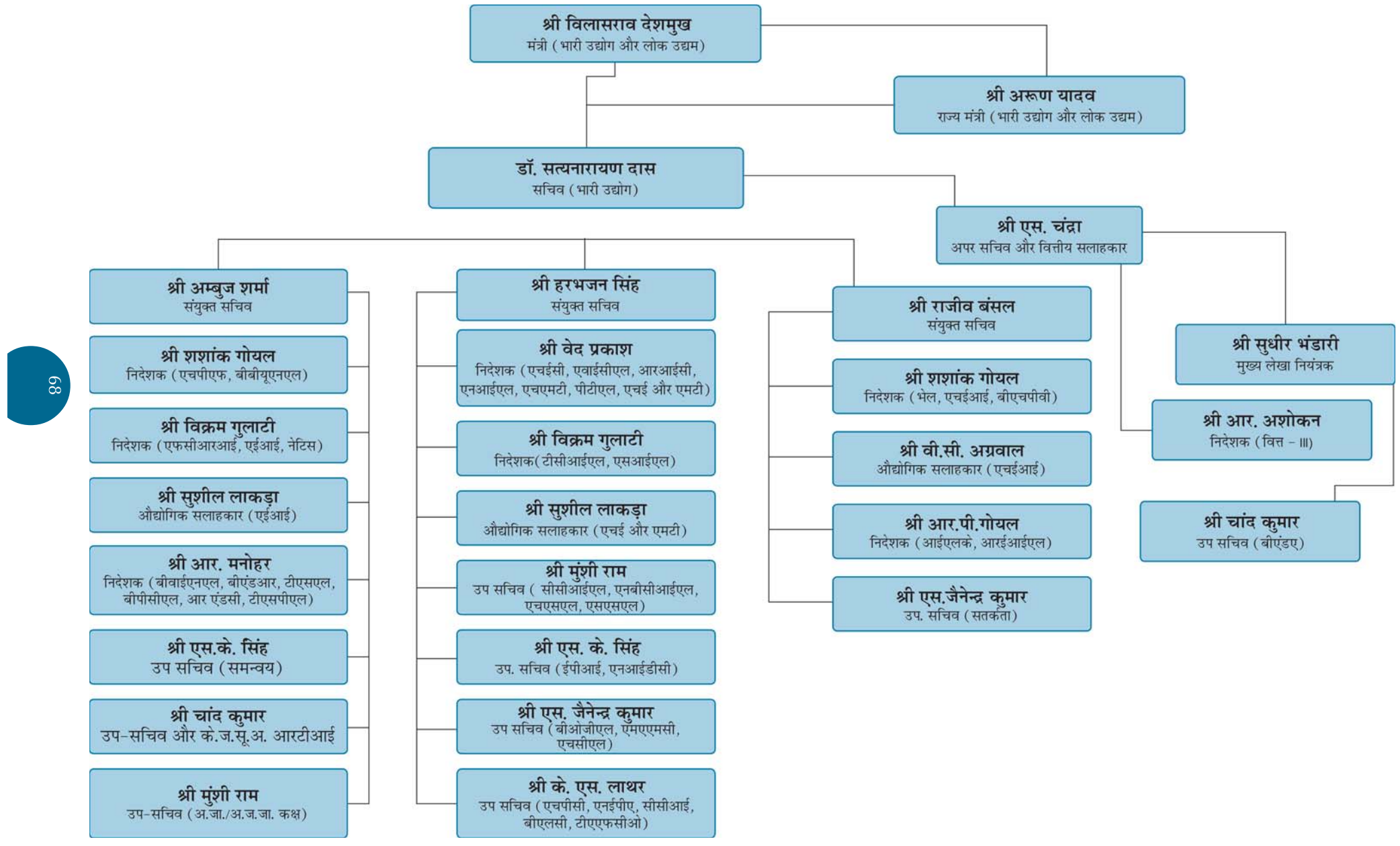

अनुबंध-III

भारी उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बारे में सामान्य सूचना

क्रमांक	केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का नाम और पंजीकृत कार्यालय का स्थान	केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम की स्थापना का वर्ष	31.3.2009 की स्थिति के अनुसार सकल ब्लॉक (करोड़ रुपए)
1	एण्ड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल), कोलकाता	1979	127.62
2	हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड, कोलकाता	1979	4.81
3	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली	1956	6382.00
4	भारत हेवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स लिमिटेड (बीएचपीवी), विशाखापत्तनम		
5	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल), कोलकाता		
6	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड (बीसीएल), कोलकाता	1976	141.74
7	ब्रेथवेट, बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे)	1976	53.80
8	भारत पंप्स एण्ड कंप्रेसर्स लिमिटेड (बीपीसीएल), इलाहाबाद	1970	38.01
9	रिचर्डसन एण्ड क्रूडास लिमिटेड (1972) (आरएण्डसी) लिमिटेड, मुम्बई	1972	31.20
10	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (टीएसएल), इलाहाबाद	1965	19.59
11	तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लिमिटेड(टीएसपी) होसपेट, कर्नाटक	1967	20.87
12	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया)लिमिटेड (बीएण्डआर), कोलकाता	1972	172.32
13	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (एचसीएल), कोलकाता	1952	525.41
14	हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एचईसी), रांची	1958	337.05
15	एचएमटी लिमिटेड (धारक कंपनी), बंगलौर	1953	132.48
16	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, एचएमटी, बंगलौर	2000	284.90
17	एचएमटी वाचेज लिमिटेड, बंगलौर	2000	190.06
18	एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड, जम्मू	2000	12.16
19	एचएमटी (बियरिंग्स) लिमिटेड, हैदराबाद	1981	30.24
20	एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड, बंगलोर	1974	7.39
21	इंस्ट्रमेंटशन लिमिटेड (आईएल), कोटा	1964	69.17
22	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एण्ड इंस्ट्रमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल), जयपुर	1981	20.35
23	स्कूटर इंडिया लिमिटेड (एसआईएल) लखनऊ	1972	55.57
24	सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई), नई दिल्ली	1965	664.17
25	हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसी), कोलकाता	1970	941.98
26	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएनएल) वेल्लोर, कोट्टायम	1983	403.53
27	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (एचपीएफ), ऊटी	1960	715.00
28	हिन्दुस्तान सॉल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल), जयपुर	1959	9.85
29	सांभर सॉल्ट्स लिमिटेड (एसएसएल), जयपुर	1964	11.83
30	नेपा लिमिटेड (नेपा), नेपानगर	1958	115.99
31	टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल), कोलकाता	1984	119.18
32	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआई), नई दिल्ली	1970	15.94
	कुल		**11663.91**

टिप्पणी: (i) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 13 उद्यमों अर्थात बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, टैफ्को, सीसीआईएल, बीएलसी, एनबीसीआईएल, एमएएफसी, एनआईडीसी, बीओजीएल, आरआईसी और बीवाईएनएल को बंद कर दिया गया है और केंद्रीय सरकारी क्षेत्र को एक उद्यम (एनपीपीसी) प्रचालनरत नहीं हैं।

(ii) बीडब्ल्यूईएल को दिनांक 13.08.2008 को रेल मंत्रालय को अंतरित किया गया है। एनआईएल को भी दिनांक 7.01.2009 को जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता को अंतरित किया गया है।

(iii) एचएमटी (एमटी) के साथ पीटीएल के विलय की योजना दिनांक 12.06.2008 को आयोजित सुनवाई में बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित की गई है।

(iv) उपर्युक्त 32 प्रचालनरत केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के अतिरिक्त एक गैर-विनिर्माणकर्ता धारक कंपनी अर्थात बीबीयूएनएल है।

अनुबंध-IV

भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में 31.3.2009 की यथास्थिति अनु. जाति, अनु. जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों सहित नियोजन की स्थिति

क्रमांक	केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	कर्मचारियों की कुल संख्या				कर्मचारियों की संख्या		
		कार्यपालक	पर्यवेक्षक	कामगार/ अन्य	कुल	अनु. जा.	अनु.ज.जा.	अ.पि.व.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	एवाईसीएल	195	127	15253	15575	2549	3229	7472
2	हुगली प्रिंटिंग	8	7	44	59	2		
3	बीएचईएल	12547	12454	20106	45107	8795	2246	6851
4	बीएससीएल	121	0	1334	1455	154	10	274
5	बीसीएल	65	25	382	472	50	0	1
6	बीबीजे	48		45	93	10	1	3
7	बीएचपीवी	307	74	989	1370	237	105	268
8	बीपीसीएल	190	59	813	1062	166	3	337
9	आरएण्डसी	18	15	32	65	8	0	3
10	टीएसएल	51	14	124	189	26	0	69
11	टीएसपी	13	15	76	104	27	3	28
12	बीएण्डआर	706	0	777	1483	171	4	57
13	एचसीएल	380	451	2078	2909	747	222	193
14	एचईसी	1359	278	1231	2868	325	602	718
15	एचएमटी (धारक कंपनी)	272	135	1798	2205	518	99	26
16	एचएमटी (एमटी)	866	414	2546	3826	662	183	902
17	एचएमटी (वाचेज)	361	56	1633	2050	363	96	331
18	एचएमटी (चिनार वाचेज)	7	25	196	228	16	3	0
19	एचएमटी (बियरिंग)	22	38	203	263	38	0	104
20	एचएमटी (इंटरनेशनल)	53	0	7	60	9	4	1
21	आईएल	240	697	451	1388	227	65	209
22	आरईआईएल	66	64	85	215	43	6	40
23	एसआईएल	235	67	1064	1366	281	1	370
24	सीसीआई	129	177	826	1132	144	106	130
25	एचपीसी	557	208	1995	2760	279	215	152
26	एचएनएल	207	94	735	1036	72	5	235
27	एचपीएफ	101	227	484	812	134	44	362
28	एचएसएल	9	30	75	114	12	7	15
29	एसएसएल	9	27	75	111	25	9	36
30	नेपा	1	1029	252	1282	118	22	77
31	टीसीआईएल	35	18	157	210	14	0	0
32	ईपीआईएल	358	95	19	472	86	21	46
	कुल	**19536**	**16920**	**55885**	**92341**	**16308**	**7311**	**19310**

टिप्पणी: (i) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 13 उद्यमों आर्थात: बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, टैफ्को, सीसीआईएल, बीएलसी, एनबीसीआईएल, एमएएफसी, एनआईडीसी, बीओजीएल, आरआईसी और बीवाईएनएल को बंद कर दिया गया है और केंद्रीय सरकारी क्षेत्र को एक उद्यम (एनपीपीसी) प्रचालनरत नहीं हैं।

(ii) बीडब्ल्यूईएल को दिनांक 13.08.2008 को रेल मंत्रालय को अंतरित किया गया है। एनआईएल को भी दिनांक 7.01.2009 को जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता को अंतरित किया गया है।

(iii) एचएमटी (एमटी) के साथ पीटीएल के विलय की योजना दिनांक 12.06.2008 को आयोजित सुनवाई में बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित की गई है।

(iv) उपर्युक्त 32 प्रचालनरत केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के अतिरिक्त एक गैर-विनिर्माणकर्ता धारक कंपनी अर्थात बीबीयूएनएल है।

अनुबंध-V

भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का उत्पादन कार्यनिष्पादन

(करोड़ रुपए में)

क्रमांक	केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के नाम	2006-07 (वास्तविक))	2007-08 (वास्तविक)	2008-09 (वास्तविक)	2009-10 (अनन्तिम)	2010-11 (लक्ष्य)
1	2	3	4	5	6	7
1	एवाईसीएल	137.76	169.82	182.65	221.66	289.80
2	हुगली प्रिंटिंग	4.07	4.12	6.57	10.00	11.16
3	बीएचईएल	18739.00	21401.00	28033.00	32000.00	35000.00
4	बीएचपीवी	180.36	180.30	84.39	210.00	270.00
5	बीएससीएल	233.08	255.74	235.32	260.32	339.78
6	बीसीएल	106.21	104.16	115.10	198.04	236.29
7	बीबीजे	80.17	87.72	68.11	120.00	130.00
8	बीपीसीएल	149.83	191.77	239.99	285.00	385.00
9	आरएण्डसी	53.56	76.78	81.37	91.50	98.00
10	टीएसएल	3.74	5.99	4.30	6.00	8.00
11	टीएसपी	2.00	2.54	1.44	5.62	7.00
12	बीएण्डआर	610.44	710.63	935.10	1000.00	1220.00
13	एचसीएल	3.66	2.00	0.97	0.13	
14	एचईसी	280.81	382.86	419.47	482.88	690.33
15	एचएमटी (धारक कंपनी)	212.30	177.70	134.34	220.50	313.85
16	एचएमटी (एमटी)	214.32	233.69	188.18	225.00	402.48
17	एचएमटी (वाचेज)	40.05	18.99	15.35	20.00	25.58
18	एचएमटी (चिनार वाचेज)	3.67	2.12	0.40	0.75	3.00
19	एचएमटी (बी)	24.40	13.08	7.17	7.88	26.35
20	एचएमटी (आई)	31.45	25.14	16.36	5.52	40.00
21	आईएल	228.34	246.81	253.09	385.00	460.00
22	आरईआईएल	72.10	81.51	88.44	92.00	100.00
23	एसआईएल	200.39	151.72	126.48	145.64	208.11
24	सीसीआई	325.72	342.63	363.89	345.06	370.17
25	एचपीसी	721.60	774.06	677.31	735.92	825.80
26	एचएनएल	315.31	298.50	340.51	283.64	341.00
27	एचपीएफ	17.68	17.62	24.10	26.00	32.00
28	एचएसएल	7.79	12.56	27.29	25.42	29.08
29	एसएसएल	10.37	15.00	15.88	17.86	30.56
30	नेपा	83.3	102.96	104.38	97.00	87.75
31	टीसीआईएल	155.05	224.29	128.37	53.57	196.50
32	ईपीआई	763.61	851.05	958.71	1050.00	1200.00
	कुल	**24012.14**	**27164.86**	**33878.03**	**38627.91**	**43377.59**

टिप्पणी: (i) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 13 उद्यमों आर्थात: बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, टैफ्को, सीसीआईएल, बीएलसी, एनबीसीआईएल, एमएएफसी, एनआईडीसी, बीओजीएल, आरआईसी और बीवाईएनएल को बंद कर दिया गया है और केंद्रीय सरकारी क्षेत्र को एक उद्यम (एनपीपीसी) प्रचालनरत नहीं हैं।

(ii) बीडब्ल्यूईएल को दिनांक 13.08.2008 को रेल मंत्रालय को अंतरित किया गया है। एनआईएल को भी दिनांक 7.01.2009 को जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता को अंतरित किया गया है।

(iii) एचएमटी (एमटी) के साथ पीटीएल के विलय की योजना दिनांक 12.06.2008 को आयोजित सुनवाई में बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित की गई है।

(iv) उपर्युक्त 32 प्रचालनरत केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के अतिरिक्त एक गैर-विनिर्माणकर्ता धारक कंपनी अर्थात बीबीयूएनएल है।

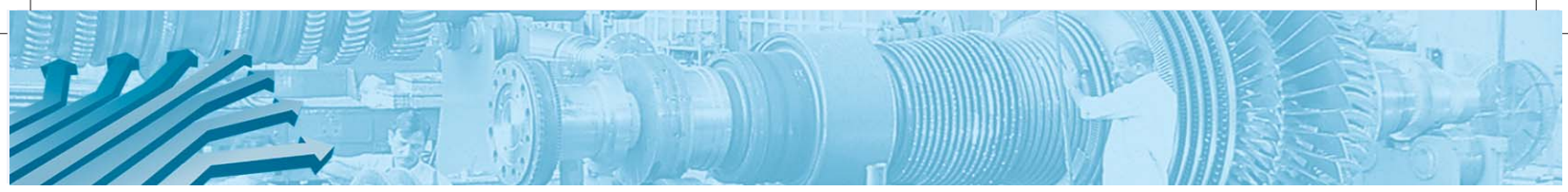

अनुबंध-VI

भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का लाभ (+)/हानि(-) (कर-पूर्व)

(करोड़ रुपए में)

क्रमांक	केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	2006-07 (वास्तविक)	2007-08 (वास्तविक)	2008-09 (वास्तविक)	2009-10 (अनन्तिम)	2010-11 (लक्ष्य)
1	2	4	5	6	7	7
(क)	**लाभ कमा रहे केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम***					
1	एवाईसीएल	-90.11	8.61	31.76	56.41	8.16
2	हुगली प्रिंटिंग	0.20	0.05	0.07	0.50	0.58
3	बीएचईएल	3736.00	4430.00	4849.00	6043.00	7279.00
4	बीपीसीएल	19.14	30.50	26.88	42.62	44.37
5	बीएण्डआर	7.17	11.27	33.26	18.50	25.85
6	बीसीएल	0.67	0.61	1.71	4.60	5.07
7	बीबीजे	1.39	1.84	2.86	3.08	2.25
8	सीसीआई	166.61	40.89	52.55	47.46	523.51
9	ईपीआई	17.55	20.13	24.66	25.70	27.30
10	एचईसी	2.86	4.17	18.37	26.88	42.29
11	एचपीसी	120.31	136.74	60.73	16.04	32.22
12	एचएनएल	45.08	18.10	21.10	0.81	9.68
13	एचएनएल	1.64	1.02	1.27	1.04	1.03
14	एचएमटी (वाचेज)	-195.67	-146.95	-164.05	24.49	-26.31
15	एचएमटी (इंटरनेशनल)	-0.41	0.04	0.66	0.09	0.24
16	एचएसएल	-0.91	0.77	1.6	0.30	2.05
17	आईएल	-27.80	-32.91	282.29	10.20	13.50
18	आरईआईएल	3.48	4.06	1.49	2.45	3.36
उप-जोड़ (क) लाभ कमा रही कंपनियां		**3807.20**	**4528.94**	**5246.21**	**6324.17**	**7994.15**
(ख)	**हानि उठा रहे केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम**					
19	बीएससीएल	-151.83	-151.25	-157.56	-238.42	-233.23
20	टीएसपी	-37.49	-20.45	-18.44	-24.68	-27.15
21	बीएचपीवी	-34.70	-56.05	96.35	-62.28	-27.84
22	आरएण्डसी	-37.62	-59.60	-30.30	-37.17	-39.49
23	टीएसएल	-46.86	-50.80	-46.98	-47.22	-51.80
24	एचसीएल	-310.68	-434.98	-445.35	-445.11	-445.00
25	एचएमटी (धारक कंपनी)	40.48	-45.97	-68.98	-6.70	-144.00
26	एचएमटी (बियरिंग्स)	-6.79	-18.43	-10.68	-17.31	-1.31
27	एचएमटी (मशीन टूल्स)	-149.25	-39.93	-36.57	-59.21	497.22
28	एचएमटी (चिनार वाचेज)	-39.89	-49.02	-69.47	-58.83	-39.94
29	एचपीएफ	-653.06	-789.49	-890.26	-992.00	-1095.00
30	एसआईएल	-22.43	-22.43	-27.59	-25.82	-3.25
31	नेपा	-43.00	-37.34	-40.88	-48.17	-52.40
32	टीसीआईएल	-47.91	-49.20	-7.37	-13.92	-4.67
उप-जोड़ (ख) हानि उठा रही कंपनियां		**-1541.03**	**-1824.94**	**-1754.08**	**-2076.84**	**-1667.86**
कुल-योग (क और ख)		**2266.17**	**2704.00**	**3492.13**	**4247.33**	**6326.29**

टिप्पणी: (i) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 13 उद्यमों अर्थात बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, टैफ्को, सीसीआईएल, बीएलसी, एनबीसीआईएल, एमएएफसी, एनआईडीसी, बीओजीएल, आरआईसी और बीवाईएनएल को बंद कर दिया गया है और केंद्रीय सरकारी क्षेत्र को एक उद्यम (एनपीपीसी) प्रचालनरत नहीं हैं।

(ii) बीडब्ल्यूईएल को दिनांक 13.08.2008 को रेल मंत्रालय को अंतरित किया गया है। एनआईएल को भी दिनांक 7.01.2009 को जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता को अंतरित किया गया है।

(iii) एचएमटी (एमटी) के साथ पीटीएल के विलय की योजना दिनांक 12.06.2008 को आयोजित सुनवाई में बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित की गई है।

(iv) उपर्युक्त 32 प्रचालनरत केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के अतिरिक्त एक गैर-विनिर्माणकर्ता धारक कंपनी अर्थात बीबीयूएनएल है।

भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कुल कारोबार (टर्नओवर) के प्रतिशत के रूप में वेतन/मजदूरी बिल और सामाजिक उपरिव्यय

क्रमांक	उद्यमों के नाम	कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में वेतन तथा मजदूरी					कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में सामाजिक उपरिव्यय				
		2006-07 (वास्तविक)	2007-08 (वास्तविक)	2008-09 (वास्तविक)	2009-10 (अनन्तिम)	2010-11	2006-07 (वास्तविक)	2007-08 (वास्तविक)	2008-09 (वास्तविक)	2009-10 (अनन्तिम)	2010-11 (लक्ष्य)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	एवाईसीएल	37.33	31.82	29.35	25.22	21.22	10.95	9.77	9.13	8.17	6.63
2	हुगली प्रिंटिंग	34.66	29.21	18.30	12.81	13.00	1.90	2.16	1.59	1.22	1.00
3	बीएचईएल	13.08	14.70	14.67	13.83	13.48	1.86	1.86	1.98	2.06	2.24
4	बीएससीएल	15.10	14.80	13.90	11.70	12.20	1.50	1.60	1.40	2.40	1.90
5	बीसीएल	14.20	14.90	14.90	7.90	7.80	0.80	1.00	0.70	0.80	0.80
7	बीबीजे	7.80	9.90	10.90	9.40	9.30	0.40	0.50	0.50	0.60	0.60
8	बीएचपीवी	15.00	15.00	67.00	22.58	19.00	3.00	6.00	7.00	8.00	4.00
9	बीपीसीएल	18.70	15.18	18.93	13.42	13.90	0.96	0.79	0.85	0.53	0.42
10	आरएण्डसी	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001
11	टीएसएल	157.00	240.00	92.00	58.00	51.00	21.00	16.00	10.00	8.00	6.00
12	टीएसपी	87.10	44.34	157.63	32.00	31.00	48.84	19.32	44.84	14.23	11.43
13	बीएण्डआर	5.56	6.27	6.58	5.40	4.87	1.36	1.16	2.03	1.00	0.87
14	एचसीएल	1732.76	2090.04	N.A.	N.A	N.A	119.91	139.93	N.A	N.A.	N.A.
15	एचईसी	20.60	17.50	22.40	19.90	17.10	-0.40	-0.90	-0.10	1.00	0.90
16	एचएमटी (धारक)	27.20	38.44	40.03	28.45	18.98	2.77	3.98	4.11	2.85	1.90
17	एचएमटी (एमटी)	45.00	47.00	49.00	50.00	48.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00
18	एचएमटी (वाचेज)	117.00	308.00	323.00	293.00	103.00	0.73	1.65	1.70	1.60	1.65
19	एचएमटी (चिनार)	531.84	845.51	1182.89	701.00	395.00					
21	एचएमटी (बी)	30.88	50.97	103.35	102.28	27.63	4.23	6.63	7.70	7.57	2.26
22	एचएमटी (आई)	7.25	7.96	12.63	6.92	7.66	1.98	1.56	2.46	0.43	1.30
23	आईएल	17.05	18.32	19.22	13.90	11.39	0.78	0.76	0.86	0.57	0.49
24	आरईआईएल	7.82	8.87	12.24	11.40	11.30	1.28	1.45	1.56	1.65	1.70
25	एसआईएल	17.51	24.14	25.55	34.67	15.96	1.69	2.20	2.40	3.25	1.50
26	सीसीआई	8.19	8.19	11.27	6.66	6.73	3.93	3.68	5.66	4.9	4.94
27	एचपीसी	8.71	10.28	13.39	12.71	12.81	3.40	3.63	6.27	4.77	4.27
28	एचएनएल	8.73	9.92	15.58	10.72	11.06	4.90	4.98	4.1	3.83	4.49
29	एचपीएफ	95.34	94.06	47.86	49.04	43.33	3.85	3.96	3.67	1.9	1.67
30	एचएसएल	40.04	25.10	12.27	14.95	15.49	2.18	1.81	0.51	0.55	0.58
31	एसएसएल	36.47	27.31	30.21	36.00	22.29	2.98	2.10	1.51	1.95	1.26
32	नेपा	22.00	17.00	20.00	20.00	21.00	2.00	1.00	4.00	3.00	3.00
33	टीसीआईएल	30.78	35.34	50.61	74.00	35.36	2.45	2.75	3.42	5.07	2.68
34	ईपीआईएल	2.85	3.26	3.08	3.26	3.13	0.73	0.61	0.97	0.79	0.79

टिप्पणी: (i) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 13 उद्यमों अर्थात बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, टैफ्को, सीसीआईएल, बीएलसी, एनबीसीआईएल, एमएएफसी, एनआईडीसी, बीओजीएल, आरआईसी और बीवाईएनएल को बंद कर दिया गया है और केंद्रीय सरकारी क्षेत्र को एक उद्यम (एनपीपीसी) प्रचालनरत नहीं हैं।

(ii) बीडब्ल्यूईएल को दिनांक 13.08.2008 को रेल मंत्रालय को अंतरित किया गया है। एनआईएल को भी दिनांक 7.01.2009 को जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता को अंतरित किया गया है।

(iii) एचएमटी (एमटी) के साथ पीटीएल के विलय की योजना दिनांक 12.06.2008 को आयोजित सुनवाई में बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित की गई है।

(iv) उपर्युक्त 32 प्रचालनरत केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के अतिरिक्त एक गैर-विनिर्माणकर्ता धारक कंपनी अर्थात बीबीयूएनएल है।

अनुबंध-VIII

भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के ऑर्डर बुक की स्थिति

(करोड़ रुपए में)

क्रमांक	केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम	दिनांक 1.10.2005 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 1.10.2006 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 1.10.2007 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 1.10.2008 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 1.10.2009 की स्थिति के अनुसार
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	एवाईसीएल	93.91	68.51	62.28	69.10	39.98
2	हुगली प्रिंटिंग	6.50	1.27	0.90	1.50	0.75
3	**बीएचईएल	32000.00	37500.00	55000.00	85200.00	144000.00
4	बीएससीएल	102.80	106.92	183.64	215.22	370.52
5	बीसीएल	228.72	255.05	201.73	196.40	320.44
6	बीबीजे	116.54	126.35	144.49	59.48	958.35
7	बीएचपीवी	305.87	348.57	262.17	144.83	211.38
8	बीपीसीएल	130.65	136.20	232.87	346.55	241.63
9	आरएण्डसी	54.00	60.00	64.00	74.00	103.00
10	टीएसएल	16.25	8.29	10.86	11.52	5.71
11	टीएसपी	5.50	3.02	1.86	0.17	0.19
12	बीएण्डआर	856.02	994.79	1381.00	1958.63	1995.97
13	एचसीएल	2.57	5.80	3.25	4.18	3.40
14	एचईसी	378.25	522.10	606.28	1910.80	2076.90
15	एचएमटी (धारक कंपनी)	0				
16	एचएमटी (एमटी)	**175.31**	**196.77**	**181.55**	**187.55**	-
17	एचएमटी (वाचेज)	0	-	-	-	-
18	एचएमटी (चिनार वाचेज)	0	-	-	-	-
19	एचएमटी (बियरिंग)	2.40	2.50	2.23	3.87	0.90
20	एचएमटी (आई)	35.81	18.51	16.06	26.72	21.55
21	आईएल	165.00	158.00	170.00	248.84	335.00
22	आरईआईएल	22.01	20.23	44.52	27.25	36.15
23	एसआईएल*					
24	सीसीआई	19.00	20.48	26.80	24.36	21.46
25	एचपीसी	12.76	8.26	119.06	213.76	144.28
26	एचएनएल	0				
27	एचपीएफ	2.85	1.46	2.75	2.50	5.00
28	एचएसएल	4.57	15.00	14.52	17.88	17.63
29	एसएसएल	4.36	6.51	2.48	4.96	0.50
30	नेपा	51.70	78.73	64.69	74.59	45.34
31	टीसीआईएल	3.00	3.60	4.10	3.78	0.72
32	ईपीआईएल	1580.39	1225.54	1957.57	2131.26	1707.75
	कुल	**36376.74**	**41892.46**	**60761.66**	**93159.7**	**152664.5**

* स्टॉक एवं बिक्री के लिए वस्तुओं का उत्पादन

टिप्पणी: (i) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 13 उद्यमों अर्थात बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, टैफ्को, सीसीआईएल, बीएलसी, एनबीसीआईएल, एमएएफसी, एनआईडीसी, बीओजीएल, आरआईसी और बीवाईएनएल को बंद कर दिया गया है और केंद्रीय सरकारी क्षेत्र को एक उद्यम (एनपीपीसी) प्रचालनरत नहीं हैं।

(ii) बीडब्ल्यूईएल को दिनांक 13.08.2008 को रेल मंत्रालय को अंतरित किया गया है। एनआईएल को भी दिनांक 7.01.2009 को जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता को अंतरित किया गया है।

(iii) एचएमटी (एमटी) के साथ पीटीएल के विलय की योजना दिनांक 12.06.2008 को आयोजित सुनवाई में बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित की गई है।

(iv) उपर्युक्त 32 प्रचालनरत केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के अतिरिक्त एक गैर-विनिर्माणकर्ता धारक कंपनी अर्थात बीबीयूएनएल है।

**1.04.2010 की स्थिति के अनुसार बीएचईएल के आंकड़े 144000

अनुबंध-IX

भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का निर्यात निष्पादन

(करोड़ रुपए में)

क्रमांक	सरकारी क्षेत्र	2005-06 (वास्तविक)			2006-07 (वास्तविक)			2007-08 (वास्तविक)			2008-09 (वास्तविक)			2009-10 (पूर्वानुमानित)		
	का उद्यम	वास्तविक	मानित	कुल	वास्तविक	मानित	कुल	वास्तविक	मानित	कुल	वास्तविक	मानित	कुल	वास्तविक	मानित	कुल
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	एवाईसीएल	0.80	0.00	0.80	1.64	0.00	1.64	0.05	0.00	0.05	3.30		3.30	1.87		1.87
2	बीएचईएल	745.00	3021.00	3766.00	1076.00	5525.00	6601.00	980.00	3660.00	4640.00	1794.00	6346.00	8140.00	2110	11306	13416.00
3	बीसीएल	4.98	0.00	4.98	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00
4	बीएससीएल	2.75	0.00	2.75	8.48	0.00	8.48	7.70	0.00	7.70	12.07	0.00	12.07	10.15		10.15
5	बीएचपीवी	2.92	0.45	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
6	बीपीसीएल	0.00	4.07	4.07	0.00	6.81	6.81	0.00	0.63	0.63	0.00	0.15	0.15	0		0.00
7	आरएण्डसी	1.17	0.00	1.17	0.00	6.81	6.81	0.00	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8	बीएण्डआर	1.95	0.00	1.95	2.23	0.00	2.23	0.52	0.00	0.52	13.82	0.00	13.82			0.00
9	एचएमटी(आई)	14.89	0.00	14.89	31.45	0.00	31.45	25.00	0.00	25.00	16.36	0.00	16.36	34		34.00
10	आईएल	0.23	9.01	9.24	0.21	7.74	7.95	0.13	0.29	0.42	1.01	9.80	10.81	1.2	10.8	12.00
11	आरईआईएल	1.09	0.00	1.09	4.05	1.27	5.32	7.73	0.79	8.52	0.81	1.97	2.78	2.00	2.00	4.00
12	एसआईएल	0.63	0.00	0.63	0.41	0.00	0.41	0.87	0.00	0.87	0.43	0.00	0.43	0.75		0.75
13	एचपीसी	0.00	43.37	43.37	0.00	40.76	40.76	0.00	15.94	15.94	0.00	34.02	34.02		42.15	42.15
14	एचएसएल	0.39	0.00	0.39	0.56	0.00	0.56	0.64	0.00	0.64	0.79	0	0.79		1.26	1.26
15	ईपीआई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.43	0.00	25.43	11.28	0.00	11.28	0		0.00
	कुल	**776.80**	**3077.90**	**3854.70**	**1125.91**	**5588.39**	**6714.30**	**1022.64**	**3678.28**	**4700.92**	**1853.87**	**6391.94**	**8245.81**	**2159.97**	**11362.21**	**13522.18**

टिप्पणी: (i) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 13 उद्यमों अर्थात बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, टैफ्को, सीसीआईएल, बीएलसी, एनबीसीआईएल, एमएएफसी, एनआईडीसी, बीओजीएल, आरआईसी और बीवाईएनएल को बंद कर दिया गया है और केंद्रीय सरकारी क्षेत्र को एक उद्यम (एनपीपीसी) प्रचालनरत नहीं हैं।

(ii) बीडब्ल्यूईएल को दिनांक 13.08.2008 को रेल मंत्रालय को अंतरित किया गया है। एनआईएल को भी दिनांक 7.01.2009 को जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता को अंतरित किया गया है।

(iii) एचएमटी (एमटी) के साथ पीटीएल के विलय की योजना दिनांक 12.06.2008 को आयोजित सुनवाई में बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित की गई है।

(iv) उपर्युक्त 32 प्रचालनरत केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के अतिरिक्त एक गैर-विनिर्माणकर्ता धारक कंपनी अर्थात बीबीयूएनएल है।

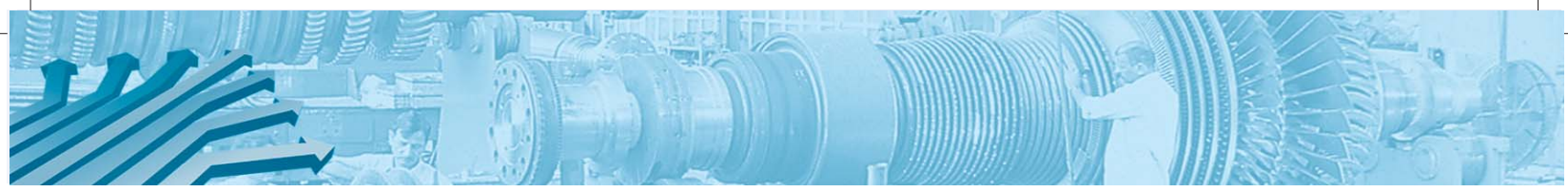

अनुबंध-X

31.3.2009 की स्थिति के अनुसार भारी उद्योग विभाग के अधीनस्थ केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की प्रदत्त पूंजी, निवल मूल्य और संचयी लाभ (+)/हानि(-) (अनन्तिम)

(करोड़ रुपए में)

क्रमांक	केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के	चुकता पूंजी			संचयी
		सरकार/केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के धारक उद्यम	अन्य	निवल मूल्य	लाभ (+)/हानि (-)
1	2	3	4	5	6
1	एवाईसीएल	55.96	3.31	6.74	-168.57
2	हुगली प्रिंटिंग	1.03		2.95	0.27
3	बीएचईएल	331.51	158.01	12939.00	12449.00
4	बीएचसीएल	137.2		-1490.18	-1627.38
5	बीसीएल	19.79		10.06	-9.74
6	बीबीजे	20.27		19.22	-1.04
7	बीएचपीवी	33.80		-229.94	-263.76
8	बीपीसीएल	53.53		98.61	23.76
9	आरएण्डसी	54.24		-263.59	-348.42
10	टीएसएल	21.27		-503.62	-524.89
11	टीएसपी	6.69	1.75	-259.17	-267.61
12	बीएण्डआर	54.63	0.36	118.12	63.14
13	एचसीएल	417.69	1.67	-2712.57	-3188.67
14	एचईसी	606.08		-251.99	-1064.61
15	एचएमटी (धारक कंपनी)	1194.85	8.5	749.86	-453.2
16	एचएमटी (एमटी)	719.60		26.91	-715.32
17	एचएमटी (वाचेज)	6.49		-1124.05	-1130.54
18	एचएमटी (चिनार वाचेज)	1.66		-291.76	-293.42
19	एचएमटी (बियरिंग)	37.47	0.24	-28.1	-65.81
20	एचएमटी (इंटरनेशनल)	0.72		22.99	22.27
21	आईएल	92.31	1.01	24.19	-44.56
22	आरईआईएल	2.08	217.00	19.55	14.29
23	एसआईएल	51.01	2.47	-2.99	-56.51
24	सीसीआई	811.41		-266.93	-1060.98
25	एचपीसी	668.38		902.29	147.31
26	एचएनएल	100.00		239.77	127.79
27	एचपीएफ	184.68	19.19	-5820.19	-6047.17
28	एचएसएल	22.55		21.53	-11.30
29	एसएसएल	1.00		-0.70	-12.72
30	नेपा	108.17	0.69	-581.84	-473.00
31	टीसीआईएल	93.45		-146.97	-265.05
32	ईपीआईएल	35.42		121.93	80.08
	कुल	**5944.94**	**414.20**	**1349.13**	**-5166.36**

टिप्पणी: (i) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 13 उद्यमों अर्थात बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, टैफ्को, सीसीआईएल, बीएलसी, एनबीसीआईएल, एमएएफसी, एनआईडीसी, बीओजीएल, आरआईसी और बीवाईएनएल को बंद कर दिया गया है और केंद्रीय सरकारी क्षेत्र को एक उद्यम (एनपीपीसी) प्रचालनरत नहीं हैं।

(ii) बीडब्ल्यूईएल को दिनांक 13.08.2008 को रेल मंत्रालय को अंतरित किया गया है। एनआईएल को भी दिनांक 7.01.2009 को जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता को अंतरित किया गया है।

(iii) एचएमटी (एमटी) के साथ पीटीएल के विलय की योजना दिनांक 12.06.2008 को आयोजित सुनवाई में बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित की गई है।

(iv) उपर्युक्त 32 प्रचालनरत केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के अतिरिक्त एक गैर-विनिर्माणकर्ता धारक कंपनी अर्थात बीबीयूएनएल है।

अनुबंध-XI

भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनरुद्धार/ पुनर्गठन के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत निविष्टियां

दिनांक 31.03.2009 **की यथास्थिति**

(करोड़ रुपए में)

क्रमांक	सरकारी क्षेत्र का उद्यम	भारत सरकार की नई निधियां		माफी/ रूपांतरण	भारत सरकार की गारंटी	जोड़
		निवेश पूंजी	अन्य			
1.	हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर	4.28	शून्य	66.32	शून्य	70.60
2.	ब्रिज एंड रूफ कंपनी लिमिटेड, कोलकाता	60.00	शून्य	42.92	शून्य	102.92
3.	बीबीजे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, कोलकाता	शून्य	शून्य	54.61	शून्य	54.61
4.	प्रागा टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद (आंध्र प्रदेश)	5.00	शून्य	177.12	32.59	214.71
5.	हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन, रांची	102.00	शून्य	1116.30	150.00	1368.30
6.	एचएमटी (बियरिंग) लिमिटेड, हैदराबाद	7.40	शून्य	26.57	17.40	51.37
7.	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता	4.00	शून्य	112.91	शून्य	116.91
8.	सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली	30.67	153.62	1252.25	15.70	1452.24
9.	भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड, इलाहाबाद	शून्य	3.37	153.15	शून्य	156.52
10.	एचएमटी (एमटी) लिमिटेड	180.00	543.00	157.80	—	880.80
11.	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	29.56	87.06	154.75	111.96	383.33
12.	नेशनल इंस्ट्रूमेंटस लिमिटेड	—	1.81	240.05	—	241.86
13.	नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड*	251.26	38.19	126.98	252.99	669.42
14.	टायर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	—	—	815.59	—	815.59
15.	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	—	—	504.36	45.00	549.36
	कुल	**674.17**	**823.68**	**5001.68**	**629.01**	**7128.54**

मौजूदा प्रदत्त पूंजी को 120.20 करोड़ रुपए से 12.02 करोड़ रुपए तक कम करने के कारण पूंजी घटाव निधि को समंजित करने के लिए 108.18 करोड़ रुपए प्रति शेयर 1000 रुपए से शेयर का अंकित मूल्य घटाकर 100 रुपए प्रति शेयर करके।

अनुबंध-XII

वर्ष 2009 के लिए नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट से महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा अवलोकन

वर्ष 2009 की रिपोर्ट सं. सीए 24 का अध्याय-9 भारी उद्योग विभाग से संबंद्ध है

भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड

1. कंपनी ने एक निजी पार्टी को अनियमिततापूर्वक 82.72 लाख रुपए का सेवा प्रभार बापस किया।

(वर्ष 2009 की रिपोर्ट सं. सीए 24 का पैरा सं. 9.1.1)

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

2. अपर्याप्त आयोजनो के कारण कंपनी सुपदुर्दगी समय अनुसूची का पालन नहीं कर सकी और उसने 26.95 करोड़ रुपए का परिहार्य व्यय किया।

(वर्ष 2009 की रिपोर्ट सं. सीए 24 का पैरा सं. 9.2.1)

3. कंपनी ने उस अवधि के दौरान जब व्यावसायिक प्रतिबंध लगाया एक प्रतिबंधित कंपनी की 26.61 करोड़ मूल्य का ठेका देकर अपने निर्धारित दिशानिर्देशों और नीतिगत पद्धतियों का उल्लंघन किया।

(वर्ष 2009 की रिपोर्ट सं. सीए 24 का पैरा सं. 9.2.2)

4. कंपनी ने अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व स्कीम के उल्लंघन में एक स्पोर्टस स्टेडियम में प्रकाश व्यवस्था के लिए 5 करोड़ रुपए स्वीकृत और संवितरित किए

(वर्ष 2009 की रिपोर्ट सं. सीए 24 का पैरा सं. 9.2.3)

5. अंत प्रयोक्ता की आवश्यकताओं का उचित विश्लेषण किए बिना न्यूनतम मूल्य के नीचे पर खरीद आदेश स्वीकार करने के कारण कंपनी को 4.60 करोड़ रुपए का घाटा हुआ।

(वर्ष 2009 की रिपोर्ट सं. सीए 24 का पैरा सं. 9.2.4)

6. अपनी क्रय नीति के अनुसार दुबारा ऑर्डर देने की संभावना की खोज नहीं करके कंपनी ने 1.68 करोड़ रुपए के व्यय की बचत करने का अवसर गंवा दिया।

(वर्ष 2009 की रिपोर्ट सं. सीए 24 का पैरा सं. 9.2.5)

7. दुबारा ऑर्डर देने का विकल्प रहने के बावजूद कंपनी ने अपनी क्रय नीति का पालन नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप कंपनी को चार आउटर केसिंग की अधिप्राप्ति पर 1.57 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा

(वर्ष 2009 की रिपोर्ट सं. सीए 24 का पैरा सं. 9.2.6)

तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लिमिटेड

8. लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में कंपनी ने वेतन के अतिरिक्त नोटिस वेतन अदा किया और अनुग्रह राशि के भुगतान के संगणन में व्यैक्तिक वेतन को शामिल किया, जिससे 73.59 लाख रुपए का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

(वर्ष 2009 की रिपोर्ट सं. सीए 24 का पैरा सं. 9.3.1)

प्रोफार्मा के अनुसार बकाया पैराग्राफों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	वर्ष	पैरा/पीए रिपोर्ट की संख्या, जिस पर लेखापरिक्षा द्वारा जांच के बाद पीएसी को एटीएन प्रस्तुत किया गया है।	पैरा/पीए रिपोर्ट का ब्यौरा, जिसपर एटीएल लंबित है		
			पहली बार भी मंत्रालय द्वारा नहीं भेजे गए एटीएन की संख्या।	भेजी गई परंतु अवलोकन के साथ वापस की गई एटीएन की संख्या और लेखापरिक्षा मंत्रालय द्वारा उनकी पुन: प्रस्तुति की प्रतीक्षा कर रहा है।	लेखापरिक्षा द्वारा अंतिम रूप से जांच की गई परंतु मंत्रालय द्वारा पीएसी को प्रस्तुत नहीं की गई एटीएन की संख्या
1	2005	6	1	1	-
2	2006	7	8	1	-
3	2007	9	7	4	
4	2008	2	33	7	-
5	2009	-	7	1	-
कुल		**24**	**49**	**14**	-

संकेताक्षर

एएआईएफआर	औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण
एसीएमए	ऑटोमोटिव संघटक विनिर्माता संघ
एआरएआई	ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया
एवाईसीएल	एण्ड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड
बीबीजे	ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसप कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड
बीबीयूएनएल	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड
बीएचईएल	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
बीएचपीवी	भारत हैवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड
बीआईएफआर	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड
बीएलसी	भारत लेदर कारपोरेशन लिमिटेड
बीओजीएल	भारत आप्थाल्मिक ग्लास लिमिटेड
बीपीसीएल	भारत पम्प्स एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड
बीपीएमई	भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड
बीसीएल	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड
बीडब्ल्यूईएल	भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड
बीवाईएनएल	भारत यंत्र निगम लिमिटेड
बीआरपीएसई	लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड
सी डॉट	सेंटर और डेवलपमेंट ऑफ टेलिमैटिक्स
सीसीआई	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
सीसीआईएल	साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
सीईए	सेंट्रल इलेक्ट्रीसिटी अथॉरिटी
सीसीईए	केविनेट कमेटी ऑन इक्नोमिक एफेयरस
सीएनसी	कंप्यूटर न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड
सीपीएसई	केंद्रीय सरकारी क्षेत्र उद्यम
सीपीआईओ	केंद्रीय जनसूचना अधिकारी
सीपीएलवाई	पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि
डीओई	डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रानिक्स
ईईसी	यूरोपियन इकानामिक कम्युनिटी
ईएफवी	इनवायरलमेंटल फरेन्डली व्हीकल
ईओटी	इलेक्ट्रिली आपरेटेड ट्रॉली
ईपीसी	इंजीनियरी अधिप्राप्ति और निर्माण
ईपीआई	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
ईईपीसी	इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद्
एफबीपी	फल्युडाइज्ड बैड कंबुस्शन
एफसीआरआई	फल्यूड कंट्रोल रिसर्च इन्स्टीट्यूट
एफएफपी	फाउंड्री फोर्ज प्लांट
एचसीएल	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
एचएमबीपी	हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट
एचएमटी (आई)	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (इंटरनेशनल) लिमिटेड
एचएमटीपी	हैवी मशीन टूल्स प्लांट
एचपीसी	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड
एचएनएल	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड
एचपीएफ	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
एचएसएल	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड
आईएल	इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड
आईएसआरओ	इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गेनाइजेशन

आईसीजीसीसी	एकीकृत कोयला गैसीकरण संयुक्त चक्र
जेपीएमएल	जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड
जेवीसी	संयुक्त उपक्रम कंपनी
जेसप	जेसप एंड कंपनी लिमिटेड
जेएनएनयूआरएम	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन
केवी	किलोवोल्ट
केडब्ल्यू	किलो वाट
लगन जूट	लगन जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड
ओए	प्रचालनकर्ता एजेंसी
एमएएमसी	माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड
एमएएक्स	मेन ऑटोमेटिक एक्सचेंज
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमओएचआईएंडपीई	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
एमओईएफ	पर्यावरण और वन मंत्रालय
एमओपीएनजी	पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
एमओएसआरटी एंड एच	नौवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
एमटी	मीट्रिक टन
एमयूएल	मारुति उद्योग लिमिटेड
एमवीए	मेगा वोल्ट एम्पीयर्स
एमडब्ल्यू	मेगा वाट
एनबीसीआईएल	नेशनल बाइसाईकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
एनसी	न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड
नेपा	नेपा लिमिटेड
एनपीसीआईएल	न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
एनआईडीसी	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड
नैट्रिप	राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और आरएण्डडी अवसंरचना परियोजना
पीएसई	सरकारी क्षेत्र के उद्यम
पीडब्ल्यूडी	विकलांग व्यक्ति
पीटीएल	प्रागा टूल्स लिमिटेड
आर एंड सी	रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड
आरडीएसओ	रिसर्च डिजाइन एंड स्टैन्डर्ड आर्गेनाइजेशन
आरआईसी	रिहेब्लिीटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड
आरएसडब्ल्यू	रेडिएशन शील्डिंग विंडो
आरटीआई	सूचना का अधिकार अधिनियम
एसआईएएम	भारतीय आटोमोबाइल विनिर्माता सोसायटी
एसआईएल	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड
एसआईएटी	अंतर्राष्ट्रीय आटोमोटिव प्रौधोगिकी पर संगोष्ठि
एसएसएल	सांभर सालट्स लिमिटेड
टैफ्को	टेनरी एंड फुटवीयर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
टीसीआईएल	टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
टीएसएल	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड
टीएसपी	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड
यूएनडीपी	युनाईटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम
यूएनआईडीओ	युनाईटेड नेशन्स इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन
वीआरएस	स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना
वीआरडीई	वाठन अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान
डब्ल्यूआईएल	वेबर्ड (इंडिया) लिमिटेड
डब्ल्यूपी	कार्यशील पार्टी

लोक उद्यम विभाग

		पृष्ठ संख्या
1.	लोक उद्यम सर्वेक्षण	83
2.	केंद्रीय सरकारी उद्यमों को स्वायत्तता	86
3	नैगम अभिशासन तथा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडलों का व्यावसायीकरण	92
4.	केंद्रीय सरकारी उद्यमों में समझौता ज्ञापन प्रणाली	96
5.	मानव संसाधन विकास	102
6.	स्थायी मध्यस्थता तंत्र	105
7.	मजूरी नीति एवं श्रमशक्ति यौक्तिकीकरण	106
8.	केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का वर्गीकरण	109
9.	सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई)	110
10.	परामर्श, पुन:प्रशिक्षण तथा पुन:नियोजन योजना (सीआरआर)	112
11.	केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में व्यय प्रबंध आर्थिक उपाय एवं व्यय का यौक्तिकरण	114
12.	राजभाषा नीति	115
13.	महिलाओं का कल्याण	116
	अनुबंध (I - V)	117–124

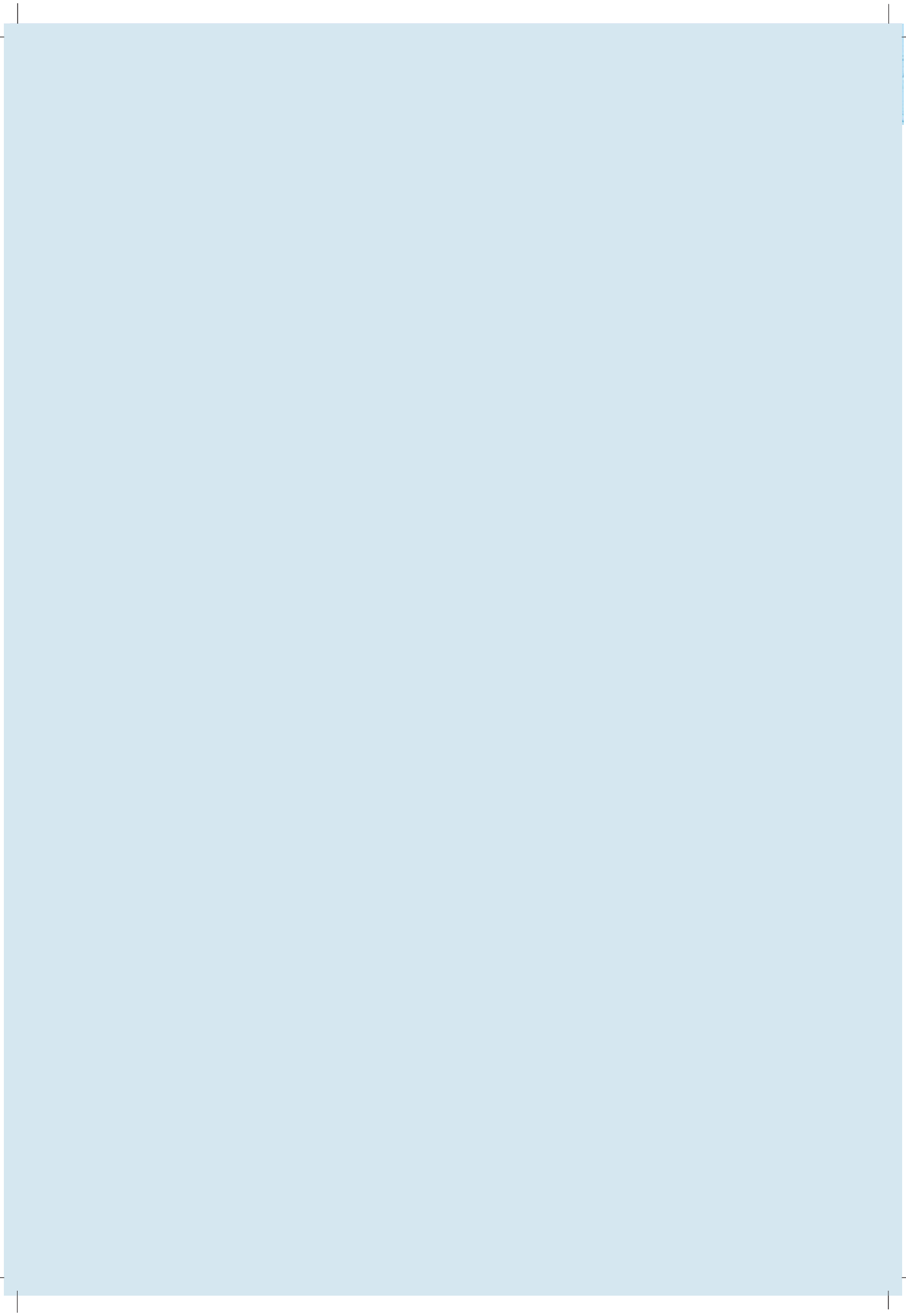

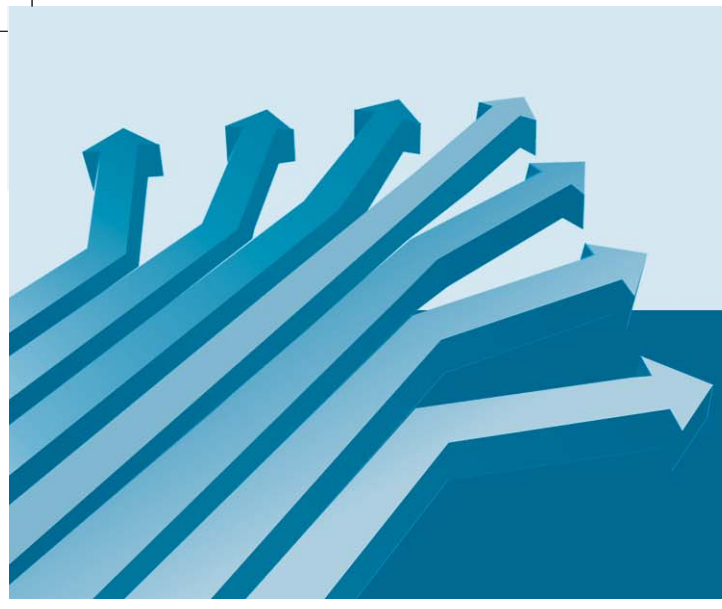

अध्याय 1

लोक उद्यम सर्वेक्षण

1.1 लोक उद्यम विभाग (डीपीई) हर वर्ष केन्द्रीय सरकारी उद्यमों (सीपीएसईएस) के वित्तीय एवं भौतिक कार्यनिष्पादन से संबंधित व्यापक रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करता है जिसे लोक उद्यम सर्वेक्षण कहते हैं।

1.2 प्राक्कलन समिति ने अपनी 73वीं रिपोर्ट (1959-60) में सरकार से यह सिफारिश की थी कि प्रत्येक उद्यम की हर वर्ष सदन के दोनों पटलों पर रखी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट के अलावा सरकार संसद के समक्ष एक अलग (विस्तृत) रिपोर्ट प्रस्तुत करे, जिसमें सरकारी उद्यमों के कार्यचालन का सम्पूर्ण मूल्यांकन हो। तदनुसार, पहली वार्षिक रिपोर्ट (लोक उद्यम सर्वेक्षण) 1960-61 में तैयार की गई थी, जिसे पूर्ववर्ती सरकारी उद्यम ब्यूरो (अब लोक उद्यम विभाग) ने तैयार किया था।

1.3 लोक उद्यम सर्वेक्षण में भारत सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित सरकारी कम्पनियाँ अथवा संसद की विशिष्ट संविधियों के अधीन सांविधिक निगमों के रूप में स्थापित केन्द्रीय सरकारी उद्यम शामिल हैं। इस सर्वेक्षण में केवल वे सरकारी कम्पनियां और उनकी सहायक कम्पनियां ही शामिल हैं, जिनकी चुकता पूंजी में केन्द्रीय सरकार की शेयरधारिता 50 प्रतिशत से अधिक है। बहरहाल, इसमें सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक शामिल नहीं हैं।

1.4 सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति (कोपू) ने अपनी 46वीं रिपोर्ट (5वीं लोक सभा) में लोक उद्यम सर्वेक्षण से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं, यथा विषय क्षेत्र, परिव्याप्ति, उपक्रमों के वर्गीकरण, रिपोर्ट की विषयवस्तु प्रस्तुतीकरण का समय तथा लोक उद्यम सर्वेक्षण सम्बन्धी अन्य मामलों को शामिल किया था। लोक उद्यम सर्वेक्षण तैयार करते समय कोपू की सिफारिशों को भी ध्यान में रखा है।

1.5 इस सर्वेक्षण के लिए आधारभूत आंकड़े प्रत्येक उद्यम द्वारा इस विभाग को प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट तथा तुलन-पत्र से संकलित किए गए हैं। इस प्रकार संकलित और विश्लेषित आंकड़े तीन अलग-अलग खण्डों में प्रस्तुत किए जाते हैं।

1.5.1 **खण्ड-1**- में व्यापक भौतिक और वित्तीय प्राचलों के संदर्भ में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन का वृहत मूल्यांकन एवं विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। इस खण्ड के विभिन्न अध्यायों में सरकारी उद्यम के प्रमुख क्रियाकलापों तथा उनके द्वारा विवेच्य वर्ष के दौरान की गई प्रगति को दर्शाया जाता है। इसमें मूल्य नीति, उत्पादकता, अनुसंधान एवं विकास, अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन, मानव संसाधन विकास तथा कल्याण के उपाय जैसे मुद्दे भी शामिल हैं।

1.5.2 **खण्ड-2**- में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के व्यापारिक कार्यकलापों, प्रचालन परिदृश्य तथा वित्तीय व भौतिक निष्पादन संबंधि मुख्य-मुख्य बातों का विश्लेषण विभिन्न क्षेत्रीय समूहों के आधार पर किया जाता है और उसके बाद प्रत्येक उद्यम का पृथक-पृथक विश्लेषण शामिल किया जाता है।

1.5.3 **खण्ड-3**- में गत तीनो वर्षों अर्थात 2008-09, 2007-08 तथा 2006-07 के उद्यमवार विश्लेषणात्मक आंकड़े शामिल होते हैं। इस सूचना में संक्षिप्त तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखे और महत्वपूर्ण प्रबंध अनुपात शामिल होते हैं।

1.6 लोक उद्यम सर्वेक्षण (2008-09) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के समय कार्यनिष्पादन से सम्बन्धित 49वीं रिपोर्ट है *जिसे बजट सत्र (फरवरी, 2010) के दौरान संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।*

1.7 वर्ष 2008-09 के दौरान केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन का संक्षिप्त उल्लेख नीचे किया गया है:-

1.7.1 31.03.2009 तक विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन 246 केन्द्रीय सरकारी उद्यम (सीपीएसईए) थे। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन 246 उद्यमों में से 213 उद्यम प्रचालन में रहे हैं और 33 उद्यमों को अभी प्रचालन प्रारंभ करना है।

1.7.2 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के जिन 213 प्रचालनरत उद्यमों से सूचना प्राप्त हुई है उनमें से 158 उद्यमों ने वर्ष 2008-09 के दौरान लाभ दर्शाया है और 54 उद्यमों ने विवेच्य वर्ष के दौरान घाटा उठाया है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के एक उद्यम, नामत: भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के मामले में लाभ/हानि 'शून्य' है, क्योंकि खाद्यान्नों का प्रापण तथा निर्गम मूल्य का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है और आर्थिक लागत तथा मूल्य वसूली के बीच अन्तर की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में की जाती है।

1.7.3 31.3.1951 तक 5 उद्यमों में संचयी निवेश (चुकता पूँजी तथा दीर्घकालीक ऋण) 29 करोड़ रुपए था जो 31.3.2009 तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 246 उद्यमों में बढ़ कर 528951 करोड़ रुपए हो गया। यद्यपि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों में 2007-08 की तुलना में 2008-09 में 'निवेश' में 16.16% की वृद्धि हुई जबकि इस अवधि के दौरान नियोजित पूंजी में 9.62% की बढ़ोतरी हुई। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में आन्तरिक संसाधनों के माध्यम से अर्थात किसी बजटीय सहायता के बिना पर्याप्त मात्रा में निवेश किया जा रहा है।

1.7.4 वर्ष 2008-09 में लाभ अर्जित करने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों (158) का निवल लाभ 98.652 करोड़ रुपये रहा। उस वर्ष के दौरान घाटा उठाने वाले उद्यमों (54) का निवल घाटा 14424 करोड़ रुपये था। इसमें नेशनल एविएशन कम्पनी ऑफ इण्डिया लि. (5443 करोड़ रुपये), ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि. (2106 करोड़ रुपये), हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यु. कं. लि. (876 करोड़ रुपये) फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (753 करोड़ रुपये) का लेखांकन घाटा शामिल है।

1.7.5 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को वित्तीय उद्देश्य के अलावा वृहत आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करना होता है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) तथा भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम लि. (एलएफआईएमसीओ) आदि ऐसे केन्द्रीय सरकारी उद्यम हैं जो गैर-वित्तीय/सामाजिक उद्देश्यों पर अधिक बल देते रहे हैं। विवेच्च वर्ष में घरेलू बाजार में कीमतें कम रखने के लिए सरकारी क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसी) को पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री कम मूल्यों पर करनी पड़ी।

वर्ष 2008-09 के दौरान केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन की मुख्य-मुख्य बातों का उल्लेख नीचे किया गया है:-

तालिका : वर्ष 2008-09 के दौरान केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का कार्यनिष्पादन

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2008-09	2007-08	पिछले वर्ष की तुलना में % परिवर्तन
1.	निवेश (दीर्घकालिक ऋण + इक्विटी	528951	455367	16.16
2.	नियोजन पूँजी (निवल अचल परिसम्पतियाँ + कार्यशील पूंजी)	793096	723719	9.62
3.	कुल कारोबार	1263405	1094484	15.43
4.	लाभ कमाने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का लाभ	98652	91571	7.73
5.	हानि उठाने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की हानि	14424	10257	40.63
6.	निवल मूल्य	584072	518530	12.64
7.	घोषित लाभांश	25493	28081	-9.21
8.	निगम कर	151728	165994	-8.59
9.	प्रदत्त ब्याज	40338	32200	25.25
10.	केन्द्रीय राजकोष में अंशदान	151728	165994	-8.59
11.	विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आय	74184	67678	9.61
	11.1 तेल कम्पनियाँ	48422	46051	5.15
	11.2 अन्य कम्पनियाँ	25762	21627	19.12
12.	विदेशी मुद्रा परिव्यय	428821	368228	16.46
	12.1 तेल कम्पनियाँ	278989	257723	8.25
	12.2 अन्य कम्पनियाँ	149832	110505	35.59

श्री भास्कर चटर्जी, सचिव, लोक उद्यम विभाग, दिनांक 20-21 जनवरी, 2010 को कोलकाता में आयोजित की गई लोक उद्यमों संबंधी क्षेत्रीय कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए

अध्याय 2

केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को स्वायत्तता

2.1 सरकार सरकारी उद्यमों को स्वायत्त निदेशक मण्डल द्वारा प्रबन्धित कम्पनियाँ बनाने का प्रयास करती रही है। संस्था के अन्तर्नियमों के अन्तर्गत सरकारी उद्यमों को निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति तथा अन्य सेवा शर्तों के मामले में स्वायत्तता प्राप्त है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के किसी उद्यम का निदेशक मण्डल सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए व्यापक दिशा-निर्देशों के अध्याधीन प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करता है। सरकार ने महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न जैसी विभिन्न योजनाओं के अधीन लाभार्जनकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों को अधिक शक्तियां प्रदान की हैं जिनका उल्लेख अग्रवर्ती पैराग्राफों में किया गया है।

2.2 नवरत्न श्रेणी के केन्द्रीय सरकारी उद्यम

2.2.1 इस योजना के अंतर्गत, सरकार ने उन उद्यमों को अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं जो तुलनात्मक रूप से लाभप्रद स्थिति में हैं तथा वर्तमान में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में 18 नवरत्न उद्यम हैं, जो निम्नलिखित हैं:-

(i) भारत इलेक्ट्रानिक्स लि.

(ii) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि.

(iii) भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि.

(iv) कोल इण्डिया लि.

(v) गेल (इण्डिया) लि.

(vi) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि.

(vii) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि.

(viii) इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि.

(ix) महानगर टेलीफोन निगम लि.

(x) नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी लि.

(xi) एन एम डी सी लि.

(xii) एनटीपीसी लि.

(xiii) तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि.

(xiv) पॉवर फाइनेन्स कॉरपोरेशन लि.

(xv) पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.

(xvi) रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लि.

(xvii) शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.

(xviii) स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि.

2.2.2 नवरत्न श्रेणी के केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों को वर्तमानत: निम्नलिखित शाक्तियां प्रत्यायोजित की गई है:-

(i) **पूंजीगत व्यय :** केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उद्यमों को बिना किसी मौद्रिक सीमा के नई मदों की खरीद करने अथवा प्रतिस्थापन पर पूंजीगत व्यय करने की शक्ति प्राप्त है।

(ii) **प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम तथा रणनीतिक गठबंधन :-** केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उद्यमों की प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम स्थापित करने अथवा रणनीतिक गठबंधन करने की शक्ति प्राप्त है और साथ ही वे क्रय अथवा अन्य व्यवस्था के जरिए प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

(iii) **संगठनात्मक पुनर्गठन :-** केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उद्यमों को लाभ केन्द्रों की स्थापना करने, भारत तथा विदेशों में कार्यालय खोलने, नए कार्यकलाप केन्द्रों की स्थापना करने आदि सहित संगठनात्मक पुनर्गठन करने की शक्ति प्राप्त है।

(iv) **मानव संसाधन प्रबंधन :-** नवरत्न श्रेणी के केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को गैर-निदेशक मण्डल

स्तर तक के सभी पदों का सृजन व समापन करने तथा इस स्तर तक की सभी नियुक्तियाँ करने की शक्ति प्राप्त है। इन उद्यमों के निदेशक मण्डलों को आन्तरिक स्थानान्तरण करने तथा पदों का पुनः नामकरण करने की भी शाक्ति सौंपी गई है। नवरत्न श्रेणी के उद्यमों के निदेशक मण्डलों को निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के कार्यपालकों के मामले में मानव संसाधन प्रबंधन (नियुक्तियाँ, स्थानान्तरण, तैनाती आदि) संबंधी शक्तियाँ उद्यम के निदेशक मण्डल के निर्णयानुसार निदेशक मण्डल की उप समितियों अथवा उद्यम के कार्यपालकों को प्रत्यायोजित करने की शक्ति प्राप्त हैं।

(v) **संसाधन संग्रहण :-** इन सरकारी उद्यमों को घरेलू पूंजी बाजार से ऋण प्राप्त करने तथा अन्तरराष्ट्रीय बाजार से ऋण लेने की शक्ति प्रदान की गई है बशर्ते कि प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से आर बी आई/आर्थिक कार्य विभाग, जैसा अपेक्षित हो, का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

(vi) **संयुक्त उद्यम तथा सहायक कम्पनियाँ :-** केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उद्यमों को भारत और विदेशों में वित्तीय संयुक्त उद्यम तथा पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कम्पनियों की स्थापना करने की शक्ति इस शर्त पर प्रत्यायोजित की गई है कि उनमें इक्विटी निवेश निम्नलिखित सीमा के अंतर्गत होगा:-

i. किसी एक परियोजना में 1000 करोड़ रुपए

ii. किसी एक परियोजना में केन्द्रीय सरकारी उद्यम की निवल परिसंपत्ति के 15% तक

iii. सभी संयुक्त उद्यमों/सहायक कम्पनियों में पूंजीनिवेश केन्द्रीय सरकारी उद्यम की निवल परिसंपत्ति के 30% तक हो।

(vii) **संविलयन तथा अधिग्रहण :** केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उद्यमों को संविलयन तथा अधिग्रहण से संबंधित शक्तियाँ इन शर्तो के अन्तर्गत प्रत्यायोजित की गई हैं कि (i) यह सरकारी उद्यम की विकास योजना और कम्पनी के कार्यचालन के प्रमुख क्षेत्र में हों (ii) संयुक्त उद्यमों/सहायक कम्पनियों की स्थापना से संबंधित शर्तें इस मामले में भी लागू होंगी और (iii) विदेशों में किए जाने वाले निवेश की सूचना आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति को दी जाएगी। साथ ही, संविलयन तथा अधिग्रहण से संबंधित शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि इससे संबंधित केन्द्रीय सरकारी उद्यम के सरकारी स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हो।

(viii) **सहायक कम्पनियों में सृजन/विनिवेश :** केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उद्यमों को सहायक कम्पनियों की परिसंपत्तियाँ अंतरित करने, नई इक्विटी पूँजी का निवेश करने तथा शेयरधारिता का विनिवेश करने की शक्ति प्राप्त है बशर्ते कि ऐसा प्रत्यायोजन उन सहायक कम्पनियों के मामले में किया जाए जो नवरत्न उद्यमों को प्रत्यायोजित की गई शक्तियों के अधीन धारक कम्पनी द्वारा स्थापित की गई हो और साथ ही संबंधित सरकारी उद्यम (सहायक कम्पनी सहित) के सरकारी स्वरूप में सरकार के पुर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जाए और नवरत्न उद्यमों को अपनी सहायक कम्पनियों से पृथक होने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(xi) **कार्यकारी निदेशकों के विदेशी दौरे :** केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्र उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों को आपात स्थिति में प्रशासनिक मंत्रालयों के सचिव को सूचित करते हुए कार्यकारी निदेशकों के 5 दिवसीय व्यापारिक विदेश दौरों का (अध्ययन दौरे, संगाष्ठी इत्यादि को छोड़कर) अनुमोदन करने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई है।

2.2.3 उपरिवर्णित शक्तियों का प्रत्यायोजन निम्नलिखित शर्तों तथा मार्गनिर्देशों के अध्याधीन है:

(क) प्रस्ताव अनिवार्य तौर पर लिखित रूप में तथा पर्याप्त समय-पूर्व पहले निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं और साथ ही उसमें संबद्ध कारकों के विशेलषण तथा अनुमानित परिणामों व लाभों का समावेश किया जाए। यदि कोई जोखिमपूर्ण कारक हो तो उसका आवश्यक तौर पर स्पष्ट उल्लेख किया जाए।

(ख) जब महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएं, खासकर यदि वे पूँजीनिवेश, व्यय अथवा संगठनात्मक/पूँजीगत पुनर्गठन से सम्बन्धित

हों, तो सरकारी निदेशक, वित्तीय निदेशक तथा सम्बन्धित कार्यकारी निदेशक अनिवार्य तौर पर उपस्थित हों।

(ग) ऐसे प्रस्ताव के मामले में निर्णय अधिमानत: सर्वसम्पति से लिए जाएँ।

(घ) यदि किसी महत्वपूर्ण मामले में सर्वसम्मति से निर्णय नहीं लिया जा सके तो बहुमत से निर्णय किया जाए, परन्तु ऐसा निर्णय लेते समय उपरिलिखित निदेशकों सहित कम-से-कम दो तिहाई निदेशक अवश्य उपस्थित हों। आपत्तियों, असहमति, उन्हें निरस्त करने और कोई निर्णय लिए जाने के कारणों को लिखित रूप से रिकार्डबद्ध किया जाए और उन्हें कार्यवृत में शामिल किया जाए।

(ङ) सरकार द्वारा किसी प्रकार की बजटीय सहायता अथवा कोई सरकारी देनदारी अन्तर्ग्रस्त न हों।

(च) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे उद्यम आंतरिक निगरानी की एक पारदर्शी प्रणाली तैयार करेंगे जिसमें निदेशक मण्डल की लेखापरीक्षा समिति की स्थापना करना और उस समिति में गैर-सरकारी निदेशकों को सदस्यता प्रदान करना शामिल होगा।

(छ) पूँजीगत व्यय, पूँजीनिवेश अथवा पर्याप्त वित्तीय या प्रबन्धकीय प्रतिबद्धताओं वाले अन्य मुद्दों से सम्बन्धित अथवा केन्द्रीय सरकारी उद्यम की संरचना एवं कार्यचालन पर दीर्घावधिक प्रभाव डालने वाले सभी प्रस्ताव व्यावसायिकों या विशेषज्ञों द्वारा तथा उनकी सहायता से तैयार किए जाएँ तथा उपयुक्त मामलों में उनका मूल्यांकन वित्तीय संस्थानों अथवा सम्बन्धित क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले ख्यातिप्राप्त व्यावसायिक संगठनों द्वारा किया जाए। वित्तीय मूल्यांकन में मूल्यांकन संस्थानों को ऋण या इक्विटी सहभागिता के माध्यम से शामिल करने को वरीयता दी जानी चाहिए।

(ज) प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम स्थापित करने तथा रणनीतिक गठबन्धन करने सम्बन्धी प्राधिकार का प्रयोग सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले आदेशों के अनुसार किया जाएगा।

(झ) प्रत्यायोजित किए गए अधिक प्राधिकार के प्रयोग के पूर्व प्रथम चरण के तौर पर केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों के निदेशक मण्डलों में कम-से-कम चार गैर-सरकारी निदेशकों को शामिल करके उनका पुनर्गठन किया जाना चाहिए।

(ञ) ये सरकारी उद्यम बजटीय सहायता अथवा सरकारी गारण्टी पर निर्भर नहीं रहेंगे। उनके कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित संसाधन उनके आंतरिक स्त्रोतों अथवा पूंजी बाजार सहित अन्य स्त्रोतों से जुटाए जाने चाहिए। बहरहाल, ये जिन मामलों में बाह्य ऋणदाता अभिकरणों की मानक शर्तों के अनुसार सरकारी गारंटी अपेक्षित हो जिन मामालों में यह गारण्टी उद्यम के प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम के जरिए वित्त मंत्रालय से प्राप्त की जानी चाहिए, ऐसी सरकारी गारण्टी से नवरत्न का दर्जा प्रभावित नहीं होगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय हित की प्रायोजित परियोजनाओं तथा सरकार द्वारा प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए दी जाने वाली बजटीय सहायता के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकारी उद्यम नवरत्न का अपना दर्जा बनाए रखने से वंचित नहीं होंगे। बहरहाल, ऐसी परियोजनाओं के लिए पूंजीनिवेश करने के बारे में निर्णय सरकार द्वारा किए जाएंगे न कि सम्बन्धित केन्द्रीय सरकारी उद्यम द्वारा।

2.3 मिनीरत्न योजना

2.3.1 अक्टूबर, 1997 में, सरकार ने यह निर्णय भी किया था कि लाभ अर्जित करने वाली अन्य कम्पनियों को कतिपय पात्रता शर्तों के अध्याधीन अधिक स्वायत्तता दी जाए तथा अधिक वित्तीय शक्तियाँ प्रत्यायोजित की जाएँ ताकि उन्हें दक्ष व प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। इन कम्पनियों को मिनीरत्न कहा जाता है और इनकी दो श्रेणीयाँ हैं, श्रेणी-I तथा श्रेणी-II इनसे सम्बन्धित पात्रता की शर्तें इस प्रकार है:-

(i) **श्रेणी-I** के केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को विगत तीन वर्षों में लगातार लाभ अर्जित करने वाला होना चाहिए और इन तीन वर्षों में कम-से-कम किसी एक वर्ष में उनका कर पूर्व लाभ 30 करोड़ रुपए या इससे अधिक होना चाहिए तथा उनकी निवल परिसम्पति घनात्मक होनी चाहिए।

(ii) **श्रेणी-II** के केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को विगत तीन वर्षों के दौरान निरन्तर लाभ अर्जित करने वाला होना चाहिए तथा उनकी निवल परिसम्पति घनात्मक होनी चाहिए।

(iii) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के ये उद्यम शक्तियों के अधिक प्रत्यायोजन के पात्र होंगे बशर्ते कि उन्होंने सरकार को देय किसी ऋण/ऋण पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की हो।

(iv) ये सरकारी उद्यम बजटीय सहायता अथवा सरकार की गारण्टी पर निर्भर नहीं करेंगे।

(v) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों द्वारा प्राधिकार के अधिक प्रत्यायोजन का प्रयोग करने के पूर्व निदेशक मण्डलों में कम-से-कम तीन गैर-सरकारी निदेशकों को शामिल करके उनका पुनर्गठन किया जाना चाहिए।

(vi) अधिक शाक्तियों के प्रयोग के पूर्व सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय को यह निर्णय करना पड़ेगा कि केन्द्रीय सरकार क्षेत्र का कोई उद्यम श्रेणी-I/श्रेणी-II की अपेक्षाएँ पूरी करता है या नहीं।

2.3.2 फिलहाल, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के मिनी रत्न उद्यमों को निर्णय करने सम्बन्धी निम्नलिखित प्राधिकार प्रायोजित किए गए हैं:-

(i) पूंजीगत व्यय

(क) **श्रेणी-I के केन्द्रीय सरकारी उद्यम के लिए:-** नई परियोजना, आधुनिकीकरण, उपस्करों की खरीद आदि के सम्बन्ध में सरकार के अनुमोदन के बिना 500 करोड़ रुपए, अथवा अपनी निवल परिसम्पति के तुल्य, इनमें जो कम हो, पूंजीगत व्यय करना।

(ख) **श्रेणी-II के केन्द्रीय सरकारी उद्यम के लिए:-** नई परियोजनाओं, आधुनिकीकरण, उपस्करों की खरीद आदि के सम्बन्ध में सरकार के अनुमोदन के बिना 250 करोड़ रुपए, अथवा अपने निवल मूल्य के 50% के तुल्य, इनमें जो कम हो, पूँजीगत व्यय करना।

(ii) संयुक्त उद्यम एवं सहायक कम्पनियाँ

(क) **श्रेणी-I के केन्द्रीय सरकारी उद्यम :-** भारत में इस शर्त पर संयुक्त उद्यमों तथा सहायक कम्पनियों की स्थापना करना कि किसी एक उद्यम में इक्विटी निवेश केन्द्रीय सरकारी उद्यम के निवल मूल्य के 15% अथवा 500 करोड़ रुपए, इनमें जो कम हो, से अधिक नहीं हो। कुल मिलाकर सभी परियोजनाओं में ऐसा पूँजीनिवेश केन्द्रीय सरकारी उद्यम की निवल मूल्य के 30% से अधिक नहीं हो।

(ख) **श्रेणी-II के केन्द्रीय सरकारी उद्यम :-** भारत में इस शर्त पर संयुक्त उद्यमों तथा सहायक कम्पनियों की स्थापना करना कि किसी एक उद्यम में इक्विटी निवेश केन्द्रीय सरकारी उद्यम के निवल मूल्य के 15% अथवा 250 करोड़ रुपए, इनमें जो कम हो, से अधिक नहीं हो। सभी परियोजनाओं में ऐसा निवेश केन्द्रीय सरकारी उद्यम की निवल मूल्य के 30% से अधिक नहीं हो।

(iii) संविलयन तथा अधिग्रहण : केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों के निदेशक मण्डलों को संविलयन तथा अधिग्रहण से सम्बन्धित शक्तियाँ प्राप्त हैं बशर्ते कि (क) यह सरकारी उद्यम की विकास योजना तथा उसके कार्यचालन से सम्बन्धित प्रमुख क्षेत्र में हो, (ख) इस सम्बन्ध में शर्तें वही लागू होंगी जो संयुक्त उद्यमों/सहायक कम्पनियों की स्थापना के मामले में लागू होती हैं, और (ग) विदेशों में किए गए पूँजीनिवेश के बारे में आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति को सूचित किया जाए। साथ ही, संविलयन तथा अधिग्रहण से सम्बन्धित शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार किया जायेगा कि इससे सम्बन्धित केन्द्रीय सरकारी उद्यम के सरकारी स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हो।

(iv) मानव संसाधन विकास सम्बन्धी योजना :- कार्मिक एवं मानव संसाधन प्रबन्धन, प्रशिक्षण, स्वैच्छिक अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति योजना इत्यादि से सम्बन्धित स्कीमें तैयार करना और क्रियान्वित करना। इन सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों को निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के कार्यपालकों के सम्बन्ध में मानव संसाधन प्रबन्धन (नियुक्तियाँ, स्थानांतरण, तैनाती इत्यादि) से सम्बन्धित शक्तियाँ निदेशक मण्डल की उप समितियों अथवा सरकारी उद्यमों के कार्यपालकों को, सरकारी उद्यम के निदेशक मण्डल द्वारा जैसा भी निर्णय किया जाए, को प्रत्यायोजित करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं।

(v) कार्यकारी निदेशकों के विदेश दौरे :- केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों के मुख्य कार्यपालक को आपात स्थिति में प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव को सूचित करते हुए कार्यकारी निदेशकों के 5 दिवसीय विदेश व्यापार दौरे (अध्ययन दौरे, संगोष्ठी से भिन्न) का अनुमोदन करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं।

(vi) प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम और रणनीतिक गठबंधन :- समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों के अध्याधीन प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम/रणनीतिक गठबन्धन में भागीदारी करना और खरीद अथवा अन्य व्यवस्था के द्वारा प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी जानकारी प्राप्त करना।

(vii) सहायक कम्पनियों में विनिवेश सृजन :- सहायक कम्पनियों को परिसम्पत्तियाँ, अंतरित करना, उनमें नई इक्विटी का निवेश करना तथा उनकी शेयरधारिता

का अंतरण करना, बशर्ते कि प्रत्यायोजन मिनीरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत धारक कम्पनी द्वारा स्थापित सहायक कम्पनियों के मामले में किया गया हो और साथ ही सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना सम्बन्धित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे मिनीरत्न उद्यमों के लिए अपनी सहायक कम्पनियों से अलग होने से पूर्व सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

2.3.3 शक्तियों के उपरोक्त प्रत्यायोजन के मामले में वही शर्तें लागू होंगी जो नवरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मामले में लागू होती हैं।

2.4 अन्य लाभार्जनकारी सरकारी उद्यम

2.4.1 जिन सरकारी उद्यमों ने 3 पूर्ववर्ती लेखा वर्षों में प्रत्येक वर्ष में लाभ दर्शाया हो और जिनकी निवल घनात्मक हो, उन्हें अन्य लाभार्जनकारी सरकारी उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों को निम्नलिखित बढ़ी हुई शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं:-

(i) **पूँजीगत व्यय:** - केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों को सरकार के अनुमोदन के बिना 150 करोड़ रुपए अथवा निवल मूल्य के 50% के बराबर, इनमें से जो भी कम हो, पूँजीगत व्यय करने का अधिकार प्राप्त है। उपर्युक्त प्रत्यायोजन निम्नलिखित के अध्याधीन है:

(क) अनुमोदित पंचवर्षीय योजना तथा वार्षिक योजनाओं में शामिल करना और उसके व्यय के लिए प्रावधान करना।

(ख) अपेक्षित राशि की व्यवस्था कम्पनी के आंतरिक संसाधनों तथा बजटेत्तर साधनों से की जा सके और सरकार द्वारा अनुमोदित पूँजीगत बजट में शामिल स्कीम पर ही धनराशि खर्च की जाए।

(ii) **कार्यकारी निदेशकों के विदेश दौरे :** - केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालक को आपातस्थिति में प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव को सूचित करते हुए कार्यकारी निदेशकों के 5 दिवसीय व्यापारिक विदेश दौरों (अध्ययन दौरे, संगोष्ठि इत्यादि को छोड़कर) का अनुमोदन करने की शक्ति प्राप्त है। मुख्य कार्यपालक सहित अन्य सभी मामलों में विदेश दौरों के लिए प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के मंत्री का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित बना रहेगा।

2.5 महारत्न योजना

2.5.1 सरकार ने वर्ष 1997 में नवरत्न योजना की शुरूआत की थी जिससे तुलनात्मक रूप से लाभप्रद स्थिति वाले उद्यमों की पहचान की जा सके तथा विश्वस्तरीय स्वास्थ्य धारण कर पाने के अभियान में उनकी सहायता की जा सके। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उद्यमों के निदेशक मण्डलों को (i) पूंजीगत व्यय (ii) संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों में निवेश (iii) संविलयन व अधिग्रहण (iv) मानव संसाधन प्रबंधन आदि के क्षेत्र में शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। फिलहाल, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में 18 नवरत्न उद्यम हैं।

2.5.2 नवरत्न का दर्जा प्रदान करने संबंधी वर्तमान मानदण्ड आकार-निरपेक्ष है। गत वर्षों के दौरान कुछेक नवरत्न कंपनियों का आकार काफी बड़ा हो गया है और अपनी समकक्ष कंपनियों की तुलना में उनके प्रचालन का दायरा बहुत अधिक बढ़ गया है। नवरत्न श्रेणी में ऊपरी पायदान पर आने वाले केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के जिन उद्यमों में भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां (एमएनसी) बन पाने की क्षमता है, उन्हें एक पृथक वर्ग अर्थात महारत्न में रखा जाएगा। ऊंचे दर्जे के कारण अन्य नवरत्न कंपनियों को प्रोत्साहन प्राप्त होगा, उन्हें ब्राण्ड-मूल्य प्राप्त हो सकेगा तथा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को अधिक शक्तियों के प्रत्यायोजन का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।

2.5.3 महारत्न योजना का मुख्य उद्देश्य केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के वृहताकार उद्यमों को अपने प्रचालन-क्षेत्र विस्तार करने तथा विश्वस्तरीय कंपनी बनने के लिए अधिक शक्तियां प्रदान करना है। महारत्न योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के बड़े उद्यमों को अपने प्रचालन का विस्तार करने तथा वैश्विक कंपनी बनने में सहायता मिल सकेगी।

2.5.4 निम्नलिखित मानदण्डों को पूरा करने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को महारत्न का दर्जा प्रदान करने पर विचार किया जाएगा:-

(क) नवरत्न श्रेणी का उद्यम है;

(ख) सेबी के विनियमों के अंतर्गत न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता सहित भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कुल वार्षिक कारोबार का औसत 25,000 करोड़ रुपये से अधिक का रहा हो;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उसकी औसत वार्षिक निवल परिसम्पति 15,000 करोड़ रुपये से अधिक की रही हो;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान वार्षिक कर पश्चात लाभ का औसत 5,000 करोड रुपये से अधिक का रहा हो;

(च) वैश्विक बाजार/अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन के संदर्भ में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो;

2.5.5 महारत्न का दर्जा प्रदान करने और इसकी समीक्षा करने की प्रक्रिया नवरत्न उद्यमों के मामले में लागू प्रक्रिया के समान है।

2.5.6 केन्दीय सरकारी क्षेत्र के महारत्न उद्यमों के निदेशक मण्डल नवरत्न श्रेणी के केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा प्रयुक्त शक्तियों के अतिरिक्त संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों में निवेश करने तथा निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के पदों का सृजन करने के क्षेत्र में अधिक शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। महारत्न श्रेणी के केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों को (क) भारत अथवा विदेशों में संयुक्त वित्तीय उद्यमों तथा पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियों की इक्विटी में निवेश करने और (ख) भारत अथवा विदेशों में संविलयन व अधिग्रहण का कार्य करने की शक्ति प्राप्त होगी, परन्तु शर्त यह होगी कि किसी एक परियोजना में निवेश संबंधित केन्द्रीय सरकारी उद्यम के निवल मूल्य के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो तथा 5000 करोड़ रुपये की परम सीमा (नवरत्न उद्यमों के मामले में 1000 करोड़ रुपये) के अधी हो। कुल मिलाकर सभी परियोजनाओं में इक्विटी निवेश तथा संविलयन व अधिग्रहण से संबंधित व्यय संबद्ध केन्द्रीय सरकारी उद्यम के निवल मूल्य के 30 प्रतिशत की समग्र सीमा के अधीन हो। साथ ही, महारत्न श्रेणी के केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों को ई-9 स्तर तक के पदों का सृजन करने की शक्ति प्राप्त होगी।

*****

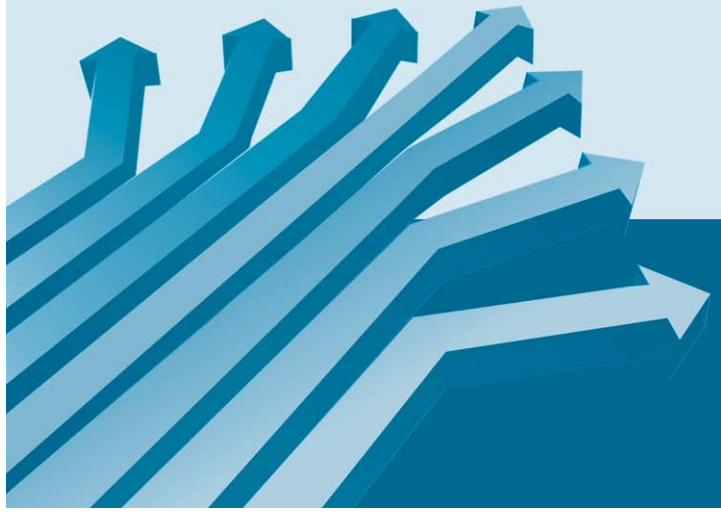

अध्याय 3

नैगम अभिशासन तथा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों का व्यावसायीकरण

3.1 नैगम अभिशासन पृष्ठभूमि

3.1.1 सम्पूर्ण विश्व में तेजी से बदलते आर्थिक परिदृश्य के कारण गत कुछ वर्षो के दौरान नैगम अभिशासन की अवधारणा ने काफी वाद-विवाद को जन्म दिया है। नैगम अभिशासन में शेयरधारकों, कर्मचारियों, ग्राहकों तथा पूर्तिकारों, विनियामक प्राधिकरणों तथा कुल मिलाकर समुदाय के सन्दर्भ में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नैगम निकायों द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियां एवं प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। सामान्य तौर पर इसका अर्थ हितधारकों, चाहे वे आंतरिक हो या ब्राह्य, के सन्दर्भ में नैगम आचरण की एक संहिता है। नैगम अभिशासन का निहितार्थ प्रबंधन प्रणाली की पारदर्शिता से है और इसमें कम्पनी के कार्यचालन से सम्बन्धित सम्पूर्ण यांत्रिकी शामिल है। इससे ऐसी प्रणाली उपलब्ध हो जाती है जिसके जरिए नैगम निकायों को निदेशित और नियंत्रित किया जाता है और साथ ही शेयरधारकों, निदेशकों, लेखा परिक्षकों तथा प्रबन्धन के बीच रोध एवं संतुलन की एक प्रणाली तैयार करने की कोशिश की जाती है।

3.1.2 भारत में, केन्द्रीय सरकारी उद्यमों सहित सभी सूचीबद्ध कम्पनियाँ सेबी के दिशानिर्देशों के दायरे में आती हैं। भारत में नैगम अभिशासन मानकों में और सुधार करने के लिए सेबी ने वर्ष 2002 में गठित एन आर नारायण मूर्ति समिति की अनुशंसाओं के आधार पर नैगम अभिशासन संहिता में संशोधन किया है। सेबी के दिशानिर्देशों के भाग 49 में सूचीबद्ध कम्पनी के लिए नैगम अभिशासन से सम्बंधित विविध प्रावधानों का अनुसरण करना अनिवार्य बना दिया गया है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी), जो 30 लोकतांत्रिक सरकारों का एक मंच हैं, ने भी नैगम अभिशासन सम्बन्धी मुद्दों पर ध्यान दिया और नैगम अभिशासन के सिद्धांतों के बारे में सुझाव दिया। सितम्बर, 2005 में ओईसीडी ने राजकीय स्वामित्व वाले उद्यमों में नैगम अभिशासन के सम्बन्ध में दिशानिर्देश परिपत्रित किया। इन दिशा-निर्देशों में कई मुद्दे शामिल हैं, जैसे (i) राजकीय स्वामित्व वाले उद्यमों में एक प्रभावी विधिक तथा विनियामक ढांचा, (ii) स्वामी के रूप में सरकार, (iii) शेयरधारकों के साथ औचित्यपूर्ण व्यवहार, (iv) हितधारकों से सम्बन्ध, (v) पारदर्शिता एवं प्रकटन और (vi) राजकीय स्वामित्व वाले उद्यमों के निदेशक मण्डलों के दायित्व।

3.1.3 वर्ष 1991 के बाद की अवधि में सरकारी क्षेत्र से सम्बन्धित नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्र की संख्या घटा दी गई थी। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों से आंतरिक संसाधन एवं ऋण की तलाश करने तथा लाभ अर्जित करने के वाणिज्यिक सिद्धांतों के अनुरूप परिचालन एवं दक्षता में सुधार पर ध्यान केन्द्रित करने की अपेक्षा की गई थी।

3.1.4 दिनांक 24.07.1991 के औद्योगिक नीति वक्तव्य के अनुसरण में लोक उद्यम विभाग द्वारा मार्च, 1992 में निदेशक मण्डलों के गठन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया था कि किसी सरकारी उद्यम के निदेशक मण्डल में कम से कम एक तिहाई गैर-सरकारी निदेशक होने चाहिए। सरकार द्वारा वर्ष 1997 में तैयार की गई नवरत्न तथा मिनीरत्न योजना में यह प्रावधान किया गया था कि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों को लेखापरीक्षा समितियों का गठन करना चाहिए। सेबी के दिशा-निर्देशों के आधार पर लोक उद्यम विभाग द्वारा नवम्बर, 2001 में कुछ और अनुदेश जारी किए गए थे जिसमें यह कहा गया था कि कार्यकारी अध्यक्ष की अध्यक्षता वाले सूचीबद्ध केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डल में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या कम से कम निदेशकों की कुल संख्या की आधी होनी चाहिए।

3.2 नैगम अभिशासन सम्बन्धी दिशानिर्देशों का प्रतिपादन

3.2.1 सरकार ने नवरत्न, मिनीरत्न तथा अन्य लाभार्जनकारी सरकारी उद्यमों को अधिक शक्यिां प्रत्यायोजित की हैं और कुछ अन्य उद्यमों को भी नवरत्न का दर्जा दिया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप सरकारी उद्यमों के लोक उत्तरदायित्व में वृद्धि हुई है। इस परिप्रेक्ष्य में सरकार ने केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए नैगम अभिशासन सम्बन्धी दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन का अनुमोदन कर दिया है। ये दिशानिर्देश लोक उद्यम विभाग द्वारा सम्बद्ध नियमों, अनुदेशों तथा प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। इन मार्ग निर्देशों को तैयार करते समय प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों, केन्द्रीय सरकारी उद्यमों, कम्पनी कार्य मंत्रालय, वित्त (व्यय) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एण्ड ए जी), भारतीय प्रत्याभूति एवं विनियम बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेट्स ऑफ इण्डिया (आईसीएआई), इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इण्डिया (आईसीएआई), इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट एण्ड वर्क्स एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया (आईसीडब्ल्युएआई), नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉरपोरेट गवर्नेंस (एनएफसीजी), इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजिज आदि जैसे विभिन्न हित धारकों के मंतव्यों पर भी विचार किया गया था।

3.2.2 ये दिशानिर्देश सभी सूचीबद्ध एवं असूचीबद्ध केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए लागू हैं और इसमें निदेशक मण्डल के गठन, लेखापरीक्षा समिति, सहायक कम्पनियों, प्रकटन, आचार एवं नीति संहिता, जोखिम प्रबन्धन तथा अनुपालन आदि जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।

3.3 निदेशक मण्डल का गठन

3.3.1 निदेशक मण्डल के गठन के मामले में यह प्रावधान किया गया है कि कार्यकारी निदेशकों की संख्या निदेशक मण्डल की वास्तविक संख्या के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा सरकार द्वारा नामित निदेशकों की संख्या अधिकतम 2 तक सीमित होगी। कार्यपालक अध्यक्ष वाले सूचीबद्ध केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मामले में गैर-सरकारी निदेशकों की कुल संख्या निदेशक मण्डल की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 50% होगी। गैर कार्यपालक अध्यक्ष वाले सूचीबद्ध एवं असूचीबद्ध केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मामले में कम से कम एक तिहाई निदेशक गैर-सरकारी निदेशक होंगे। सरकार ने गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में नियुक्ति पर विचार किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षणिक योग्यताओं, आयु तथा अनुभव से सम्बन्धित पूर्व निर्धारित मानदण्डों का भी निर्धारण किया है। सेबी के खण्ड 49 की भांति इन मार्ग निदेशों में सम्बन्धित खण्डों का समावेश किया गया है ताकि गैर-सरकारी निदेशकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके तथा सम्भावित संघर्ष से बचा जा सके। यह भी प्रावधान किया गया है कि सरकारी वित्तीय संस्थानों के अतिरिक्त किसी अन्य संस्थान द्वारा नामित निदेशकों को गैर-सरकारी निदेशक नहीं माना जाएगा।

3.3.2 यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि निदेशक मण्डल की बैठकें प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार तथा साल में 4 बार आयोजित की जाए तथा सभी सम्बन्धित जानकारी निदेशक मण्डल को प्रस्तुत की जाए। इसके अतिरिक्त निदेशक मण्डल को सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबन्धकों के लिए आचार संहिता बनानी चाहिए। इस सम्बंध में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को सहायता देने के लिए दिशानिर्देशों में एक मॉडल संहिता शामिल की गई है। दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि निदेशक मण्डल को एकीकरण तथा जोखिम प्रबन्धन प्रणाली का सुरेखण सुनिश्चित करना चाहिए और कम्पनी को निदेशक मण्डल के सदस्यों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना चाहिए।

3.4 लेखापरीक्षा समिति

3.4.1 लेखापरीक्षा समिति से सम्बन्धित प्रावधानों के अन्तर्गत यह अपेक्षित है कि केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के द्वारा एक अर्हताप्राप्त तथा स्वतंत्र लेखापरीक्षा समिति स्थापित की जाए और उसमें कम-से-कम 3 निदेशकों को सदस्य के रूप में शामिल किया जाए। इसके अतिरिक्त इस समिति के दो तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए जिसका अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक होगा। लेखापरीक्षा समिति को कम्पनी के वित्तीय मामलों में काफी शक्तियां प्रदान की गई हैं और साल में इसकी कम-से-कम 4 बैठकें आयोजित की जानी चाहिए।

3.5 सहायक कम्पनियाँ

3.5.1 सहायक कम्पनियों के मामलें में यह प्रावधान किया गया है कि धारक कम्पनी का कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक सहायक कम्पनी के निदेशक मण्डल में निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाए और धारक कम्पनी की लेखापरीक्षा समिति सहायक कम्पनियों से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण लेन-देन एवं अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी धारक कम्पनी के निदेशक मण्डल को दी जाए।

3.6 प्रकटन

3.6.1 प्रकटन सम्बन्धी प्रावधानों के अन्तर्गत सभी लेन-देन को लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। दिशानिर्देशों में यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वित्तीय विवरण तैयार करते समय विहित लेखांकन मानकों का अनुपालन किया जाए और यदि कोई अन्तर हो तो उनका स्पष्ट उल्लेख किया जाए। साथ ही, निदेशक मण्डल को जोखिम निर्धारण तथा प्रक्रियाओं के न्यूनतमीकरण बारे में अवगत कराया जाए तथा वरिष्ठ प्रबन्धन ऐसे सभी वित्तीय एवं वाणिज्यिक लेनदेन का प्रकटन निदेशक मण्डल के समक्ष करे जिनमें उनका व्यक्तिगत हित हो अथवा जहां संघर्ष की कोई सम्भावना हो।

3.7 अनुपालन

3.7.1 दिशानिर्देशों में यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में नैगम अभिशासन सम्बन्धी एक पृथक भाग हो और उसमें अनुपालन का विस्तृत ब्यौरा दिया जाए। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को इन दिशानिर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में लेखापरीक्षकों/कम्पनी सचिव से एक प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। वार्षिक आम बैठक में अध्यक्ष महोदय के भाषण में नैगम अभिशासन सम्बन्धी दिशानिर्देशों के अनुपालन का भी उल्लेख किया जाए और यह कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग हो।

3.8 कार्यान्वयन तथा श्रेणीकरण

3.8.1 लोक उद्यम विभाग उक्त दिशानिर्देशों के अनुपालन के आधार पर केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की श्रेणी का निर्धारण करेगा और इस श्रेणीकरण का उपयोग समझौता ज्ञापन पुरस्कारों के लिए किया जाएगा।

3.8.2 राज्य स्तर के सरकारी उद्यमों के महत्व को देखते हुए सभी राज्यों को भी इन दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन करने की सलाह दी गई है।

3.9 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों का व्यावसायिकीकरण

3.9.1 लोक उद्यम विभाग केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों की संरचना के सम्बंध में नीतिगत मार्गनिर्देशों का प्रतिपादन करता है। सरकारी क्षेत्र के संबंध में वर्ष 1991 से अपनाई जा रही नीति के अनुसरण में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों को व्यावसायिक बनाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। वर्ष 1992 में जारी किए गए दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों के रूप में बाहर के व्यावसायिकों को शामिल किया जाना चाहिए और ऐसे निदेशकों की संख्या निदेशक मण्डल की कुल वास्तविक सदस्य संख्या की कम-से-कम एक-तिहाई होनी चाहिए। कार्यपालक अध्यक्षता वाले केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के जिन सूचीबद्ध उद्यमों के अध्यक्ष कार्यपालक हैं उनके मामले में गैर-सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) की संख्या निदेशक मण्डल की कुल संख्या की आधी होनी चाहिए। दिशा-निर्देशों में यह भी प्रावधान है कि निदेशक मण्डल में सरकारी निदेशकों की संख्या निदेशक मण्डल की वास्तविक संख्या के छठे भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए और अधिक-से-अधिक 2 होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक निदेशक मण्डल में कुछ कार्यकारी निदेशक भी होने चाहिए जिनकी संख्या निदेशक मण्डल की वास्तविक संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3.9.2 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों में गैर-सरकारी निदेशकों के चयन व उनकी नियुक्ति के संबंध में पात्रता संबंधी निम्नलिखित मानदण्ड अंगीकार किए जा रहे हैं:-

आयु : आयु 45-65 वर्ष (न्यूनतम/अधिकतम) के बीच होनी चाहिए। ख्यातिप्राप्त व्यावसायिकों के मामले में इसमें 70 वर्ष तक की रियायत दी जा सकती है, परन्तु इसके लिए कारणों का लिखित उल्लेख करना होगा।

शैक्षणिक योग्यता : अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक है।

अनुभव : उद्योग, व्यापार व कृषि के क्षेत्र में प्रामाणिक रिकार्ड वाले ख्यातिप्राप्त व्यक्ति/किसी निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक या किसी अकादमिक संस्थान में प्रोफेसर अथवा निदेशक/विभागाध्यक्ष स्तर का विख्यात व्यावसायिक तथा चार्टर्ड लेखाकार/लागत लेखाकार के रूप में या सरकार में संयुक्त सचिव या इससे ऊपर के स्तर पर 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त है।

3.9.3 गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति से सम्बन्धित प्रस्ताव संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा प्रारम्भ किए जाते हैं। जहां तक नवरत्न व मिनीरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों

का सम्बन्ध है, गैर-सरकारी निदेशकों का चयन खोज समिति द्वारा किया जाता है जिसमें अध्यक्ष (पीईएसबी), सचिव (लोक उद्यम विभाग), केन्द्रीय सरकारी उद्यम के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव, सम्बन्धित केन्द्रीय सरकारी उद्यम के मुख्य कार्यपालक तथा गैर-सरकारी सदस्य शामिल होते हैं। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के शेष उद्यमों (नवरत्न/मिनीरत्न उद्यमों के अतिरिक्त) के मामले में लोक उद्यम चयन बोर्ड गैर-सरकारी निदेशकों का चयन करता है। खोज समिति/पीईएसबी की अनुशंसाओं के आधार पर सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग सक्षम प्राधिकारी अर्थात मंत्रिमण्डल की नियुक्ति समिति (एसीसी) का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति करता है।

3.9.4 नवरत्न योजना में यह प्रावधान किया गया है कि इन कम्पनियों के निदेशक मण्डलों द्वारा अधिक शक्तियों के प्रयोग के पूर्व कम-से-कम 4 गैर-सरकारी निदेशकों को निदेशक मण्डल में शामिल करके निदेशक मण्डल का व्यावसायिकीकरण करना होगा। इसी प्रकार, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के मिनीरत्न उद्यमों के मामले में भी मिनीरत्न योजना के अन्तर्गत प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोग के पूर्व कम-से-कम तीन गैर-सरकारी निदेशकों का समावेश एक पूर्व-शर्त है।

3.9.5 विवेच्च वर्ष के दौरान (31.1.2010 तक) खोज समिति तथा लोक उद्यम चयन बोर्ड ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उद्यमों के निदेशक मण्डलों में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए करीब 36 व्यक्तियों के नामों की अनुशंसा की है।

3.9.6 कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा पीईएसबी की अनुशंसाओं के आधार पर तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से की जाती है। सरकारी निदेशकों की नियुक्ति पदेन हैसियत से की जाती है और उनके चयन का अधिकार सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को प्राप्त है।

3.9.7 इस विभाग ने मंत्रिमण्डल की नियुक्ति समिति हेतु एक टिपण्णी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को प्रस्तुत की है जिसमें केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों में गैर-सरकारी निदेशकों की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति के लिए एक सुनिर्धारित समय-सीमा का प्रावधान किया गया है।

3.9.8 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के गैर-सरकारी निदेशकों का प्रथम एक-दिवसीय सम्मेलन दिनांक 22.7.2009 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया तथा इन्स्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इण्डिया (आईसीएसआई) ने ज्ञान-भागीदार के रूप में भाग लिया था। इस सम्मेलन का उदघाटन भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री द्वारा किया गया तथा राज्य मंत्री, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम तथा सचिव, लोक उद्यम विभाग ने इस सम्मेलन को सम्बोधित किया था। इस सम्मेलन में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उद्यमों के करीब 100 गैर-सरकारी कार्यपालकों, प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों तथा आईसीएसआई के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

अध्याय 4

केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में समझौता ज्ञापन प्रणाली

4 समझौता ज्ञापन प्रणाली

4.1 समझौता ज्ञापन प्रणाली, केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के प्रबन्धन और भारत सरकार के मध्य एक वार्तासम्मत दस्तावेज है। इस समझौते के तहत सरकारी उद्यम वर्ष के आरम्भ में इस समझौते में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने का वचन देते हैं।

4.2 उद्देश्य

4.2.1 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के प्रबन्धन में उत्तरदायित्व और उनकी स्वायत्तता में वृद्धि द्वारा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन में सुधार करना है।

4.3 भारत में समझौता ज्ञापन प्रणाली की उत्पत्ति

4.3.1 समझौता ज्ञापन प्रणाली की शुरूआत केन्द्रीय सरकारी उद्यमों से सम्बन्धित नीति की समीक्षा के लिए गठित अर्जुन सेन गुप्ता समिति (1984) की अनुशंसाओं के आधार पर की गई थी। समिति की अनुशंसाओं पर विचार करते समय मंत्रियों के समूह ने दिसम्बर, 1985 में अपनी बैठक में यह निर्णय किया कि सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निष्पादन का मूल्यांकन समझौता ज्ञापन के आधार पर किया जाना चाहिए। तदनुसार, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के चार (4) उद्यमों ने अपने सम्बन्धित मंत्रालयों के साथ वर्ष 1987-88 के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

4.3.2 वर्ष 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद सरकार ने समझौता ज्ञापन प्रणाली पर काफी बल दिया और केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के अधिकाधिक उद्यमों को समझौता ज्ञापन प्रणाली में शामिल करने का निर्णय किया। उक्त नीतिगत वक्तव्य में यह कहा गया था:

''समझौता ज्ञापन प्रणाली के माध्यम से कार्यनिष्पादन में सुधार पर अधिकाधिक बल दिया जाएगा और इसके माध्यम से प्रबन्धन को अधिक से अधिक स्वायत्तता दी जाएगी और उन्हें उत्तरदायी बनाया जाएगा। समझौता ज्ञापन सम्बन्धी वार्ताओं और उसके क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा तकनीकी विशेषज्ञता का उन्नयन किया जाएगा।''

4.3.3 उपर्युक्त नीतिगत वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए कालक्रम में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों को समझौता ज्ञापन प्रणाली के दायरे में शामिल कर लिया गया है।

4.4 समझौता ज्ञापन के सम्बन्ध में एन सी ए ई आर का अध्ययन तथा निष्पादन मूल्यांकन

4.4.1 लोक उद्यम विभाग ने वर्ष 2003 ने नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाईड इकॉनोमिक रिसर्च (एन सी ए ई आर) को निष्पादन मूल्यांकन सम्बन्धी मानदण्डों के चयन तथा विभिन्न प्राचलों को भारांक के आबंटन पर नए सिरे से विचार करने के लिए अध्ययन करने का कार्य सौंपा। अंतिम तौर पर एन सी ए ई आर ने निष्पादन मूल्यांकन सम्बन्धी प्राचलों के निम्नलिखित प्रधान घटकों के बारे में अनुशंसा की:

प्राचलों के प्रधान घटक		भारांक
1.	वित्तीय (स्थैतिक) प्राचल	50%
2.	गैर-वित्तीय प्राचल	50%
	(i) गत्यात्मक प्राचल	30%
	(ii) उद्यम सापेक्ष प्राचल	10%
	(iii) क्षेत्र सापेक्ष प्राचल	10%

4.4.2 हालाँकि पूर्ववर्ती प्रणाली में 'वित्तीय' प्राचलों को 60% तथा गैर-वित्तीय प्राचलों को 40% भारांक दिया जाता था, परन्तु एन सी ए ई आर ने 'वित्तीय' तथा 'गैर-वित्तीय' दोनों प्राचलों को समान भारांक (50%) प्रदान करने की अनुशंसा की। इस मामले में यह निष्पादन मूल्यांकन सम्बंधी 'संतुलित

अंक कार्ड' उपागम के सदृश्य हैं। गैर-वित्तीय प्राचलों को पुनः 'गत्यात्मक प्राचल' 'उद्यम-सापेक्ष्य प्राचल' तथा 'क्षेत्र सापेक्ष' प्राचल में उप-विभाजित किया गया है। 'स्थैतिक/वित्तीय' प्राचल सामान्य तौर पर लाभकारिता, आकार तथा उत्पादकता से संबंधित हैं जबकि 'गत्यात्मक' प्राचलों का सम्बन्ध परियोजना कार्यान्वयन, अनुसंधान एवं विकास में निवेश तथा वैश्वीकरण की सीमा से संबंधित हैं। इसी प्रकार, क्षेत्र-सापेक्ष प्राचलों में ऐसे वृहत आर्थिक कारक शामिल हैं जो प्रबन्धन के नियंत्रण से परे हैं, यथा माँग व आपूर्ति में परिवर्तन, मूल्यों में उतार-चढ़ाव, ब्याज दर में परिवर्तन आदि से और 'उद्यम-सापेक्ष' प्राचल सुरक्षा तथा प्रदूषण आदि जैसे मुद्दों से सम्बन्धित हैं।

4.4.3 इसके साथ ही, हालाँकि उपर्युक्त अनुशंसित प्रमुख संघटक सभी उद्यमों के लिए एक समान थे, तथापि निष्पादन मूल्यांकन हेतु प्रत्येक प्रमुख संघटक के अंतर्गत मानदण्ड के रूप में सुझाई गई मदें केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उद्यमों के लिए अलग-अलग थीं जिन्हें (क) सामाजिक क्षेत्र, (ख) वित्तीय क्षेत्र, (ग) व्यापार एवं परामर्शी क्षेत्र तथा (घ) वित्तीय व्यापार/परामर्शी तथा सामाजिक क्षेत्र से इतर क्षेत्र, के रूप में वर्गीकृत किया गया था। उपर्युक्त के अतिरिक्त, नए उपागम में कार्यदल को विचाराधीन उद्यम के सम्बन्ध में अपनी धारणा के अनुसार गत्यात्मक, उद्यम-सापेक्ष तथा क्षेत्र-सापेक्ष के अन्तर्गत शामिल विभिन्न मानदण्डों के भारांक में परिवर्तन करने का विवेकाधिकार दिया गया था। बाद में, सरकार ने एन सी ई ए आर की अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया तथा निष्पादन लक्ष्यों के निर्धारण से सम्बन्धित नई क्रियाविधि वर्ष 2004-05 से लागू हो गई।

4.5 समझौता ज्ञापन नीति के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत प्रबन्ध

4.5.1 उच्चाधिकार प्राप्त समिति सचिवों की समिति है जिसे शीर्ष समिति के रूप में गठित किया गया है जिसका कार्य हस्ताक्षर करने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा समझौता ज्ञापन में की गई वचन बद्धताओं के संदर्भ में उनके कार्य निष्पादन और प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा समझौता ज्ञापन में यथा प्रतिबद्ध आवश्यक सहायता किस सीमा तक प्रदन की गई है, इसका भी मूल्यांकन करना है। उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अध्यक्षता मंत्रिमण्डल सचिव द्वारा की जाती है। सचिव, लोक उद्यम विभाग इस समिति के सदस्य सचिव होते हैं। इस संस्थागत प्रबन्ध के शीर्ष पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति है जिसके निम्नलिखित सदस्य होते हैं:

1. मंत्रिमंडल सचिव, अध्यक्ष
2. वित्त सचिव, सदस्य
3. सचिव (व्यय), सदस्य
4. सचिव (योजना आयोग), सदस्य
5. सचिव, (सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन), सदस्य
6. सचिव, निष्पादन प्रबन्ध, सदस्य
7. अध्यक्ष (लोक उद्यम चयन बोर्ड), सदस्य
8. अध्यक्ष, प्रशुल्क आयोग, सदस्य
9. मुख्य आर्थिक सलाहकार, सदस्य
10. सचिव (लोक उद्यम), सदस्य सचिव

4.6 समझौता ज्ञापन सम्बन्धी कार्य दल

4.6.1 सचिवों की समिति ने 26 दिसम्बर, 1988 की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया था कि प्राचलों तथा भारांकों के निर्धारण के साथ-साथ केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निष्पादन के मूल्यांकन के लिए एक कार्यदल का गठन किया जाए। इस कार्यदल के सदस्यों में पूर्व सिविल कर्मचारी, केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पूर्व मुख्य कार्यपालक, व्यावसायिक तथा शिक्षाविद शामिल हैं। इस कार्यदल को पुनः विभिन्न समूहों में विभाजित किया गया है जिन्हें सिन्डिकेट कहा जाता है और प्रत्येक सिन्डिकेट को किसी खास क्षेत्र के केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के समझौता ज्ञापन से संबंधित कार्य सौंपें गए हैं।

4.6.2 वर्ष 2010-11 के लिए समझौता ज्ञापन पर कार्यदल को अधिक तकनीकी और व्यवहार्य विशेषज्ञता के साथ-साथ विविध और अत्यधिक अनुभव प्रदान करने हेतु केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को कुल 11 सिन्डिकेटों में विभाजित किया गया था; प्रत्येक सिन्डिकेट में सामान्यतया छह सदस्य हैं जिसमें 01 वरिष्ठ संयोजक (सदस्यों में सबसे वरिष्ठ), 01 प्रशासनिक सदस्य (सेवानिवृत्त सचिव, भारत सरकार), 01 वित्त/सीए विशेषज्ञ, 01 किसी केन्द्रीय सरकारी उद्यम का पूर्व सी एम डी, 01 प्रसिद्ध शिक्षाविद और 01 विषय

विशेषज्ञ शामिल हैं। वर्ष 2010-11 के लिए 01 अध्यक्ष और 67 कार्यदल सदस्य हैं।

1. पेट्रोलियम
2. औद्योगिक क्षेत्र-I
3. औद्योगिक क्षेत्र-II
4. औद्योगिक क्षेत्र-III
5. खनन एवं धातु
6. इलैक्ट्रॉनिक्स/संचार
7. परिवहन
8. व्यापार एवं सेवाएं
9. उर्वरक एवं कृषि आधारित उद्योग
10. परामर्शी सेवाएं
11. वित्तीय सेवाएं

4.7 लक्ष्यों में संशोधन

4.7.1 कई कारणों से केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के कुछेक उद्यम लक्ष्यों में संशोधन करना चाहते हैं। वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 के समझौता ज्ञापन का मूल्यांकन करते समय कार्यदल ने यह पाया कि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के अनेक उद्यमों ने विभिन्न कारणों से समझौता ज्ञापन से सम्बन्धित अपने प्राचलों/लक्ष्यों में अधोमुखी संशोधन की मांग की थी। यह अच्छी प्रवृत्ति नहीं मानी गई थी क्योंकि ऐसा करना वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी मिल जाने के बाद लक्ष्यों के पुन: निर्धारण के समान था। इसे समझौता ज्ञापन प्रणाली के मूल भाव के विपरीत भी माना गया था, क्योंकि यह प्रणाली मूल तौर पर केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के प्रबंधन तथा भारत सरकार के बीच एक करार है जिसके अन्तर्गत कोई उद्यम वर्ष के प्रारम्भ में विभिन्न प्राचलों के संदर्भ में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का वचन देता है।

4.7.2 इस अनुचित प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने तथा समझौता ज्ञापन सम्बन्धी लक्ष्यों के निर्धारण की प्रणाली को अधिक यथार्थपरक बनाने के लिए कार्यदल के अध्यक्ष एवं संयोजकों ने यह अनुशंसा की कि यदि किसी उद्यम के समझौता ज्ञापन सम्बन्धी निष्पादन का मूल्यांकन लक्ष्यों में अधोमुखी संशोधन पर आधारित होगा तो केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के वे उद्यम 'उत्कृष्टता प्रमाण पत्र' सहित किसी अन्य प्रकार के पुरस्कार के पात्र नहीं होंगे। उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने भी 10.8.1989 की अपनी बैठक में यह निर्णय किया था कि ''समझौता ज्ञापन सम्बन्धी लक्ष्य और वार्षिक योजनागत लक्ष्य एक समान होने चाहिए और उन्हें वर्ष के बीच में परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए।'' इसलिए एक बार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए जाने के बाद लक्ष्यों में संशोधन की अनुमति नहीं दी जाती।

4.8 समझौता ज्ञापन से छूट

4.8.1 उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने समझौता ज्ञापन से सम्बन्धित 09.08.1995 की अपनी बैठक में यह निर्णय किया कि यदि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का कोई उद्यम किन्हीं विशिष्ट कारणों से किसी वर्ष में इस प्रणाली से बाहर रहना चाहे तो उसके प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को सम्बन्धित सचिव की सहमति से तथा लोक विभाग के माध्यम से उच्चाधिकार प्राप्त समिति का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना होगा। यह प्रक्रिया केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों के मामले में समान रूप से लागू होगी चाहे वे लाभार्जनकारी, घाटा उठाने वाले अथवा रूग्ण उद्यम हों।

4.8.2 विगत वर्षों के दौरान यह पाया गया था कि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के अनेक उद्यम समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं करने की छूट प्राप्त करना चाहते थे। अत: उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिए हैं:-

(i) रूग्ण एवं घाटा उठाने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों सहित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के सभी उद्यम प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक अपने सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे। यदि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का कोई उद्यम समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं करता अथवा हस्ताक्षर करने में विलम्ब करता है तो उसका निष्पादन ''असंतोषजनक'' श्रेणी का माना जाएगा और इसका उल्लेख सम्बन्धित केन्द्रीय सरकारी उद्यम के मुख्य कार्यपालक की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में किया जाएगा।

(ii) सहायक कम्पनियां अपनी धारक कम्पनियों के साथ उसी प्रकार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगीं जैसे कि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का कोई उद्यम भारत सरकार के साथ रहता है। कार्यदल केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की सहायक कम्पनियों के मामले में भी समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देगा तथा उसका मूल्यांकन करेगा। समझौता ज्ञापन से सम्बंधित प्रपत्र सहायक कम्पनियों सहित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों के लिए एक समान होंगे।

4.9 समझौता ज्ञापन 2010-11 पर संशोधित मार्गनिर्देश

4.9.1 वर्ष 2010-11 के लिए धारक केन्द्रीय सरकारी उद्यम और उनसे सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों के बीच और सहायक कम्पनियों एवं सम्बन्धित शीर्ष/घटक कम्पनयिों के बीच समझौता ज्ञापन पर मार्गनिर्देश 10 दिसम्बर 2010 को जारी किए गए थे। मार्ग निर्देशों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

(i) मूल लक्ष्य वास्तविक और उन्नति विशेष होने चाहिए और पिछले पांच वर्षों की वास्तविकता के आधार पर अनुमान इस प्रकार से होना चाहिए कि वर्ष 2009-10 के लिए अनुमानित उपलब्धि या 2008-09 की उपलब्धि जो भी अधिक हो, से कम से कम 10% अधिक हो और यह सी एम आई ई द्वारा वर्ष 2010-11 के लिए अनुमान लगाई गई औद्योगिक उन्नति के द्वारा समर्थित हो;

(ii) गैर वित्तीय मानक, प्रस्तावित वार्षिक योजना एवं विभागीय बजट और वर्ष 2010-11 हेतु केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के नैगम योजना के अनुसार होने चाहिए। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा मानीटर की जा रही मुख्य चालू परियोजनाओं को शामिल किया जाना चाहिए। गैर वित्तीय लक्ष्य स्मार्ट (स्पेसिसिक, मेजरेबल अटेनेल, रिजल्ट ओरियन्टड, टेन्जिबल) होने चाहिए। नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व (5% भारांक), आर एण्ड डी (5% भारांक) और सतत विकास (5% भारांक) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्य निष्पादन मूल्यांकन हेतु लक्ष्यों को शामिल किया जाना चाहिए। गैर वित्तीय मानकों हेतु लक्ष्यों का यथा संभव स्वतंत्र रूप से सत्यापन किया जाना चाहिए और केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा अभिकरण और उनको सत्यापन के साधनों का उल्लेख किया जाना चाहिए।

(iii) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को इन मार्गनिर्देशों के आधार पर वर्ष 2010-11 के लिए समझौता ज्ञापन तैयार करने का परामर्श दिया गया है। यह मार्ग निर्देश लोक उद्यम विभाग की वैब साइट **http://www.dpemou.nic.in** पर दिए गए हैं।

4.10 समझौता ज्ञापन प्रणाली के अन्तर्गत निष्पादन मूल्यांकन

(i) उद्यम के समझौता ज्ञापन का मूल्यांकन समझौता ज्ञापन सम्बन्धी कार्यदल द्वारा वर्ष के अन्त में समझौता ज्ञापन सम्बन्धी लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक उपलब्धियों के आधार पर किया जाता है।

(ii) निष्पादन मूल्यांकन ''संतुलित अंक'' उपागम पर आधारित है जिसमें वित्तीय एवं गैर-वित्तीय प्राचल दोनों शामिल हैं। गैर-वित्तीय प्राचलों में 'गत्यात्मक' 'क्षेत्र सापेक्ष' एवं 'उद्यम सापेक्ष' प्राचल शामिल हैं।

(iii) इसके साथ ही संयुक्त अंक की गणना वास्तविक उपलब्धियों तथा उस प्राचल को दिए गए भारांक के आधार पर पांच अंकीय पैमाने पर की जाती है।

4.11 समझौता ज्ञापन प्रणाली के अन्तर्गत उत्कृष्टता पुरस्कार

4.11.1 समझौता ज्ञापन इस मान्यता पर आधारित है कि कार्यनिष्पादन में सुधार के लिए यह मात्र वस्तुपरक निष्पादन मूल्यांकन की प्रणाली नहीं होगी। निष्पादन प्रोत्साहन प्रणाली के माध्यम से बेहतर निष्पादन को पुरस्कृत करना भी आवश्यक है। यह प्रोत्साहन प्रणाली दो प्रकार की हो सकती है अर्थात मौद्रिक एवं गैर मौद्रिक। मौद्रिक प्रोत्साहन के लिए समझौता ज्ञापन सम्बन्धी अंक का निहितार्थ है क्योंकि इसके लिए कार्यनिष्पादन सम्बन्धी भुगतान के माध्यम से उन्हें पुरस्कृत किया जाता है और कई मामले में समझौता ज्ञापन सम्बन्धी लक्ष्य की तुलना में उपलब्धियों पर किया जाता है।

4.11.2 जगन्नाथ राव समिति (द्वितीय वेतन संशोधन समिति) ने यह अनुशंसा की है कि समझौता ज्ञापन निष्पादन सम्बन्धी मूल्यांकन कार्यनिष्पादन सम्बन्धी भुगतान का एक आधारभूत मानदण्ड होगा, क्योंकि यह सीधे समझौता ज्ञापन निष्पादन से सम्बद्ध है। सरकार ने इस अनुशंसा को स्वीकार कर लिया है। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा अपने मूल मंत्रालयों/विभागों / धारक कम्पनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य बना दिया गया है ताकि उन्हें कार्यनिष्पादन सम्बन्धी भुगतान / परिवर्तनशील वेतन का पात्र बनाया जा सके। समझौता ज्ञापन में प्रमुख परिणाम वाले सभी निर्धारित क्षेत्रों के साथ-साथ समझौता ज्ञापन से सम्बन्धित श्रेणी पीआरपी का आधार भी होगा। यदि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का कोई उद्यम ''उत्कृष्ट'' श्रेणी प्राप्त करता है तो वह 100% पीआरपी का भुगतान करने का पात्र होगा। समझौता ज्ञापन के संदर्भ में ''अति उत्तम'' ''उत्तम'' तथा ''संतोषजनक'' श्रेणी प्राप्त करने वाले उद्यम क्रमशः 80%, 60% तथा 40% पीआरपी का भुगतान करने के पात्र होंगे। यदि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के किसी उद्यम को समझौता ज्ञापन के संदर्भ में ''असंतोषजनक'' श्रेणी प्रदान की जाती है तो वह उद्यम पीआरपी के भुगतान के लिए पात्र नहीं होगा चाहे उसकी लाभकारिता की स्थिति कुछ भी क्यों न हो।

4.11.3 गैर मौद्रिक प्रोत्साहन समझौता ज्ञापन पुरस्कार के रूप में होते हैं। उत्कृष्टता प्राप्त करने की दिशा में सरकारी उद्यम के मुख्य कार्यपालक के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के अतिरिक्त इस समझौता ज्ञापन पुरस्कार से समझौता ज्ञापन प्रणाली से नीति निर्माताओं की प्रतिबद्धता भी झलकती है।

4.12 समझौता ज्ञापन उत्कृष्टता पुरस्कार के सिद्धांत

4.12.1 उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने 10 मार्च, 1995 की अपनी बैठक में समझौता ज्ञापन उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के दस शीर्ष उद्यमों के चयन के सम्बन्ध में जिन आधारभूत सिद्धान्तों का निर्धारण किया वे इस प्रकार हैं:-

(i) केन्द्रीय सरकारी उद्यम का लाभ गत वर्ष की तुलना में अधिक होना चाहिए।

(ii) उद्यम घाटा उठाने वाला नहीं होना चाहिए।

(iii) केन्द्रीय सरकारी उद्यम का संयुक्त अंक 2.00 से अधिक नहीं होना चाहिए।

4.13 समझौता ज्ञापन उत्कृष्टता पुरस्कार की नई प्रणाली (वर्ष 2006-07 के बाद से लागू)

4.13.1 उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने दिनांक 20.7.2007 की अपनी बैठक में एन के सिन्हा समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और निम्नलिखित निर्णय लिये:

(i) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मामले में समझौता ज्ञापन का मूल्यांकन लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर वर्ष में एक बार किया जाएगा। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के जो उद्यम लेखापरीक्षित लेखे के आधार पर स्वमूल्यांकन अंक 31 अगस्त तक लोग उद्यम विभाग को नहीं प्रस्तुत करते हैं उन्हें पुरस्कार के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

(ii) समझौता ज्ञापन सम्बन्धी संयुक्त अंक तथा श्रेणीकरण के निर्धारण का कार्य कार्यदल के सम्बन्धित सिण्डिकेट समूह द्वारा तैयार एवं अंतिमकृत किया जाना चाहिए।

(iii) केन्द्रीय सरकारी उद्यम तथा विभाग के बीच समझौता ज्ञापन पर एक बार हस्ताक्षर कर दिए जाने के बाद लक्ष्यों में संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iv) एनसीएईआर की रिपोर्ट के आधार पर वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्राचलों को 50% का समान भारांक दिए जाने की मौजूदा प्रणाली फिलहाल जारी रखा जाए।

(v) पुरस्कारों की कुल संख्या 12 (10 सिण्डिकेटों में से प्रत्येक को 1, सूचीबद्ध केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में से एक, रूग्ण एवं घाटा उठाने वाले उद्यमों के आमूलचूल परिवर्तन वाले मामलों में से एक) होगी। उत्कृष्ट निष्पादन वाले केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के अन्य उद्यमों को गुणता प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

(vi) उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा दिनांक 10 मार्च, 1995 की अपनी बैठक में समझौता ज्ञापन उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के चयन से सम्बन्धित आधारभूत सिद्धांत जारी रखे जाएं।

(vii) चूंकि उत्कृष्ट श्रेणी 1 से 1.5 अंक वालों को प्रदान की जाती है, अतः 1.5 तक संयुक्त अंक प्राप्त करने वाले उद्यम समझौता ज्ञापन उत्कृष्टता पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पात्र होंगे।

(viii) वर्ष 2007-08 के बाद से नैगम अभिशासन के अनुपालन को भी सभी तीनों श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान करने हेतु विचार किए जाने के एक मानदण्ड के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

4.14 वर्ष 2006-07 और वर्ष 2007-08 के लिए समझौता ज्ञापन उत्कृष्टता पुरस्कार:

4.14.1 वर्ष 2006-07 और वर्ष 2007-08 के लिए समझौता ज्ञापन उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह 15 अक्तूबर, 2009 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत के माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने वर्ष 2006-07 और 2007-08 के लिए 24 समझौता ज्ञापन उत्कृष्टता पुरस्कार उन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को प्रदान किए जिन्होंने प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन पर विशिष्ट कार्य निष्पादन दर्शाया है।

4.14.2 पुरस्कार प्राप्तकर्ता निम्नलिखित थे:

<u>समझौता ज्ञापन उत्कृष्टता पुरूस्कार विजेता</u>

क्षेत्र/श्रेणी	2006-07	2007-08
"परामर्शी सेवाएं"	"नेशनल बिल्डिंग्स कंसट्रक्शन कारपोरेशन लि."	"वापकोस लि."
"इलैक्ट्रोनिक्स एवं संचार"	"इलैक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि."	"इलैक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि."
"ऊर्जा"	"पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि."	"पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि."
"उर्वरक एवं कृषि आधारित उद्योग"	"राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि."	"राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि."
"वित्तीय सेवाएं"	"राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम"	"पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लि.
"औद्योगिक"	"हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि."	"हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि."
"खनन एवं धातु"	"मेंगनीज ओर (इण्डिया) लि."	"स्टील एथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि."
"पेट्रालियम"	"भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि."	"इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि."
"व्यापार एवं सेवाएं"	"स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि."	"एमएमटीसी लि."
"परिवहन"	"कन्टेनर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि."	"कन्टेनर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि."
"पुनरजीवित केन्द्रीय सरकारी उद्यम	"मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लि."	"प्रोजेक्टस एण्ड डैवलपमेंट इण्डिया लि."
"सूचीबद्ध केन्द्रीय सरकारी उद्यम"	"भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि."	"स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि."

वर्ष 2006-07 और 2007-08 के लिए समझौता ज्ञापन उत्कृष्टता प्रमाणपत्र क्रमशः 38 और 45 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को प्रदान किए गए

4.15 समझौता ज्ञापन प्रणाली के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकारी उद्यम

वर्ष	हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों की संख्या	वर्ष	हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों की संख्या
1987-88	4	1998-1999	108
1988-89	11	1999-2000	108
1989-90	18	2000-2001	107
1990-91	23	2001-2002	104
1991-92	72	2002-2003	100
1992-93	98	2003-2004	96
1993-94	101	2004-2005	99
1994-95	100	2005-2006	102
1995-96	104	2006-2007	113
1996-97	110	2007-2008	144
1997-98	108	2008-2009	147
		2009-2010	197

4.16 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का निष्पादन

4.16.1 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के वास्तविक निष्पादन का मूल्यांकन वर्ष के प्रारम्भ में निर्धारित किए गए लक्ष्यों के संदर्भ में किया जाता है और उनके निष्पादन के आधार पर उन्हें उत्कृष्ट, अति उत्तम, उत्तम, संतोषजनक तथा असंतोषजनक श्रेणी प्रदान की जाती है। गत छः वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा प्राप्त की गई श्रेणी और उनके निष्पादन का ब्योरा निम्नवत है:-

श्रेणी	सरकारी उद्यमों की संख्या					
वर्ष	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
उत्कृष्ट	54	45	49	46	55	47
अति उत्तम	21	31	32	37	34	34
उत्तम	10	12	15	13	15	25
संतोषजनक	11	10	06	06	08	17
असंतोषजनक	00	01	00	00	00	01
कुल	96	99	102	102	112	124

4.17 राज्य स्तरीय सरकारी उद्यमों में समझौता ज्ञापन प्रणाली की शुरूआत

4.17.1 राज्य स्तरीय सरकारी उद्यमों में समझौता ज्ञापन प्रणाली की शुरूआत करने के लिए राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्र के सचिवों, जो राज्य स्तरीय सरकारी उद्यमों के प्रभारी हैं, का एक सम्मेलन दिनांक 27.8.2009 को स्कोप कन्वैंशन सेन्टर, लोधी रोड, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। राज्य स्तरीय सरकारी उद्यमों के विकास से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया था। भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री तथा राज्य मंत्री के अलावा सदस्य (उद्योग), योजना आयोग ने भी इस सम्मेलन को सम्बोधित किया। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निष्पादन में सुधार के लिए समझौता ज्ञापन प्रणाली के माध्यम से प्रबन्धन को अधिक स्वायत्तता प्रदान करके तथा उन्हें उत्तरदायी बना कर प्रबन्धन के एक साधन के रूप में समझौता ज्ञापन प्रणाली से सम्बन्धित अनुभवों पर सहभागियों के साथ चर्चा की गई थी। इस सम्मेलन में राज्य स्तरीय सरकारी उद्यमों के लिए समझौता ज्ञापन के प्रपत्र के प्रारूप पर राज्य सरकारों के सचिवों के साथ विचार-विमर्श किया गया था।

4.17.2 राज्य सरकारों के सचिवों के साथ हुए विचार-विमर्श तथा राज्य सरकारों से प्राप्त विभिन्न निविष्टियों के आधार पर लोक उद्यम विभाग ने समझौता ज्ञापन का एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जिसका उपयोग राज्य सरकारों द्वारा राज्य स्तरीय सरकारी उद्यमों के लिए किया जा सकता है। मंत्री (भारी उद्योग एवं लोक उद्यम) तथा सचिव, लोक उद्यम विभाग ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों एवं राज्यों तथा संघ क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को समझौता ज्ञापन के मॉडल के साथ-साथ पृथक-पृथक अर्द्धशासकीय पत्र भेजे हैं जिसमें राज्य स्तरीय सरकारी उद्यमों के लिए समझौता ज्ञापन प्रणाली अंगीकार करने का अनुरोध किया गया है।

अध्याय 5

मानव संसाधन विकास

5.1.1 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पास विभिन्न विषयों में व्यावसायिक अर्हताप्राप्त कार्मिकों का विशाल भण्डार है और उद्यमों का सुदक्ष प्रचालन काफी हद तक श्रमशक्ति के कारगर उपयोग पर निर्भर करता है। उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के कारण प्रबन्ध तकनीकों, प्रौद्योगिकी, वित्तीय पद्धतियों आदि में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। इस प्रकार मानव संसाधन विकास सरकारी उद्यमों के निष्पादन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इससे एक ऐसे परिवेश के सृजन की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है जिसमें लोग अपनी उत्पादक क्षमता एवं रचनात्मक क्रियाकलापों की संभावनाओं का पूर्ण विकास कर सकें। श्रमशक्ति की गुणवत्ता तथा दक्षता में सुधार के लिए और साथ ही उनके ज्ञान एवं उनकी कुशलता के उन्नयन के लिए केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा अनेक प्रयास किए गए हैं। आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त केन्द्रीय उद्यम अपने कार्यपालकों को भारत तथा विदेशों में प्रमुख प्रबन्धन/प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रतिनियुक्त करते हैं।

5.2 कार्यपालक प्रशिक्षण कार्यक्रम

5.2.1 सरकारी उद्यमों के लिए नोडल विभाग के रूप में लोक उद्यम विभाग देश के प्रमुख प्रबन्धन/प्रशिक्षण संस्थानों के सहयोग से सरकारी उद्यमों के वरिष्ठ एवं मध्य स्तरीय कार्यपालकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके सरकारी उद्यमों को मानव संसाधन विकास सम्बन्धी उनके प्रयास में सहायता कर रहा है।

5.2.2 केन्द्रीय सरकारी उद्यम मानव संसाधन विकास सम्बन्धी अपने कार्यक्रम तैयार करते हैं ताकि वे अपने मध्य एवं वरिष्ठ स्तरीय कार्यपालकों को भारत में प्रशिक्षण देकर उनकी कुशलता एवं उनके ज्ञान में बढ़ोत्तरी कर सकें। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के इस प्रयास में सहायता देने के लिए कुछ प्रमुख प्रबन्धन/प्रशिक्षण संस्थान लोक उद्यम विभाग के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं। कार्यपालक विकास कार्यक्रमों (ईडीपी) की अवधि 2-5 दिनों की होती है। वर्ष 2008-09 के दौरान ऐसे 23 कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और वर्ष 2009-10 के दौरान ऐसे 15 कार्यक्रमों का आयोजन किए जाने की योजना है। ये कार्यक्रम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्कस् एकाउण्टेण्ट्स ऑफ इण्डिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माईक्रो स्माल एण्ड मीडियम इन्टरप्राईजेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मेनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स ऑफ इण्डिया, इण्डियन सोसायटी फॉर ट्रेनिंग एण्ड डैवलपमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेट्रीज ऑफ इण्डिया, इण्डियन सोसायटी ऑफ हैल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, बंगलौर आदि के सहयोग से आयोजित किए जाते हैं।

5.2.3 इन कार्यक्रमों में शामिल किए जाने वाले विषयों में वित्तीय प्रबन्धन, नेतृत्व सम्बन्धी चुनौतियाँ, कारगर विपणन प्रबन्धन, सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबन्धन, सूचना प्रौद्योगिकी तथा ई-कॉमर्स, प्रबन्धन सूचना प्रणाली, सूचना कौशल, नैगम अभिशासन, नैगम सामाजिक दायित्व, समझौता ज्ञापन के सिद्धांत एवं व्यवहार, परियोजना प्रबन्धन, पूँजी बाजार में सुधार तथा जोखिम प्रबन्धन, वार्ता सम्बन्धी रणनीतियां एवं कुशलता, स्वास्थ्य एवं तनाव प्रबन्धन, औद्योगिक सम्बन्ध एवं श्रम सम्बन्धी मुद्दे अन्तरराष्ट्रीय कराधान/ अन्तरराष्ट्रीय वित्तपोषण, लेखांकन मानक और परियोजना योजना एवं निगरानी आदि शामिल है।

5.2.4 भारत इन्टरनेशनल सेन्टर फॉर प्रोमोशन ऑफ पब्लिक इन्टरप्राईज (आईसीपीई), ल्यूबजाना, स्लोवेनिया, जो एक अन्तरराष्ट्रीय संगठन है, का संस्थापक सदस्य है। भारत ने वर्ष 2007-08 से अपना वार्षिक अंशदान दुगुना कर दिया है। फिलहाल, भारत आईसीपीई परिषद का अध्यक्ष है। आईसीपीई प्रतिवर्ष पूर्णकालिक एमबीए पाठ्यक्रमों का संचालन भी करता है। सचिव, लोक उद्यम विभाग आईआईएम, कोलकाता के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तथा

इन्स्टीट्यूट्स ऑफ पब्लिक इन्टरप्राईजेज, हैदराबाद के सदस्य हैं। लोक उद्यम विभाग सरकारी उद्यमों के स्थायी सम्मेलन के कार्यकारी बोर्ड का भी सदस्य है।

5.3 कार्मिक नीति

5.3.1 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में कार्मिक नीति से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर विभाग द्वारा विचार किया जाता है। विवेच्य वर्ष के दौरान की गई महत्वपूर्ण नीतिगत पहल निम्नवत हैं:-

5.4 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के जिन उद्यमों के लिए निदेशक मण्डल स्तर पर नियुक्ति हेतु एसीसी का अनुमोदन अपेक्षित है उनमें नियुक्ति की प्रक्रिया

5.4.1 सितम्बर, 2005 में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी अनुसूचित उद्यमों में अतिरिक्त प्रभार व्यवस्था सौंपने से सम्बन्धित शक्तियाँ कतिपय शर्तों के अध्याधीन सम्बन्धित मंत्रालयों को प्रत्यायोजित कर दी गई हैं।

5.4.2 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में निदेशक मण्डल स्तर के पदों के मामले में अतिरिक्त प्रभार व्यवस्था की अवधि में वृद्धि के लिए नए सिरे से सतर्कता अनुमति प्राप्त करने के मुद्दे पर सरकार ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से विचार किया है और अक्टूबर, 2007 में निम्नलिखित अतिरिक्त मार्गनिर्दश जारी किए गए हैं:-

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निदेशक मण्डल स्तर के पदों के अतिरिक्त प्रभार के लिए 3 महीनों तक की प्रारम्भिक अवधि के लिए सीवीओ से स्वीकृति पर्याप्त होगी;

(ख) 3 महीने के बाद अतिरिक्त प्रबन्ध प्रभार को जारी रखने के लिए सीवीसी की स्वीकृति अपेक्षित होगी:

(ग) यदि इस प्रबन्ध को एक वर्ष के बाद भी जारी रखना है तो नए सिरे से सीवीसी की स्वीकृति अपेक्षित होगी; और

(घ) जिन मामलों में सरकारी क्षेत्र के किसी अन्य उपक्रम के अधिकारी अथवा मंत्रालय के किसी अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है तो सीवीओ की स्वीकृति पर्याप्त नहीं होगी तथा सीवीसी की स्वीकृति आवश्यक होगी।

5.4.3 इस मुद्दे पर सरकार ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से पुन: विचार किया था और यह निर्णय किया गया है कि अब के बाद ऐसे मामलों में सरकारी उपक्रमों में निदेशक मण्डल स्तर के कार्मिकों के मामले में अतिरिक्त प्रभार व्यवस्था सौंपने के उद्देश्य से आयोग की अनुमति तब तक अपेक्षित नहीं होगी जब तक की सम्बन्धित विभाग के पास ऐसी कोई सामग्री नहीं हो जिसके आधार पर यह विश्वास करने का कारण हो कि पिछली बार उम्मीदवार को निदेशक मण्डल स्तर की नियुक्ति हेतु अनुमति दिए जाने के बाद से सतर्कता स्थिति परिवर्तित हो गयी है। उपर्युक्त पैराग्राफों में किए गए उल्लेख के अनुसार मुख्य सतर्कता अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक बना रहेगा जिन मामलों में केन्द्रीय सरकारी उद्यम के किसी कार्यकारी निदेशक अथवा मंत्रालय के किसी अधिकारी को किसी उद्यम के प्रबन्ध निदेशक/अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाना प्रस्तावित हो उन मामलों में अक्टूबर, 2007 में जारी किए गए पूर्ववर्ती अनुदेश जारी रहेंगे।

5.4.4 एसीसी के निर्देशों के अनुसार सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को निम्नलिखित मार्गनिर्देशों से अनुपालनार्थ दिनांक 16.04.2009 को अवगत करा दिया गया था:-

- इस विभाग के दिनांक 17.08.2005 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 26(3)स्था./2004(एसीसी), के माध्यम से केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में तीन महीने तक की अवधि के लिए अतिरिक्त प्रभार का अनुमोदन करने की शक्ति प्रभारी मंत्री को प्रत्यायोजित कर दी गई है तथा अगले तीन महीनों के लिए यह अनुमोदन राज्य मंत्री (पीपी) द्वारा किया जाएगा, बशर्ते कि सम्बन्धित व्यक्ति को सतर्कता अनुमति प्राप्त हो। छ: महीने के बाद अतिरिक्त प्रभार का अनुमोदन करने की शक्ति एसीसी में निहित है।
- एसीसी ने यह अनुमोदित कर दिया है कि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की सहायक कम्पनियों के मामले में प्रबन्ध निदेशक/अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के पदों का अतिरिक्त प्रभार सहायक कम्पनी के उस वरिष्ठतम कार्यकारी निदेशक को सौंपा जाना चाहिए जिसे सतर्कता अनुमति प्राप्त हो। यदि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की सहायक कम्पनी में ऐसा कोई कार्यकारी निदेशक पदस्थापित नहीं हो तो प्रबन्ध निदेशक/अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के पदों का अतिरिक्त प्रभार स्वत:धारक कम्पनी के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/कार्यकारी निदेशक, जो सहायक कम्पनी के निदेशक मण्डल में धारक कम्पनी का

नामित निदेशक होता है, को सौंपा जा सकता है। बहरहाल, इसके परिणामस्वरूप कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 316 का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

5.5 सरकारी उपक्रमों में निदेशक मण्डल स्तर के विभिन्न पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता/अनुभव का निर्धारण

5.5.1 सरकारी उपक्रमों में निदेशक मण्डल स्तर के विभिन्न पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण तथा पी ई एस बी द्वारा चयन में अधिक पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के लिए मानदण्डों के निर्धारण के मुद्दे पर सरकार ने पुनः विचार किया है और यह निर्णय किया गया है कि सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय पी ई एस बी के परामर्श से अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी उपक्रमों में निदेशक मण्डल स्तर के विभिन्न पदों के लिए पात्रता सम्बन्धी मानदण्डों का अन्तिम रूप दे सकते हैं। नियुक्ति सम्बन्धी मानदण्डों का एक बार निर्धारण हो जाने के बाद उसे कम-से-कम पांच वर्ष तक विधिमान्य बनाए रखा जाना चाहिए। पात्रता सम्बन्धी अन्तिम मानदण्डों की जानकारी आम जनता के लिए सुलभ होनी चाहिए।

5.5.2 यदि पात्रता सम्बन्धी मानदण्डों के अन्तिमकरण के मामले में पी ई एस बी तथा प्रशासनिक मंत्रालय में कोई असहमति हो तो इस मामले को अन्तिम आदेश हेतु एसीसी को भेजा जाना चाहिए।

5.5.3 एसीसी के निदेशानुसार सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभागों से सरकारी उपक्रमों में निदेशक मण्डल स्तर के पदों से सम्बन्धित नियमावली की समीक्षा, अद्यतनीकरण/अन्तिमकरण करने तथा इस बारे में स्थिति रिपोर्ट कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेजने और इसकी एक प्रति लोक उद्यम विभाग तथा पी ई एस बी को प्रेषित करने का 08.04.2009 और 24.06.2009 को अनुरोध किया गया है।

5.6 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में निर्णायक मण्डल स्तर के पदों के चयन हेतु प्रक्रिया

5.6.1 एसीसी के अनुदेशों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में निर्णायक मण्डल स्तर के पदों के चयन के सम्बन्ध में मार्गनिर्देश 20.07.2009 को जारी किए गए थे। इन मार्गनिर्देशों में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में निर्णायक मण्डल स्तर की नियुक्तियों हेतु लोक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों के लिए सीवीसी अनुमति प्राप्त करने के लिए संशोधित प्रक्रियाएं दी गई हैं ताकि प्रक्रिया में होने वाले विलम्ब को कम किया जा सके।

5.7 एसीसी द्वारा अनुमोदित मुख्य कार्यपालकों/कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति अवधि के बाद नियुक्ति अवधि का विस्तार/अविस्तार

5.7.1 एसीसी द्वारा अनुमोदित मुख्य कार्यपालकों/कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति अवधि के विस्तार/अविस्तार सम्बन्धी प्रस्तावों पर कार्रवाई करने हेतु संसदीय सचिवालय के दिनांक 10.12.1986 के अनुदेशों में उल्लिखित पद्धति के अनुपालन में सक्षम प्राधिकरण ने यह भी अनुमोदित कर दिया है कि प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा सीवीसी अनुमति और लोक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा संयुक्त आकलन की प्रक्रिया साथ-साथ की जानी चाहिए ताकि संयुक्त आकलन की सिफारिशों से पहले सीवीसी की टिप्पणियां मंत्रालय/विभाग को प्राप्त हो जाएं जिससे सतर्कता निकासी उपलब्ध न होने के कारण होने वाले विलम्ब से बचा जा सके। इस सम्बन्ध में अनुदेश 15 सितम्बर, 2009 को जारी कर दिए गए थे।

5.8 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के उच्च प्रबन्धन पदधारियों की वार्षिक कार्यनिष्पादन समीक्षा

5.8.1 श्री देवदत्त बनाम भारत सरकार (सिविल याचिका संख्या 7631, 2002) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा वार्षिक कार्यनिष्पादन समीक्षा में प्रविष्टियों के संप्रेषण पर विचार कर लिया गया है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय और सरकार के निर्णय के अनुपालन में सभी केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को ये अनुदेश जारी कर दिए गए थे कि सम्बन्धित अधिकारी को समग्र ग्रेड सहित सम्पूर्ण वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट सूचित कर दी जानी चाहिए। इसमें ये भी प्रावधान किया गया है कि सम्बन्धित अधिकारी को रिपोर्ट में दी गई प्रविष्टियों और अन्तिम ग्रेडिंग के विपरीत किसी प्रकार के अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

5.8.2 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के उच्च प्रबन्धन पदधारियों की वार्षिक कार्यनिष्पादन समीक्षा लेखन के लिए विद्यमान प्रारूप और पद्धति की समीक्षा हेतु गठित की गई समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है और 31.12.2009 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

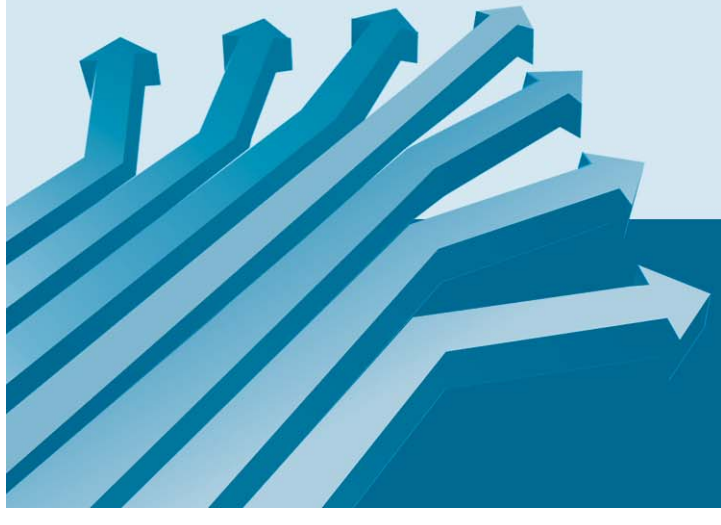

अध्याय 6

स्थायी मध्यस्थता तंत्र

6.1 लोक उद्यम विभाग में स्थायी मध्यस्थता तंत्र (पीएमए) का गठन किसी सरकारी उद्यम एवं केंद्रीय सरकार के विभागों/मंत्रालयों के बीच तथा सरकारी उद्यमों के पारस्परिक विवादों, कराधान संबंधी मामलों को छोड़कर, का समाधान करने के लिए किया गया है। वर्ष 1993-94 से पत्तन न्यासों के साथ उत्पन्न विवादों को भी स्थायी मध्यस्थता तंत्र के विचार-क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया है। लोक उद्यम विभाग के दिनांक 12.02.1997 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा रेल मंत्रालय को पीएमए के क्षेत्राधिकार से हटा दिया गया था।

6.2 पीएमए दिशा-निर्देशों को 22.01.04 को संशोधित किया गया था। इन विवादों को लोक उद्यम विभाग को सौंपना अपेक्षित होता है ताकि उसे स्थायी मध्यस्थता तंत्र के मध्यस्थ को सौंपा जा सके। विवाद की मौजूदगी के संबंध में प्रथमदृष्टया संतुष्ट हो जाने के बाद सचिव, लोक उद्यम विभाग उसे स्थायी मध्यस्थता तंत्र के मध्यस्थ को मध्यस्थता के लिए सौंप देते हैं। इन मामलों में मध्यस्थता अधिनियम, 1940 (अब 1996) लागू नहीं होता है। मामले में प्रस्तुतिकरण/प्रतिवाद के लिए किसी पार्टी की ओर से बाहरी वकील को उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाती है।

6.3 मध्यस्थ सम्बद्ध पक्षकारों को मामलें के तथ्य और उनके दावे तथा प्रतिदावे प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी करता है। वह पक्षकारों को अपने समक्ष दावे प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता है। लिखित रिकार्ड तथा मौखिक साक्ष्य के आधार पर मध्यस्थ एक अधिनिर्णय देता है। दोनों विवादग्रस्त पक्षकार मध्यस्थता की लागत को समान रूप से वहन करते हैं। यदि दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार अधिनिर्णय से संतुष्ट नहीं है तो मध्यस्थ के अधिनिर्णय के विरूद्ध सचिव, विधि मंत्रालय को अपील की जा सकती है। सचिव, विधि मंत्रालय का निर्णय अन्तिम तथा बाध्यकारी है। सचिव (विधि) के निर्णय के विरूद्ध किसी न्यायालय/अधिकरण में अपील नहीं की जा सकती है।

6.4 पीएमए में एक मध्यस्थ नियुक्त है और वर्ष 1989 में पीएमए की स्थापना के बाद से लेकर सचिव (लोक उद्यम) ने पीएमए के मध्यस्थों को 232 मामले सौंपे हैं, जिनमें से 179 मामलों के संबंध में निर्णय (अवार्ड) प्रकाशित किए जा चुके हैं। पीएमए की स्थापना स्व-समर्थित आधार पर की गई है इसलिए पीएमए मध्यस्थता शुल्क वसूल करता है जिसका परिकलन मध्यस्थ द्वारा दिशानिर्देशों में उल्लिखित फार्मूले के आधार पर किया जाता है।

अध्याय 7

मजूरी नीति और श्रम शक्ति यौक्तिकीकरण

7.1 लोक उद्यम विभाग अन्य कार्यों के साथ-साथ सीपीएसई में यूनियन से संबद्ध कर्मचारियों की मजूरी और निदेशक मण्डल स्तर के पद धारण करने वाले गैर-यूनियन वाले पर्यवेक्षकों और कार्यपालकों के वेतन में संशोधन करने की नीति के सम्बन्ध में भारत सरकार के नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। यह विभाग प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों तथा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को वेतन नीति और कार्यपालकों के वेतनमानों में संशोधन से सम्बन्धित मामलों में सलाह प्रदान करता है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम अधिकांश रूप से औद्योगिक मंहगाई भत्ता (आईडीए) पद्धति के वेतनमानों का अनुसरण कर रहे हैं। कुछ मामलों में सीपीएसई में केन्द्रीय मंहगाई भत्ता (सीडीए) पद्धति और वेतनमानों का भी अनुसरण किया जाता है।

7.2 औद्योगिक मंहगाई भत्ता (आईडीए)

7.2.1 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कर्मचारियों के लिए वेतनमान और वेतन पैटर्न के सम्बन्ध में सरकारी नीति है कि संगत वेतनमान आईडीए पैटर्न पर होने चाहिए। लोक उद्यम विभाग ने जुलाई, 1981 तथा जुलाई 1984 में सभी प्रशासनिक मंत्रालयों को अनुदेश जारी कर दिए थे कि जब भी कोई नया केन्द्रीय उद्यम सृजित अथवा स्थापित हो तो उसमें शुरू से ही आईडीए पैटर्न अपनाना चाहिए। लोक उद्यम विभाग के तारीख 10.08.2009 के अन्तर्गत यह दोहराया गया और इस बात पर बल दिया गया कि कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 01.01.1989 को या उसके बाद सीडीए वेतनमान की नई पदोन्नति सहित की गई नियुक्तियां आईडीए वेतनमान में होनी चाहिए। केंद्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के 246 उद्यम (बैंकों, बीमा कंपनियों तथा नवगठित केंद्रीय सरकारी उद्यमों को छोड़कर) हैं। उन्होंने लगभग 15.35 लाख कामगारों, लिपिकीय कर्मचारियों तथा कार्यपालकों को नियुक्त किया हुआ है। इनमें से लगभग 96.8% कामगार और कार्यपालक आईडीए प्रणाली तथा संबंधित वेतनमानों में है।

7.3 1.1.1997 से केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में औद्योगिक महगांई भत्ता प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालकों/असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को वेतनमानों के संशोधन के लिए प्रथम वेतन संशोधन समिति

7.3.1 आईडीए कार्यपालकों और असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को पिछला वेतन संशोधन न्यायमूर्ति मोहन समिति (प्रथम वेतन संशोधन समिति) की सिफरिशों के आधार पर 01.01.1997 से 10 वर्षों अर्थात 31.12.2006 तक के लिए किया गया था। वेतन संशोधन 01.01.1997 से 10 वर्षों के लिए किया गया था।

7.4 केंद्रीय सरकारी उद्यमों के औद्योगिक मंहगाई भत्ता प्रणाली के अन्तर्गत कार्यपालकों/असंघबद्ध पर्यवेक्षकों के 01.01.2007 से वेतनमान में संशोधन के लिए द्वितीय वेतन संशोधन समिति

7.4.1 01.01.2007 से औद्योगिक मंहगाई भत्ता (आईडीए) पद्धति पर वेतनमानों को अपनाने वाले बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों जिनमें केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के गैर-यूनियन पर्यवेक्षक शामिल हैं, के वेतनमानों में संशोधन करने के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री एम जगन्नाथन राव की अध्यक्षता में द्वितीय वेतन संशोधन समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा समुचित रूप से विचार किए जाने के बाद 26.11.2008 तथा 09.02.2009 को आदेश जारी किए गए थे। इन आदेशों की प्रमुख विशेषताओं का नीचे उल्लेख किया गया है।

i) सीपीएसई में 12,600-32,500 (ई-0 ग्रेड के लिए) से 80,000-1,25,000 रुपए (अनुसूची) 'क'

सीपीएमई के मुख्य कार्यपालकों के लिए रेंज वाले नए वेतनमान।

ii) 01.01.2007 को मूल्य वेतन पर 30% की दर से एक समान फिटमेंट लाभ + 68.8% की दर पर मंहगाई भत्ता।

iii) वेतनवृद्धि की दर मूल वेतन के 3% प्रति वर्ष की दर पर।

iv) मूल वेतन का अधिकतम 50% अनुलाभ तथा भत्ते जिसमें 'केफ्टेरिया एप्रोच' की व्यवस्था है।

v) मूल वेतन का 40% से 200% तक निष्पादन से सम्बन्धित वेतन।

vi) मूल वेतन का 30% तक अधिवर्षिता लाभ।

vii) कार्यपालकों तथा असंघबद्ध के संबंध में 01.01.2007 से उपदान की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी है।

viii) वेतन संशोधन का कार्यान्वयन सीपीएसई की वह नीयता से जुड़ा है।

ix) सीपीएसई को वेतन संशोधन का वित्तपोषण अपने संसाधनों से करना होगा और इस प्रयोजन के लिय कोई बजट सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

x) द्वितीय वेतन संशोधन समिति की संस्तुतियों पर सरकारी आदेशों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में उठने वाले विशिष्ट मुद्दों/समस्या पर और आगे विचार करने के लिए एक विषमता समिति का गठन किया गया है जिसमें लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के व्यय विभाग और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव होते हैं।

xi) वेतन संशोधन के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए जब भी अपेक्षित हो लोक उद्यम विभाग आवश्यक अनुदेश/स्पष्टीकरण जारी करेगा।

7.4.2 गृह मंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रियों की समिति भी सीपीएसई के तेल विद्युत क्षेत्र के कार्यपालकों की मांगों पर विचार करती है। मंत्रियों की समिति की संस्तुतियों के आधार पर निम्नलिखित लाभ लागू करने के लिए सरकार ने 02.04.2009 को आदेश जारी किए थे:

i) फिटमेंट को 68.8% से 78.2% तक बढ़ाने के लिए फिटमेंट के प्रयोजन से मूल वेतन के साथ मंहगाई भत्ते को मिलाने का लाभ।

ii) मूल वेतन का 30% तक अधिवर्षिता लाभ+केवल मूल वेतन के स्थान पर मंहगाई भत्ता।

iii) मूल वेतन का 10% अधितकम सीमा के साथ सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवर्ती लागत के लिए अवसंरचना पर खर्च सीमित करना।

iv) बढ़े हुई भत्ते राष्ट्रपति के निर्देश जारी होने की तारीख के बजाय 26.11.2008 से प्रभावी होंगे परन्तु शर्त यह है कि राष्ट्रपति के निर्देश 02.04.2009 से एक महीने के अन्दर जारी किए जाएं।

v) ये लाभ सभी सीपीएसई पर लागू किए जाएं। इन कार्यालय ज्ञापनों को समग्र पैकेज के रूप में देखा जाना चाहिए। तारीख 26.11.2008 तथा 09.02.2009 के कार्यालय ज्ञापनों में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है।

7.5 वेतन के सम्बन्ध में 7वें दौर की बातचीत के सम्बन्ध में नीति

7.5.1 लोक उद्यम विभाग ने अपने दिनांक 09.11.2006 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के यूनियन से संबद्ध कामगारों के साथ वेतन के सम्बन्ध में बातचीत के सातवें दौर (जो सामान्य रूप से 01.01.2007 को अपेक्षित है) के लिए नीतिगत मार्गनिर्देश जारी किए हैं। सीपीएसई के प्रबंधकों को कुछ शर्तों के अधीन कामगारों के लिए वेतनमानों के संशोधन के बारे में बातचीत करने की स्वतंत्रता है। मोटे तौर पर ये मार्गनिर्देश वही हैं जो वेतन के सम्बन्ध में छठे दौर की बातचीत पर पहले की नीति में थे। मार्गनिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ सामान्य रूप से यह उल्लेख किया है कि यह वेतन समझौता 100% मंहगाई भत्ता निष्प्रभावन के साथ 10 वर्ष की अवधि के लिए होगा। सरकार ने दिनांक 01.05.2008 के कार्यालय ज्ञापन के तहत सीपीएसई के साथ सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को मामला-दर-मामला आधार पर अपने मंत्री के अनुमोदन से 10 वर्ष से कम परन्तु 5 वर्ष से कम नहीं, अवधि की अवर्तिता के लिए वेतन समझौते पर निर्णय लेने की और आगे अनुमति दी।

7.6 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सीडीए पद्धति के अधीन कर्मचारियों के वेतन में संशोधन

7.6.1 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 69 उद्यमों के कुछ उन लिपिकीय कर्मचारियों, यूनियन के संबंद्ध संवर्गों और कार्यपालकों को सीडीए पद्धति वेतनमान लागू हैं जो

01.01.1986 से 31.12.1988 तक इन कम्पनियों के कर्मचारी थे और उस समय सीडीए पद्धति पर वेतनमान ले रहे थे। उच्चतम न्यायालय के दिनांक 12.03.1986 के निर्देशों के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा एक उच्च शक्तिप्राप्त वेतन समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति ने 24.11.1988 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की थी। इसकी सिफारिशें केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के इन उद्यमों में क्रियान्वित की गई हैं। बाद के दिनांक 28.08.1991 के साथ पठित उच्चतम न्यायालय के दिनांक 03.05.1990 के निर्देश के अनुसरण में आईडीए पद्धति और सम्बन्धित वेतनमान 01.01.1989 से केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के इन उद्यमों में लागू किए गए थे। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 69 उद्यमों (जो उच्च शक्ति वेतन समिति के दायरे में आए थे) में से इस समय केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 48 उद्यम ऐसे हैं जो सीडीए और आईडीए, दोनों पद्धतियों के वेतनमान अपना रहें हैं। उच्च शक्तिप्राप्त वेतन समिति की सिफारिशों और उन पर उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सीडीए पद्धति के वेतनमानों को अपनाने वाले कर्मचारियों के वेतन में केवल तभी संशोधन होगा जब केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए भी इस प्रकार के परिवर्तन प्रभावी होंगे।

7.6.2 लोक उद्यम विभाग ने दिनांक 14.10.2008 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सीडीए प्रणाली का अनुसरण करने वाले केंद्रीय सरकारी उद्यमों के वेतनमानों में दिनांक 01.01.2006 से संशोधन कर दिया है। वेतन संशोधन का लाभ केंद्रीय क्षेत्र के उन उद्यमों के लिए है जो घाटे में नहीं हैं और जो वेतन संशोधन के कारण होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति सरकार से बिना किसी बजटीय सहायता के कर सकते हैं। यह भी उल्लेख किया गया है कि निदेशक मण्डल अपने उद्यम की वहन क्षमता को ध्यान में रखते हुए सभी कर्मचारियों के वेतन संशोधन से संबंधित प्रस्ताव पर विचार करेंगे और अपने प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को प्रस्तुत करेंगे, जो अपने वित्तीय सलाहकार की सहमति से उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करेगा। संशोधित भत्तों पर भी दिशा-निर्देश लोक उद्यम विभाग के दिनांक 20.01.2009 के कार्यालय ज्ञापन के अंतर्गत जारी कर दिए गए हैं।

अध्याय 8

केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का वर्गीकरण

8.1 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को अनुसूचियों में बांटा गया है; यथा सामान्यतया, 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ'। केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों तथा पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकों के वेतनमान संबंधित उद्यम की अनुसूची से जुड़े हुए हैं। सामान्य तौर पर उद्यम के मुख्य कार्यपालक को कंपनी की अनुसूची संबद्ध का वेतनमान दिया है। कभी-कभी मुख्य कार्यपालकों अथवा कार्यकारी निदेशकों के पद का उन्नयन वैयक्तिक आधार पर किया जाता है, ताकि वास्तव में सक्षम कार्यपालकों को उन उद्यमों में रोका जा सके, जिनमें उन्होंने सराहनीय सेवाएं दी हैं। ऐसी व्यवस्था से प्रतिभा को रुग्ण अथवा उच्च प्रौद्योगिकी वाले उद्यमों की ओर आकृष्ट करने में सहायता मिलेगी।

8.2 प्रारंभ में, साठ के दशक के मध्य में सरकारी उद्यमों का वर्गीकरण अर्थव्यवस्था में उनके महत्व तथा उनकी समस्याओं की जटिलता के आधार पर किया गया था। गत वर्षों में लोक उद्यम विभाग ने सरकारी उद्यमों के वर्गीकरण/ पुनवर्गीकरण के उद्देश्य से विविध मानदण्डों का विकास किया है। यह वर्गीकरण निवेश, नियोजित पूंजी, निवल बिक्री, कर्मचारियों की संख्या जैसे मात्रात्मक मानदण्डों तथा राष्ट्रीय महत्व, समस्या की जटिलता, प्रौद्योगिकी स्तर, क्रियाकलापों के विस्तार एवं विविधीकरण की संभावना तथा अन्य क्षेत्रों से प्रतिस्पर्धा आदि जैसे मात्रात्मक मानदण्डों पर आधारित है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम रणनीतिक महत्व से संबंधित मानदण्डों को भी ध्यान में रखा जाता है। वर्तमान प्रक्रिया में अनुसूची संबंधी प्रस्ताव पर संबंद्ध प्रशासनिक मंत्रालय में तथा लोक उद्यम विभाग में विचार किया जाता है तथा लोक उद्यम विभाग इस मामले में लोक उद्यम चयन मण्डल से विचार विमर्श करता है। वर्तमान में (31.1.2010 तक) अनुसूची 'क' में 59, अनुसूची 'ख' में 70, अनुसूची 'ग' में 45 तथा अनुसूची 'घ' में 6 उद्यम तथा सरकारी क्षेत्र के 67 उद्यम वर्गीकृत हैं। वर्ष के दौरान केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के एक उद्यम को अनुसूची 'ख' से उन्नयन करके अनुसूची 'क' में लाया गया है तथा केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के 01 उद्यम को अनुसूची 'ख' में वर्गीकृत किया गया है। सरकारी उद्यमों की अनुसूचीवार सूची अनुबंध-II में दी गई है। इसके अलावा दो मुख्य कार्यपालकों को व्यक्तिगत आधार पर अनुसूची दी गई है तथा 4 कार्यकारी निदेशक के पद सृजित किए गए हैं।

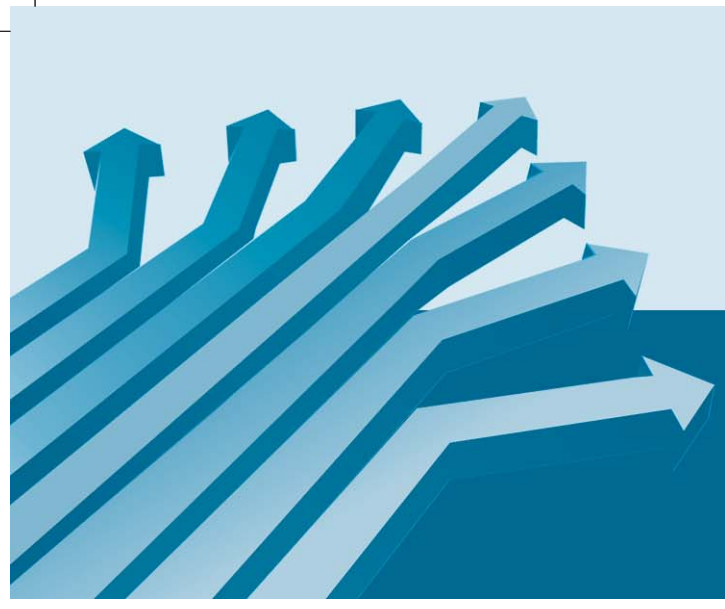

अध्याय 9

सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई)

9.1 अन्य बातों के साथ-साथ, केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उद्यमों के पुनरुद्धार से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार ने दिसंबर, 2004 में सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) का गठन किया गया था, जिसमें एक राज्य मंत्री स्तर का एक अध्यक्ष, तीन अंशकालिक गैर-सरकारी सदस्य तथा तीन सरकारी सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा अध्यक्ष, लोक उद्यम चयन मण्डल, अध्यक्ष, स्कोप और अध्यक्ष, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि. बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग का सचिव उनके मंत्रालय/विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सरकारी उद्यम से संबंधित बैठकों में भाग लेने के लिए विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। बीआरपीएसई में भारत सरकार के सचिव पद का एक अलग से पूर्णकालिक सचिव भी है।

9.2 सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड ने अप्रैल, 2009 से जनवरी, 2010 तक 8 बैठकें आयोजित की और बोर्ड ने सरकारी क्षेत्र के 12 उद्यमों के प्रस्तावों पर विचार किया है (अनुबन्ध-III)। इनमें चार उद्यमों के नए प्रस्ताव थे जिसमें गत वर्षों के प्रेषित तीन मामले शामिल हैं। बोर्ड ने 2 मामलों में सरकार को अनुशंसा दे दी है और शेष 02 मामलों को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को पुन: प्रस्तुत करने के लिए वापस भेजा गया है। बोर्ड ने 9 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मामले में अनुशंसाओं को कार्यान्वित करने की स्थिति तथा 8 उद्यमों के सम्बन्ध में सरकार के अनुमोदन के कार्यान्वयन की समीक्षा की है। इसके अलावा, बोर्ड ने 2 उद्यमों के सम्बन्ध में पुनरूद्धार प्रस्ताव की स्थिति की समीक्षा भी की है।

9.3 सरकारी क्षेत्र के 2 उद्यमों में सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड की सिफारिशें निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं:

क्र. सं.	श्रेणी	सरकारी उद्यमों की सं.
1	सरकारी विभाग/सरकारी उद्यम द्वारा अधिग्रहण/स्थानांतरण के माध्यम से पुनरूद्धार	1
2	बन्द	1
	कुल	**2**

9.4 सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड की प्रथम बैठक 16.12.2004 को आयोजित की गई थी। बीआरपीएसई की स्थापना से जनवरी, 2010 तक बोर्ड की 76 बैठकें हुई हैं। बोर्ड ने सरकारी क्षेत्र के 64 उद्यमों के प्रस्ताव पर विचार किया है। जनवरी, 2010 तक बोर्ड ने सरकारी क्षेत्र के 58 उद्यमों के मामले में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं इसके अलावा बोर्ड ने सरकार से सिफारिश की है कि वह फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एफसीआईएल) तथा हिन्दुस्तान फर्टिलाईजर कारपोरेशन लि. (एचएफसीएल) की युनिटों बन्द करने के अपने पहले निर्णय को वापस लेने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करे ताकि उनके पुनर्गठन के लिए विभिन्न विकल्पों का पता लगाया जा सके।

9.5 सरकारी क्षेत्र के 58 उद्यमों (अनुबंध-IV) के संबंध में बीआरपीएसई की सिफारिशें निम्नलिखित प्रमुख वर्गों के अंतर्गत आती हैं।

क्र. सं.	श्रेणी	सरकारी उद्यमों की सं.
1	पुनरुद्धार पैकेज के माध्यम से पुनरुद्धार	41
2	राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण/सरकारी क्षेत्र के उद्यम के साथ संयुक्त उद्यम/विनिवेश के माध्यम से पुनरुद्धार	9
3	अन्य केंद्रीय सरकारी उद्यम से विलय/अधिग्रहण द्वारा पुनरुद्धार	5
4	बन्द करना	3
	कुल	**58**

9.6 बीआरपीएसई की अन्य प्रमुख अनुसंशाए

9.6.1 अनुशंसित 58 मामलों में से सरकार ने सरकारी क्षेत्र के 39 उद्यमों के प्रस्ताव अनुमोदित कर दिए हैं। इसके अलावा, सरकार ने एफ सी आई एल तथा एच एफ सी एल के पुनरुद्धार की संभावना की सैद्धांतिक रूप से जांच करने का निर्णय भी लिया है।, बशर्ते कि गैस की उपलब्धता की पुष्टि हो। इसके अतिरिक्त सरकार ने यह भी अनुमोदित किया है कि (i) विशेष प्रयोजन के माध्यम से एच एफ सी एल की बरौनी का पुनरुद्धार (ii) सचिवों की शक्ति प्राप्त समिति का गठन जिसका कार्य सभी बंद इकाईयों के पुनरुद्धार के विकल्पों का चयन करना और सरकार के समक्ष विचार करने हेतु उपयुक्त सिफारिशें प्रस्तुत करना होगा (iii) बन्द इकाईयों के पुनरुद्धार के लिए सरकारी ऋणों और ब्याज दायित्वों को समाप्त करना बशर्ते कि एक संयुक्त सम्पूर्ण निवेश प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाए।

अध्याय 10

परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन योजना (सीआरआर)

10.1 विशेषकर उदारवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, उद्यमों का पुनर्निर्माण वैश्विक घटना है। केंद्रीय सरकारी उद्यमों दोनों वृहद्ध अथवा सूक्ष्मस्तर, के पुनर्गठन पर जोर दिया जा रहा है। इस प्रक्रिया में श्रमशक्ति का यौक्तिकीकरण भी एक आवश्यकता बन गई है। लेकिन कुछ मामलों में इससे कामगारों का हित प्रभावित हुआ है। सरकार की नीति मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सुधारों को क्रियान्वित करने की तथा प्रभावित कामगारों के लिए पर्याप्त सुरक्षा तंत्र की व्यवस्था करने की रही है।

10.2 सुरक्षा तंत्र की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्थूल तौर पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के व्यय को पूरा करने के लिए तथा संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को पुनर्प्रशिक्षण देने के लिए फरवरी, 1992 में राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना की थी। केंद्रीय उद्यमों में चल रहे पुनर्गठन प्रयासों के मद्देनजर केंद्रीय सरकारी उद्यमों की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। फरवरी, 2000 में राष्ट्रीय नवीकरण कोष (एन आर एफ) को समाप्त कर दिया गया था। 31 मार्च, 2001 तक पुनर्प्रशिक्षण के कार्यकलाप, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा चलाए जाते थे। वर्ष 2001-02 से लोक उद्यम विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पृथक हुए कर्मचारियों के लिए परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन (सी आर आर) की योजना लागू की गई थी।

10.3 अन्य बातों के साथ-साथ परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन (सी आर आर) योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

- स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।
- अल्पावधिक कार्यक्रमों के माध्यम से पृथक हुए कर्मचारियों का पुनरानुकूलन करना।
- उनको नये काम-धन्धे अपनाने के लिए तैयार करना।
- उन्हें आय अर्जित करने के लिए स्वरोजगार में लगाना।
- उत्पादनकारी प्रक्रिया अपनाने में उनकी सहायता करना।

10.4 सी आर आर कार्यक्रम के परामर्श, पुन:प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन मुख्य घटक हैं। इसके अलावा सी आर आर कार्यक्रम में सुग्राहीकरण का नया कारक भी जोड़ा गया है।

10.5 परामर्श से पृथक हुए कर्मचारियों को संगठन छोड़ने का मानसिक आघात सहन करने, क्षतिपूर्ति सहित अपनी धनराशि का उचित प्रबन्ध करने, चुनौती का सामना करने के लिए उन्हें प्रेरित करने तथा उत्पादनकारी प्रक्रिया में फिर से जुड़ने में सहायता मिलती है। इसी प्रकार, पुनर्प्रशिक्षण उनकी निपुणता/विशेषज्ञता को सशक्त बनाता है। चयनित प्रशिक्षण संस्थान आवश्यकतानुसार 30/45/60 दिवसीय प्रशिक्षण देते हैं। संकाय सहायता आंतरिक और बाह्य, दोनों प्रकार की होती है तथा कक्षाओं में शैक्षणिक व्याख्यान के अतिरिक्त सम्बद्ध क्षेत्र का अनुभव प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में प्रशिक्षणार्थी विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञों से सम्पर्क करते हैं तथा परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने तथा अंतिम रूप देने में उनकी सहायता की जाती है। पुनर्प्रशिक्षण का ध्येय ज्यादातर स्वरोजगार के माध्यम से पुनर्नियोजन करना है। वर्तमान योजना में स्वरोजगार की दर को अधिकतम बनाने का उद्देश्य है। अत: नोडल अभिकरण आवश्यकता पर आधारित सहायता प्रदान करते है, ऋण संस्थानों के साथ संपर्क जोड़ते हैं तथा पुनर्प्रशिक्षित कार्मिकों के साथ लगातार अनुवर्ती कार्रवाई करते हैं।

10.6 सी आर आर कार्यक्रम का परिवीक्षण करने के लिए आंतरिक संरचना में लोक उद्यम विभाग के संबंधित अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय दौरे तथा निरीक्षण इत्यादि शामिल हैं। स्थानीय स्तर पर समन्वय समितियां भी गठित की गई हैं। योजना में संबंधित सरकारी विभागों/अभिकरणों/केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के चयनित सदस्यों सहित सचिव (लोक उद्यम) की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालयी समीक्षा समिति का भी प्रावधान है।

10.7 नोडल प्रशिक्षण अभिकरणों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को परामर्श देने, पुनराकूलन करने तथा प्रशिक्षण प्रदान करने, पाठ्यक्रम/सामग्री का विकास करने, व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने तथा बाजार सर्वेक्षण करने, प्रशिक्षण पश्चात् अनुवर्ती कार्यक्रम तैयार करने, ऋण संस्थानों के साथ अंत: संबंध स्थापित करने, स्वरोजगार में सहायता प्रदान करने, केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ नियमित संपर्क करने तथा समन्वयकारी समिति की बैठक बुलाने में दायित्वों का निष्पादन होता है।

10.8 योजना की सफलता के लिए केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम महत्वपूर्ण हैं। उन्हें पृथक्कृत कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने से पहले उनकी क्षतिपूर्ति/देयताओं का भुगतान करके उनके कल्याण के लिए संभव सहायता प्रदान करनी चाहिए। कर्मचारियों के साथ लम्बे संबंधों के कारण केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम पुन: प्रशिक्षण संबंधी उनकी आवश्यकताओं को अभिज्ञात करने की बेहतर स्थिति में होते हैं।

10.9 वर्ष 2008-09 के दौरान 8.10 करोड़ रुपये की योजना राशि आबंटित की गई थी। वर्ष 2008-09 में 58 कर्मचारी सहायता केंद्रों सहित 19 नोडल अभिकरण पूरे देश में प्रचालनरत थे। इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों को वर्षवार संख्या इस प्रकार है।

वर्ष	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या
2001-02	8064
2002-03	12066
2003-04	12134
2004-05	28003
2005-06	32158
2006-07	34398
2007-08	9728
2008-09	9772
कुल	**146323**

10.10 शून्य आधारित बजट प्रयास के अंतर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सी आर आर योजना संशोधित की गई है। स्कीम नवम्बर, 2007 में सभी प्रचालनरत नोडल अभिकरणों, केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों और नोडल मंत्रालयों/विभागों को जारी दिशानिर्देशों के साथ चलती रही। इस योजना में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को अपनाने वाले व्यक्ति के आश्रित पर विचार करना प्रशिक्षण की अवधि बढ़ाना, व्यय प्रति मानों में अनुवर्ती कार्रवाई हेतु अलग से राशि निर्धारित करना, प्रभावशाली लक्ष्य निर्धारण के लिए निगरानी तथा पुन:नियोजन के संशोधन शामिल किए गए हैं।

10.11 प्रचालनरत नोडल अभिकरणों की सूची अनुबन्ध-V पर दी गई है।

अध्याय 11

केंद्रीय सरकारी उद्यमों में व्यय प्रबन्ध-आर्थिक उपाय तथा व्यय का यौक्तिकीकरण

सरकार के व्यय विभाग के दिनांक 7 सितम्बर, 2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7(1) ई. कोर्ड/2009 के तहत मित्तव्यय के उपाय जारी किए हैं। यह महसूस किया गया कि केन्द्रीय सरकारी उद्यम भी विशेषकर विदेश यात्रा, कार्यालय व्यय, प्रचार-प्रसार संगोष्ठी, पैट्रोल तथा अन्य प्रशासनिक व्ययों पर नियंत्रण पाने में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। लोक उद्यम विभाग ने केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में व्यय प्रबन्ध के सम्बन्ध में इन उपायों को अमल में लाने के लिए दिनांक 8.10.2009 को एक कार्यालय ज्ञापन संख्या डीपीई/3(4)/2008-वित्त जारी किया है।

अध्याय 12

राजभाषा नीति

12.1 इस विभाग का हिन्दी अनुभाग मुख्यत: राजभाषा अधिनियम तथा उसके विविध अन्तर्गत उल्लिखित विविध उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। हिन्दी अनुभाग उन दस्तावेजों के अनुवाद के लिए उत्तरदायी है, जिन्हें राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी किया जाना अपेक्षित है। चूंकि, इस विभाग के 80% से अधिक कर्मचारी हिन्दी जानते हैं, इसलिए इस विभाग को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित कर दिया गया है।

12.2 वर्ष 2008-09 के दौरान सभी अधिसूचनाओं, संकल्पों, सूचनाओं, परिपत्रों, संसद के सभापटल पर रखे जाने वाले कागजातों आदि को द्विभाषिक रूप में जारी किया गया है। हिन्दी में मूल पत्राचार बढ़ाए जाने हेतु भी प्रयास किए गए। लोक उद्यम विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में काम करती है।

12.3 राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रति जागरूकता पैदा करने तथा उसके प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस विभाग द्वारा 16 सितम्बर, 2009 से 30 सितम्बर, 2009 तक ''हिन्दी पखवाड़ा'' आयोजित किया गया था। इस पखवाड़े के दौरान अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए 03 विविध प्रतियोगिताओं, यथा हिन्दी निबन्ध, हिन्दी श्रुतलेख तथा हिन्दी टंकण (कम्प्यूटर पर) प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और सचिव, लोक उद्यम विभाग द्वारा विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।

12.4 इस विभाग द्वारा केन्द्रीय उद्यमों के कार्यचालन के सम्बन्ध में ''लोक उद्यम सर्वेक्षण'' नामक वार्षिक रिपोर्ट संसद में प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत की जाती है। यह एक विशाल एवं विस्तृत प्रलेख है, जिसे इस विभाग द्वारा हिन्दी और अंग्रेजी में साथ-साथ प्रकाशित किया जाता है।

श्री भास्कर चटर्जी, सचिव, लोक उद्यम विभाग, वर्ष 2009-10 के दौरान आयोजित हिन्दी पखवाड़े में पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए

अध्याय 13

महिलाओं का कल्याण

13.1 भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्त्तव्यों और निर्देशक सिद्धांतों में लिंग की समानता का सिद्धांत प्रतिपादित हैं। संविधान न केवल महिलाओं के मामले में समानता का अधिकार प्रदान करता है, बल्कि सरकार को भी महिलाओं के हित में सकारात्मक विचारण की शक्ति सौंपता है। लोकतांत्रिक नीति में हमारे कानून, विकास नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं का उन्नयन है।

13.2 विभाग में कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित, निरापद तथा स्वस्थ माहौल सुनिश्चित करने के लिए एक महिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक शिकायत समिति का गठन भी किया जा चुका है। यौन उत्पीड़न के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों से इस विभाग में कार्यरत सभी व्यक्तियों को अवगत करा दिया गया है। कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर निगरानी रखने और उसे रोकने के लिए लोक उद्यम विभाग ने 29 मई, 1998 के अपने कार्यालय ज्ञापन द्वारा सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों को पहले से ही विस्तृत दिशानिर्देश एवं मानदण्ड जारी कर दिए हैं।

13.3 लोक उद्यम विभाग में स्वीकृत पदों की कुल संख्या 131 है, जिनमें से महिला कर्मचारियों सहित 84 अधिकारी/कर्मचारी हैं। लोक उद्यम विभाग ने स्वस्थ तथा सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है ताकि महिला कर्मचारी सम्मान, गरिमा के साथ और बिना किसी भय के अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके।

लोक उद्यम विभाग का संगठन चित्र

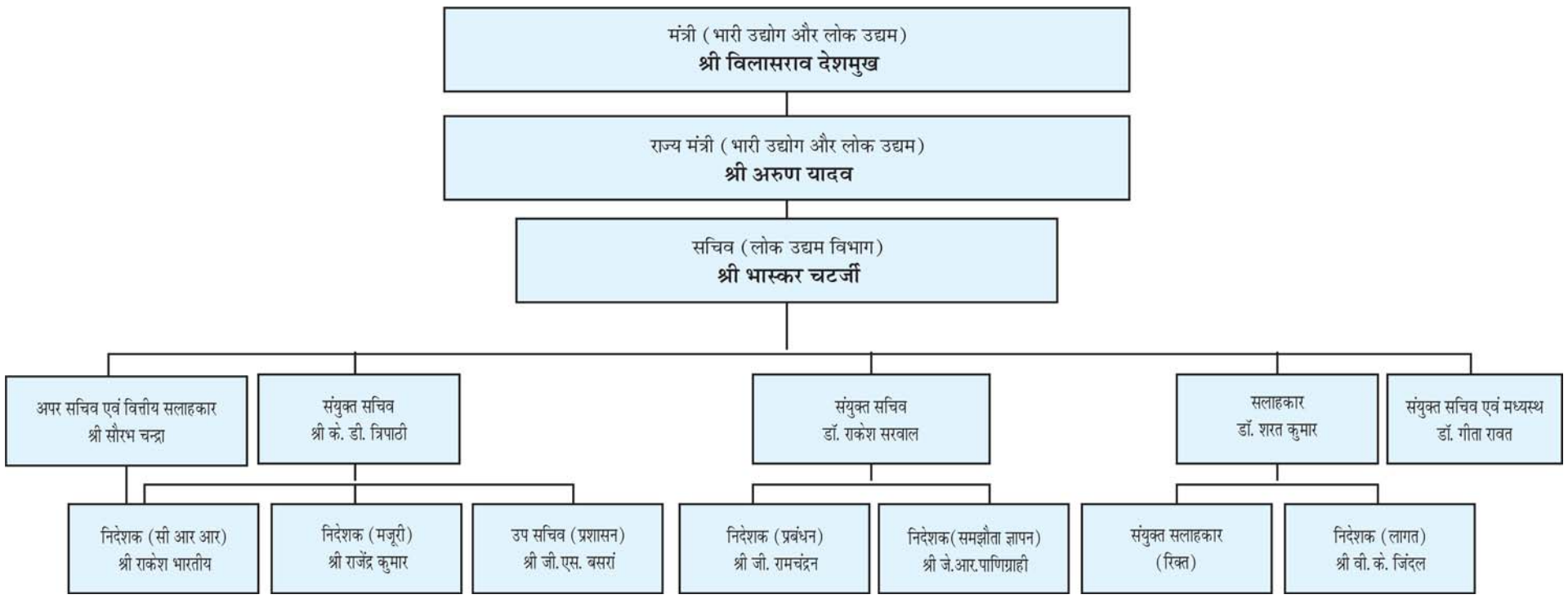

अनुबंध - II

केंद्रीय सरकारी उद्यमों की अनुसूची वार सूची

31 जनवरी, 2010 के अनुसार

अनुसूची-क

1. एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया
2. भारत भारी उद्योग निगम लि.
3. बीईएमएल लि.
4. भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि.
5. भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि.
6. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.
7. भारत संचार निगम लि.
8. सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन
9. कोल इंडिया लि.
10. कन्टेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
11. डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
12. इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
13. इंजीनियर्स इंडिया लि.
14. फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स (त्रावणकोर) लि.
15. भारतीय खाद्य निगम
16. गेल (इंडिया) लि.
17. हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लि.
18. हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि.
19. हिन्दुस्तान कॉपर लि.
20. हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लि.
21. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.
22. एचएमटी लि.
23. आवास एवं शहरी विकास निगम
24. आईटीआई लि.
25. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि.
26. इरकॉन इंटरनेशनल लि.
27. कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लि.
28. कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लि.
29. एमएमटीसी लि.
30. महानगर टेलिफोन निगम लि.
31. मझगांव डाक लि.
32. मेकॉन लि.
33. मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लि.
34. नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लि.
35. नेशनल एवीएशन कंपनी ऑफ इंडिया लि.
36. नेशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लि.
37. नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.
38. एनएचपीसी लि.
39. नेशनल मिनरल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि.
40. नेशनल टेक्सटाइल्स कॉर्पोरेशन लि.
41. एनटीपीसी लि.
42. नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लि.
43. नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लि.
44. ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लि.
45. ऑयल इंडिया लि.
46. पॉवर फाईनेंस कॉर्पोरेशन
47. पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
48. राइट्स लि.
49. रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
50. रेल विकास निगम लि.
51. राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.
52. राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.
53. रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लि.
54. सतलुज जल विद्युत निगम लि.
55. सिक्युरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
56. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
57. स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
58. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.
59. टेलीकम्युनिकेशन्स कन्सलटेन्ट्स (इंडिया) लि.

अनुसूची-ख

1. एन्ड्रयू यूले एण्ड कंपनी लि.
2. बामर लॉरी एण्ड कंपनी लि.
3. भारत कोकिंग कोल लि.
4. भारत डायनामिक्स लि.
5. भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसेल्स लि.
6. भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स लि.
7. ब्रह्मपुत्र क्रेकर्स एण्ड पॉलिमर्स लि.
8. ब्रह्मपुत्र वेली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लि.
9. ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लि.
10. बीबीजे कन्स्ट्रक्शन लि.
11. ब्रिड एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लि.
12. ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लि.
13. बर्न स्टेण्डर्ड कंपनी लि.
14. सीमेण्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
15. सेण्ट्रल कोलफील्ड्स लि.
16. सेण्ट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लि.
17. सेण्ट्रल माइन प्लांनिग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्यूट लि.
18. चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.
19. कोचीन शिपयार्ड लि.
20. कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
21. ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
22. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.
23. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.

24. एन्नौर पोर्ट लि.
25. फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
26. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लि.
27. गोवा शिपयार्ड लि.
28. हैण्डीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लि.
29. हिंदुस्तान केबल्स लि.
30. हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लि.
31. एचएलएल लाइफकेयर लि.
32. हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट्स लि.
33. हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि.
34. हिंदुस्तान शिपयार्ड लि.
35. हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कन्स्ट्रक्शन कंपनी लि.
36. हिंदुस्तान वेजिटेबिल ऑयल्स कॉर्पोरेशन लि.
37. एचएमटी (इंटरनेशनल) लि.
38. एचएमटी मशीन टूल्स लि.
39. एचएमटी वॉचेज लि.
40. इंडियन टूरिज्म डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि.
41. इंडिया ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाईजेशन
42. इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.
43. इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लि.
44. इंडियन रेलवे फाईनेंस कॉर्पोरेशन लि.
45. इंडियन रेयर अर्थ लि.
46. इंडियन रिन्यूएबिल एनर्जी डवलपमेंट एजेन्सी लि.
47. इन्स्ट्रूमेंटेशन लि.
48. एम एस टी सी लि.
49. मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.
50. महानदी कोलफील्ड्स लि.
51. मंगलौर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि.
52. मैंगनीज ओर (इंडिया) लि.
53. मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लि.
54. मिश्र धातु निगम लि.
55. नेशनल जूट मैन्युफैक्चरर्स कॉर्पोरेशन लि.
56. नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लि.
57. नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लि.
58. नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.
59. नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि.
60. ओएनजीसी विदेश लि.
61. पी ई सी लि.
62. पवन हंस हैलीकॉप्टर्स लि.
63. प्रोजेक्ट्स एण्ड डवलपमेंट इंडिया लि.
64. स्कूटर्स इंडिया लि.
65. साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.
66. टिहरी हाइड्रो डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि.
67. टायर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
68. यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
69. वापकोस लि.
70. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.

अनुसूची-ग

1. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह वन एवं पौध रोपण विकास निगम लि.
2. आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
3. बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.
4. भारत पेट्रो रिसार्सिस लि.
5. भारत रिफ्रेक्टोरीज लि.
6. भारत वेगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लि.
7. बीको लॉरी एण्ड कंपनी लि.
8. ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सलटेण्ट इंडिया लि.
9. सेन्ट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
10. केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि.
11. सेण्ट्रल रेलसाइड वेयरहाउस कंपनी लि.
12. एजुकेशनल कन्सलटेण्ट (इंडिया) लि.
13. एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स (इंडिया) लि.
14. फेरो स्क्रैप निगम लि.
15. हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि.
16. हिन्दुस्तान इन्सेटिसाइड्स लि.
17. हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैचरिंग कंपनी लि.
18. हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.
19. एचएमटी बियरिंग्स लि.
20. एचएमटी चिनार वाचेज लि.
21. हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि.
22. एचएससीसी (इंडिया) लि.
23. होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
24. जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
25. नागालैंड पल्प एण्ड पेपर कंपनी लि.
26. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
27. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम
28. राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम
29. राष्ट्रीय नेशनल हैण्डलूम डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि.
30. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम
31. नेशनल रिसर्च डवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
32. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम
33. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम
34. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम
35. राष्ट्रीय बीज निगम
36. नेपा लि.
37. नॉर्थ ईस्टर्न हैण्डीक्रॉफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि.
38. नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लि.
39. राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेंट्स लि.
40. रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लि.
41. एसटीसीएल लि.
42. स्पंज आयरन इंडिया लि.
43. स्टेट फार्म्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
44. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लि.
45. तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि.

अनुसूची-घ

1. हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड
2. हिन्दुस्तान प्रीफेब लि.
3. इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लि.
4. कर्नाटक एन्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.
5. उड़ीसा ड्रग्स एण्ड केमिकल्स लि.
6. राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.

अन्य अवर्गीकृत

1. अकलतारा पॉवर लि.
2. एआईएल एयरपोर्ट सर्विसेज लि.
3. एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि.
4. एयर इंडिया चार्टर्स लि.
5. एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लि.
6. एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लि.
7. अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लि.
8. असम अशोक होटल कॉर्पोरेशन लि.
9. बीईएल ऑप्ट्रानिक डिवाइसिज लि.
10. बामर लारी इन्वेस्टमेंट्स लि.
11. भारत इम्युनोलोजिकल एण्ड बायोलॉजीकल्स कॉर्पोरेशन लि.
12. भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लि.
13. भारतीय रेल बिजली कंपनी लि.
14. भारत पेट्रो रिसार्सेज जेडीपीए
15. बिहार ड्रग्स एण्ड आर्गेनिक केमिकल्स लि.
16. बड्र्स, जूट एंड एक्सपोर्ट्स लि.
17. बोकारो कोडरमा मैथोन ट्रांसमिशन कंपनी लि.
18. ब्रशवेयर लि.
19. सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लि.
20. कोस्टल कर्नाटक पॉवर लि.
21. कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पॉवर लि.
22. कोस्टल तमिलनाडु पॉवर लि.
23. क्रेडा-एचपीसीएल बायोफ्यूल लि.
24. डोनई पोलो अशोक होटल कॉर्पोरेशन लि.
25. ईस्ट-नॉर्थ इंटरकनेक्शन कंपनी लि.
26. एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
27. फ्रेश एण्ड हेल्दी इंटरप्राइजिज लि.
28. गेल गैस लि.
29. घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पॉवर कंपनी लि.
30. हुगली प्रिंटिंग कंपनी लि.
31. आईडीपीएल (तमिलनाडु) लि.
32. आईएल पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स लि.
33. इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लि.
34. इंडियन ऑयल टेक्नोलॉजिज लि.
35. इंडियन वैक्सीन कॉर्पोरेशन लि.
36. इन्स्ट्रूमेंटेशन कण्ट्रोल वाल्व्ज लि.
37. इन्स्ट्रूमेंटेशन डिजिटल कण्ट्रोल लि.
38. जगदीशपुर पेपर मिल्स लि.
39. जे एण्ड के मिनरल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि.
40. कांती बिजली उत्पादन निगम लि.
41. कर्नाटक ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाईजेशन
42. कुमारकुप्पा फ्रंटियर होटल्स (प्रा.) लि.
43. मध्य प्रदेश अशोक होटल कॉर्पोरेशन लि.
44. महाराष्ट्र इलैक्ट्रोजमेल्ट लि.
45. मिलेनियम टेलिकॉम लि.
46. नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि.
47. नेशनल इन्फोर्मेटिक्स सेन्टर सर्विसेज इनकोर्पोरेटिड
48. एनएलसी तमिलनाडु पॉवर लि.
49. नॉर्थ करनपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लि.
50. एनटीपीसी इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कं. लि.
51. एनटीपीसी हाइड्रो लि.
52. एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लि.
53. न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
54. उड़ीसा इंटिग्रेटिड पॉवर लि.
55. पीएफसी कंसल्टिंग लि.
56. पांडिचेरी अशोक होटल कॉर्पोरेशन लि.
57. पंजाब अशोक होटल कंपनी लि.
58. रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लि.
59. आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि.
60. आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लि.
61. सखीगोपाल इंटीग्रेटिड पॉवर कंपनी लि.
62. सांभर साल्ट्स लि.
63. सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लि.
64. तलचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लि.
65. तमिलनाडु ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाईजेशन
66. उत्कल अशोक होटल कॉर्पोरेशन लि.
67. विगनयन इंडस्ट्रीज लि.

अनुबंध - III

वर्ष के दौरान बीआरपीएसई द्वारा विचार किए गए केंद्रीय सरकारी उद्यमों का ब्यौरा

सं./बैठक की तारीख	विचार किए गए मामले	बीआरपीएसई की अनुशंसाएं
69/26.6.2009	(i) आईटीआई लि., (ii) बर्न स्टेण्डर्ड कंपनी लि. (बीएससीएल)	(i) आईटीआई को छोड़ दिया गया (ii) बीएससीएल-दो वेगन विनिर्माण यूनिटों को रेल मंत्रालय को हस्तांतरित करके तथा एक रिफ्रेक्ट्रीज यूनिट को इस्पात मंत्रालय को हस्तांतरण करके पुनरूद्धार किया गया।
70/17.7.2009	(i) हिंदुस्तान फोटोफिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लि. (एचपीएफएल), (ii) हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लि. (एचईसी)	(i) एचपीएफएल को छोड़ दिया गया। (ii) एचईसी की समीक्षा की गई।
71/7.8.2009	(i) हिंदुस्तान वेजीटेबिल ऑयल कॉर्पोरेशन लि. (एचवीओसी), (ii) केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि. (सीआईडब्ल्यूटीसी),	(i) एचवीओसी की ब्रेकफास्ट फूड यूनिट का समापन। (ii) सीआईडब्ल्यूटीसी की समीक्षा की गई।
72/28.8.2009	(i) बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि. (बीसीपीएल), (ii) हिंदुस्तान कॉपर लि. (एचसीएल)	बीसीपीएल एवं एचसीएल की समीक्षा की गई।
73/22.9.2009	(i) फर्टिलाइजर एवं केमिकल्स त्रावणकोर लि. (एफएसीटी), (ii) ब्रह्मपुत्र वेली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लि. (बीवीएफसीएल), (iii) मद्रास फर्टिलाइजर्स लि. (एमएफएल), (iv) फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एफसीआईएल), (v) हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लि. (एचएफसीएल)	(i) - (v) की समीक्षा की गई।
74/27.10.2009	(i) स्कूटर्स इंडिया लि. (एसआईएल), (ii) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. (एनएफडीसी)	पुनरूद्धार प्रस्तावों की स्थिति की समीक्षा की गई।
75/26.11.2009	(i) हिंदुस्तान केबल्स लि. (एचसीएल), (ii) एल्गिन मिल्स कंपनी लि. (ईएमसी)	एचसीएल एवं ईएमसी की समीक्षा की गई।
76/22.12.2009	(i) आईटीआई लि., (ii) हिंदुस्तान फोटोफिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लि., (iii) एचएमटी मशीन टूल्स लि., (iv) एचएमटी बीयरिंग लि., (v) प्रागा टूल्स लि., (vi) एचएमटी लि., (vii) एचएमटी वाचेज लि., (viii) एचएमटी चिनार वाचेज लि.	(i)-(viii) की समीक्षा की गई।

अनुबंध- IV

उन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की सूची जिनके प्रस्तावों को बीआरपीएसई द्वारा अनुमोदित किया गया

क्र. सं.	प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/केंद्रीय सरकारी उद्यम का नाम	बीआरपीएसई की सिफारिशों का व्यापक सारांश
	भारी उद्योग विभाग	
1.	हिंदुस्तान साल्ट्स लि., जयपुर, राजस्थान	केंद्रीय सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
2.	ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लि. कोलकाता	केंद्रीय सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
3.	बीबीजे कन्स्ट्रक्शन कंपनी लि., कोलकाता	केंद्रीय सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
4.	टायर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., कोलकाता	केंद्रीय सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
5.	एचएमटी बियरिंग्स लि., हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	केंद्रीय सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
6.	प्रागा टूल्स लि., सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश	केंद्रीय सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
7.	वेट एण्ड कंपनी लि., कोलकाता	केंद्रीय सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
8.	नेपा लि., नेपा नगर, मध्य प्रदेश	संयुक्त उद्यम/विनिवेश के माध्यम से पुनरूद्धार
9.	रिचर्डसन एण्ड क्रूडास लि., मुम्बई	संयुक्त उद्यम/विनिवेश के माध्यम से पुनरूद्धार
10.	तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लि. बेल्लारी, कर्नाटक	संयुक्त उद्यम/विनिवेश के माध्यम से पुनरूद्धार
11.	भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स लि., इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	संयुक्त उद्यम/विनिवेश के माध्यम से पुनरूद्धार
12.	सीमेण्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., दिल्ली	बंद पड़ी यूनिटों को बंद किया जाए। अन्य प्रचालन तीन यूनिटों को केंद्रीय सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार किया जाएगा।
13.	एचएमटी मशीन टूल्स लि., बैंगलोर, कर्नाटक	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
14.	हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लि., रांची, झारखण्ड	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
15.	एन्ड्रयू यूले एण्ड कंपनी लि., कोलकाता	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
16.	इन्स्ट्रूमेंटेशन लि., कोटा, राजस्थान	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
17.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि., इलाहाबाद, उ.प्र.	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
18.	एचएमटी लि., बैंगलोर	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
19.	एचएमटी वाचेज लि., बैंगलोर	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार–बंगलौर यूनिट को बंद करना तथा रानी बाग यूनिट को बंद करने से पहले राज्य सरकार को स्थानांतरित करना।
20.	भारत ऑप्थाल्मिक ग्लास लि.	बंद
21.	भारत यंत्र निगम लि.	बंद
22.	भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसेल्स लि.	वित्तीय पुनर्संरचना के द्वारा पुनरूद्धार और बीएचईएल द्वारा अधिग्रहण
23.	हिंदुस्तान केबल्स लि. कोलकाता	संयुक्त उद्यम/विनिवेश के माध्यम से पुनरूद्धार
24.	एचएमटी चिनार वाचेज लि., जम्मू (जम्मू और कश्मीर)	जे एंड के राज्य सरकार को स्थानांतरित करके या किसी अन्य राज्य/केंद्रीय सरकारी उपक्रम/निजी क्षेत्र के साथ संयुक्त उद्यम के द्वारा पुनरूद्धार
25.	बर्न स्टेण्डर्ड कंपनी लि.	दो वेगन विनिर्माण यूनिटों को रेल विभाग और एक रीफ्रेक्टरी यूनिट को इस्पात मंत्रालय को स्थानांतरण के माध्यम से पुनरुद्धार किया गया।
	वस्त्र मंत्रालय	
26.	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश	संयुक्त उद्यम/विनिवेश के माध्यम से पुनरूद्धार
27.	नेशनल टेक्सटाइल्स कॉर्पोरेशन लि. तथा इसकी दिल्ली एवं अन्य राज्यों में सहायक कंपनियां	15 मिलों का सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार तथा 19 मिलों का संयुक्त उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
28.	नेशनल जूट मेन्युफैक्चरर्स कॉर्पोरेशन लि., कोलकाता	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
29.	एल्गिन मिल्स कंपनी लि.	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार

	उर्वरक मंत्रालय	
30.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि., मनाली, तमिलनाडु	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
31.	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लि., कोच्ची, केरल	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
32.	ब्रहापुत्र वेली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लि., नामरूप असम	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
	पोत परिवहन मंत्रालय	
33.	केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि., कोलकाता	संयुक्त उद्यम/विनिवेश के माध्यम से पुनरूद्धार
34.	हिंदुस्तान शिपयार्ड लि., दिल्ली	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
35.	हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लि. कोलकाता	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
	रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग	
36.	हिंदुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि., मुम्बई	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
37.	हिंदुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि., पुणे, महाराष्ट्र	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
38.	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लि., हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
39.	हिंदुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि., दिल्ली	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
40.	बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि., कोलकाता	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
41.	इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि., गुड़गांव, हरियाणा	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
42.	आईडीपीएल (तमिलनाडु) लि., चेन्नई	आईडीपीएल के साथ विलय
43.	बिहार ड्रग्स एण्ड आर्गेनिक केमिकल्स लि., मुजफ्फरपुर, बिहार	आईडीपीएल के साथ विलय
	कोयला मंत्रालय	
44.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि., बर्द्धवान, पश्चिम बंगाल	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
45.	भारत कुकिंग कोल लि.	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
	खान मंत्रालय	
46.	खनिज उत्खनन निगम लि., नागपुर, महाराष्ट्र	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
47.	हिंदुस्तान कॉपर लि., कोलकाता	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	
48.	सेण्ट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लि., दिल्ली	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
	जल संसाधन मंत्रालय	
49.	नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लि., दिल्ली	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
	इस्पात मंत्रालय	
50.	मेकॉन लि., रांची, झारखंड	केंन्द्रीय सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
51.	भारत रिफ्रेक्टोरीज लि., बोकारो, झारखंड	वित्तीय पुनः संरचना के द्वारा पुनरूद्धार तथा सेल के साथ विलय
52.	हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लि., कोलकाता	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
	कृषि और सहकारिता विभाग	
53.	स्टेट फार्म्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., दिल्ली	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	
54.	बीको लॉरी लि., कोलकाता	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
	रेल मंत्रालय	
55.	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लि., दिल्ली	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
56.	भारत वेगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लि., पटना, बिहार	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	
57.	हिंदुस्तान प्रीफेब लि.	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	
58.	हिंदुस्तान वेजीटेबल ऑयल्स कॉर्पोरेशन लि.	ब्रेकफास्ट फूड यूनिट को बंद कर दिया

अनुबंध- V

2008-09 में प्रचालनात्मक नोडल एजेन्सियों की सूची

क्र. सं.	एजेन्सी का नाम
1.	अकादमी सबर्बिया, कोलकाता
2.	एसोसिएटिड चैम्बर आफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री नई दिल्ली
3.	एसोसिएशन ऑफ लेडी इंटरप्राइजिज ऑफ आंध्र प्रदेश, हैदराबाद
4.	सेण्ट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नॉलॉजी, अमृतसर
5.	सेण्ट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नॉलॉजी, भुवनेश्वर
6.	सेण्ट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नॉलॉजी, चेन्नई
7.	सेण्ट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नॉलॉजी, गुवाहाटी
8.	सेण्ट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नॉलॉजी, पानीपत
9.	इलेक्ट्रोनिक्स सर्विस एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर, रामनगर
9.	इंडियन काउसिंल ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज, (आईसीएसआई), कोलकाता
10.	इंस्टिट्यूट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप डवलपमेंट, पटना
11.	इंस्टिट्यूट ऑफ लेबर डवलपमेंट, जयपुर
12.	कलिंगा स्कूल ऑफ सोशल डवलपमेंट, भुवनेशनर
13.	मध्य प्रदेश कंसलटेंसी आर्गेनाईजेशन, (एमपीसीओएन), भोपाल
14.	मिटकोन कंसलटेंसी सर्विसेज लि., पुणे
15.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ माइक्रो, स्मॉल एण्ड मिडियम इंटरप्राइजिज, (निमसेम), हैदराबाद
16.	नेशनल स्कूल ऑफ कम्प्यूटर एजुकेशनल, कोलकाता
17.	नॉर्थ इंडिया टेक्निकल कंसलटेंसी सर्विसेज लि., चंडीगढ़
18.	यू.पी. इंडस्ट्रियल कंसलटेन्ट्स लि., (यूपिको) कानपुर